

विषय सूची

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965

प्राक्कथन

नियम सं०	भारत सरकार का निर्णय	पृष्ठ संख्या
भाग - I सामान्य		17-22
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ		17
2. निर्वचन		17
3. लागू होना		19
भारत सरकार का निर्णय		20
(I) वे कर्मचारी जिन पर लागू नहीं होंगे		20
भाग- II वर्गीकरण		22-27
4. सेवाओं का वर्गीकरण		22
5. केन्द्रीय सिविल सेवाओं का गठन		22
6. पदों का वर्गीकरण		23
7. साधारण केन्द्रीय सेवा		23
भारत सरकार के निर्णय		23
(1) अधिसूचना		23-24
(कार्मिक , प्रशिक्षणऔर प्रशासनिक सुधार विभाग की तारीख 11.11.1975 की अधिसूचना सं० 21/2/74-स्थापना (घ))		

(2)	आदेश	25
	(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का तारीख 20.04.1998 का कार्यालय ज्ञापन सं० 13012/1/98-स्थापना (घ))	
(2क)	आदेश	26
	(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का तारीख 29 जुलाई , 1998 का कार्यालय ज्ञापन सं० 13012/1/98 - स्थापना (घ))	
(3)	पदों का वर्गीकरण	26
	(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का तारीख 12 जून,1998 का कार्यालय ज्ञापन सं० 13012/1/98 - स्थापना (घ))	
(4)	पदों का वर्गीकरण - स्पष्टीकरण	27
	(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का तारीख 10 मई ,2000 का कार्यालय ज्ञापन सं० 11012/5/2000-स्थापना (क))	
भाग II।-नियुक्ति प्राधिकारी		28-30
8.	‘समूह क’ सेवाओं में और पदों पर नियुक्तियां भारत सरकार के आदेश/निर्णय	
(1)	गोवा दमन और दीव के प्रशासक को शक्तियों का प्रत्यायोजन (गृह मंत्रालय का तारीख 10 फरवरी,1965 का आदेश सं० 7/1/65-स्थापना (क))	28
(2)	दादर और नागर हवेली के प्रशासक को शक्तियों का प्रत्यायोजन (गृह मंत्रालय का तारीख 12 जून, 1969 का आदेश सं० 7/6/69-स्थापना (क))	29
(3)	अरुणाचल प्रदेश के प्रशासक को शक्तियों का प्रत्यायोजन (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का तारीख 21 जनवरी,1972 का कार्यालय ज्ञापन सं० 7/2/72-स्थापना (क))	29
9.	अन्य सेवाओं में और पदों पर नियुक्तियां	30

10. निलंबन

भारत सरकार के निर्णय

- (1) सरकारी सेवकों द्वारा अपनी गिरफ्तारी की सूचना उच्चाधिकारियों को देना 33
(गृह मंत्रालय का तारीख 25 फरवरी, 1955 का पत्र सं. 39/59/54-स्थापना (क))
- (2) निलंबित सरकारी सेवक का मुख्यालय 34
(गृह मंत्रालय का तारीख 8 सितम्बर, 1956 का कार्यालय ज्ञापन सं. 39/5/56-स्थापना (क))
- (3) दांडिक कार्यवाही लंबित रहने, गिरफ्तारी, निरोध आदि के दौरान निलंबन को किस प्रकार विनियमित किया जाए 34
(वित्त मंत्रालय का तारीख 28 मार्च, 1959 का कार्यालय ज्ञापन सं. एफ 15(8)-ई - IV / 57)
- (4) परिस्थितियां जिनके अंतर्गत किसी सरकारी सेवक को निबलित किया जा सकता है 34-37
(गृह मंत्रालय का तारीख 22 अक्तूबर, 1964 का कार्यालय ज्ञापन सं 0 43/56/64- ए वी डी)
- (5) जिन सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां चल रही हैं, उनके आवेदन पत्रों का अग्रेषित किया जाना 37-38
(गृह मंत्रालय का तारीख 6 सितंबर, 1968 का कार्यालय ज्ञापन सं 0 39/17/63-स्थापना-क)
- 5(क) अन्य पदों के लिए आवेदन अग्रेषित करने संबंधी सिद्धांत 38-40
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 14 मई, 1993 का कार्यालय ज्ञापन सं 0 ए बी 14017/101/91-स्थापना (आर-आर))
- (6) निलंबन- आरोप पत्र तामील किए जाने के लिए समय सीमा को कम करना 40-42
(मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) का तारीख 4 फरवरी, 1971 का ज्ञापन सं. 39/39/70-स्थापना (क)), कार्मिक, प्रशिक्षण और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 1.12.1972 का कार्यालय ज्ञापन सं. 39/33/72-स्थापना (क)), कार्मिक,

प्रशिक्षण और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 14.9.1978 का कार्यालय ज्ञापन सं० 11012/7/78-स्थापना (क)), तारीख 18.2.1984 का कार्यालय ज्ञापन सं० 42014/7/83 स्थापना (क))

- (6क) यदि कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया हो तो तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर निलम्बन के कारण सूचित किए जाएंगे 42-43
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 9 नवम्बर, 1982 का का०ज्ञा० संख्या 35014/1/81-स्था०(घ))
- (7) निर्वाह भत्ते की समय पर अदायगी 43-44
(मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 6 अक्तूबर, 1976 का कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/10/76-स्थापना (क))
- (8) गलत निरोध अथवा बिना किसी आधार पर निरोध 45
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 08.08.1977 का कार्यालय ज्ञापन सं० 35014/9/76-स्थापना (क))
- (9) निरोध के आधार पर माने गए (डीमड) निलंबन को , दोषसिद्धि न होने की स्थिति में रद्द समझा जाए 46
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 10.01.1986 का कार्यालय ज्ञापन सं० 11012/16/85-स्थापना (क))
- (10) उच्चतर पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही 47
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 24 दिसंबर 1986 का कार्यालय ज्ञापन सं० 11012/9/86-स्थापना (क))
- (11) दहेज संबंधी मृत्यु के मामलों में निलंबन 47-48
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 22 जून, 1987 का कार्यालय ज्ञापन सं० 11012/8/87-स्थापना (क))
- (12) सेवा से त्यागपत्र देने से संबंधित कार्यविधि 49-52
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 11 फरवरी, 1988 का कार्यालय ज्ञापन सं० 28034/25/87-स्थापना (क))

- (13) जिन सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक / अदालती कार्यवाही लंबित हो
अथवा जिनके आचरण की जाँच की जा रही हो उनकी पदोन्नति के संबंध में
अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और तत्संबंधी दिशानिर्देश 53-58
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 14.09.1992 का कार्यालय ज्ञापन सं०
22011/4/91 - स्थापना (क))
- (13क) मुहरबंद लिफाफे के संबंध में अनुदेश 58-59
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 25 फरवरी, 1999 का कार्यालय
ज्ञापन सं० 22011/1/99-स्थापना (क))
- (13ख) सील-बंद लिफाफे से संबंधित प्रक्रिया- पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति
समिति पर लागू करने संबंधी स्पष्टीकरण 59
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 21.11.2002 का कार्यालय ज्ञापन सं०
22011/2/99-स्थापना (क))
- (13ग) मोहर बंद लिफाफा प्रक्रिया-दिल्ली जल बोर्ड बनाम मांहिन्दर सिंह (जे.टी.
2002(10) एस.सी. 158) के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 24.2.2003 का कार्यालय ज्ञापन सं०
22011/2/2002 स्थापना (क)) 60-61
- (14) केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली,
1965 के नियम 10(2) के अन्तर्गत माना गया निलम्बन - भारत संघ
बनाम राजीव कुमार के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 23.10.2003 का कार्यालय ज्ञापन सं०
11012/8/2003 स्थापना (क)) 61-62
- (15क) सरकारी कर्मचारियों के निलम्बन से संबंधित अनुदेशों की समीक्षा कार्मिक
और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 7.1.2004 का कार्यालय ज्ञापन सं०
11012/4/2003 स्थापना (क)) 62-64
- (15ख) सरकारी कर्मचारियों के निलम्बन से संबंधित अनुदेशों की समीक्षा
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 19.3.2004 का कार्यालय ज्ञापन सं०
11012/4/2003 स्थापना (क)) 64

(15ग) निलम्बन की समीक्षा - केन्द्रीय सिविल सेवाए (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10 के प्रावधानों में संशोधन
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 12.7.2007 का कार्यालय ज्ञापन सं० 11012/4/2003 स्थापना (क)) 65-66

भाग -V शास्तियां और अनुशासनिक प्राधिकारी	67-88
11) शास्तियां	67-69

भारत सरकार के निर्णय

- (1) परिनिंदा और चेतावनी में अंतर (गृह मंत्रालय का तारीख 13 दिसंबर, 1956 का कार्यालय ज्ञापन सं० 39/21/56-स्थापना (क)) 70-71
- (1 क) गोपनीय रिपोर्ट लिखना - उक्त रिपोर्ट में चेतावनियों का उल्लेख करना
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 5 जून, 1981 का कार्यालय ज्ञापन सं० 21011/1/81- स्थापना (क)) 71-72
- (2) सरकारी सेवक द्वारा परिवार की उपेक्षा किए जाने पर विभागीय कार्रवाई
(गृह मंत्रालय का तारीख 1 सितंबर, 1959 का कार्यालय ज्ञापन सं. एफ. 25/16/59-स्थापना (क)) । 72
- (3) गोपनीय पंजियों में दंड की प्रविष्टि 73
(गृह मंत्रालय का तारीख 23 अप्रैल, 1960 का कार्यालय ज्ञापन सं० 38/12/59-स्थापना (क))
- (4) जिन अधिकारियों को शास्ति के कारण पदावनत किया गया हो , उनकी पुनः पदोन्नति
(गृह मंत्रालय का तारीख 7 फरवरी, 1964 का कार्यालय ज्ञापन सं. 9/30/63-स्थापना (घ)) 73-74
- (5) जब शास्ति प्रवृत्त हो तो उच्च पदों के लिए रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराना अनुज्ञेय नहीं है

(गृह मंत्रालय का तारीख 22 फरवरी, 1965 का कार्यालय ज्ञापन 14/6/65-
स्थापना (घ))

74

- (6) सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों द्वारा भर्ती से पूर्व किए गए कृत्यों के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने के उद्देश्य से सरकारी उपक्रमों के नियमों में व्यवस्था

(गृह मंत्रालय का तारीख 21 फरवरी, 1967 का कार्यालय ज्ञापन 39/1/67-
स्थापना (क))

74-75

- (7) ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति जिन पर कोई शास्ति अधिरोपित की गई है (मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) का तारीख 15 मई, 1971 का कार्यालय ज्ञापन सं. 21/5/70-स्थापना(क))

75-76

- (7क) ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति जिन पर कोई शास्ति अधिरोपित की गई है (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 16 फरवरी, 1979 का कार्यालय ज्ञापन सं. 22011/2/78-स्थापना(क))

76-78

- (8) रैंक में अवनति की शास्ति का दायरा-श्री नयादर सिंह और श्री एम.जे.निनामा बनाम भारत संघ (1988 की सिविल अपील सं० 3003 और 1988 की 889) के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 2.2.89 का कार्यालय ज्ञापन सं० 11012/2/88 स्थापना (क))

79

- (9) संचयी प्रभाव के बिना और पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए वेतन के समय मान में निम्नतर प्रक्रम (लोअर स्टेज) में अवनति की शास्ति (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का तारीख 28.05.92 का कार्यालय ज्ञापन सं.011012/4/86-स्थापना(क))

80

- (10) यदि बाद में यह पता चले कि सरकारी सेवक , प्रारंभिक भर्ती के लिए अपात्र या अयोग्य था तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 19.05.1993 का कार्यालय ज्ञापन सं० 11012/7/91-स्थापना (क))

80-81

- (11) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण , नियंत्रण और अपील) नियमावली का नियम 11(iii) सरकारी सेवक द्वारा की गई धनीय हानि की वसूली - स्पष्टीकरण (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 6 सितंबर, 2000 का कार्यालय ज्ञापन सं० 11012/1/2000-स्थापना (क)) 81-82
- (12) निम्नतर समय-वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा में अवनति की शास्ति लगाया जाना (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 14 मई, 2007 का कार्यालय ज्ञापन सं० 11012/2/2005-स्थापना (क)) 83-84
- 12. अनुशासनिक प्राधिकारी 84-86**
- भारत सरकार के निर्णय**
- (1). किसी पद के वर्तमान कार्यों को निष्पादित करते हुए अधिकारी, नियमों के अधीन सांविधानिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते (गृह मंत्रालय का तारीख 24 जनवरी ,1963 का कार्यालय ज्ञापन 7/14/61-स्थापना (क)) 86
- (2) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मुख्य आयुक्त को प्रत्यायोजित शक्तियां (गृह मंत्रालय का तारीख 30 मई,1964 का ज्ञापन सं० एफ.7/16/64-स्थापना (क)) 87
- (3) नियम 12, 14 आदि के बारे में स्पष्टीकरण (गृह मंत्रालय का तारीख 16 अप्रैल,1969 का ज्ञापन सं. एफ 39/1/69-स्थापना (क)) 87-88
- 13. कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए प्राधिकारी 89**

भाग VI

- 14. शस्तियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया 89-98**

भारत सरकार के निर्णय

- (1) अनुशासन के मामलों के निपटान में प्रक्रिया संबंधी विलंब न होने देने के बारे में अनुदेश
(गृह मंत्रालय का तारीख 4 अक्तूबर, 1952 का कार्यालय ज्ञापन सं.39/40/52-स्थापना) 89-100
- (2) अनुशासनिक कार्यवाहियों के संबंध में वेतन आयोग की सिफारिशें और उन पर सरकार के आदेश
(गृह मंत्रालय का तारीख 16.2.1961 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 6(26)60-स्थापना) 101-102
- (3) अपचारी कर्मचारी को दस्तावेजों की प्रतियां देना
(गृह मंत्रालय का तारीख 25 अगस्त, 1961 का कार्यालय ज्ञापन 30/5/61-एवीडी) 102-106
- (4) अभियुक्त कर्मचारी की ओर से साक्षियों की परीक्षा
(गृह मंत्रालय का तारीख 8 जून, 1962 का कार्यालय ज्ञापन सं0 6/26/60-स्थापना) 106-107
- (5) अपराध की गंभीरता के अनुसार अभियोजन या विभागीय कार्रवाई
(गृह मंत्रालय का तारीख 4 सितंबर, 1964 का कार्यालय ज्ञापन सं0 39/8/64-स्थापना (क)) 107
- (6) ऐसे उपाय करना जिनसे अपचारी कर्मचारी अभिलेखों/दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान उनमें हेर - फेर न कर सके
(गृह मंत्रालय का तारीख 27 सितंबर, 1965 का कार्यालय ज्ञापन सं0 242/96/65-एवीडी) 107-108
- (7) सहायक सरकारी सेवक
(केन्द्रीय सतर्कता आयोग का तारीख 8 जनवरी, 1968 का पत्र सं0 61/3/67-ग) 108-109
- (8) जब प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने साक्षी की पुनः परीक्षा कर ली हो तो उसके बाद सरकारी सेवक द्वारा या उसकी ओर से प्रतिपरीक्षा

(मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) का तारीख 24 सितंबर ,1970 का
ज्ञापन सं0 7/11/70-स्थापना (क)) 109

- (9) राजपत्रित अधिकारियों/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपचारी अधिकारियों के विरुद्ध
जांच करना
(मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) का तारीख 6 जनवरी ,1971 का ज्ञापन
सं0 7/1/70-स्थापना (क)) 109-110
- (10) जांच प्राधिकारी की नियुक्ति
(मंत्रिमंडल सचिवालय , कार्मिक विभाग का तारीख 9 नवंबर ,1972 का कार्यालय
ज्ञापन सं0 39/40/70-स्थापना (क)) 110-112
- (11) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 29 जुलाई ,1976 का कार्यालय
ज्ञापन सं0 35014/1/76-स्थापना(क)) 112-113
- (12) क्या आरोपों को प्रतिरक्षा के लिखित कथन की प्रारंभिक अवस्था में छोड़ा (ड्रॉप)
जा सकता है
(गृह मंत्रालय का तारीख 12 मार्च,1981 का कार्यालय ज्ञापन सं0 11012/2/79-
स्थापना (क) और तारीख 8 दिसंबर ,1982 का कार्यालय ज्ञापन सं0
11012/8/82-स्थापना (क)) 113-114
- (13) विधि व्यवसायी अनुबंधित करने के लिए अनुमति
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 23 जुलाई ,1984 का
कार्यालय ज्ञापन सं0 11012/7/83-स्थापना (क)) 114-115
- (14) प्रतिरक्षा सहायक अनुबंधित करने संबंधी प्रतिबंध
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 29 अप्रैल ,1986 का कार्यालय
ज्ञापन सं0 11012/3/86 -स्थापना (क)) 115-116
- (15) जांच प्राधिकारी के समक्ष सरकारी सेवक का हाजिर होना - केन्द्रीय सिविल सेवाएं
(वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14(7) के
उपबंधों के आशय के बारे में स्पष्टीकरण

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 28 दिसंबर, 1993 का कार्यालय
ज्ञापन सं० 35034/7/92- स्थापना (क)) 116-117

- (16) प्रतिरक्षा सहायक के रूप में हाजिर होने वाले सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के विषय
में शर्तें

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 5.2.2003 का कार्यालय ज्ञापन सं.
11012/11/2002-स्थापना (क)) 117-118

- (17) अदालत में अभियोजन की कार्रवाई और विभागीय कार्यवाहियां एक साथ
प्रारम्भ करना

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 1 अगस्त, 2007 का कार्यालय
ज्ञापन सं.1101 2/6/2007- स्थापना (क)) 118-120

15. जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई 120-121

भारत सरकार के निर्णय

- (1) अंतिम आदेश, जांच संस्थित करने वाले उच्चतर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा
पारित करना

(गृह मंत्रालय का तारीख 8 जून, 1962 का कार्यालय ज्ञापन सं० 6/26/60-
स्थापना(क)) 122

- (2) यदि पिछले खराब रिकार्ड को आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट आरोप की विषय- वस्तु न
बनाया गया हो तो शास्ति का निर्णय करने के लिए उस पर विचार करना उपयुक्त
नहीं होगा

(भारत सरकार गृह मंत्रालय का तारीख 28 अगस्त, 1968 का कार्यालय ज्ञापन सं०
134/20/68-ए वी डी) 122

- (3) जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित
करना - मामलों का शीघ्र निपटान

(मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) का तारीख 8 जनवरी, 1971 का ज्ञापन
सं० 39/43/70-स्थापना (क)) 123-124

- (3 क) अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा आदेश पारित करने में विलंब

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 11 नवंबर ,1998 का कार्यालय ज्ञापन सं० 11012/21/98 -स्थापना (क)) 124

- (4) अनुशासनिक मामले - सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आख्यापक आदेश जारी किए जाने की आवश्यकता
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 13.07.1981 का कार्यालय ज्ञापन सं. 134/1/81-ए वी डी -I) 124-126

- (5) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने से पहले, अभियुक्त सरकारी सेवक को जांच रिपोर्ट की प्रति दिया जाना
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 26 जून ,1989 का कार्यालय ज्ञापन सं० 11012/13/85- स्थापना 126-127

- (5क) यदि कोई असहमति हो तो उसके कारण संसूचित किए जाए
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 27.11.1995 का कार्यालय ज्ञापन सं० 11012/22/94- स्थापना (क)) 128

- (6) सरकारी सेवकों के विरुद्ध शास्ति की प्रमात्रा (कवाण्टम) के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अधिकारिता
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 28.02.1990 का कार्यालय ज्ञापन सं० 11012/1/90-स्थापना (क)) 128-130

- (6 क) सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अधिकारिता
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 28.03.1994 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/6/94-स्थापना(क)) 130-131

16. छोटी शास्तियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया 131-132

भारत सरकार के निर्णय

- (1) वेतनवृद्धियां रोकने की कुछ शास्तियों में जांच करना अनिवार्य है
(गृह मंत्रालय का तारीख 19 जनवरी ,1968 का कार्यालय ज्ञापन सं० 7/3/67- स्थापना (क)) 132-133

	(2) छोटी शास्ति - विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में जांच करना (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 28 अक्तूबर ,1985 का कार्यालय ज्ञापन सं0 11012/18/85-स्थापना (क))	133-134
17.	आदेशों की संसूचना	134
	भारत सरकार के निर्णय	
	(1) गोपनीय पंजियों में दंड की प्रविष्टि (भारत सरकार , गृह मंत्रालय का तारीख 23 अप्रैल ,1960 का कार्यालय ज्ञापन सं0 38/12/59-स्थापना (क))	134
18.	एक साथ कार्यवाही	135
	भारत सरकार के निर्णय	
	(1) जब दो सरकारी सेवक एक-दूसरे पर अभियोग लगाएं तो उस स्थिति में जांच की प्रक्रिया (भारत सरकार, गृह मंत्रालय का तारीख 13 जून,1963 का पत्र सं0 6/98/63 एवीडी)	135
19.	कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया	136
	भारत सरकार के निर्णय	
	(1) संविधान के अनुच्छेद 311(2) के दूसरे परंतुक की व्याप्ति (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 11 नवंबर ,1985 का कार्यालय ज्ञापन सं0 11012/11/85-स्थापना)	137-142
	(2) जब नियम 19 के अधीन कार्रवाई की जाती है तो आरोप पत्र जारी करना (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 4 अप्रैल ,1986 का कार्यालय ज्ञापन सं0 11012/11/85-स्थापना (क))	142-144
20.	राज्य सरकारों आदि को उधार दिए गए अधिकारियों के संबंध में उपबंध ।	144-145
21.	राज्य सरकारों आदि से उधार लिए गए अधिकारियों के संबंध में उपबंध ।	145-146

भाग - V॥ अपील	146
22. आदेश जिनके विरुद्ध अपील नहीं होगी	146
23. आदेश जिनके विरुद्ध अपील हो सकेगी	146-147
24. अपील प्राधिकारी भारत सरकार के अनुदेश	148
(1) संघ (असोसिएशन) या परिसंघ (यूनियन) के किसी पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक आदेश के मामले में अपील । (गृह मंत्रालय का तारीख 18 अप्रैल, 1967 का का०ज्ञा० संख्या 7/14/64- स्था(क)	149
25 अपीलों का परिसीमा काल	149
26. अपील का स्वरूप और उसकी विषय वस्तु	149-150
27. अपील पर विचार	150-151
भारत सरकार के अनुदेश	
(1) अपीलों के निपटान के लिए समय सीमा (मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) का तारीख 15 मई, 1971 का कार्यालय ज्ञापन सं० 39/42/70-स्थापना (क)	151-153
(2) बड़ी शास्ति के मामले में व्यक्तिगत सुनवाई अपील प्राधिकारी के विवेक पर (भारत सरकार , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 28 अक्तूबर ,1985 का कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/20/85-स्थापना (क))	153-154
(2क) बड़ी शास्ति के मामले में व्यक्तिगत सुनवाई अपील प्राधिकारी के विवेक पर (भारत सरकार , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 23 अप्रैल, 1991 का कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/2/91-स्थापना (क))	154
28. अपील के परिणामस्वरूप दिए गए आदेशों को लागू करना ।	154

भाग -VIII	पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन	154-159
29.	पुनरीक्षण	154-156
	भारत सरकार के अनुदेश	
(1)	सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जा चुकी शास्ति को बढ़ाने का प्रस्ताव करते समय अपनाई जाने वाली कार्यविधि (भारत सरकार, गृह मंत्रालय का तारीख 14 मई ,1968 का कार्यालय ज्ञापन सं० 39/2/68-स्थापना (क))	156-157
(29क)	पुनर्विलोकन	157
	भारत सरकार के अनुदेश	
(1)	राष्ट्रपति की नियम 29 के अधीन पुनर्विलोकन की शक्ति (गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) का तारीख 3 सितंबर, 1981 का कार्यालय ज्ञापन सं० 11012/1/80-स्थापना (क))	158-159
भाग IX	विविध	159-163
30.	आदेश , सूचना (नोटिस) आदि की तामील	159
31.	समय परिसीमा को शिथिल करने और विलंब को माफ करने की शक्ति	159
32.	आयोग की सलाह की प्रति देना	159
33.	अस्थायी उपबंध	159-160
34.	निरसर और व्यावृत्तियां	160-161
35.	शंकाओं का निराकरण	161

भारत सरकार के अनुदेश

- (1) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सलाह की प्रति सरकारी सेवकों को दी जाए
(गृह मंत्रालय का तारीख 29 दिसंबर, 1964 का कार्यालय ज्ञापन सं०
एफ23/19/60-स्थापना (ख)) 161
- (2) आरोपित कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अनुशासनिक मामले बंद
करने से संबंधित प्रक्रिया
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 20 अक्टूबर, 1999 का कार्यालय ज्ञापन
सं० 11012/7/99-स्थापना (क)) 161-162
- (3) निर्वाचन ड्यूटी के लिए तैनात सरकारी सेवकों के विषय में भारत निर्वाचन
आयोग की अनुशासनिक अधिकारिता
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 7 नवंबर, 2000 का कार्यालय ज्ञापन
सं० 11012/7/98-स्थापना (क)) 162-163

	अनुसूचियां	
भाग I	केन्द्रीय सिविल सेवाएं, समूह 'क'	164-166
भाग II	केन्द्रीय सिविल सेवाएं, समूह 'ख'	167-191
भाग III	केन्द्रीय सिविल सेवाएं, समूह 'ग'	192-200
भाग IV	केन्द्रीय सिविल सेवाएं, समूह 'घ'	201-202
भाग V	रक्षा सेवाओं में सिविल पद	203-213

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण , नियंत्रण और अपील) नियमावली ,1965

राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्-

भाग I

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 है।
- (2) ये 1 दिसम्बर, 1965 को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वचन -

इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) सरकारी सेवक के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से निम्नलिखित अभिप्रेत है:-

- (I) वह प्राधिकारी , जो उस सेवा में जिसका सरकारी सेवक तत्समय सदस्य है या सेवा की उस ग्रेड में , जिसके अंतर्गत सरकारी सेवक तत्समय है, नियुक्ति करने के लिए सशक्त है, या
- (II) वह प्राधिकारी , जो उस पद पर , जिसे सरकारी सेवक तत्समय धारण किए हुए है, युक्तियां करने के लिए सशक्त है , या
- (III) वह प्राधिकारी , जिसने सरकारी सेवक को , यथास्थिति ऐसी सेवा , ग्रेड या पद , जैसा भी मामला हो, पर नियुक्त किया है , या

(iv) जहां सरकारी सेवक, किसी अन्य सेवा का स्थायी सदस्य रहते हुए या कोई अन्य स्थायी पद अधिष्ठायी रूप में धारण करते हुए , सरकार के अधीन निरन्तर नियोजन में रहा है , वहाँ वह प्राधिकारी जिसने उसे उस सेवा में या उस सेवा के किसी ग्रेड में या उस पद पर नियुक्त किया है जो भी प्राधिकारी उच्च प्राधिकारी हो।

(ख) किसी सेवा के संबंध में “ संवर्ग प्राधिकारी “ का वही अर्थ है जो उस सेवा का विनियमन करने वाले नियमों में दिया गया है ।

(ग) “ केन्द्रीय सिविल सेवा और केन्द्रीय सिविल पद “ के अंतर्गत रक्षा सेवाओं में तत्समान समूह की कोई सिविलियन सेवा या सिविलियन पद शामिल है;

(घ) “ आयोग “ से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) “ रक्षा सेवाएं “ से भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन वे सेवाएं अभिप्रेत हैं , जिनके लिए संदाय रक्षा सेवा प्राक्कलनों से किया जाता है और जो सेना अधिनियम, 1950(1950 का 46) , नौ सेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) और वायु सेना अधिनियम , 1950 (1950 का 45) के अधीन नहीं हैं ।

(च) “ भारत सरकार का विभाग “ से कोई ऐसा स्थापना या संगठन अभिप्रेत है , जिसे राष्ट्रपति ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भारत सरकार का विभाग घोषित किया है;

(छ) “ अनुशासनिक प्राधिकारी “ से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है , जो सरकारी सेवक पर नियम 11 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए , इन नियमों के अधीन सक्षम है ;

(ज) “ सरकारी सेवक “ से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो:-

(I) संघ के अधीन सेवा का सदस्य है या कोई सिविल पद धारण किए हुए है और उसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी आता है , जो अन्यत्र सेवा में है या जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के व्ययनाधीन कर दी गयी है ।

(II) किसी राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा का सदस्य है या कोई सिविल पद धारण किए हुए है और जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से केन्द्रीय सरकार के व्ययनाधीन कर दी गई हैं;

- (111) किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण की सेवा में है और जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से केन्द्रीय सरकार के व्ययनाधीन कर दी गई है ;
- (झ) नियुक्ति , अनुशासनिक, अपील या पुनर्विलोकन प्राधिकारी के रूप में शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए “विभाग का प्रधान” से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो यथास्थिति , मूल और अनुपूरक नियमों या सिविल सेवा विनियमों के अधीन विभाग का प्रधान घोषित किया या है ;
- (अ) नियुक्ति , अनुशासनिक , अपील या पुनर्विलोकन प्राधिकारी के रूप में शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए “ कार्यालय का प्रधान “ से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो साधारण वित्तीय नियमों के अधीन कार्यालय का प्रधान घोषित किया गया है ;
- (ट) “ अनुसूची “ से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (ठ) “ सचिव “ से भारत सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग का सचिव अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:-
- (I) विशेष सचिव या अपर सचिव ;
- (II) संयुक्त सचिव जिसे मंत्रालय या विभाग का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है ;
- (III) मंत्रिमंडल सचिवालय के संबंध में , मंत्रिमंडल का सचिव ;
- (v) राष्ट्रपति सचिवालय के संबंध में यथास्थिति , राष्ट्रपति का सचिव या राष्ट्रपति का सेना सचिव ;
- (v) प्रधान मंत्री सचिवालय के संबंध में , प्रधान मंत्री का सचिव; और
- (vi) योजना आयोग के संबंध में , योजना आयोग का सचिव या अपर सचिव ;
- (ड) “सेवा “ से संघ की कोई सिविल सेवा अभिप्रेत है ।

3. लागू होना:-

- (1) ये नियम रक्षा सेवाओं के हर सिविलियन सरकारी सेवक सहित हर सरकारी सेवक पर लागू होंगे किन्तु निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:-

- (क) भारतीय रेल स्थापना संहिता के खण्ड 1 के नियम 102 में यथापरिभाषित किसी सेवक पर ;
- (ख) अखिल भारतीय सेवाओं के किसी सदस्य पर ;
- (ग) आकस्मिक नियोजन के किसी व्यक्ति पर ;
- (घ) किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसे एक माह से कम की सूचना देकर सेवोन्मुक्त किया जा सकता है ;
- (ङ) किसी ऐसे व्यक्ति पर , जिसके लिए इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के बारे में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उनके अधीन विशेष उपबन्ध किए गए हों अथवा न नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व या पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा या उनके पूर्व अनुमोदन से उन विषयों के बारे में जो ऐसे विशेष उपबंधों के अंतर्गत आते हैं , किए गए किसी करार द्वारा या उसके अधीन किया जाता है ।
- (2) उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति सरकारी सेवकों के किसी समूह को इन सब नियमों या इनमें से किसी के प्रवर्तन से आदेश द्वारा अपवर्जित कर सकेंगे ।
- (3) उप-नियम (1) या भारतीय रेल स्थापना संहिता में किसी बात के होते हुए भी, ये नियम ऐसी सेवा में या पद पर , जो उपनियम (1) के अपवाद (क) या (ङ.) के भीतर आता है , अस्थायी रूप से अंतरित कर ऐसे सरकारी सेवक को लागू होंगे , जिसे ऐसा अंतरण न होने की दशा में ये नियम लागू होते हैं ।
- (4) यदि कोई संदेह उत्पन्न होते हैं कि:-
 - (क) क्या ये नियम या इनमें से कोई नियम किसी व्यक्ति पर लागू है या
 - (ख) क्या कोई व्यक्ति , जिस पर ये नियम लागू हैं , किसी विशिष्ट सेवा का सदस्य है , तो मामला राष्ट्रपति को निर्देशित किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेंगे ।

भारत सरकार के निर्णय:-

- (1) वे कर्मचारी जिन पर लागू नहीं होंगे:- राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1957 (अब 1965) के नियम 3 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा यह निदेश देते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का निम्नलिखित वर्ग उक्त नियम के परिचालन से पूर्णतः छोड़ दिया जाए , अर्थात्-

विदेश मंत्रालय

विदेश स्थित मिशनों में स्थानीय रूप से भर्ती किया हुआ कर्मचारी वर्ग ।

संचार मंत्रालय

(डाक तथा तार विभाग)

- i.) अतिरिक्त विभागीय एजेंट्स
- ii) नियमित स्थापना में लाए गए कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारी वर्ग जिनका महीनेवार भुगतान आकस्मिकताओं में से किया गया है ।
- iii) महीनेवार भुगतान कार्य प्रभारित और अन्य कर्मचारी जो नियमित स्थापना पर नहीं हैं ।
- iv). दैनिक दर के ऐसे कर्मचारी जिन्हें आकस्मिकताओं में से भुगतान किया गया हो ।
- .v) दैनिक, साप्ताहिक , मासिक रूप से भुगतान किए गए दैनिक दर के कामगार ।
- vi) हमेशा गर्म मौसम और मानसून स्थापना ।
- vii) अविभागीय तार और दूरभाष संचालक ।

(गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस0आर0ओ0 609, तारीख 28-2-1957)

गृह मंत्रालय

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस निरीक्षक के रैंक तक के पुलिस अधिकारी ।
(गृह मंत्रालय , अधिसूचना संख्या एफ 7/24/61-स्था0 (क), तारीख 15 दिसम्बर ,1961)

शहरी विकास मंत्रालय

राष्ट्रपति उद्यान स्थापना और सम्पदा कार्यालय

(तारीख 28 जुलाई,1986 की अधिसूचना सं. 11012/19/84-स्थापना (क) द्वारा यथासंशोधित (गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 7/5/1959-स्थापना (क), तारीख 25 मई,1959)

पर्यटन और सिविल विमानन मंत्रालय और नौवहन और परिवहन मंत्रालय

- (I) विदेशों में पर्यटक कार्यालयों में स्थानीय रूप से भर्ती किया गया कर्मचारी वर्ग
- (II) मंगलौर परियोजना और तूती कोरिन बन्दरगाह परियोजनाओं के कार्य प्रभारित कार्मिक (गृह मंत्रालय, अधिसूचना संख्या 7/1/66-स्थापना (क), तारीख 11 अप्रैल, 1966)

भाग- II

वर्गीकरण

4. सेवाओं का वर्गीकरण

(1) संघ की सिविल सेवाएं निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत की जाएंगी:-

- (I) केन्द्रीय सिविल सेवाएं समूह “ क “
- (II) केन्द्रीय सिविल सेवाएं समूह “ ख “
- (III) केन्द्रीय सिविल सेवाएं समूह “ ग “
- (IV) केन्द्रीय सिविल सेवाएं समूह “ घ “

(2) यदि किसी सेवा में एक से अधिक ग्रेड है तो ऐसी सेवा के विभिन्न ग्रेड विभिन्न गुणों में सम्मिलित किए जाएं।

5. केन्द्रीय सिविल सेवाओं का गठन

केन्द्रीय सिविल सेवाएं, समूह “ क “, समूह “ ख “, समूह “ ग “ और समूह “ घ “ की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सेवाओं की सेवाओं और ग्रेडों से मिलकर बनेगी।

6. पदों का वर्गीकरण

संघ के अधीन उन पदों से जिन्हें साधारणतः ऐसे व्यक्ति धारण करते हैं जिन पर ये नियम लागू नहीं हैं, भिन्न सिविल पद, राष्ट्रपति के साधारण या विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे:-

- (I) केन्द्रीय सिविल पद, समूह “क”
- (II) केन्द्रीय सिविल पद, समूह “ख”
- (III) केन्द्रीय सिविल पद, समूह “ग”
- (iv) केन्द्रीय सिविल पद, समूह “घ”

6-क

इन नियमों के लागू होने से तत्काल पहले विद्यमान सभी नियमों, आदेशों, अनुसूचियों, अधिसूचनाओं, विनियमों, अनुदेशों में केन्द्रीय सिविल सेवाओं। केन्द्रीय सिविल पदों, श्रेणी I, श्रेणी II, श्रेणी III तथा श्रेणी IV के सभी संदर्भों को क्रमशः केन्द्रीय सिविल सेवाओं। केन्द्रीय सिविल पदों, समूह क, समूह ख, समूह ग तथा समूह घ के संदर्भों के रूप में समझा जाएगा और इस संदर्भ में जिनमें “श्रेणी अथवा श्रेणियों” के किसी संदर्भ को यथास्थिति “समूह अथवा समूहों” के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

7. साधारण केन्द्रीय सेवा:

किसी ऐसे समूह के केन्द्रीय सिविल पद, जो किसी अन्य केन्द्रीय सिविल सेवा में सम्मिलित नहीं हों, तत्समान समूह की साधारण केन्द्रीय सेवा में सम्मिलित किए गए समझे जाएंगे और ऐसे किसी पद पर नियुक्त सरकारी सेवक उस सेवा का सदस्य समझा जाएगा जब तक कि वह पहले से ही उसी समूह की किसी अन्य केन्द्रीय सिविल सेवा का सदस्य न हो।

भारत सरकार के आदेश / निर्णय:

(1) अधिसूचना

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियमावली, 1975 द्वारा यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा

परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि इस आदेश को जारी किए जाने की तारीख से संघ के अधीन सभी सिविल पदों को (ऐसे अपवादों के अध्यधीन जो सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित करे) यथास्थिति, निम्नलिखितानुसार समूह क, समूह ख समूह ग और समूह घ के रूप में पुनवर्गीकृत किया जाए:

वर्तमान वर्गीकरण

परिशोधित वर्गीकरण

श्रेणी I	समूह क
श्रेणी II	समूह ख
श्रेणी III	समूह ग
श्रेणी IV	समूह घ

परंतु

- (I) तारीख 01.01.1973 से पूर्व मौजूद संवर्गों में विनिर्दिष्ट परिवर्धन के तौर पर, परिशोधित वेतनमान में 01.01.1973 को या उसके बाद लेकिन इस आदेश के जारी होने की तारीख से पहले सृजित किए गए या सृजित समझे गए किन्हीं पदों का वर्गीकरण वही होगा जो उस संवर्ग के पदों का है जिसमें वे शामिल किए गए हैं ; और
- (II) ऐसे कोई पद जो उपर्युक्त (I) के अंतर्गत नहीं आते और परिशोधित वेतनमान में 01.01.1973 को या उसके बाद लेकिन इस आदेश के जारी होने की तारीख से पहले सृजित किए गए हैं या सृजित समझे गए हैं तथा उनका वर्गीकरण इस आदेश के पैरा 2 में परिकल्पित वर्गीकरण से उच्चतर है तो उन्हें उक्त पैराग्राफ के अनुसार पुनवर्गीकृत किया जाएगा किंतु ऐसा उक्त पदों के मौजूदा पदधारियों की हैसियत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा ।

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की तारीख 11.11.1975 की अधिसूचना सं0 21/2/74-स्थापना(घ))

(2) आदेश

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की तारीख 30 जून 1987 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1752 द्वारा यथा संशोधित, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की तारीख 11 नवंबर, 1975 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 5041 के पैरा 2 का अधिक्रमण करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से संघ के अधीन सभी सिविल पदों को निम्नलिखितानुसार वर्गीकृत किया जाए:-

क्रम संख्या	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
1.	केन्द्रीय सिविल पद जिसके वेतन या वेतनमान का अधिकतम 13500- रूपए से कम नहीं है	समूह क
2.	केन्द्रीय सिविल पद जिसके वेतन या वेतनमान का अधिकतम 9,000-रूपए से कम नहीं है परंतु 13,500- रूपए से कम है	समूह ख
3.	केन्द्रीय सिविल पद जिसके वेतन या वेतनमान का अधिकतम 4,000-रूपए से अधिक परंतु 9000/- रूपए से कम है।	समूह ग
4.	केन्द्रीय सिविल पद जिसके वेतन या वेतनमान का अधिकतम 4,000-रूपए या उससे कम हैं	समूह घ

स्पष्टीकरण:- इस आदेश के प्रयोजन के लिए:-

- (1) 'वेतन' का अर्थ वही है जो मूल नियम 9(21) (क)(1) में दिया गया है;

- (II) किसी पद के संदर्भ में 'वेतन या वेतनमान' का अर्थ केन्द्रीय सिविल सेवाएं (परिशोधित वेतन) नियमावली, 1997 के अधीन किसी पद के लिए निर्धारित किया गया वेतन या वेतनमान है।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 20.04.1998 का आदेश सं० 13012/1/98-स्थापना (घ))

3) आदेश

एस.ओ. 641 (ड.) - राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के तारीख 20 अप्रैल, 1998 के आदेश सं० एस.ओ.332 में आंशिक आशोधन करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के बाद, एतद्वारा निदेश देते हैं कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय में और सभी संगठित लेखा संवर्गों में वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और वरिष्ठ लेखा अधिकारियों के 8000-275-13500- रूपए के वेतनमान के सभी पदों को समूह ख के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 29 जुलाई, 1998 का आदेश सं० 13012/1/98-स्थापना (घ))

(4) पदों का वर्गीकरण

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के अधीन केंद्र सरकार के सभी पदों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, ये श्रेणियां इस प्रकार हैं - समूह "क", समूह "ख", समूह "ग" और समूह "घ"। यह वर्गीकरण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की तारीख 30 जून, 1987 की अधिसूचना सं. 13012/2/87-स्थापना (घ) में निर्धारित किए गए मानकों पर आधारित है। यह वर्गीकरण भर्ती अनुशासनिक मामलों सहित अन्य मामलों के लिए भी प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ भत्ते, पदों के वर्गीकरण के आधार पर मंजूर किए जाते हैं। पांचवें वेतन आयोग ने नए वर्गीकरण की सिफारिश की थी और सभी केन्द्रीय सिविल पदों को इन छह वर्गों में विभाजित किया था - शीर्षस्थ कार्यपालक, वरिष्ठ कार्यपालक, कार्यपालक, पर्यवेक्षी स्टाफ, सहायक स्टाफ और परिचर्या कर्मी। वेतन आयोग की इन

सिफारिशों का अध्ययन किया गया और इस विषय में प्रत्येक दृष्टि से विचार करने के बाद उक्त सिफारिश स्वीकार न करने और समूह 'क', 'ख', 'ग', व 'घ' में वर्गीकरण करने की मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने का निर्णय लिया गया।

2. तथापि, पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा यथा अनुमोदित वेतनमानों के परिशोधन के परिणामस्वरूप, इन वेतनमानों के अनुसार उपर्युक्त चार श्रेणियों में पदों का वर्गीकरण करने के लिए परिशोधित मानक निर्धारित करना आवश्यक हो गया है।

3. तदनुसार, वेतनमानों/वेतन श्रेणियों के परिशोधित मानकों के आधार पर विभिन्न सिविल पदों को समूह 'क', 'ख', 'ग', व 'घ' में वर्गीकृत करने के विषय में एक अधिसूचना, तारीख 20 अप्रैल, 1998 के एस ओ 332 (ड.) के तहत सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की गई थी। अधिसूचना की प्रति संलग्न है (निर्णय सं. (2))

4. कुछ मंत्रालयों/विभागों में ऐसे पद हो सकते हैं जिन्हें इस विभाग द्वारा निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार वर्गीकृत न किया गया हो। सभी पदों को, अधिसूचना में निर्धारित किए गए वेतनमानों/वेतन के अनुसार ही वर्गीकृत किया जाए। यदि संबंधित मंत्रालय/विभाग किसी विशेष कारण से पदों को भिन्न रूप में वर्गीकृत करना चाहता है तो उसे संपूर्ण औचित्य देते हुए इस कार्यालय ज्ञापन की तारीख से तीन माह के भीतर निर्दिष्ट प्रस्ताव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजना होगा ताकि तारीख 20 अप्रैल 1998 के एस ओ 332(ड.) में यथा निर्धारित वर्गीकरण मानकों के अपवादों को अधिसूचित किया जा सके।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 12 जून 1998 का कार्यालय ज्ञापन सं० 13012/1/98-स्थापना (घ)।

(5) पदों का वर्गीकरण-स्पष्टीकरण

इस बारे में जानकारी मांगी जा रही है कि क्या वेतनमानों/वेतन के परिशोधित मानक, फलेक्रसिबल कॉम्प्लिमेंटिंग स्कीम या अन्य लैटरल अड्वांसमेंट स्कीम के अधीन पदों के वर्गीकरण के लिए भी लागू होंगे।

2. पदोन्नति की बहुत सी स्कीमें हैं जैसे मैरिट प्रमोशन स्कीम, कैरिअर अड्वांसमेंट स्कीम, इन्-सिटयु प्रमोशन स्कीम आदि जिनमें पदोन्नति, उच्चतर ग्रेड में रिक्रि की उपलब्धता से जुड़ी हुई नहीं होती हैं और संबंधित कर्मचारी का मूल्यांकन करने के बाद समयबद्ध रीति से उच्चतर

ग्रेड में पदोन्नति दे दी जाती है। ऐसा, पद को अस्थायी रूप से उच्चतर ग्रेड में उन्नत (अपग्रेड) करके किया जाता है और पदधारी की सेवानिवृत्ति के कारण पद रिक्त हो जाने पर उक्त पद को इस निम्नतम स्तर पर प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) कर दिया जाता है जिस पर वह मूल रूप से संस्वीकृत था। बहुत से मामलों जैसे कि अशअर्ड करिअर प्रगेशन स्कीम में सेवा की निर्दिष्ट अवधि पूरी होने पर उच्चतर वेतनमान दे दिया जाता है यद्यपि व्यक्ति उसी पद पर कार्यरत रहता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी सभी स्कीमों में पद का वर्गीकरण उस ग्रेड के आधार पर किया जाए जिसमें संबंधित पद मूल रूप से संस्वीकृत किया गया था और इसके लिए उस ग्रेड/वेतनमान पर विचार नहीं किया जाए जो अधिकारी को दिया गया है।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 10 मई, 2000 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/5/2000-स्थापना (क))

भाग II।

नियुक्ति प्राधिकारी

8. समूह “क” की सेवाओं में और पदों पर नियुक्तियाँ-

केन्द्रीय सिविल सेवाओं समूह ‘क’ केन्द्रीय सिविल पदों, समूह ‘क’ पर सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाएंगी:-

परन्तु राष्ट्रपति, साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वे ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करें, ऐसी नियुक्तियां करने की शक्ति किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेंगे।

भारत सरकार के आदेश/निर्णय:-

1. गोआ, दमन और दीव के प्रशासक को शक्तियों का प्रत्यायोजन:-

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 8 के परन्तुक के अनुसार, राष्ट्रपति एतद्वारा आदेश देते हैं कि गोआ, दमन और दीव सरकार के अधीन केन्द्रीय सिविल सेवाएं और पद, श्रेणी “क” की सभी नियुक्तियां गोआ, दमन और दीव के प्रशासक द्वारा की जाएंगी।

परंतु मुख्य सचिव , वित्त सचिव , पुलिस महानिरीक्षक अथवा विकास आयुक्त के पद अथवा किसी अन्य ऐसे पद पर जिनका अन्तिम वेतन प्रतिमाह 2000- रूपए अथवा इससे अधिक हो और उसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी ।

(गृह मंत्रालय का तारीख 10 फरवरी, 1965 का आदेश संख्या 7/1/65-स्था0-(क))

2. दादर और नागर हवेली के प्रशासक के शक्तियों का प्रत्यायोजन:-

राष्ट्रपति, एतद्वारा आदेश देते हैं कि दादर और नागर हवेली सरकार के अधीन केन्द्रीय सिविल सेवाएं और पद , श्रेणी “ क “ की सभी नियुक्तियां दादर और नागर हवेली सरकार के प्रशासक द्वारा की जाएगी ।

परंतु मुख्य सचिव , वित्त सचिव, पुलिस महानिरीक्षक अथवा विकास आयुक्त के पद अथवा किसी अन्य ऐसे पद जिनका अन्तिम वेतनमान प्रतिमास 2000-रूपए अथवा इससे अधिक हो , पर नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी ।

(गृह मंत्रालय का तारीख 12 जून, 1969 का आदेश संख्या 7/6/69-स्थापना-(क))

3. अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम प्रशासक को शक्तियों का प्रत्यायोजन:-

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, और अपील) नियमावली , 1965 के नियम 8 के परन्तुक के अनुसार , राष्ट्रपति एतद्वारा आदेश देते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम प्रशासनों के अधीन केन्द्रीय सिविल सेवाएं श्रेणी “ क “ और केन्द्रीय सिविल पद , श्रेणी “ क “ में सभी नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्ति क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम संघ शासित प्रदेश के प्रशासक द्वारा की जाएगी ।

परंतु मुख्य सचिव , वित्त सचिव , पुलिस महानिरीक्षक अथवा विकास आयुक्त के पद अथवा किसी अन्य ऐसे पद, जिनका अन्तिम वेतन प्रतिमाह 2000/- रूपए अथवा इससे अधिक हो , पर नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी ।

(कार्मिक विभाग का तारीख 21 जनवरी , 1972 का आदेश संख्या 7/2/72-स्थापना(क))

9. अन्य सेवाओं में और पदों पर नियुक्तियां -

- (1) केन्द्रीय सिविल सेवाओं (साधारण केन्द्रीय सेवा को छोड़कर) समूह “ख” समूह “ग” और समूह “घ” की पर सभी नियुक्तियां अनुसूची में इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा की जाएंगी:-

परन्तु समूह ग और समूह घ सिविलियन सेवाओं या रक्षा सेवाओं के सिविलियन पदों की बाबत नियुक्तियां, पूर्वोक्त प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारियों द्वारा की जा सकेगी।

- (2) साधारण केन्द्रीय सेवा में सम्मिलित केन्द्रीय सिविल पद समूह समूह “ख” समूह “ग” और समूह “घ” की सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति के साधारण या विशेष आदेश से उन विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा, या जहां ऐसा कोई आदेश नहीं किया गया है, वहां अनुसूची में इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा की जाएंगी।

भाग - IV

निलंबन

10. निलंबन

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी या कोई प्राधिकारी जिसका वह अधीनस्थ है या अनुशासनिक प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी, जिसे राष्ट्रपति ने अपने साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया हो, किसी सरकारी सेवक को उस दशा में निलंबित कर सकेगा जब -

(क) उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही अनुध्यात है या लंबित है; या

(कक) पूर्वोक्त प्राधिकारी की राय में वह ऐसे क्रियाकलाप में लगा हुआ है जो राज्य की सुरक्षा के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं; या

(ख) किसी दण्डिक अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है;

परन्तु भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के किसी सदस्य के बारे में तथा सहायक महालेखाकार या उसके समतुल्य (भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के नियमित सदस्य से

भिन्न) के बारे में नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए किसी निलम्बन आदेश के सिवाय जहां निलम्बन आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नतर किसी प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, वहां ऐसा प्राधिकारी उन परिस्थितियों, जिनमें आदेश किया गया है की रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को तुरन्त देगा।

(2) यदि किसी सरकारी सेवक को:-

(क) चाहे किसी आपराधिक आरोप के लिए या अन्यथा, अड़तालीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध रखा जाता है तो वह निरोध की तारीख से;

(ख) उसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाने पर अड़तालीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जाता है और ऐसी दोषसिद्ध के परिणामस्वरूप तत्काल पदच्युत नहीं किया जाता है या हटाया नहीं जाता है या अनिवार्यता सेवानिवृत्त नहीं किया जाता है तो ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से, नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलंबित किया गया समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस उपनियम के खंड (ख) में निर्दिष्ट अड़तालीस घंटे की अवधि, दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ से संगणित की जाएगी और कारावास की आन्तरायिक कालावधियों को, यदि कोई है तो, इस प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

(3) यदि निलम्बनाधीन सरकारी सेवक को सेवा से पदच्युत कर दिए जाने/हटा दिए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिए जाने के लिए अधिरोपित कोई शास्ति इन नियमों के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन में अपास्त कर दी जाती है और मामला अतिरिक्त जांच या कार्रवाई के लिए या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ, पुनः भेज दिया जाता है, तो उसके निलम्बन के आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पदच्युत कर दिए जाने/हटा दिए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिए जाने के मूल आदेश की तारीख से ही प्रवृत्त बना हुआ है और आगे आदेश होने तक प्रवृत्त बना रहेगा।

(4) यदि सरकारी सेवक को सेवा से पदच्युत करने, हटाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त करने के लिए उस पर अधिरोपित किसी शास्ति, किसी न्यायालय के विनिश्चय के परिणामस्वरूप या उसके द्वारा अपास्त या शून्य घोषित कर दी जाती है या हो जाती है और अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों पर विचार करके, यह विनिश्चय करता है कि उसके विरुद्ध उन अभिकथनों की जिन पर पदच्युत कर दिए जाने, हटा दिए जाने या अनिवार्यतः सेवा निवृत्त कर दिए जाने की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गई थी,

अतिरिक्त जांच की जाए , तो सरकारी सेवक के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पदच्युत कर दिए जाने , हटा दिए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिए जाने के मूल आदेश की तारीख से , नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बित कर दिया गया है और अगले आदेश होने तक निलम्बित बना रहेगा ।

परन्तु ऐसी अतिरिक्त जांच का आदेश उसी स्थिति में दिया जाएगा जब कि न्यायालय ने मामले के गुणवगुणों पर विचार किए बिना पूर्णतः तकनीकी आधार पर आदेश पारित किया हो ।

“(5)(क) इस नियम के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया निलम्बन का आदेश तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि वह उस प्राधिकारी द्वारा आशोधित या रद्द नहीं कर दिया जाता , जो ऐसा करने के लिए सक्षम है ।”

(ख) यदि कोई सरकारी सेवक (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा) निलम्बित कर दिया जाता है या उसे निलम्बित कर दिया गया समझा जाता है और इस निलम्बन के दौरान उसके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है तो वह प्राधिकारी , जो उसे निलम्बित रखने के लिए सक्षम है , ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे , यह निदेश दे सकेगा कि सरकारी सेवक तब तक निलम्बित बना रहेगा जब तक कि ऐसी सभी कार्यवाहियां या उनमें से कोई कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है ।

(ग) इस नियम के अधीन किया या किया हुआ समझा गया निलम्बन का आदेश किसी भी समय उस प्राधिकारी द्वारा जिसने आदेश किया था या जिसके द्वारा आदेश किया समझा गया था , अथवा उस प्राधिकारी द्वारा जिसके अधीनस्थ वह प्राधिकारी है , आशोधित या रद्द किया जा सकता है ।

(6) इस नियम के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया निलम्बन आदेश, इस प्रयोजनार्थ गठित समीक्षा समिति की सिफारिश पर, निलम्बन की तारीख से नब्बे दिनों की समाप्ति से पहले आशोधित या प्रतिसंहरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी और निलम्बन की अवधि बढ़ाते हुए या प्रतिसंहरण करते हुए आदेश पारित किए जाएंगे । परवर्ती समीक्षाएं निलम्बन की विस्तारित अवधि की समाप्ति से पहले की जाएंगी । निलम्बन का विस्तारण एक बार में एक सौ अस्सी दिनों से अधिक नहीं होगा ।

- (7) इस नियम के उप नियम (1) या (2) के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया निलम्बन आदेश नब्बे दिनों की अवधि के बाद तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि उसे नब्बे दिनों की समाप्ति से पहले, समीक्षा के बाद आगे और अवधि के लिए विस्तारित नहीं कर दिया जाता;

परन्तु उप नियम (2) के अधीन समझे गए निलम्बन के मामले में, निलम्बन की ऐसी समीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, यदि सरकारी सेवक निलम्बन के 90 दिनों के पूरा होने के समय निलम्बित बना रहता है और ऐसे मामले में 90 दिनों की अवधि की गणना अभिरक्षा में निरुद्ध सरकारी सेवक की निरुद्धि से रिहाई की तारीख या जिस तारीख को उसकी निरुद्धि की रिहाई की बात उसकी नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित की जाती है, इनमें से जो भी पहले हो, से की जाएगी।

भारत सरकार के निर्णय:

- (1) सरकारी सेवकों द्वारा गिरफ्तारी की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देना :-

यह उस सरकारी सेवक की ड्यूटी होगी जिसे किसी कारण से गिरफ्तार किया गया है कि वह अपनी गिरफ्तारी से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों को अपने सरकारी वरिष्ठ अधिकारी को तत्काल सूचित करे चाहे उसे बाद में जमानत पर रिहा ही क्यों न कर दिया गया हो। संबंधित व्यक्ति या किसी अन्य स्रोत से सूचना मिलने पर विभागीय प्राधिकारी इस बात का निर्णय लेंगे कि क्या उस व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित तथ्य और परिस्थितियों के कारण उसे निलम्बित करने की आवश्यकता है कि नहीं? यदि सरकारी सेवक अपने सरकारी वरिष्ठ अधिकारी को इस संबंध में सूचित नहीं करता है तो उसके विरुद्ध पुलिस मामले के नतीजे पर की जाने वाली कार्रवाई के अलावा यह माना जाएगा कि उसमें महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है और केवल इसी कारण से उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

(गृह मंत्रालय का तारीख 25 फरवरी, 1955 का पत्र संख्या 39/59/54-स्थापना (क))

राज्य सरकारों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधीन पुलिस प्राधिकारियों को आवश्यक हिदायतें जारी करें कि केन्द्रीय सरकारी सेवक की गिरफ्तारी/जमानत पर रिहाई आदि की सूचना तत्काल उसके सरकारी वरिष्ठ अधिकारी को भेज दे।

(2) निलंबित सरकारी सेवक का मुख्यालय:-

हाल ही में यह प्रश्न उठाया गया कि क्या निलम्बन आदेश देने वाले सक्षम प्राधिकारी विलम्बन की अवधि के दौरान उसके मुख्यालय को नियत करने का अधिकार रखता है। इस मंत्रालय में इस विषय पर विस्तार से विचार किया गया और उसके निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफ में बताए गए हैं।

2. किसी निलम्बित सेवक पर सेवा की वही शर्तें लागू होंगी जो साधारणतया सभी सरकारी सेवकों पर लागू होती हैं, और वह बिना पूर्व अनुमति के स्टेशन नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे मामले में, सरकारी सेवक का मुख्यालय साधारणतया उसकी ड्यूटी का अंतिम स्थान ही माना जाना चाहिए। फिर भी, जहां कोई निलम्बित सेवक मुख्यालय को बदलने के लिए अनुरोध करता है तो सक्षम प्राधिकारी को, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि इससे यात्रा भत्ता आदि दिए जाने जैसे अतिरिक्त व्यय अथवा अन्य उलझन नहीं होंगी, ऐसे में मुख्यालय बदलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

3. वित्त मंत्रालय आदि कृपया उपर्युक्त निर्णय को सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी में ला दें।

(गृह मंत्रालय का तारीख 8-9-1956 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 39/5/56-स्थापना (क))

(3) दाण्डिक कार्यवाही लंबित रहने, गिरफ्तारी, निरोध आदि के दौरान निलंबन को किस प्रकार विनियमित किया जाए:-

दाण्डिक कार्यवाहियों के लंबित रहने या ऋण के लिए गिरफ्तारी की कार्यवाही के दौरान या जिस विधि में निवारक निरोध की व्यवस्था है उसके अधीन निरोध के दौरान निलंबन का मामला निम्नलिखित तरीके से निपटाया जाएगा:-

(क) जिस सरकारी सेवक को ऐसी किसी विधि के अधीन, जिसमें निवारक निरोध की व्यवस्था हो या आपराधिक आरोप या ऋण के लिए उसकी गिरफ्तारी की कार्यवाही के परिणामस्वरूप, अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, उसे, यदि निरुद्ध रखने की अवधि 48 घंटे से अधिक हो और वह पहले से ही निलंबित न हो, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10(2) की व्यवस्था के अनुसार, अगले आदेश होने तक, निरोध की तारीख से निलंबित समझा जाएगा। कारावास की सजा भुगत रहे सरकारी सेवक के

संबंध में भी , जब तक कि उसके विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्रवाई का निर्णय लंबित रहता है , इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी ।

(ख) जिस सरकारी सेवक के विरुद्ध आपराधिक आरोप के आधार पर कार्यवाहियां आरम्भ कर दी गयी है किन्तु उसे वास्तव में अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया गया है (अर्थात् जो जमानत पर है) उसे केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10(1) के खण्ड (ख) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलंबित किया जा सकता है । यदि आरोप सरकारी कर्मचारी की पदीय स्थिति से संबंधित है अथवा उसने नैतिक अधमता की है तो जब तक निलम्बन न करने के लिए कोई अपवादिक कारण न हो उसे इस नियम के अंतर्गत निलम्बनाधीन रखा जाएगा ।

(ग) जिस सरकारी सेवक के विरुद्ध ऋण के लिए गिरफ्तारी की कार्यवाही शुरू की गई है परन्तु उसे वास्तव में अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया गया है , उसे केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली , 1965 के नियम 10 (1) के खंड (क) के अधीन आदेश द्वारा निलंबित रखा जा सकता है अर्थात् केवल तभी जब उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार हो ।

(घ) जब कोई सरकारी सेवक जो खंड (क) में उल्लिखित परिस्थितियों में निलम्बनाधीन हुआ समझा जाता है अथवा खण्ड (ख) में उल्लिखित परिस्थितियों में निलम्बित कर दिया जाता है , और उसे कोई अनुशासनिक कार्यवाही किए बिना बहाल किया जाता है तो उसका निलम्बनाधीन अवधि का वेतन और भत्ते मूल नियम 54 के अनुसार विनियमित किया जाएगा अर्थात् दोष-मुक्त किए जाने की स्थिति में अथवा यदि उसके विरुद्ध की गई कार्यवाहियां ऋण के लिए उसकी गिरफ्तारी से संबंधित थी अथवा यह सिद्ध हो जाने पर कि दायित्व उन परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ जिन पर उसका नियंत्रण नहीं था अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी ने निरोध को पूरी तरह से अनुचित ठहरा दिया हो तो मामला मूल नियम 54(2) के अधीन निपटाया जाएगा , अन्यथा यह मूल नियम 54(3) के अधीन निपटाया जाएगा ।

(वित्त मंत्रालय का तारीख 28 मार्च , 1959 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 15(8)-ई-IV(57)

(4) परिस्थितियां जिनके अंतर्गत किसी सरकारी सेवक को निलंबित किया जा सकता है :-

भ्रष्टाचार निरोधक समिति की रिपोर्ट के पैरा 8.5 में दी गई सिफारिश संख्या 61 पर मंत्रालयों से प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रख कर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है । यह निर्णय किया गया है कि किसी सरकारी सेवक को निलम्बित करने का निर्णय लेते समय लोक

हित प्रमुख कारण होना चाहिए और अनुशासनिक प्राधिकारी को सभी कारणों को ध्यान में रख कर इसका निर्णय अपने विवेक पर करना चाहिए । तथापि, निम्नलिखित परिस्थितियां निर्दिष्ट की जाती हैं जिनमें कोई अनुशासनिक प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित करने की उपयुक्तता पर विचार कर सकता है । ये केवल मार्गनिर्देशन के लिए हैं और इन्हें अनिवार्य नहीं माना जाना चाहिए:-

(i) ऐसे मामले जहां सरकारी सेवक के कार्यालय में रहने से अन्वेषण, विचारण अथवा किसी जांच में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो (अर्थात् साक्ष्यों अथवा दस्तावेजों में रद्दोबदल करने की आशंका हो) ।

(ii) जहां सरकारी सेवक के कार्यालय में रहने से कार्यालय का अनुशासन गंभीर रूप से नष्ट होने की संभावना हो ।

(iii) जहां सरकारी सेवक का कार्यालय में रहना (ऊपर (1) तथा (2) के अंतर्गत दिए गए कारणों से भिन्न) व्यापक लोकहित के विरुद्ध हो जैसे कि कोई सरकारी घपला हो और ऐसे घपलों में विशेषकर भ्रष्टाचार में लिस अधिकारियों के साथ सख्त कार्रवाई की नीति का प्रदर्शन करने के लिए सरकारी सेवक को निलम्बित करना आवश्यक हो;

(iv) जहां सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं और प्रारम्भिक जांच से यह पता चला है कि प्रथम दृष्टया ऐसा मामला बनता है जिससे उसका अभियोजन न्यायोचित होगा अथवा उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां चलाई जा रही हैं और ऐसी कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने पर उसकी दोषसिद्धि होने तथा अथवा सेवा से पदच्युति हटाए जाने पर अनिवार्य सेवा निवृत्त किए जाने की संभावना है ।

टिप्पणी:-

(क) प्रथम तीनों परिस्थितियों में , अनुशासनिक प्राधिकारी किसी सरकारी सेवक को निलम्बित करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है बेशक मामले की जांच चल रही हो और प्रथम दृष्टया मामले का निर्णय अभी लिया जाना है ।

(ख) कुछ प्रकार के अपराध जहां उक्त चार परिस्थितियों में निलम्बन वांछनीय हो , नीचे निर्दिष्ट हैं:-

(i) नैतिक अधमता से संबंधित कोई अपराध अथवा कदाचार ;

- (ii) भ्रष्टाचार, सरकारी धन का गबन अथवा दुर्विनियोजन , आय के अनुपात से अधिक सम्पत्ति रखना , निजी लाभ के लिए सरकारी पद का दुरुपयोग ;
- (iii) गंभीर लापरवाही तथा ड्यूटी की लापरवाही जिसके फलस्वरूप सरकार को काफी हानि हुई हो ;
- (iv) ड्यूटी से पलायन ;
- (v) वरिष्ठ अधिकारियों के लिखित आदेशों को मानने से इनकार करना अथवा जानबूझकर पालन न करना ।

उप-खंड (iii),(iv) तथा (v) में निर्दिष्ट अपराधों के बारे में , विवेक का प्रयोग सावधानी से किया जाना है ।

(गृह मंत्रालय का तारीख 22-10-1964 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 43/56/64-ए0वी0डी0)

(5) जिन सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां चल रही हैं , उनके आवेदन पत्रों का अग्रेषित किया जाना:-

इस मंत्रालय की जानकारी में एक ऐसा मामला आया है जिसमें ऐसे सरकारी सेवक का आवेदन-पत्र जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां चल रही थी , अंतर्राष्ट्रीय संगठन में नियुक्ति के लिए भेजा गया था । ऐसी कार्रवाई के औचित्य पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था और निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

(क) ऐसे सरकारी सेवकों के मामले, जो निलम्बित हैं अथवा जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां चल रही हैं:-

ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन पत्र अग्रेषित नहीं किए जाने चाहिए न ही उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी संगठन अथवा किसी विदेशी सरकार के अधीन नियुक्ति , छात्रवृत्ति , फेलोशिप प्रशिक्षण आदि के लिए कार्यमुक्त किया जाए । ऐसे सरकारी सेवकों को प्रतिनियुक्ति पर जाने अथवा भारत में किसी प्राधिकारी के अधीन पदों पर बाह्य सेवा पर जाने की अनुमति भी न दी जाए ।

(ख) जिन सरकारी सेवकों पर वेतनवृद्धियां रोकने अथवा समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम या निम्नतर वेतनमान या निम्नतर सेवा , श्रेणी या पद पर अवनति की शास्ति अधिरोपित की गई हो:-

ऐसे सरकारी सेवकों के आवेदन पत्र अग्रेषित नहीं किये जाने चाहिए , न ही उन्हें ऐसी शास्ति की अवधि के दौरान किसी अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण संगठन अथवा विदेशी सरकार के अधीन किसी नियुक्ति के लिए कार्यमुक्त किया जाए । शास्ति की अवधि के दौरान ऐसे सरकारी सेवकों को प्रतिनियुक्ति पर अथवा भारत में किसी प्राधिकारी के अधीन बाह्य सेवा अथवा पद पर नहीं भेजा जा सकेगा । शास्ति पूरी होने के बाद भी अपराध के स्वरूप तथा घटना के सामीप्य को ध्यान में रखकर यह विचार करना होगा कि क्या सरकारी सेवक को विदेश में नियुक्ति किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति भारत में किसी प्राधिकरण में अन्यत्र सेवा में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं ।

(गृह मंत्रालय का तारीख 6-9-1968 का का.जा0 सं0 39/17/63-स्थापना (क))

5 (क) अन्य पदों के लिए आवेदन अग्रेषित करने संबंधी सिद्धांत :-

मंत्रालयों/विभागों/अन्य सरकारी कार्यालयों या संघ लोक सेवा आयोग को सरकारी सेवा में कार्यरत उम्मीदवारों के आवेदन अग्रेषित करने से संबंधित मुद्दे की समीक्षा की गई है ।

2. इस विषय से संबंधित अनुदेशों को समेकित करने का निर्णय लिया गया है । अतः इस विभाग के तारीख 18.10.1975 के कार्यालय ज्ञापन सं0 11012/10/75-स्थापना(क) और तारीख 01.01.1979 के कार्यालय ज्ञापन सं0 42015/4/78-स्थापना (ग) में निहित अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए , सभी प्रशासनिक प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जाते हैं ।

3. किसी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए चाहें वह सीधी भर्ती , प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या स्थानांतरण के जरिए हो , सरकारी सेवक के आवेदन पर विचार नहीं किया जाए । उसे अग्रेषित नहीं किया जाए यदि वह:-

- (i) निलंबित हो ; या
- (ii) उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित हों और आरोप पत्र जारी किया जा चुका हो ; या
- (iii) जहां आवश्यक हो , सक्षम प्राधिकारी ने अभियोजन के लिए मंजूरी दे दी हो ; या
- (iv) जहां अभियोजन के लिए मंजूरी आवश्यक न हो , दांडिक अभियोजन के लिए उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया हो ।

4 यदि किसी सरकारी सेवक के आचरण की जांच (सी.बी.आई. या नियंत्रक विभाग द्वारा) की जा रही हो और जांच इस अवस्था तक न पहुंची हो कि आरोप पत्र जारी किया जा सके या अभियोजन के लिए मंजूरी प्राप्त की जा सके या दांडिक अभियोजन के लिए आरोप पत्र दाखिल किया जा सके तो उस सरकारी सेवक के आवेदन को अभिकथनों के स्वरूप के विषय में संक्षिप्त टिप्पणियां दर्ज करके अग्रेषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि यदि सरकारी सेवक का वास्तव में चयन हो जाता है और उस समय तक केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए आरोप पत्र जारी कर दिया जाता है या अभियोजन के लिए मंजूरी दे दी जाती है या अभियोजन के लिए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाता है या उसे निलंबित कर दिया जाता है तो उसे नियुक्ति ग्रहण करने के लिए मुक्त नहीं किया जाएगा।

5. यदि सरकारी सेवक संघ लोक सेवा आयोग को सीधे ही आवेदन भेजते हैं, जैसा कि सीधी भर्ती के मामले में होता है तो उन्हें इसकी सूचना अपने कार्यालय/विभाग प्रमुख को तत्काल ही देनी होगी और साथ ही साथ उस परीक्षा/पद का ब्यौरा देना होगा जिसके लिए आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त वे यह भी अनुरोध करेंगे कि कार्यालय/विभाग प्रमुख द्वारा इस आशय की अनुमति की सूचना आयोग को सीधे ही भेज दी जाए। तथापि, यदि कार्यालय/विभाग प्रमुख अपेक्षित अनुमति देने से मना कर देता है तो उसे, आवेदन प्राप्ति बंद होने की तारीख से 45 दिन के भीतर आयोग को तदनुसार सूचित करना होगा। यदि पैरा 3 में उल्लिखित कोई भी स्थिति हो तो अपेक्षित अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और संघ लोक सेवा आयोग को तत्काल ही तदनुसार सूचित कर दिया जाना चाहिए। यदि पैरा 4 में उल्लिखित स्थिति हो संघ लोक सेवा आयोग को इस तथ्य और सरकारी सेवक के विरुद्ध किए गए अभिकथनों के स्वरूप की जानकारी देने के लिए कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि यदि सरकारी सेवक का वास्तव में चयन हो जाता है और उस समय तक आरोप पत्र जारी कर दिया जाता है। अभियोजन के लिए मंजूरी दे दी जाती है या दांडिक अभियोजन के लिए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाता है या सरकारी सेवक को निलंबित कर दिया जाता है तो नियुक्ति ग्रहण करने के लिए उसे मुक्त नहीं किया जाएगा।

6. भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग यह भी नोट कर लें कि चयन द्वारा सीधी भर्ती अर्थात् “साक्षात्कार द्वारा चयन” के मामले में सतर्कता की दृष्टि से उम्मीदवार (सरकारी सेवक) की अनुपयुक्तता के विषय में कोई बात आयोग के ध्यान में लाने का दायित्व अध्यपेक्षा (रेक्विजिशनिंग) करने वाले मंत्रालय/विभाग का है और प्रारंभिक संवीक्षा के समय किया जाने वाला परामर्श ऐसा करने के लिए उपयुक्त अवस्था है; अर्थात्

जब उम्मीदवारों के अनंतिम चयन के विषय में मंत्रालय के प्रतिनिधि की टिप्पणियों के लिए आयोग द्वारा मामला , मंत्रालय/विभाग को भेजा जाता है तो उस समय , ऐसा किया जा सकता है ।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 14 मई ,1993 का कार्यालय ज्ञापन सं0 ए बी-14017/101/91- स्थापना (आर आर))

(6) निलम्बन - आरोप पत्र तामील किए जाने के लिए समय सीमा को कम करना-

गृह मंत्रालय के दिनांक 7-9-65 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 221/18/65-ए.वी.डी. में सभी अनुशासनिक प्राधिकारियों का ध्यान निलंबित सरकारी कर्मचारियों के मामलों को तुरन्त निपटाए जाने की आवश्यकता की ओर दिलाया गया था और विशेष रूप से यह अपेक्षा की गई थी कि ऐसे मामलों में जांच पूरी करके अभियोजन के मामलों में आरोप पत्र छह मास के भीतर न्यायालय में दायर अथवा विभागीय कार्यवाई के मामलों में सरकारी कर्मचारी पर तामील किया जाए 27-1-1971 को हुई राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में इस मामले पर आगे विचार किया गया था और पहले के आदेशों का आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि सरकारी सेवक के निलंबन की तारीख के तीन मास के भीतर आरोप-पत्र न्यायालय में दायर करने अथवा उस पर तामील किए जाने के लिए जैसा भी मामला हो , सभी प्रयत्न किए जाने चाहिए और जिन मामलों में ऐसा करना संभव न हो तो अनुशासनिक प्राधिकारी विलंब के कारण स्पष्ट करते हुए मामले की सूचना अगले उच्च प्राधिकारी को देगा ।

(मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक विभाग का तारीख 4-2-1971 का ज्ञापन संख्या 39/39/70-स्थापना(क),

सरकार द्वारा कुछ ऐसे मामलों को छोड़ कर जिनकी रिपोर्ट उच्च प्राधिकारी को देनी होती है, शेष मामलों में जांच-पड़ताल के दौरान निलम्बन की अवधि पहले ही छह महीने से घटा कर तीन महीने की जा चुकी है । अब यह निर्णय किया गया है कि न्यायालयों में चल रहे मामले के संबंध में 4 फरवरी, 1971 के कार्यालय ज्ञापन में निहित वे आदेश लागू रहेंगे जो आरोप पत्र के न्यायालय में दाखिल किए जाने तथा विभागीय कार्यवाहियों के मामलों में सरकारी कर्मचारी पर तामील किए जाने से पूर्व , चल रही जांच-पड़ताल में निलंबन की अवधि से संबंधित है । न्यायालयों में चल रहे मामलों को छोड़कर शेष मामलों में निलम्बन की अवधि अर्थात् जांच - पड़ताल तथा अनुशासनिक कार्यवाहियां दोनों की सामान्यतः छह माह से अधिक नहीं होनी चाहिए । कुछ आपवादिक मामलों में जब इस प्रकार की निर्धारित अवधि का अनुपालन किया

जाना संभव नहीं हो सके तब विलम्ब के कारणों को व्यक्त करते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी को उक्त मामले को अगले उच्च प्राधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए ।

(मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) का तारीख 16 दिसम्बर, 1972 कार्यालय ज्ञापन संख्या 39/33/72- स्थापना(क))

ऊपर निर्दिष्ट अनुदेशों के बावजूद, ऐसे उदाहरण मिले हैं जिनमें सरकारी सेवकों को अनुचित रूप से लंबी अवधि के लिए निलंबित रखा गया है । अनुचित रूप से लम्बी अवधि के ऐसे निलम्बन से जहां संबंधित कर्मचारी अनावश्यक कठिनाई में पड़ जाता है , सरकार को ऐसे कर्मचारी से कोई लाभदायक सेवा प्राप्त किए बिना निर्वाह भत्ते की अदायगी करनी पड़ती है अतः सभी संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित कार्यालय ज्ञापनों में निर्धारित समय सीमा का ईमानदारी से पालन करें और निलम्बन के मामलों की यह देखने के लिए समीक्षा करें कि क्या सभी मामलों में निलंबन जारी रखने की वास्तविक आवश्यकता है । अनुशासनिक प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी को भी ऐसे मामलों पर जिनमें विलंब किया गया है , कठोर नियंत्रण रखना चाहिए तथा उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापनों में दिए गए उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी को उचित निर्देश देने चाहिए ।

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 14-9-1978 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/7/78-स्थापना(क))

वित्त मंत्रालय आदि का ध्यान इस विभाग के तारीख 14 सितम्बर ,1978 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/7/78-स्थापना (क) की ओर आकृष्ट किया जाता है , जिसमें सरकारी कर्मचारियों के निलम्बन के संबंध में विद्यमान अनुदेशों को समेकित किया गया है । इन अनुदेशों के बावजूद भी यह बात इस विभाग की जानकारी में लाई गई है कि कभी-कभी सरकारी कर्मचारियों को अनुचित रूप से लंबी अवधि के लिए निलंबित रखा जाता है । अतः यह बात पुनः दोहराई जाती है कि सरकारी कर्मचारियों के निलम्बन के मामले में उपर्युक्त अनुदेशों के उपबंधों तथा इसके पश्चात् की जाने वाली कार्रवाई का कड़ाई से अनुपालन किया जाए । अतः वित्त मंत्रालय आदि अपने नियंत्रणाधीन सभी संबंधित प्राधिकारियों की जानकारी में तारीख 14-9-1978 के कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को लाने के लिए समुचित कार्रवाई करे तथा उन्हें यह निदेश दे कि वे अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें ।

2. जहां तक निर्वाह भत्ते के भुगतान का संबंध है वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि मूल नियम 53 की विषयवस्तु को अपने नियंत्रणाधीन सभी प्राधिकारियों की जानकारी में

लाए तथा 90 दिन से अधिक अवधि के लगातार निलम्बन के पश्चात् निर्वाह भत्ते की दर की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में उपर्युक्त नियम के उपबंधों का विशेष रूप से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 18 फरवरी, 1984 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 42014/7/83-स्थापना(क))

(6 क) यदि कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया जाता है तो तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर निलम्बन के कारण सूचित किए जाएंगे।

के०सि०से० (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 10(1) अधीन सक्षम प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को निम्नलिखित कारणों से निलंबित कर सकता है:-

- (क) जहां उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही अपेक्षित अथवा लम्बित हो, अथवा
- (ख) जहां उपर्युक्त प्राधिकारी की राय में वह राज्य की सुरक्षा के हित में प्रतिकूल कार्य-कलापों में लगा है; अथवा
- (ग) जहां उसके विरुद्ध किसी दाण्डिक अपराध के बारे में जांच, पूछ-ताछ अथवा विचारण किया जा रहा हो।

सरकारी कर्मचारी को उपर्युक्त निगमों के नियम 10(2) में उल्लिखित परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा भी निलम्बनाधीन समझा जाता है।

2. जहां कोई सरकारी कर्मचारी निलम्बनाधीन रखा जाता है, तो उसे के०सि०से० (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 23 (1) द्वारा निलम्बन के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। इसका मतलब यह होगा कि जिस किसी कर्मचारी को निलम्बनाधीन रखा जाता है, उसको निलम्बित किए जाने के कारणों सामान्यतया जानकारी होनी चाहिए, ताकि वह इसके विरुद्ध कोई अपील कर सके। जहां किसी सरकारी कर्मचारी को इस आधार पर निलम्बनाधीन रखा जाता है कि, उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित है अथवा उसके विरुद्ध किसी दाण्डिक अपराध के

संबंध में किसी मामले की जांच, पूछ-ताछ अथवा विचारण किया जा रहा है, तो उसे निलम्बनाधीन रखे जाने के कारण की जानकारी हो जाएगी ।

3. जहां कोई सरकारी कर्मचारी “अपेक्षित” अनुशासनिक कार्यवाही के आधार पर निलम्बनाधीन रखा जाता है, वहां विद्यमान आदेशों में यह व्यवस्था है कि सरकारी कर्मचारी के निलम्बन की तारीख से तीन महीनों के भीतर उसके विरुद्ध आरोपों का अन्तिम रूप देने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जाएगा । यदि इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाता है तो अपेक्षित अनुशासनिक कार्यवाहियों के आधार पर निलम्बनाधीन रखे गये किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने निलम्बन के कारणों का अविलम्ब पता चल जाएगा । किन्तु कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं, जिनमें निलम्बन की तारीख से तीन महीने के भीतर किसी कारण से आरोप पत्र जारी करना संभव नहीं हो सके। ऐसे मामलों में संबंधित सरकारी कर्मचारी को, निलम्बन के कारण आरोप पत्र जारी करने के लिए निर्धारित उपर्युक्त समय सीमा की समाप्ति के तत्काल बाद सूचित कर दिए जाने चाहिए ताकि यदि वह चाहे तो, वह के०सि०से० (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 23 (1) के अधीन उसे उपलब्ध अपील के अधिकार का प्रयोग तत्परता से करने की स्थिति में हो सके। जहां निलम्बन के कारण आरोप पत्र के जारी करने के लिए 45 दिन की समय सीमा उस तारीख से गिनी जाए जिस तारीख को निलम्बन के कारण सूचित किए गए हैं ।

4. किन्तु पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निहित निर्णय उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां कोई सरकारी कर्मचारी इस आधार पर निलम्बनाधीन रखा गया है, कि वह राज्य की सुरक्षा के हित के प्रतिकूल कार्य-कलापों में लगा हुआ है ।

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 9-11-1982 का का०ज्ञा० संख्या 35014/1/81-स्थापना (क)

(7) निर्वाह भत्ते की समय पर अदायगी:

घनश्यामदास श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य (ए.आई.आर.1973 एस.सी.1183) मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया था कि जब कोई निलम्बित सरकारी सेवक पोषण भत्ता न मिलने के कारण हुई आर्थिक कठिनाईयों की वजह से जांच में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त करे तो उसके विरुद्ध एक तरफा की गई कार्यवाही से संविधान के अनुच्छेद

311(2) के उपबंधों का उल्लंघन होगा , क्योंकि व्यक्ति को अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने बचाव का उचित अवसर नहीं मिला ।

2. उपर्युक्त फैसले को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित प्राधिकारियों पर यह जोर डाला जाए कि उन्हें निलम्बित सरकारी कर्मचारियों को निर्वाह भत्तों का समय पर भुगतान करना चाहिए जिससे उनको आर्थिक कठिनाईयों का सामना न करना पड़े । यह देखा जा सकता है कि जाहिर तौर पर निर्वाह भत्ता किसी सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार को उस अवधि में निर्वाह के लिए दिया जाता है जिस अवधि में उसे कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती और इस प्रकार वह कोई वेतन अर्जित नहीं करता है । इसे ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाएं कि किसी सरकारी कर्मचारी को निलम्बित किए जाने के बाद उसे अविलंब निर्वाह भत्ता मिले ।

3. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित उच्चतम न्यायालय का फैसला यह प्रकट करता है कि उस मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी ने इस तथ्य के बावजूद एक तरफा जांच की थी कि संबंधित सरकारी सेवक ने निर्वाह भत्ता न दिए जाने के कारण उत्पन्न वित्तीय कठिनाईयों की वजह से जांच में उपस्थित न हो सकने की बात विशेष रूप से कही है न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि ऐसी परिस्थितियों में एक तरफा जांच करने से बचाव का उचित अवसर न दिए जाने के कारण संविधान के अनुच्छेद 311(2) का उल्लंघन होगा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम ,1965 के नियम 14(20) के उपबंधों को लागू करने से पहले सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस बिन्दू को ध्यान में रखा जाए ।

(मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) का तारीख 6 अक्टूबर, 1976 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/10/76-स्थापना (क))

जैसा कि उपर्युक्त 6-10-1976 के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि यदि कोई निलम्बित सरकारी सेवक , जीवन -निर्वाह भत्ता न मिलने के कारण , जांच में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है तो उसके विरुद्ध एक तरफा की गई जांच से यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसे अपने बचाव के उचित अवसर से वंचित रखा गया है । अतः एक बार फिर सभी संबंधित प्राधिकारियों को आग्रह पूर्वक यह कहा जाए कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कदम उठाएं कि किसी सरकारी सेवक को निलम्बित किए जाने के बाद निर्वाह भत्ते के भुगतान किए जाने के लिए मूल नियम 53 के अधीन तत्काल कार्रवाई की जाती है तथा संबंधित सरकारी सेवक को , मूल नियम 53 में निर्धारित शर्तों को पूरा कर लेने के बाद, निर्वाह-भत्ते का भुगतान अविलम्ब तथा नियमित रूप से मिल जाता है । ऐसे मामलों में जहां

एकतरफा कार्यवाही की जानी आवश्यक हो जाए वहां इस बात की जांच करके पुष्टि कर ली जानी चाहिए कि कहीं सरकारी सेवक निर्वाह भत्ते की गैर - अदायगी की वजह से तो जांच में उपस्थित नहीं हो सका ।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 28-10-1985 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/17/85-स्थापना (क))

(8) गलत निरोध अथवा बिना किसी आधार पर निरोध

राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एम.) की जनवरी, 1977 में हुई बैठक में जिन मदों पर विचार किया गया था उनमें से एक मद कर्मचारी पक्ष का यह प्रस्ताव था कि जिस सरकारी सेवक को उसके निरोध के कारण अथवा उसके विरुद्ध दांडिक कार्यवाहियों के कारण निलम्बित किया गया माना गया हो , उसे यदि निरोध से रिहा कर दिया गया हो , अथवा न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया हो , तो उसे निलम्बन की अवधि का पूरा वेतन तथा भत्ता दिया जाना चाहिए ।

2. विचार-विमर्श के दौरान , कर्मचारी पक्ष को यह स्पष्ट किया गया था कि केवल इस तथ्य से कि कोई सरकारी सेवक जिसे निरोध के कारण अथवा उसके विरुद्ध दांडिक कार्यवाहियों के कारण निलम्बित किया गया माना गया था ,से अभियोजन के बिना रिहा कर दिया गया है अथवा न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है , पूरे वेतन और भत्ते का हकदार नहीं हो जाता , क्योंकि प्रायः ऐसे मामलों में यह हो सकता है कि उसे तकनीकी आधार पर दोषमुक्त कर दिया जाए किन्तु निलम्बन पूर्णतया न्यायोचित हो । फिर भी , कर्मचारी पक्ष को यह सूचित किया गया था कि यदि किसी सरकारी सेवक को पुलिस अभिरक्षा में गलत अथवा बिना किसी आधार पर निरुद्ध किया जाता है और उसके बाद उसे बिना किसी अभियोजन के मुक्त कर दिया जाता है तो ऐसे मामलों में उक्त कर्मचारी पूरा वेतन तथा भत्ता पाने का हकदार होगा ।

3. तदनुसार , यह निर्णय किया गया है कि यदि कोई सरकारी सेवक जिसे गलत अथवा बिना किसी आधार के पुलिस अभिरक्षा में रहने के कारण निलम्बित किया माना गया हो और उसके बाद बिना किसी अभियोजन के मुक्त कर दिया गया हो तो सक्षम प्राधिकारी को काफी सोच समझकर निलम्बन को निरस्त करके कर्मचारी को बहाल करना चाहिए और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि निलम्बित किया जाना पूर्णतया अनुचित था तो पूरा वेतन और भत्ता दे दिया जाए ।

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 8 अगस्त, 1977 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 35014/9/76-स्था0(क))

(9) निरोध के आधार पर माने गए (डीमड) निलंबन को दोषसिद्धि न होने की स्थिति में रद्द समझा जाए ।

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 की पुनरीक्षा के लिए गठित की गई राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्श तंत्र) की समिति में , कर्मचारी पक्ष ने अपने इस आशय का अभिमत व्यक्त किया था कि ऐसे सभी मामलों में जहां दोषसिद्धि नहीं हो पाई हो निरोध के आधार पर माने गए निलम्बन की अवधि को ड्यूटी के रूप में माना जाए । इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था तथा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि माने गए निलम्बन के मामलों में , यदि निलम्बन के हेतुक (मूल-कारक) समाप्त हो जाते हैं, तो निलम्बन को स्वतः रद्द हुआ माना जाना चाहिए ।

2; इस विभाग के 8-8-1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35014/9/76-स्था.(क) (उपर्युक्त निर्णय (2) (क)) में दिए गए अनुदेशों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ; जिनमें यह व्यवस्था है कि ऐसे किसी सरकारी सेवक के मामले में जिसे गलत अथवा बिना कारण पुलिस अभिरक्षा में रहने के कारण निलम्बित किया गया समझा गया था तथा इसके पश्चात् उसे बिना किसी अभियोजन के मुक्त कर दिया जाता है , तो सक्षम प्राधिकारी को कर्मचारी के निलम्बन को समाप्त करने तथा उसकी बहाली के समय सुझबूझ से काम लेना चाहिए तथा यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि निलम्बन पूर्णतः अनुचित था तो पूर्ण वेतन तथा भत्ता दिया जाए । ऐसे सभी मामलों में जहां माने गए निलम्बन को गलत पाया जाता है तथा संबंधित कर्मचारी पर मुकदमा नहीं चलाया जाता है इन अनुदेशों को ध्यान में रखा जाए तथा इनका कड़ाई से पालन किया जाए । ऐसे सभी मामलों में केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण,नियंत्रण और अपील) नियमावली,1965 के नियम 10(2) के अधीन माने गए निलम्बन को , निलम्बन के हेतुक समाप्त होने की तारीख से, अर्थात् जिस तारीख को सरकारी सेवक बिना किसी अभियोजन के पुलिस अभिरक्षा से मुक्त होता है , रद्द समझा जाना चाहिए । किन्तु केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण,नियंत्रण और अपील) नियमावली,1965 के नियम 10(5) के अधीन ऐसे निलम्बन को रद्द करने के लिए औपचारिक आदेश जारी करना प्रशासनिक रिकार्ड के उद्देश्य से वांछनीय होगा ।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 10 जनवरी,1986 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/16/85-स्थापना(क))

(10) उच्चतर पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही -

इस विभाग द्वारा इस आशय के प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या किसी उच्चतर पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक को उस स्थिति में भी तदर्थ नियुक्ति पर बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए जब उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जा रही है और इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में निम्नलिखित कार्यविधि का अनुपालन किया जाएगा:-

(I) जहां किसी कर्मचारी की नियुक्ति किसी अल्पकालीन अवधि की रिक्ति में या छुट्टी के कारण हुई रिक्ति में पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई हो अथवा अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त सरकारी सेवक ने किन्हीं अन्य प्रकार के हालात में इस पद पर एक साल से कम अवधि के लिए कार्य किया हो तो ऐसी स्थिति में उस सरकारी सेवक को , जब उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाती है , उसके द्वारा स्थायी रूप में अथवा नियमित आधार पर धारित पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा ।

(II) जहां किसी प्रशासनिक कारणों से (अल्पकालीन रिक्ति अथवा किसी छुट्टी रिक्ति पर नियुक्ति के अलावा) पूर्णतः तदर्थ आधार पर यह नियुक्ति की जानी आवश्यक थी और सरकारी सेवक ने इस नियुक्ति पर एक साल से अधिक अवधि तक काम किया हो , और सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाती है , तो उस सेवक को उसके द्वारा धारित पद पर , केवल इस आधार पर प्रतिवर्तित करना आवश्यक नहीं है कि उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है । ऐसे मामलों में , अनुशासनिक कार्रवाई के निष्कर्ष के आधार पर ही समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

(कार्मिक,लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय का तारीख 24 दिसम्बर,1986 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/9/86-स्था.(क))

(11) दहेज संबंधी मृत्यु के मामलों में निलम्बन

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली,1965 के नियम 10 के उप-नियम(1) में अन्य बातों के साथ-साथ , यह व्यवस्था विद्यमान है कि यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई अपेक्षित हो अथवा लम्बित पड़ी हो अथवा किसी दांडिक अपराध के संबंध में इसके विरुद्ध किसी मामले में अन्वेषण जांच अथवा विचारण चल रहा हो तो उसे निलम्बित किया जा सकता है । इसी नियम के उप नियम (2) में यह निर्धारित है कि किसी

सरकारी सेवक को उसके निरोध की तारीख से नियोक्ता अधिकारी के आदेश द्वारा निलम्बित समझा जाएगा यदि उसे किसी आपराधिक आरोप अथवा अन्य किसी आरोप के कारण 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरूद्ध रखा गया हो ।

2. चूँकि सरकार महिलाओं के विरूद्ध किए गए अपराधों को बड़ी गंभीरता से लेती है अतः सरकार ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख में यथा परिभाषित “ दहेज संबंधी मृत्यु “ के मामले में अंतर्गत किसी दोषी सरकारी कर्मचारी को निलम्बित करने से संबंधित नियमों के उपबंधों की पुनरीक्षा की है । यह धारा निम्न प्रकार है:-

“ 304-ख (1) जहां विवाह के 7 साल के भीतर किसी महिला की जलने से अथवा शारीरिक चोट से अथवा असाधारण परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है और यह दर्शाया जाता है कि उसकी मृत्यु के तत्काल पहले उसके पति, अथवा उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज संबंधी किसी मांग के लिए अथवा दहेज के संबंध में क्रूरता-पूर्ण व्यवहार किया है अथवा परेशान किया गया हो तो ऐसी मृत्यु को “दहेज संबंधी मृत्यु “ कहा जाएगा और यह समझा जाएगा कि यह मृत्यु उसके पति अथवा रिश्तेदार के कारण हुई है । “

स्पष्टीकरण:- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए “ दहेज “ शब्द का वहीं अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में दिया गया है ।

3. यदि किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख के अंतर्गत पुलिस द्वारा कोई मामला दर्ज किया गया है तो केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10 के उप-नियम(1) के उपबंधों का सहारा लेकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे निम्नलिखित परिस्थितियों में तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा:-

(i) यदि सरकारी सेवक को पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज करने के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है तो उसके निरोध की अवधि पर ध्यान दिए बिना ही उसे तत्काल निलम्बित कर दिया जाएगा ।

(ii) यदि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उपधारा (2) के अधीन पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर उसे तत्काल निलम्बित कर दिया जाएगा यदि उक्त रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया यह इंगित होता हो कि अपराध सरकारी सेवक द्वारा किया गया है ।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 22 जून, 1987 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/8/87-स्था0(क))

(12) सेवा से त्यागपत्र देने से संबंधित कार्य विधि:-

त्याग पत्र से संबंधित विषय पर समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। अब इन आदेशों को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए संदर्भ की सुविधा तथा मार्गनिर्देश उद्देश्य से समेकित कर दिया गया है।

1. त्याग पत्र एक ऐसी लिखित सूचना है जिसमें किसी पद का पदधारक अपने पद से तत्काल अथवा किसी भावी निर्दिष्ट तारीख से त्याग पत्र देने का अपना आशय या प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को सूचित करता है। पत्र स्पष्ट तथा बिना किसी शर्त के होता है।

2. किसी अनिच्छुक सरकारी सेवक को सेवा में बनाए रखना सरकार के हित में नहीं है। अतः सामान्य नियम यह है कि नीचे निर्दिष्ट स्थितियों को छोड़कर, किसी सरकारी सेवक का सेवा से त्यागपत्र स्वीकार कर लेना चाहिए:-

- (i) जब संबंधित सरकारी सेवक महत्वपूर्ण कार्य में लगा हो और पद को भरने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने में समय लगेगा तो त्यागपत्र को सीधे ही स्वीकार न करके पद को भरने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने के बाद ही स्वीकार किया जाना चाहिए।
- (ii) जब कोई निलंबित सरकारी सेवक त्याग पत्र देता है तो सक्षम प्राधिकारी को सरकारी सेवक के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामले के गुण दोषों के संदर्भ में यह जांच करनी चाहिए कि क्या त्याग पत्र स्वीकार करना लोक हित में होगा। चूंकि सरकारी सेवकों को प्रायः गंभीर अपचारिता के मामलों में ही निलंबित किया जाता है इसलिए निलंबित सरकारी सेवक से त्याग पत्र स्वीकार करना उचित नहीं होगा। इस नियम का अपवाद वे मामले हो सकते हैं जिनमें अभिकथित अपराध का संबंध नैतिक अधमता से न हो अथवा अभियुक्त सरकारी सेवक के विरुद्ध साक्ष्य की मात्रा इतनी ठोस न हो कि यह धारणा तर्कसंगत लगे कि यदि विभागीय कार्यवाहियां जारी रखी जाती हैं तो उसे सेवा से हटा दिया जाएगा अथवा बर्खास्त कर दिया जाएगा अथवा जहां विभागीय कार्यवाहियां इतनी लंबी होने की संभावना है कि त्यागपत्र स्वीकार करना सरकार को सस्ता पड़ेगा।

जिन मामलों में त्यागपत्र की स्वीकृति लोकहित में आवश्यक समझी जाती है तो समूह “ ग “ तथा “ घ “ पदों के संबंध में विभागाध्यक्ष तथा समूह “ क “ तथा “ ख “ पदों के धारकों के संबंध में प्रभारी मंत्री के पूर्वानुमोदन से त्यागपत्र स्वीकार किया जा सकता है। जहां तक भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग में कार्य कर रहे समूह “ ख “ अधिकारियों का संबंध है, इन प्राधिकारियों का त्यागपत्र भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की पूर्वानुमति के बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने विभागीय कार्रवाई आरम्भ करने की सलाह दी हो अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर ऐसी कार्रवाई आरंभ कर दी गई है तो प्रभारी मंत्री नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के मामला प्रस्तुत करने से पहले केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

3. कोई त्यागपत्र तभी प्रभावी होता है जब यह स्वीकार कर लिया जाता है और सरकारी सेवक को उसकी ड्यूटी से कार्य मुक्त कर दिया जाता है। यदि कोई सरकारी सेवक जिसने त्यागपत्र प्रस्तुत किया है, नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा इसे स्वीकार किए जाने से पूर्व अपने त्यागपत्र सम्बन्धी पहले के पत्र को वापस लेने के लिए नियोक्ता प्राधिकारी को लिखित रूप में सूचना भेजता है तो त्यागपत्र को स्वतः ही वापस लिया मान लिया जाएगा और त्यागपत्र को स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं होगा। किन्तु जिस मामले में नियोक्ता प्राधिकारी ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया हो और सरकारी सेवक को किसी भावी तारीख से कार्यमुक्त किया जाना हो तो यदि सरकारी सेवक को उसकी ड्यूटी से वास्तव में कार्यमुक्त किए जाने से पहले उसके द्वारा त्याग पत्र वापस लेने के लिए कोई अनुरोध किया जाता है तो सामान्य नियम होना चाहिए कि सरकारी सेवक द्वारा त्यागपत्र वापस लेने के लिए किए गए अनुरोध को मान लिया जाए। किन्तु यदि त्यागपत्र वापस लेने के अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है तो ऐसे अनुरोध को अस्वीकार करने के कारण नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रिकार्ड किए जाने चाहिए और संबंधित सरकारी कर्मचारी को उचित रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

4. चूंकि अस्थायी सरकारी सेवक, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम 5(1) के अधीन सेवा की समाप्ति का नोटिस देकर सरकारी सेवा से अपना सम्बन्ध तोड़ सकता है इसलिए त्यागपत्र की स्वीकृति के बारे में इस कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अनुदेश उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां अस्थायी सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया हो। किन्तु यदि कोई अस्थायी सरकारी सेवक त्यागपत्र प्रस्तुत करता है जिसमें वह केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम 5(1) का हवाला नहीं देता अथवा यह भी उल्लेख नहीं करता कि इसे सेवा की समाप्ति का नोटिस माना जाए तो वह नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र विधिवत् स्वीकार कर लिए जाने और उसे उसकी ड्यूटी से

कायमुक्त कर दिए जाने के बाद ही अपने धारित पद का कार्यभार छोड़ सकता है और अस्थायी सेवा नियमावली में निर्धारित नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद नहीं ।

5. जब त्यागपत्र प्रभावी हो जाता है और सरकारी सेवक ने अपने पूर्व पद का कार्यभार छोड़ दिया हो , उसके बाद त्यागपत्र वापस लेने की क्रियाविधि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली ,1972 के नियम 26 के उप नियम (4) से (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित सांविधिक उपबन्धों द्वारा शासित होती है , जोकि सिविल सेवा विनियमावली के अनुच्छेद 418 (ख) के अनुरूप है:-

“ (4) नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी किसी व्यक्ति को उसका त्यागपत्र लोकहित में वापस लेने की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों पर दे सकता है, अर्थात् -

- (i) यदि सरकारी सेवक ने त्यागपत्र ऐसी विवशता के कारण दिया था जिसका संबंध उसकी ईमानदारी , दक्षता या आचरण की बाबत किसी लांछन से नहीं है और त्यागपत्र को वापस लेने की प्रार्थना उन परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाने के कारण की गई है जिन परिस्थितियों में सरकारी सेवक मूलतः त्यागपत्र देने के लिए विवश हुआ था ;
- (ii) यह कि त्यागपत्र के प्रभावी होने की तारीख और त्यागपत्र वापस लेने की प्रार्थना करने की तारीख के बीच की अवधि में संबंधित व्यक्ति का आचरण किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं था ;
- (iii) यह कि त्यागपत्र प्रभावी होने की तारीख और उस तारीख के बीच जिसको संबंधित व्यक्ति को त्यागपत्र वापस लेने की अनुज्ञा देने के परिणामस्वरूप कार्यग्रहण करने की अनुमति दी गई है अनुपस्थिति की अवधि 90 दिन से अधिक नहीं है ;
- (iv) यह कि वह पद जो सरकारी सेवक का त्यागपत्र स्वीकार करने पर रिक्त हुआ था अथवा उसके समतुल्य कोई पद उपलब्ध है ;
- (v) त्यागपत्र वापस लेने की प्रार्थना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस दशा में स्वीकार नहीं की जाएगी जब सरकारी सेवक ने सेवा या पद से त्यागपत्र किसी प्राइवेट वाणिज्यिक कम्पनी में या उसके अधीन अथवा सरकार के पूर्णतः या मूलतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या कम्पनी

में अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा वित्त पोषित किसी निकाय में या उसके अधीन नियुक्ति ग्रहण करने के उद्देश्य से देता है ;

- (vi) जहां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को त्यागपत्र वापस लेने और कार्यग्रहण करने की अनुमति दिए जाने का आदेश पारित कर दिया जाता है , वहां यह समझा जाएगा कि ऐसे आदेश में सेवा में किसी व्यवधान को माफ करने का आदेश भी है , किन्तु व्यवधान की अवधि अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिनी जाएगी । “

6. चूंकि के.सि.से. (पेंशन) नियमावली, 1972 स्थायी पदों के धारकों पर ही लागू होती है इसलिए उपर्युक्त उपबंध ऐसे किसी स्थायी सरकारी सेवक के मामले में ही लागू होंगे जिसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है । स्थायी सरकारी सेवकों के त्यागपत्र वापस लेने के ऐसे मामलों में जो उपर्युक्त नियमों के किसी उपबंध में छूट देने से संबंधित है , के.सि.से.(पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 88 के अनुसार कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की सहमति आवश्यक होगी ।

7. स्थायिवत सरकारी सेवकों द्वारा प्रस्तुत किए गए त्यागपत्र वापस लेने के अनुरोधों के मामलों पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा गुणदोषों के आधार पर चार किया जाएगा ।

8. जिस सरकारी सेवक को केन्द्रीय सरकारी उद्यम/केन्द्रीय स्वायत्त निकाय में किसी पद के लिए चुन लिया जाता है तो सरकारी सेवा से उसका त्यागपत्र प्राप्त तथा स्वीकार करने के बाद ही उसे कार्यमुक्त किया जा सकता है । उचित अनुमति लेकर केन्द्रीय सरकारी उद्यम में नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने पर सेवानिवृत्ति/सेवान्त प्रसुविधाओं के प्रयोजन के लिए सेवा का निरसन नहीं होगा । ऐसे मामलों में , संबंधित सरकारी सेवक को ऐसे त्यागपत्र की तारीख से सेवानिवृत्त हुआ समझा जाएगा और वह अपने मूल संगठन में उस पर लागू संगत नियमों के अधीन यथा अनुज्ञेय सभी सेवानिवृत्ति/सेवान्त प्रसुविधाएं प्राप्त करने का पात्र होगा ।

9. जिन मामलों में सरकारी सेवक उसी अथवा अन्य विभागों में पदों के लिए उचित माध्यम से आवेदन पत्र देते हैं और चयन होने पर उन्हें प्रशासनिक कारणों से पहले पदों से त्यागपत्र देने को कहा जाता है तो पिछली सेवा का लाभ , यदि ऐसा लाभ नियमों के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय है , त्यागपत्र को एक “तकनीकी औपचारिकता” मानते हुए नए पद में वेतन नियत करने के प्रयोजन के लिए दिया जा सकेगा ।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 11 फरवरी, 1988 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 28034/25/87- स्थापना(क))

(13) जिन सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक अदालती कार्यवाही लंबित हो अथवा जिनके आचरण की जांच की जा रही हो, उनकी पदोन्नति के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और तत्संबंधी दिशानिर्देश।

ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति के मामलों में, जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक/अदालती कार्यवाही लंबित पड़ी हो अथवा जिनके आचरण की जांच की जा रही हो, अपनाएं जाने वाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त की ध्यानपूर्वक से समीक्षा की गई है। सरकार ने भारत संघ इत्यादि बनाम जानकी रमण इत्यादि (ए.आई.आर.1991 एस.सी.2010 के मामले में उच्चतम न्यायालय के 27-8-91 के अधिनिर्णय को भी ध्यान में रखा है। इस समीक्षा के परिणामस्वरूप और इस विषय से संबंधित पूर्ववर्ती सभी निर्देशों का (का.जा.सं039/3/59-स्था.(क) दिनांक 31-8-60, 7/28/63-स्था.(क) दिनांक 22-12-64, 22011/3/77-स्था.(क) दिनांक 14-7-77, 22011/1/79-स्था.(क) दिनांक 31-1-82, दिनांक 22011/2/86-स्था.(क) दिनांक 12.01.88 22011/1/91-स्था (क) 31-7-91) अधिक्रमण करते हुए संबंधित प्राधिकारियों केसंदर्शन के लिए, इस संदर्भ में उनके द्वारा अपनाई जाने वाली क्रियाविधि का निरूपण इस कार्यालय ज्ञापन के अनुवर्ती पैराग्राफों में किया गया है।

2. सरकारी सेवकों के पदोन्नति संबंधी मामलों पर विचार करते समय पदोन्नति की विचारण परिधि में आने वाले ऐसे कर्मचारियों के ब्यौरे, जो निम्न वर्गों के अंतर्गत आते हों, विशेष तौर पर विभागीय पदोन्नति समिति के ध्यान में लाए जाने चाहिए:-

- (i) निलंबित सरकारी सेवक ;
- (ii) सरकारी सेवक जिन्हें आरोप-पत्र जारी किया गया है और जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लंबित पड़ी है और
- (iii) सरकारी सेवक जिन पर किसी अपराधिक आरोप के आधार पर अभियोजन संबंधी कार्यवाही लंबित है।

2.1 विभागीय पदोन्नति समिति उन सरकारी कर्मचारियों की, जो कि ऊपर वर्णित वर्गों के अंतर्गत आते हैं, उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामले अपराधिक अभियोजन पर विचार न करते हुए, अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ उपयुक्तता का मूल्यांकन करें। विभागीय पदोन्नति समिति के मूल्यांकन, जिसमें पदोन्नति के लिए अयोग्य भी शामिल हो सकता है, इसके द्वारा दिए गए ग्रेड को, मुहरबंद लिफाफे में रखा जाएगा। इस लिफाफे पर “ श्री(सरकारी सेवक का नाम) के संबंध में

.....ग्रेड/पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष । इसे.....

.....के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामले/आपराधिक अभियोजन की समाप्ति पर ही खोला जाएगा ” अंकित किया जाएगा । विभागीय पदोन्नति के कार्यवृत्त में केवल इस आशय के नोट की ही आवश्यकता है कि “ निष्कर्ष संलग्न सील बंद लिफाफे में दिए गए हैं “ । जब किसी सरकारी सेवक की पदोन्नति के लिए उपयुक्तता के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति के निष्कर्ष किसी मुहरबंद लिफाफे में रखे गए हों तो रिक्ति को भरने के लिए सक्षम प्राधिकारी को अलग से यह सलाह दी जानी चाहिए कि उच्च ग्रेड में इस रिक्ति को स्थानापन्न आधार पर भरा जाए ।

2.2. उपरोक्त पैरा 2.1 में उल्लिखित क्रियाविधि, आयोजित की जाने वाली अनुवर्ती विभागीय समितियों द्वारा तब तक अपनाई जाएगी जब तक कि संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक मामला/अपराधिक अभियोजन समाप्त नहीं हो जाता ।

3. ऐसे किसी अनुशासनिक मामले/आपराधिक अभियोजन की समाप्ति पर जिसके परिणामस्वरूप सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोपों को वापिस ले लिया जाता है मुहरबंद लिफाफे/लिफाफों को खोला जाएगा । ऐसे मामलों में जब किसी सरकारी सेवक को पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया जाता है तो उस स्थिति में उसकी पदोन्नति की तारीख मुहरबंद लिफाफों में रखे गए निष्कर्षों में, उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा इस क्रम में उससे ठीक नीचे के कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी । ऐसे सरकारी सेवक को, यदि जरूरी हो तो स्थानापन्न आधार पर कार्य करने वाले कनिष्ठतम व्यक्ति को प्रतिवर्तित (रिवर्ट) कर, पदोन्नत किया जा सकता है । उसे, उसके कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तारीख के संदर्भ में कल्पित रूप में (नोशनल) पदोन्नत किया जा सकता है । तथापि इस प्रश्न का कि क्या संबंधित अधिकारी वास्तविक पदोन्नति की तारीख से पहले की कल्पित (नोशनल) पदोन्नति की अवधि के लिए वेतन के किन्हीं बकायों का पात्र होगा और यदि हां तो किस सीमा तक, निर्णय इस मामले में नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक क्रियाविधि/अपराधिक अभियोजन के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए लिया जाएगा । जहां कहीं भी प्राधिकारी द्वारा वेतन अथवा इसके किसी अंश के बकायों से इन्कार किया जाता है तो ऐसे निर्णय के कारणों को रिकार्ड किया जाएगा । ऐसे सभी हालातों का पूर्वानुमान लगाया जाना तथा विस्तृत रूप में निरूपित करना संभव नहीं है जिनके अंतर्गत वेतन अथवा इसके किसी अंश के बकायों से इन्कार किया जाना जरूरी हो । ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहां कार्यवाही में चाहें, यह अनुशासनिक अथवा दांडिक स्वरूप की ही हो, कर्मचारी की बदोलत अथवा अनुशासनिक कार्यवाही के निपटान से देरी

हुई हो अथवा अपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति संदेह के लाभ के कारण हो , अथवा कर्मचारी के कृत्यों से साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण हो । यह कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण ऐसी अस्वीकृति को न्यायोचित ठहराया जा सकता है ।

3.1 यदि अनुशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप , सरकारी सेवक पर कोई शास्ति लगाई जाती है अथवा उसके विरुद्ध अपराधिक अभियोजन में उसे दोषी पाया जाता है तो उस स्थिति में मुहरबंद लिफाफे/लिफाफों के निष्कर्षों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी । अतः उसकी पदोन्नति के मामले पर सामान्यतः उस पर आरोपित शास्ति को ध्यान में रखते हुए अगली विभागीय पदोन्नति समिति में विचार किया जाएगा ।

3.2 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी ऐसे मामले में जहां संगत अनुशासन संबंधी नियमों के अंतर्गत कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई हो , तो ऐसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप उसे चेतावनी नहीं दी जानी चाहिए । यदि कार्रवाई के परिणामस्वरूप ऐसा पाया जाता है कि सरकारी सेवक पर कोई आरोप है तो उसे कम से कम “ भर्त्सना “ के रूप में तो दण्डित किया जाना चाहिए ।

4. यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि सरकारी सेवक के विरुद्ध लगाए गए किसी अनुशासनिक मामले अपराधिक अभियोजन में अनुचित रूप से विलम्ब न किया जाए और इस संबंध में कार्रवाई को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप दिए जाने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि सरकारी सेवक के मामले को मुहरबंद लिफाफे में कम से कम अवधि तक ही रखा जा सके । अतः यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित नियोक्ता प्राधिकारियों को चाहिए कि वे ऐसे सरकारी सेवकों के प्रकरणों की , जिनके उपयुक्तता संबंधी मामले को अगले ग्रेड पर पदोन्नति करने के लिए पहली विभागीय पदोन्नति समिति, जिसने उस अधिकारी को उपयुक्तता पर निर्णय लिया था और साथ ही अपने निष्कर्षों को मुहरबंद लिफाफे में रखा था , के आयोजन की तारीख से छः माह की अवधि समाप्त होने पर विस्तृत रूप से समीक्षा की जाए । ऐसी समीक्षा बाद में भी हर 6 महीने के अन्तर पर की जानी चाहिए । इस समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ अनुशासनिक कार्रवाई अपराधिक अभियोजन में हुई प्रगति का जायजा लिया जाना चाहिए तथा इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आगामी उपायों पर भी विचार किया जाना चाहिए ।

5. उपरोक्त पैरा 4 में उल्लिखित छमाही समीक्षा किए जाने के बावजूद कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं , जिनमें पहली विभागीय पदोन्नति समिति , जिसने सरकारी कर्मचारी के संबंध में अपने निष्कर्ष को मुहरबंद लिफाफे में रखा था , की बैठक की तारीख से दो साल बाद भी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक मामले अपराधिक अभियोजन संबंधी मामलों को अन्तिम

रूप नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में नियोक्ता अधिकारी ऐसे कर्मचारी के मामले की समीक्षा करे, बेशर्त कि वह कर्मचारी निलम्बनाधीन न हो, ताकि निम्नलिखित पहलूओं को ध्यान में रखते हुए उसे तदर्थ पदोन्नति दिए जाने की संभावना पर विचार किया जाए कि ;

(क) क्या अधिकारी की पदोन्नति लोकहित के विरुद्ध होगी।

(ख) क्या आरोप इतने गंभीर हैं कि उसे पदोन्नति से वंचित रखना जरूरी है।

(ग) क्या निकट भविष्य में ही इस मामले के पूरा होने की संभावना है।

(घ) क्या किसी विभागीय अथवा किसी अदालती कार्यवाई को अंतिम रूप दिए जाने में होने वाले विलम्ब में सीधे तौर पर अथवा परोक्ष रूप में संबंधित कर्मचारी का कोई हाथ है ?

(ङ) क्या ऐसी कोई संभावना है कि संबंधित कर्मचारी तदर्थ पदोन्नति के बाद प्राप्त हुई अपनी सरकारी हैसियत का दुरुपयोग कर सकता है और जिसके परिणामस्वरूप विभागीय मामले/अपराधिक अभियोजन से संबंधित कार्यवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ?

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप प्रारम्भ की गई विभागीय कार्यवाई अथवा अपराधिक अभियोजन के मामलों में नियोक्ता प्राधिकारी को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से भी परामर्श करना चाहिए और ब्यूरो के विचारों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

5.1 यदि नियोक्ता प्राधिकारी इस आशय के किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सरकारी सेवक को तदर्थ पदोन्नति दिया जाना लोक-हित के विरुद्ध नहीं होगा तो उस स्थिति में इस संबंध में इस आशय का कोई निर्णय लिए जाने के लिए कि क्या संबंधित अधिकारी तदर्थ आधार पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त हैं या नहीं, उसके मामले को दो वर्ष की अधि समाप्त होने के बाद सामान्यतः आयोजित की जाने वाली अगली विभागीय पदोन्नति समिति के सम्मुख रख जाना चाहिए। जहां सरकारी सेवक के नाम पर तदर्थ पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है तो उस स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति को चाहिए कि वह उस सरकारी सेवक के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक मामले / अपराधिक अभियोजन पर ध्यान न देते हुए, इस व्यक्ति के सेवा के समक्ष रिकार्ड के आधार पर इस मामले का मूल्यांकन करें।

5.2 किसी सरकारी सेवक की तदर्थ आधार पर पदोन्नति किए जाने के संबंध में कोई निर्णय लिए जाने के बाद उसकी पदोन्नति का आदेश जारी किया जाए और जारी आदेश में ही उल्लेख किया जाए:-

(i) पदोन्नति विरुद्ध रूप में तदर्थ आधार पर की जा रही है और इस तदर्थ पदोन्नति से अधिकारी को नियमित पदोन्नति का कोई हक हासिल नहीं होगा ; तथा

(ii) पदोन्नति “ अगले आदेशों “ तक ही होगी । आदेशों में यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि सरकार, उक्त तदर्थ पदोन्नति को रद्द करने तथा उसे वापिस उसी पद पर भेजने का अधिकार सुरक्षित रखती है जिस पद से उसे पदोन्नत किया गया था ।

5.3 यदि संबंधित सरकारी सेवक को मामले के गुण-दोष के आधार पर अपराधिक अभियोजन से दोषमुक्त कर दिया जाता है अथवा विभागीय कार्यवाही में पूरी तरह दोष-रहित करार दिया जाता है, तो तदर्थ पदोन्नति को स्थायी पदोन्नति कर दिया जाए और इस पदोन्नति को तदर्थ पदोन्नति होने की तारीख से ही सभी संबंधित प्रसुविधाओं सहित नियमित पदोन्नति के रूप में माना जाए । यदि ऐसे सरकारी सेवक को मुहरबन्द लिफाफे/लिफाफों में रखी गई विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही में निश्चित किए गए उसके स्थानक्रम को देखते हुए तदर्थ पदोन्नति की तारीख से पहले की किसी तारीख से और उसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति की पदोन्नति की वास्तविक तारीख से , जिसे उक्त अधिकारी के तत्काल बाद कनिष्ठ स्थान दिया गया है सामान्यतः नियमित पदोन्नति मिल गई हो , तो उस स्थिति में उसे उपरोक्त पैरा 3 में निरूपित विधिवत् वरिष्ठता तथा कल्पित (नोशनल) पदोन्नति की सुविधाएं दे दी जाएंगी ।

5.4. यदि सरकारी सेवक को अपराधिक अभियोजन से गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जाता है बल्कि तकनीकी आधार पर ऐसा किया जाता है और साथ ही सरकार या तो इस मामले को किसी उच्च न्यायालय में ले जाना चाहती है अथवा ऐसे सरकारी कर्मचारी को यदि विभागीय कार्यवाही में दोष रहित करार नहीं दिया जाता तो उसे दी गई तदर्थ पदोन्नति को रद्द कर दिया जाना चाहिए ।

6. किसी निलम्बनाधीन अधिकारी के स्थायीकरण के दावे पर विचार करते समय भी पिछले पैरों में उल्लिखित क्रिया-विधि का ही अनुसरण किया जाना चाहिए । जब ऐसे किसी अधिकारी के मामले को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मुहरबंद लिफाफे में रखा जाता है तो उसके लिए एक स्थायी रिक्ति भी सुरक्षित रखी जानी चाहिए ।

7. कोई सरकारी सेवक , जिसकी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति की सिफारिश तो की जाती है परन्तु जिसके मामले में पैरा 2 में उल्लिखित कोई हालात विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश प्राप्त होने के बाद परन्तु वास्तविक रूप में उसकी पदोन्नति होने से पहले सामने आते हैं , तो उन पर इस प्रकार से विचार जाए मानों कि मामले को विभागीय पदोन्नति

समिति द्वारा मुहरबंद लिफाफे में रखा गया था। ऐसे अधिकारी को तब तक पदोन्नत नहीं किया जाएगा जब तक उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से पूरी तरह दोष मुक्त न किया जाए और इस कार्यालय ज्ञापन में दिए गए उपबंध उसके मामले में भी लागू होंगे।

(कार्मिक और प्रशि. विभाग का तारीख 14-9-92 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/4/91-स्था(क))

(13क) मुहरबंद लिफाफे के संबंध में अनुदेश।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 सितम्बर, 1992 के का० ज्ञा० संख्या 22011/4/91-स्थापना (क) में निर्धारित अनुदेश भारत संघ बनाम के०बी० जानकीरमन (ए.आई.आर.एस.सी.2010/1991) आदि के मामले में उच्चतम न्यायालय के 27.8.1991 के निर्णय के प्रकाश में जारी किए गए हैं

2. इस विभाग के ध्यान में यह बात आई है कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा निर्णीत कुछ मामले इन अनुदेशों के विपरीत थे। इन मामलों के निर्णय के विरुद्ध कुछ मंत्रालयों/विभागों ने अपील दायर नहीं की। ऐसा शायद इन मामलों की पैरवी करने वाले अधिकारियों/वकीलों को इसकी पूर्ण जानकारी न होने के कारण हुआ हो।

3. इस संबंध में उपर्युक्त का०ज्ञा० के पैरा 3.1 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह प्रावधान है कि "यदि अनुशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप सरकार कर्मचारी पर कोई शास्ति लगायी जाती है, अथवा उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियों में उसे दोषी पाया जाता है, तो उस स्थिति में मुहरबंद लिफाफे/लिफाफों के निष्कर्षों पद कार्यवाही नहीं की जाएगी। उस पर लगायी गई शास्ति के मद्देनजर उसकी पदोन्नति पर सामान्यतः अगली विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जाएगा"। जानकीरमन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 30.1.82 के उक्त का.ज्ञा. में निहित इसी प्रकार के प्रावधान (यथा उपर्युक्त उद्धृत) को सही बताया है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की एक पूर्ण न्यायपीठ ने दिनांक 30.1.82 के उक्त का०ज्ञा० में निहित इस प्रावधान को समाप्त कर दिया था लेकिन उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए अधिकरण के निष्कर्ष को अपास्त कर दिया कि कदाचार के दोषी पाए गए किसी कर्मचारी को अन्य कर्मचारियों के बराबर नहीं रखा जा सकता तथा उसके मामले पर अलग से कार्रवाई करने को भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

4. अतः सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन अनुदेशों का अवश्यमेव पालन करें तथा उपर्युक्त विषय वस्तु संबंधी मामलों, यदि कोई हो, अधिकरण/उच्च न्यायालय के समक्ष पैरवी करते समय उनके ध्यान में जानकीरमन मामले में उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय को लाएं। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून का पालन भारत के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले सभी न्यायालयों के लिए अनिवार्य है।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 25 फरवरी, 1999 का का०ज्ञा० सं०22011/1/99-स्था०(क)

(13-ख) सील-बंद लिफाफे की प्रक्रिया संबंधी अनुदेश - पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति समिति पर लागू किए जाने के बारे में स्पष्टीकरण।

कुछ मुकदमों में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न इस विभाग के विचाराधीन रहा है कि क्या सील-बंद लिफाफे से सम्बद्ध प्रक्रिया, विभागीय पदोन्नति समिति की किसी बैठक के निष्कर्षों का पुनर्विलोकन करने की दृष्टि से आयोजित बैठक की कार्यवाही में अपनाई जानी अपेक्षित है या नहीं। इस मसले पर विधि मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि यदि विभागीय पदोन्नति-समिति की मूल बैठक के आयोजन के समय अथवा विभागीय पदोन्नति-समिति की मूल बैठक की सिफारिशों के आधार पर संबंधित कर्मचारी से कनिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति से पूर्व, संबंधित सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही अथवा आपराधिक मुकदमा लंबित नहीं रहा हो अथवा वह निलम्बनाधीन नहीं रहा हो/रही हों तो विभागीय पदोन्नति-समिति की उपर्युक्त मूल बैठक के निष्कर्षों का पुनर्विलोकन करने की दृष्टि से आयोजित बैठक की कार्यवाही में दिनांक 14.09.1992 के कार्यालय ज्ञापन में यथा निर्धारित सील-बंद लिफाफे से सम्बद्ध प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती है।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 21.11.2002 का का०ज्ञा० संख्या.22011/2/99/स्थापना (क))

(13-ग) मुहरबंद लिफाफा प्रक्रिया - दिल्ली जल बोर्ड बनाम मोहिन्दर सिंह (जे.टी. 2002(10) एस.सी. 158) के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय ।

इस विभाग के दिनांक 14.9.1992 के कार्यालय ज्ञापन संख्या. 22011/4/91-स्थापना(क) के पैरा 7 में निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया है :-

“ कोई सरकारी कर्मचारी, जिसका विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति की सिफारिश तो की जाती है परन्तु जिसके मामले में पैरा 2 में उल्लिखित कोई हालात, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद परन्तु वास्तविक स्तर में उसकी पदोन्नति होने से पहले सामने आते हैं, उन पर उसी प्रकार से विचार किया जाएगा जिसे विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मुहरबंद लिफाफे में रखा गया होता । ऐसे अधिकारी को तब तक पदोन्नत नहीं किया जाएगा जब तक उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त न किया जाए और इस कार्यालय ज्ञापन में दिए गए उपबंध उसके मामले में भी लागू होंगे”

2. दिल्ली जल बोर्ड बनाम मोहिन्दर सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने (जे.टी. 2000(10) एस.सी. 158) ने निम्नानुसार निर्धारित किया है :-

“ विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किए जाने का अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार है कि बशर्ते कि व्यक्ति पदोन्नति का पात्र है और विचारण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । मुहरबंद लिफाफा प्रक्रिया, पदोन्नति के प्रश्न को तब तक आस्थगत रखने की अनुमति देती है जब तक कि किसी लंबित अनुशासनिक जांच-पड़ताल का परिणाम प्राप्त नहीं हो जाता है । अधिकारी को दोषमुक्त करने वाले अनुशासनिक जांच-पड़ताल के निष्कर्षों को उस तारीख से प्रभावी करना होगा जिस तारीख से उसके विरुद्ध आरोप लगाए गए थे,-----मात्र यह तथ्य, कि जब तक प्रथम जांच-पड़ताल में अनुशासनिक कार्यवाही, अधिकारी के पक्ष में पूरी हुई और जब तक इसे लागू करने के लिए मुहरबंद लिफाफा (सील कवर) खोला गया तब तक विभाग द्वारा दूसरी विभागीय जांच शुरू कर दी गई, अधिकारी को पहली विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पूर्ववर्ती चयन हेतु उसके पक्ष में मूल्यांकन का लाभ देने में रूकावट नहीं बने ”।

3. अतः पैरा 3 में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक सितम्बर 14, 1992 का पैरा 7 उस स्थिति में लागू नहीं होगा यदि, जिस समय प्रथम जांच में अधिकारी की दोषमुक्ति को लागू किए जाने के आशय से मुहरबंद लिफाफा (सील कवर) खोला गया किन्तु उस समय तक संबंधित सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभाग द्वारा एक अन्य विभागीय जांच शुरू कर दी गई थी। इसका आशय यह है कि जहां दूसरी अथवा पश्चातवर्ती विभागीय कार्यवाहियां, विभागीय पदोन्नति समिति जिसने संबंधित सरकारी कर्मचारी के संबंध में अपनी सिफारिशें सीलबंद लिफाफे में रखी थी, के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर संबंधित सरकारी कर्मचारी से कनिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति होने के बाद शुरू की जाती है तो संबंधित सरकारी कर्मचारी के पहली जांच में दोषमुक्त हो जाने पर पहली विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन का लाभ, संबंधित सरकारी कर्मचारी को उसी तारीख से अनुज्ञेय होगा जिस तारीख से उससे ठीक नीचे के कनिष्ठ अधिकारी को पदोन्नति दी गई।

4. यह और स्पष्ट किया जाता है कि यदि पहली कार्यवाही में, जिसके आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें मुहरबंद लिफाफे में रखी गई थी, अधिकारी के दोषमुक्त होने से पूर्व ही यदि बाद वाली कार्यवाही (कनिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति हो जाने के बाद शुरू की गई) के परिणामस्वरूप कोई शास्ति लगाई जाती है और संबंधित सरकारी कर्मचारी, पहली जांच में दोषमुक्त हो जाने के आधार पर भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नत किया जाता है, तो लगाई गई शास्ति संशोधित की जाएगी और उसे नए पदोन्नत पद के संदर्भ में लागू किया जाएगा। इस आशय का संकेत पदोन्नति आदेश में ही कर दिया जाए ताकि इस मामले में कोई अस्पष्टता न रहे।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 24.2.2003 का का0ज्ञा0 संख्या - 22011/2/2002-स्थापना (क))

(14) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10(2) के अन्तर्गत माना गया निलंबन - भारत संघ बनाम राजीव कुमार के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय।

आपका ध्यान केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10(2) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें यह व्यवस्था है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी 18 घंटे से अधिक की अवधि के लिए, चाहे आपराधिक मामले में अथवा अन्यथा, अभिरक्षा में नज़रबंद रखा जाता है, तो वह नियोक्ता प्राधिकारी

के आदेश द्वारा अपनी नज़रबंदी की तारीख से निलंबित रखा हुआ समझा जाएगा ।

2. यह प्रश्न कि क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10(2) के अंतर्गत आने वाले मामले में निलंबन का आदेश नज़रबंदी की अवधि के लिए ही लागू है तथा इसके बाद लागू नहीं है, पर भारत संघ बनाम राजीव कुमार (2003 (5) स्केल(एस.सी.ए.एल.ई.297) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया गया था । इस मामले में भारत संघ की अपीलों को अनुमत करते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि नियम 10 (2) के अनुसार यह नज़रबंदी की अवधि अथवा नज़रबंदी की वास्तविक अवधि की प्रभावकारिता तक ही सीमित नहीं है । यह तब तक प्रभावकारी रहेगा जब तक कि इसे केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10 के उप नियम (5) (क) में की गई व्यवस्था के अनुसार उप-नियम (5) (ग) के अन्तर्गत संशोधित अथवा रद्द नहीं किया जाता है ।

3. मंत्रालयों /विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय को सभी संबंधित व्यक्तियों के ध्यान में ला दें ताकि इस निर्णय का सभी मामलों में उपयुक्त रूप से उल्लेख किया जाए जहां सरकारी कर्मचारी की नज़रबंदी से रिहाई के बाद लगातार निलंबन पर बने रहने की वैधता का प्रश्न केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए आता है ।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 23.10.2003 का का0ज्ञा0 संख्या-11012/8/2003-स्था.(क)

(15-क) सरकारी कर्मचारियों के निलंबन से संबंधित अनुदेशों की समीक्षा ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10 (निलंबन) को इस आशय का प्रावधान किए जाने के लिए संशोधित किया जा रहा है कि इस नियम के अधीन किए गए अथवा किया हुआ समझे गए निलंबन आदेश की समीक्षा, इस आशय हेतु गठित समीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी । उपर्युक्त नियम में इस आशय का भी प्रावधान किया जा रहा है कि नियम 10 के उप नियम (1) अथवा (2) के अनुसार किया गया या किया हुआ समझा गया निलंबन आदेश 90 दिन के बाद वैध नहीं होगा जब तक कि 90 दिन की अवधि समाप्त हो जाने से पूर्व ही समीक्षा के बाद इस अवधि को और आगे बढ़ा दिया गया न हो । इसमें आगे और यह भी

प्रावधान किया जा रहा है कि निलंबन की अवधि में वृद्धि एक ही समय पर 180 दिन से अधिक की नहीं होगी (अधिसूचना की प्रति संलग्न है)।

2. अतः, निलंबन के मामलों की समीक्षा करने के लिए समीक्षा समिति (समितियां) गठित किया जाना आवश्यक है। पुनरीक्षा समिति (समितियों) का गठन निम्नानुसार हो :-

- (i) किसी ऐसी स्थिति में जहां राष्ट्रपति अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी नहीं है, वहां उसी कार्यालय के अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी और उसी कार्यालय के अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय (जहां उसी कार्यालय के समान स्तर के अधिकारी उपलब्ध न हों) के अनुशासनिक प्राधिकारी/अपीलीय स्तर के एक अन्य अधिकारी।
- (ii) जहां राष्ट्रपति अपीलीय प्राधिकारी हो, वहां उसी कार्यालय के अनुशासनिक प्राधिकारी और सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के दो अधिकारी जो उसी कार्यालय के अनुशासनिक प्राधिकारी के समकक्ष अथवा उनसे ऊपर के रैंक के हों अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय के ऐसे ही अधिकारी (यदि उसी कार्यालय में समान स्तर के अधिकारी उपलब्ध न हों)
- (iii) जहां, राष्ट्रपति अनुशासनिक प्राधिकारी है, वहां उसी विभाग/कार्यालय अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय के (जहां उसी कार्यालय में समान स्तर का अधिकारी उपलब्ध न हो) सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के तीन अधिकारी, जो निलंबित अधिकारी के स्तर से ऊपर के अधिकारी हों।

संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय उपर्युक्त के अनुसार स्थायी आधार पर अथवा तदर्थ आधार पर अपनी-अपनी समीक्षा समितियां गठित करें।

3. समीक्षा समिति (समितियां) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए निलंबन रद्द किए जाने/जारी रखे जाने का निर्णय ले सकती है कि अनुचित रूप से लंबी निलंबन अवधि न केवल अधिकारी को अनुचित रूप से आर्थिक परेशानियों में डालती है बल्कि इससे निलंबित कर्मचारी द्वारा सरकार की उपयोगी सेवा न किए जाने के बावजूद भी उसे सरकार द्वारा निर्वाह भत्ता दिया जाना होता है। इस संबंध में पहले से चल रही प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि किसी अधिकारी को अदालत में आरोप दायर किए बिना एक वर्ष तक निलम्बनाधीन रखा गया है अथवा विभागीय जांच पड़ताल में उसे कोई आरोप पत्र संबंधी ज्ञापन जारी नहीं किया गया है, तो उसके विरुद्ध चल रहे मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सामान्य रूप से उसे सेवा में बहाल किया जाए। तथापि, यदि अधिकारी, पुलिस/न्यायिक हिरासत में है

अथवा किसी गंभीर किस्म के अपराध या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों का दोषी है तो समीक्षा समिति संबंधित अधिकारी के निलंबन को जारी रख सकती है।

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत अधिकारियों का संबंध है, ये अनुदेश भारत के नियंत्रक तथा लेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों को अपने नियंत्रणाधीन सभी अनुशासनिक प्राधिकारियों के ध्यान में ला दें और तदनुसार आवश्यक समीक्षा समितियां गठित किया जाना सुनिश्चित करें। सभी संबंधित विभागों पर इस बात का भी दबाव डाला जाए कि किसी भी निलंबन आदेश की समीक्षा न किए जाने से उस निलंबन आदेश के कालातीत रद्द हो जाने को गंभीरता से लिया जाएगा।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 07 जनवरी, 2004 का का.ज्ञा. सं011012/4/2003-स्था0(क)

(15-ख) सरकारी कर्मचारियों के निलम्बन आदि से संबंधित अनुदेशों की समीक्षा।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 07 जनवरी, 2004 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें निलंबन के मामलों की समीक्षा किए जाने हेतु समीक्षा समितियां गठित किए जाने के मार्गदर्शी सिद्धांत निहित हैं। केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10 के उप नियम (6) और (7) को अंतःस्थापित करते हुए दिनांक 23, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक जनवरी 03, 2004 को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 02 के रूप में प्रकाशित की गई है। अतः ऐसे लंबित मामलों की समीक्षा अप्रैल 02, 2004 तक की जानी अपेक्षित है। जिनमें निलंबन 90 दिन से अधिक समय का हो गया है। निलंबन के अन्य मामलों की भी निलंबन के आदेश के 90 दिन के भीतर समीक्षा की जानी होगी।

2. मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध है कि दिनांक जनवरी 07, 2004 के कार्यालय ज्ञापन में विहित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आवश्यक समीक्षा समितियां गठित की जाएं और निलंबन के मामलों की तदनुसार समीक्षा की जाए।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 19 मार्च, 2004 का का.ज्ञा. सं011012/4/2003-स्था0
(क)

(15-ग) निलम्बन की समीक्षा - नियम 10 के प्रावधानों में संशोधन।

इस विभाग द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10 के प्रावधानों में माने गए निलम्बन संबंधी प्रावधानों की अब समीक्षा की गई है।

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10 के प्रावधानों को संशोधित किया गया है और इसके संशोधन को, भारत सरकार के दिनांक 16.06.2007 के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 06.06.2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 105 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10 के मूल प्रावधानों के अनुसार, 90 दिन के भीतर समीक्षा किए जाने का प्रावधान सभी तरह के निलम्बनों पर लागू था। तथापि निरंतर कारावास में रखे जाने के मामलों में यह समीक्षा केवल एक औपचारिकता बन जाती है जिसके कोई परिणाम नहीं निकलते क्योंकि ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारी को 'माने गए निलम्बन' के अंतर्गत बने रहना होता है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में निलम्बन की समीक्षा की जानी आवश्यक नहीं होगी। तदनुसार, अब उपर्युक्त नियम 10 के उप-नियम (7) में निम्नानुसार एक परंतुक जोड़ दिया गया है :-

“परंतु यह कि उप-नियम (2) के तहत माने गए निलम्बन के मामले में निलम्बन की ऐसी समीक्षा किया जाना आवश्यक नहीं होगा, यदि सरकारी कर्मचारी को निलम्बन की 90 दिन की अवधि पूरी होने के बाद भी कारावास में रखा जाता है और ऐसे मामले की समीक्षा के लिए 90 दिन की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी, जिस तारीख से कारावास में रखा गया सरकारी कर्मचारी जेल से रिहा कर दिया जाता है अथवा वह तारीख जो उसके जेल से रिहा होने के संबंध में उसके नियुक्ति प्राधिकारी को सम्प्रेषित की जाती है, इनमें से जो भी बाद में हो”

उप-नियम (2) के अंतर्गत माने गए निलम्बन के मामलों में, निलम्बन के आदेश की तारीख, निलम्बन की समझी गई तारीख से काफी बाद में होगी। इन प्रावधानों को स्पष्ट बनाने के मद्देनजर, उपर्युक्त नियम 10 के उप-नियम (6) में संशोधन किया गया है ताकि “निलम्बन के आदेश की तारीख से 90 दिन” शब्दों के स्थान पर “निलम्बन की प्रभावी तारीख से 90 दिन” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जा सके। इस संशोधन के परिणामस्वरूप, अब से निलम्बन के आदेशों में निलम्बन की तारीख विशिष्ट रूप से दर्शाना आवश्यक होगा।

उपर्युक्त निर्धारित नियम 10 के उप-नियम 7 में यह कहा गया है कि उप-नियम (5) (क) में दी गई किसी भी बात के रहते इस नियम के उप-नियम (1) अथवा (2) के तहत किया गया अथवा किया हुआ माना गया निलम्बन का कोई आदेश, 90 दिनों की अवधि के बाद वैध नहीं रहेगा जब तक कि इसे समीक्षा के बाद 90 दिन की अवधि समाप्त हो जाने के पूर्व आगे की अवधि के लिए बढ़ा नहीं दिया जाए। अतः उपर्युक्त नियम 10 के उप-नियम 5(क) को अब संशोधित किया गया है जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए :-

“उप-नियम (7) में दिए गए प्रावधानों के अध्ययधीन, इस नियम के तहत किया गया अथवा किया हुआ माना गया निलम्बन का कोई आदेश तब तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे संशोधित अथवा रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे संशोधित अथवा रद्द नहीं कर दिया जाता”

परिणामस्वरूप, नियम 10 के उप-नियम 7 में उल्लिखित शब्द “उप-नियम (5)(क) में दी गई किसी बात के होते हुए भी” अनावश्यक हो गए हैं अतः इन्हें विलोपित कर दिया गया है।

जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये संशोधन, भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श से किए गए हैं।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 12 जुलाई, 2007 का का.ज्ञा. सं०-11012/4/2007-स्था० (क)

भाग - V

शास्तियां और अनुशासनिक प्राधिकारी

11. शास्तियां

किसी सरकारी सेवक पर निम्नलिखित शास्तियां ठोस और पर्याप्त कारणों से तथा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रूप में अधिरोपित की जा सकती है, अर्थात् --

छोटी शास्तियां

- (i) परिनिंदा ;
- (ii) उसकी प्रोन्नति रोकना ;
- (iii) उसके द्वारा उपेक्षा या आदेशों के भंग से सरकार को पहुंचाई गई धन संबंधी हानि की वेतन में से पूर्णतः या भागतः वसूली
- (iii क) समय - वेतनमान में किसी निम्नतर प्रक्रम पर तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना और उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ,
अवनति
- (iv) वेतन वृद्धि रोकना ।

बड़ी शास्तियां

- (v) धारा (II-क) में यथा उपबंधित के सिवाए किसी विशेष निर्धारित अवधि के लिए समय-वेतनमान को किसी निचले स्तर तक घटाना और साथ ही ये दिशा-निर्देश देना कि क्या सरकारी सेवक ऐसे वेतनमान में स्तरावनत किए जाने की अवधि के दौरान वेतन-वृद्धि अर्जित करेगा अथवा नहीं और यह कि क्या ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने पर उनके वेतन भावी वेतन वृद्धि स्तरावनति के कारण मुलतवी होगी या नहीं ।

- (vi) किसी निम्नतर समय वेतनमान, श्रेणी , पद या सेवा में अवनति जो सरकारी सेवक का उस समय वेतनमान , श्रेणी , पद या सेवा पर प्रोन्नत के लिए सामान्यतः वर्जन होगी जिससे उसे अवनत किया गया था । ऐसा इस विषय से संबंधित निदेशों सहित या उनके बिना किया जा सकेगा कि सरकारी सेवक जिस श्रेणी पर पद या सेवा से अवनत किया गया है उसमें प्रत्यावर्तन की क्या शर्त होगी और ऐसी श्रेणी या पद या सेवा में ऐसे प्रत्यावर्तन की दशा में उसकी ज्येष्ठता और वेतन की बाबत क्या होगा ;
- (vii) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;
- (viii) सेवा से हटाया जाना , जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;
- (ix) सेवा से पदच्युति जो सामान्यतः सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता होगी ।

परंतु ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें आय के ज्ञात स्रोत से अधिक परिसंपत्ति रखने का आरोप या किसी पदीय कार्य को करने या न करने के लिए हेतु या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से ,वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण स्वीकार करने का आरोप सिद्ध हो जाए तो खंड (viii) या खण्ड (ix) में उल्लिखित शास्ति अधिरोपित की जाएगी ।

परंतु यह और कि किसी आपवादिक मामले में और लिखित रूप में दर्ज विशेष कारणों से कोई अन्य शास्ति अधिरोपित की जा सकती है ।

स्पष्टीकरण- निम्नलिखित को, इस नियम के अर्थ में , शास्ति नहीं माना जाएगा, अर्थात् -

- (i) सरकारी सेवक की वेतन वृद्धि का इस कारण रोका जाना कि वह उस सेवा को, जिसका वह है या उस पद को , जिसे वह धारित किए हुए है , शासित करने वाले नियमों और आदेशों या उसके नियुक्ति के निबंधनों के अनुसार विभागीय परीक्षा में असफल रहा है ;
- (ii) सरकारी सेवक का दक्षतारोध पार करने के लिए अयोग्य होने के आधार पर समय वेतनमान में दक्षतारोध पर रोका जाना ;

- (iii) किसी सरकारी सेवक को , उसके प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के पश्चात, अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में उस सेवा, श्रेणी या पद पर प्रोन्नत न करना जिस पर वह प्रोन्नति के लिए पात्र है ;
- (iv) उच्चतर सेवा , श्रेणी या पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले किसी सरकारी सेवक का किसी निम्नतर सेवा श्रेणी या पद पर इस आधार पर प्रतिवर्तन कि उसे ऐसी उच्चतर सेवा , श्रेणी या पद के लिए अयोग्य समझा गया है या उसके आचरण से असम्बद्ध किसी प्रशासनिक आधार पर प्रतिवर्तन
- (v) किसी अन्य सेवा, श्रेणी या पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक का, परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, उसकी नियुक्ति के निबन्धनों और ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार उसकी स्थायी सेवा , श्रेणी या पद पर प्रतिवर्तन ;
- (vi) किसी ऐसे सरकारी सेवक की , जिसकी सेवाएं किसी राज्य सरकार से या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकारी से उधार ली गई हैं , सेवाओं का पुनः ऐसी राज्य सरकार या प्राधिकारी के व्ययनाधीन कर दिया जाना ;
- (vii) सरकारी सेवक की अधिवर्षिता या सेवा निवृत्ति से संबंधित उपबंधों के अनुसार उसकी अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;
- (viii) (क)परिवीक्षा पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक की , उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर , उसकी नियुक्ति के निबन्धनों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार सेवा की समाप्ति ; या
- (ख) किसी अस्थायी सरकारी सेवक की , केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवा) नियम,1965 के नियम 5 के उप नियम (1) के उपबंधों के अनुसार सेवा की समाप्ति या
- (ग) किसी करार के अधीन नियोजित किसी सरकारी सेवक की , ऐसे करार के निबन्धनों के अनुसार , सेवा की समाप्ति ।

भारत सरकार के निर्णय:

(1) परिनिन्दा तथा चेतावनी में अन्तर:-

“ परिनिन्दा ” का आदेश एक औपचारिक तथा सरकारी कार्रवाई है जिसका अभिप्राय यह सूचित करता है कि संबंधित व्यक्ति किसी आरोप योग्य कृत्य अथवा भूल का दोषी है जिसके लिए उसे औपचारिक दण्ड देना अपेक्षित समझा गया है और “ परिनिन्दा ” का तब तक कुछ अर्थ नहीं होगा जब तक कि ऐसा औपचारिक दण्ड आशयित न हो और निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करने के बाद “ उचित तथा पर्याप्त कारण ” से न लगाया गया हो । इस प्रकार लगाए गए दण्ड का रिकार्ड अधिकारी की चरित्र पंजी में रखा जाता है और इस तथ्य का कि उसे परिनिन्दित किया गया है उच्च पद की पदोन्नति के लिए उसकी योग्यता अथवा उपयुक्तता के मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ेगा ।

इसके विपरीत ऐसे भी अवसर हो सकते हैं जब किसी वरिष्ठ अधिकारी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने अधीन कार्य कर रहे किसी अधिकारी के काम को प्रतिकूल समीक्षा करे (अर्थात् असावधानी, लापरवाही, परिपक्वता का अभाव, विलंब आदि बताएं) अथवा किसी कृत्य या भूल के कारण स्पष्टीकरण मांगे और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद यह महसूस किया जाए वस्तुतः मामला इतना गंभीर नहीं है कि “ परिनिन्दा ” का औपचारिक दण्ड लगाये जाने का औचित्य हो बल्कि कोई औपचारिक कार्रवाई अपेक्षित है जैसे कि लिखित चेतावनी देना, डांट-फटकार यदि परिस्थितियों के अनुसार उचित हो तो ऐसी किसी चेतावनी आदि का उल्लेख अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट में भी किया जाए किन्तु केवल इस तथ्य से कि ऐसा उल्लेख गोपनीय रिपोर्ट में कर दिया गया है चेतावनी आदि का स्वरूप “ परिनिन्दा ” में नहीं बदला जाता । यद्यपि ऐसी टिप्पणी, अभ्युक्ति, चेतावनी आदि के बारे में संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट कर दिया जाएगा अथवा बता दिया जाएगा कि उसने कोई आरोप योग्य कार्य किया है और इस कारण से पदोन्नति के लिए उसकी योग्यता तथा उपयुक्तता के मूल्यांकन पर भी कुछ सीमा तक प्रभाव पड़ सकता है, फिर भी इसका अर्थ “ परिनिन्दा ” का दण्ड लगाया जाने से नहीं है क्योंकि ऐसा औपचारिक दण्ड लगाया जाना आशयित नहीं था ।

किन्तु इस तथ्य का कि औपचारिक “ चेतावनी ” एक औपचारिक “ परिनिन्दा ” के समतुल्य नहीं हो सकती, यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि लिखित चेतावनी इस बात की परवाह किए बिना कि यह वास्तव में उचित है अथवा नहीं, किसी भी समय दी जा सकती है । यह केवल नैसर्गिक न्याय का मामला है कि लिखित चेतावनियां, भर्त्सना आदि तब तक न दी

जाए अथवा अधिकारी की गोपनीय रिकार्ड में न रखी जाए जब तक कि ऐसा करने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि ऐसा करने का उचित तथा पर्याप्त कारण है। गृह मंत्रालय के तारीख 27-1-1955 के कार्यालय ज्ञापन सं051/5/54-स्था.(क) के पैरा 6 में गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल प्रविष्टियां रिकार्ड करने के मामले में विस्तृत मार्ग निर्देशकों की व्यवस्था है। यहां इस बात को दोहराया जा सकता है कि गोपनीय रिपोर्टें लिखने के जिम्मेदार कार्य के निष्पादन में प्रत्येक रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी को इस तथ्य का ज्ञान हो कि उसका कार्य न केवल अपने अधीनस्थों के कार्य तथा गुणों का वास्तविक मूल्यांकन करना है बल्कि यह भी देखना है कि वह अपने अधीनस्थों की कमियों को दूर करने में सलाह देता है तथा मार्गनिर्देशन और सहायता भी करता है। यदि रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी की इस ड्यूटी का ठीक तरह से निष्पादन हो जाता है तो प्रतिकूल प्रविष्टियां दर्ज करने में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि वह केवल उन्हीं कमियों का उल्लेख करेगा जो रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी द्वारा सुधार करने का प्रयत्न करने पर भी की जाती रही है। यदि ऐसी सावधानी बरतने के बाद रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी को यह पता चलता है कि सही वास्तविक मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उसे जारी की गई चेतावनी डांट-फटकार आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए विशेष रूप से उनका जिनके संबंध में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है और ऐसी बातों का उल्लेख करना उसका हक तथा ड्यूटी बनता है। कमियों को संबंधित व्यक्ति की जानकारी में लाने की प्रक्रिया में यदि स्पष्टीकरण संभव हो तो ऐसा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। किन्तु ऐसा किया जाना केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली के नियम 55-ए(अब नियम 16) के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित औपचारिक कार्यवाहियों के समतुल्य नहीं होगा और न ही दी गई चेतावनी का अर्थ औपचारिक दण्ड लगाया जाना होगा।

(गृह मंत्रालय का तारीख 13-12-1956 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 39/21/56-स्था0 (क))

(1 क) गोपनीय रिपोर्ट लिखना- उक्त रिपोर्ट में चेतावनियों का उल्लेख करना -

ऐसे भी अवसर हो सकते हैं जब किसी उच्च अधिकारी के लिए अपने अधीन कार्य कर रहे अधिकारी के कार्य की प्रतिकूल रूप में आलोचना करना आवश्यक हो जाए अथवा किसी कृताकृत के लिए उसे स्पष्टीकरण मांगना पड़े तथा सभी परिस्थितियों पर विचार विमर्श करने के बाद वह यह महसूस करे कि मामला परिनिंदा के औपचारिक दण्ड को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त रूप से गंभीर नहीं है बल्कि लिखित चेतावनी भर्त्सना अथवा फटकार सूचित किए जाने जैसी कोई औपचारिक कार्रवाई की जानी ही आवश्यक है। जहां ऐसी चेतावनी/अप्रसन्नता/फटकार जारी की जाती है तो उसे संबंधित अधिकारी की वैयक्तिक फाइल में रखा जाना चाहिए। वर्ष (अथवा रिपोर्ट की अवधि) के अंत में गोपनीय रिपोर्ट लिखने वाला अधिकारी उक्त अधिकारी की रिपोर्ट

लिखते समय चेतावनी /अप्रसन्नता/फटकार का गोपनीय रिपोर्ट में उल्लेख न करने का निर्णय कर सकता है, यदि उक्त अधिकारी की राय यह हो कि चेतावनी/अप्रसन्नता/फटकार, जैसी भी स्थिति हो, के जारी किए जाने के बाद उक्त अधिकारी के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है और यह संतोषजनक पाया गया है किन्तु, यदि रिपोर्ट लिखने वाला अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि चेतावनी /अप्रसन्नता/ फटकार दिए जाने के बावजूद, अधिकारी के कार्य में कोई सुधार नहीं हुआ है तो वह रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी द्वारा मूल्यांकन से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट के प्रपत्र के भाग -II। में संगत कालम में ऐसी चेतावनी /अप्रसन्नता/फटकार, जैसी भी स्थिति हो का उल्लेख कर सकता है और ऐसी स्थिति में गोपनीय रिपोर्ट में उल्लिखित चेतावनी/अप्रसन्नता/फटकार की एक गोपनीय रिपोर्ट के डोजियर में संबंधित अवधि की गोपनीय रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में रखी जानी चाहिए । प्रतिकूल अभ्युक्तियां भी अधिकारी को सूचित की जानी चाहिए और यदि अधिकारी उनके विरुद्ध कोई अभ्यावेदन दे तो उस अभ्यावेदन पर इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए ।

[कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 5-6-1981 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 21011/1/81 स्थापना (क)]

(2) सरकारी सेवकों द्वारा परिवार की उपेक्षा किए जाने पर विभागीय कार्रवाई -

सरकारी सेवकों द्वारा अपने परिवारों का ठीक प्रकार से भरण पोषण करने में असफल रहने के दृष्टांत सरकार की सूचना में आए हैं । यह सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली में एक उपबंध बनाया जाए जिससे सरकार उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सके जो अपने परिवारों की देखभाल ठीक से नहीं करते ।

उपर्युक्त प्रश्न की जांच की गई है और यह निर्णय किया है कि आचरण नियमों में ऐसा उपबंध रखना संभव नहीं होगा क्योंकि इसे लागू करने में प्रशासनिक कठिनाईयां होगी । फिर भी सरकारी कर्मचारी से यह आशा की जाती है कि वह व्यक्तिगत जीवन में अपना आचरण सही तथा संतोषजनक रखे और आपराधिक कृत्यों द्वारा अपनी सेवा की प्रतिष्ठा न घटाए । जिन मामलों में यह सूचना मिलती है कि सरकारी कर्मचारियों ने अशोभनीय ढंग का कार्य किया है अर्थात् अपने परिवार तथा पत्नी की उपेक्षा की है तो किसी भी आचरण नियम का सहारा लिए बिना उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा सकती है । इस संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली के नियम 11 का उल्लेख किया जाता है जिसमें शास्तियों का स्वरूप

निर्दिष्ट है जो उचित तथा पर्याप्त कारणों से सरकारी सेवक पर लगाई जा सकती है। यह निर्णय लिया गया है कि किसी सरकारी सेवक द्वारा अपनी पत्नी तथा परिवार की ऐसी उपेक्षा किए जाने पर इस नियम के अधीन उसके विरुद्ध कार्रवाई का उचित तथा पर्याप्त कारण बन जाता है जिसे करना सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय होता है।

किंतु, यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में प्रभावित पार्टी को भरण पोषण का दावा करने का कानूनी हक प्राप्त है। यदि इस संबंध में कोई कानूनी कार्यवाहियां किसी न्यायालय में चल रही हो तो इस आधार पर कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करना सरकार के लिए उचित नहीं होगा क्योंकि ऐसा करना न्यायालय, द्वारा अवमानना मानी जा सकती है।

(गृह मंत्रालय का तारीख 1.9.1959 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 25/16/59 स्थापना (क))

(3). गोपनीय पंजियों में दंड की प्रविष्टि

यह निर्णय किया गया है कि यदि अनुशासनिक कार्यवाहियों के फलस्वरूप सरकारी सेवक पर कोई भी विहित दण्ड (अर्थात् परिनिंदा निचले पद पर अवनति आदि) लगाया जाता है तो उसका रिकार्ड चरित्र पंजी में भी अवश्य रखा जाना चाहिए।

(गृह मंत्रालय का तारीख 23.4.1960 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/12/59 - स्थापना (क))

(4) जिन अधिकारियों को शास्ति के कारण पदावनत किया गया हो, उनकी पुनःपदोन्नति :-

यदि पदावनति का आदेश अनिश्चित अवधि के लिए आशयित तो आदेश निम्न प्रकार से बनाया जाना चाहिए -

“ ए “ की पदावनति “एक्स” के निचले पद/ग्रेड/सेवा में तब तक की जाती है जब तक सक्षम प्राधिकारी उसे “वाई “ के उच्चतर पद/ग्रेड/सेवा में बहाली के योग्य नहीं पाते। “

जिन मामलों में यह आशय हो कि सरकारी सेवक की पुनः पदोन्नति अथवा उसके मूल पद पर बहाली के लिए केवल निर्दिष्ट अवधि के बाद विचार होगा, तो आदेश का स्वरूप निम्न प्रकार होगा -

“ ए “ को “एक्स” के निचले पद ग्रेड सेवा में तब तक पदावनत किया जाता है जब तक कि उन्हें इस आदेश की तारीख से वर्ष की अवधि के बाद उपयुक्त पाए जाने पर “वाई” के उच्च पद पर बहाल नहीं कर दिया जाए । “

(गृह मंत्रालय का तारीख 7.2.1964 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/30/63-स्थापना (घ))

(5) जब शास्ति प्रवृत्त हो तो उच्च पदों के लिए रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराना अनुज्ञेय नहीं है -

इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही थी कि क्या ऐसे सरकारी सेवक को जिस पर शास्ति लगायी गयी हो, उच्च पद के लिए अपना नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज कराने की अनुमति दी जा सकती है जब तक कि शास्ति की अवधि समाप्त नहीं हुई हो। अब यह निर्णय किया गया है ऐसे सरकारी सेवक को जिस पर केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 11 के खण्ड ii तथा iv में निर्दिष्ट शास्ति लगायी गयी हो उसे शास्ति प्रवृत्त रहने की अवधि के दौरान अपना नाम उच्च पद के लिए रोजगार कार्यालय में दर्ज कराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

(गृह मंत्रालय का तारीख 22-2-1965 कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/6/65-स्थापना (घ))

(6) सीधी भर्ती के व्यक्तियों द्वारा भर्ती से पूर्व किए गए कृत्यों के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने के उद्देश्य से सरकारी उपक्रमों के नियमों में व्यवस्था -

नवम्बर, 1965 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा राज्य भ्रष्टाचार निवारक अधिकारियों के संयुक्त सम्मेलन द्वारा यह सिफारिश की गई है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नियम में एक ऐसा उपबंध रखा जाए जिससे वे सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अपने कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसे कृत्यों के लिए अनुशासनिक कार्रवाई कर सकें जो उन्होंने पूर्व नौकरी के दौरान किए हैं । इस सिफारिश पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि किसी भी नियोक्ता पर यह प्रतिबंध नहीं है कि वह किसी कर्मचारी द्वारा नौकरी से पूर्व किए गए कदाचार के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई न कर सके जबकि कदाचार का स्वरूप ऐसा हो जिसका उसकी वर्तमान नौकरी से युक्तिमूलक संबंध है और उसे सेवा में बनाए रखने के लिए अयोग्य तथा अनुपयुक्त ठहराता है । अनुशासन नियमों में यह उपबंध कि “ उचित तथा पर्याप्त कारणों से शास्ति लगाई जा सकती है जैसा कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली 1965 के नियम 11 में व्यवस्था है, उपर्युक्त स्वरूप के कदाचार के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त

आधार होगा। जब ऐसी कार्रवाई की जाती है तो आरोप में विशेष रूप से यह उल्लेख किया जाए कि कथित कदाचार का स्वरूप ऐसा है जो उसे सेवा में बनाए रखने के लिए अयोग्य तथा अनुपयुक्त ठहराता है।

उद्योग मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त स्थिति अपने नियंत्रणाधीन सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूचना में लायें और उनसे अनुरोध करें कि वे अपने अनुशासन नियमों में ऐसा उपबंध बनाएं ताकि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली 1965 के नियम 11 के समान “उचित तथा पर्याप्त” कारण होने पर अपने कर्मचारियों पर शास्तियां लगा सकें बशर्ते ऐसा उपबंध पहले विद्यमान नहीं है।

(गृह मंत्रालय का तारीख 21-2-1967 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 39/1/67-स्थापना (क))

(7) ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति जिन पर कोई शास्ति अधिरोपित की गई है-

27 तथा 28 जनवरी, 1971 को हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कर्मचारी पक्ष ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए थे -

- (i) किसी विभागीय/पदोन्नति परीक्षा के लिए बैठने या पदोन्नति की पात्रता के लिए “परिनिंदा” रोक नहीं होनी चाहिए।
- (ii) जब किसी नुकसान के लिए कर्मचारी का दायित्व अप्रत्यक्ष है तो नुकसान की वसूली के दौरान उसे पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के उद्देश्य से वंचित न किया जाए;
- (iii) वेतनवृद्धि रोके जाने और वेतन को घटाकर वेतनमान में नीचे के स्तर पर किए जाने के बीच अंतर किया जाना चाहिए और वेतनवृद्धि रोके जाने के मामलों में कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए विचार किए जाने पर रोक नहीं होनी चाहिए।

2. जहां तक पहले मुद्दे का संबंध है, विद्यमान अनुदेशों के अधीन पदोन्नति के लिए पात्र तथा चयन के क्षेत्र में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के मामले पर विचार किया जाता है। किसी सरकारी सेवक पर “परिनिंदा” की लघु शास्ति लगाए जाने का तथ्य पर पदोन्नति के लिए उसके मामले पर विचार किए जाने पर रुकावट नहीं होती क्योंकि पदोन्नति के लिए उसकी योग्यता का मूल्यांकन, वरिष्ठता द्वारा पदोन्नति के मामले में उसकी सेवा रिकार्ड की पूर्णतः जांच करके, तथा योग्यता के आधार पर चयन पदोन्नति के मामले में उसकी योग्यता श्रेणी के आधार पर किया जाता है जो

उसकी सेवा रिकार्ड की सम्पूर्ण जांच पर आधारित होता है। जिस सरकारी सेवक पर परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित की गयी है, उसे विभागीय/पदोन्नति परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के संबंध में वही नियम लागू होंगे अर्थात् उसे केवल परिनिंदा की शास्ति के कारण परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जा सकता। किंतु यदि ऐसी परीक्षा के नियमों में यह आधारित है कि केवल उन्हीं पात्र व्यक्तियों को परीक्षा देने की अनुमति दी जाए जो इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं तो परीक्षा देने के उद्देश्य से ऐसे पात्र उम्मीदवार की उपयुक्तता पर विचार जिसे परिनिंदा की शास्ति दी गई हो, उसके सेवा रिकार्ड की संपूर्ण जांच के आधार पर किया जाएगा न कि केवल परिनिंदा की शास्ति के आधार पर।

3. जहां तक ऊपर के पैरा 1 में उल्लिखित अन्य दो मुद्दों का संबंध है, इस विषय में कोई कठोर नियम निर्धारित करना संभव नहीं है और प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना सक्षम प्राधिकारी का कार्य है फिर भी उक्त विषय पर विद्यमान अनुदेशों को दोहराया जाना आवश्यक समझा गया है। सरकारी सेवक द्वारा लापरवाही के कारण अथवा आदेशों के उल्लंघन के कारण सरकार को जितनी धनराशि की हानि पहुँचाई गई है, उस राशि का संपूर्ण अथवा कुछ भाग उसके वेतन से वसूली करके अथवा वेतनवृद्धि रोककर वसूल करना केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली के नियम 11 में निर्धारित लघु शास्तियां हैं। ऐसे किसी सरकारी सेवक की पदोन्नति के मामले में जिस पर परिनिंदा की शास्ति लगाई गई है, उसके द्वारा सरकार को पहुँचाई गई हानि के लिए उसके वेतन से वसूली करना अथवा वेतनवृद्धियां रोकने से उसकी पदोन्नति के मार्ग में रुकावट नहीं होती। यद्यपि वेतनवृद्धि रोकें जाने के मामले में शास्ति जारी रहने की अवधि में पदोन्नति नहीं दी जाती। इसलिए हालांकि जबकि ऐसी शास्ति लगाए जाने के तथ्य से संबंधित सरकारी कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित नहीं रखा जाता तो भी विभागीय पदोन्नति समिति अथवा सक्षम प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, पदोन्नति के लिए उसकी उपयुक्तता अथवा अयोग्यता का मूल्यांकन करने अथवा विभागीय/पदोन्नति परीक्षा देने के लिए उसे अनुमति देने के उद्देश्य से (जहां ऐसी परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार की उपयुक्तता पूर्व निर्धारित शर्त हो) उसके सेवा रिकार्डों का संपूर्ण मूल्यांकन करते हैं।

(मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) का कार्यालय ज्ञापन संख्या 21/5/70 स्थापना (क)
तारीख 15.5.1971)

(7क) ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति जिन पर कोई शास्ति अधिरोपित की गई है।

वित्त मंत्रालय आदि का ध्यान गृह मंत्रालय के दिनांक 31.8.1960 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39/3/59- स्था. (क) दिनांक 22.12.1964 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/28/63-स्था. (क) और

दिनांक 14.7.1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/3/77 -स्था. (क)[अब दिनांक 14-9-1992 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/4/91 स्था. (क) द्वारा संशोधित तथा समेकित] की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें “मुहरबंद लिफाफे “ की प्रक्रिया अपनाने के लिए तथा संबंधित कर्मचारी के “पूर्णतः दोषमुक्त “ करार दिए जाने पर भुतलक्षी प्रभाव से प्रसुविधाएं मंजूर करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं । पूर्णतः “दोषमुक्त “ शब्दों का क्षेत्र बहुत व्यापक था और इनके परिणामस्वरूप उन कर्मचारियों को भी प्रसुविधाओं से वंचित रखा जाता था जिन्हें अनुशासनिक कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप कोई निर्धारित शास्ति नहीं दी गई थी बल्कि चेतावनी मात्र ही दी गई थी । सरकारी कर्मचारियों को “लिखित चेतावनी “ देने की प्रथा भी प्रचलित है, जिसका प्रभाव उनकी पदोन्नति की संभावनाओं पर पड़ता है । अतः इस विषय की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं -

- (i) जैसा कि गृह मंत्रालय के दिनांक 13.12.1956 के का.ज्ञा. संख्या 39/21/56-स्था. (क) में स्पष्ट किया गया है, लापरवाही, असावधानी, परिपक्वता की कमी, विलंब आदि जैसी छोटी भूले हो जाने पर सरकारी कर्मचारी को किसी भी वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा चेतावनी दी जाती है । कार्यकुशलता बढ़ाने और अनुशासन को बनाए रखने की दृष्टि से सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी देने के लिए वरिष्ठ प्राधिकारियों के हाथ में यह एक प्रशासनिक साधन है । अतः इस पद्धति को जारी रखने में कोई आपत्ति नहीं है । फिर भी, जहां चेतावनी की प्रति गोपनीय रिपोर्ट की फाइल में रखी जाती है तो इसका आशय प्रतिकूल प्रविष्टि से होगा और जिस अधिकारी को इस प्रकार की चेतावनी दी गई है उसे प्रतिकूल अभ्युक्तियां संसूचित करने और उनके विरुद्ध अभ्यावेदनों पर विचार करने के संबंध में विद्यमान अनुदेशों के अनुसार प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अधिकार होगा ।
- (ii) जहां, विभागीय कार्यवाही पूरी कर ली है और यह माना गया है कि संबंधित अधिकारी दण्ड दिए जाने का पात्र है तो उसे केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमावली, 1965 के नियम 11 में दिए अनुसार मान्य सांविधिक शास्तियों में से एक शास्ति दी जानी चाहिए । ऐसी स्थिति में, लिखित चेतावनी नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि सभी व्यावहारिक प्रयोजनों से इसका अर्थ “परिनिंदा” होगा, जो एक औपचारिक दण्ड है और यह केवल सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा संगत अनुशासनिक नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् ही दी जा सकती है । दिल्ली उच्च न्यायालय ने नंदन सिंह बनाम भारत संघ के मामले में भी यह विचार किया है कि

गोपनीय रिपोर्ट की फाइल में रखी गई चेतावनी में “परिनिंदा “ के सभी लक्षण होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जैसे पहले ही उल्लेख किया गया है, जहां अनुशासनिक कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् यह समझा जाता है कि संबंधित कर्मचारी पर कुछ ऐसा आरोप बनता है जिसका संज्ञान जरूरी है तो अनुशासनिक प्राधिकारी को कम से कम “परिनिंदा “ की शास्ति प्रदान करनी चाहिए। यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की मंशा “परिनिंदा “ की शास्ति देने की नहीं है तो कोई लिखित चेतावनी नहीं दी जानी चाहिए। अनुशासनिक प्राधिकारी के इस अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि वह मौखिक चेतावनी या लिखित रूप में ऐसी चेतावनी दें जो चरित्र पंजी का हिस्सा न बनें।

- (iii) जहां विभागीय कार्यवाहियों की समाप्ति लघु, शास्ति अर्थात् परिनिंदा, सरकार की आर्थिक हानि की वसूली, वेतनवृद्धियों को रोक देने और पदोन्नति रोक देने के साथ हो गई है, वहां कर्मचारी के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की ‘मुहर बंद लिफाफे’ में रखी सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की जाएंगी। पदोन्नति/स्थायीकरण के लिए संबंधित कर्मचारी के मामले पर अगली विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विभागीय कार्यवाहियों की समाप्ति के बाद होने वाली अपनी बैठक में विचार किया जा सकता है। यदि विभागीय पदोन्नति समिति का निर्णय कर्मचारी के पक्ष में है और यदि शास्ति “परिनिंदा “ की है या “लापरवाही “ अथवा आदेशों के उल्लंघन द्वारा सरकार को हुई आर्थिक हानि की वसूली की है तो उसे उसकी बारी पर पदोन्नति किया जा सकता है। उन कर्मचारियों के मामले में, जिन्हें “पदोन्नति रोकने “ की लघु शास्ति दी गई है, पदोन्नति केवल शास्ति की समाप्ति के पश्चात् ही की जा सकती है।
- (iv) यदि इस कार्यालय ज्ञापन के जारी करने से पहले अनुशासनिक कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप किसी अधिकारी को लिखित चेतावनी दी गई है और संबंधित कर्मचारी का मामला पदोन्नति के लिए विचाराधीन है तो उसे “परिनिंदा “ के रूप में समझा जाना चाहिए। अधिकारी को ऐसी चेतावनी के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अधिकार भी होगा और ऐसे अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार कार्रवाई की जाएगी मानो कि वह संगत अनुशासनिक नियमावली के अधीन की गई अपील हो।

[का. तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 16.2.1979 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/2/78 स्थापना- (क)]

(8) रैंक में अवनति की शास्ति का दायरा - श्री नयादर सिंह और श्री एम.एम जे. निनामा बनाम भारत संघ (वर्ष 1988 की सिविल अपील संख्या 3003 का 1988 की 889) के मामलों में उच्चतर न्यायालय का निर्णय-

नियम 11 के खण्ड (vi), जिसमें उन शास्तियों का वर्णन किया हुआ है जो कि निर्धारित क्रिया-विधि का पालन करने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक पर लगायी जा सकती है, में निम्नलिखित व्यवस्था है -

“(vi) किसी निम्नतर समय वेतनमान, श्रेणी, पद या सेवा में अवनति जो सरकारी सेवक की उस समय वेतनमान, श्रेणी, पद या सेवा पर पदोन्नति के लिए सामान्यतः वर्जन होगी जिससे उसे अवनत किया गया था। ऐसा, इस विषय से संबंधित निदेशों सहित या उनके बिना किया जा सकेगा कि सरकारी सेवक जिस श्रेणी या पद या सेवा से अवनत किया है उसमें प्रत्यावर्तन की क्या शर्त होगी और ऐसी श्रेणी या पद या सेवा में ऐसे प्रत्यावर्तन की दशा में उसकी ज्येष्ठता और वेतन की बाबत क्या होगा।”

2. ऊपर उल्लिखित निर्णय का संबंध उन दो मामलों से है जिनमें से एक मामले में एक सरकारी सेवक को जिसे शुरू में डाक सहायक के पद पर भर्ती किया गया था और जब वह उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर कार्य कर रहा था, शास्ति के रूप में, उसके रैंक को घटाकर अवर श्रेणी लिपिक पद कर दिया गया था, जो कि डाक सहायक के पद से, जिस पर कि उसे शुरू में भर्ती किया गया था, निम्नतर रैंक था। दूसरे मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा रैंक में कटौती की शास्ति लगाई गई थी, इसके द्वारा अधिकारी को असिस्टेंट लोकल वार्निंग आफिसर के पद से जिस पर उसकी सीधी भर्ती हुई थी, अवनति करके उसे कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर लगा दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने दोनों मामलों में लगाई गई शास्ति को रद्द करते हुए यह निर्णय दिया है कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे सीधे ही उच्चतर पद, सेवा ग्रेड अथवा समय वेतनमान में नियुक्त किया गया है, दण्ड के जरिए किसी ऐसे निचले समय वेतनमान, ग्रेड, सेवा या किसी ऐसे पद पर पदावनत करके नहीं लगाया जा सकता, जिन पर उसने कभी पहले कार्य न किया हो।

3. उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त मामलों में दिए गए निर्णयों को सभी अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा भविष्य में मामलों को निपटाते समय, ध्यान में रखा जाए। तथापि, उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए विगत मामलों को पुनः खोले जाने की आवश्यकता नहीं है।

[कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का तारीख 2.2.89 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/2/88-स्था0 (क)]

- (9) संचयी प्रभाव के बिना और पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए वेतन के समय मान में निम्नतर प्रक्रम (लोअर स्टेज) में अवनति की शास्ति

इस विभाग की तारीख 13.7.90 की अधिसूचना संख्या 11012/4/86 स्था. (क) द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 11 में एक नया खंड (iii क) शामिल किया गया था । इसके परिणामस्वरूप, संचयी प्रभाव के बिना तथा सरकारी सेवक जिसे दण्डित किया गया है, की पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए वेतन के समय-मान में निम्नतम प्रक्रम (लोअर स्टेज) में अवनति को एक छोटी शास्ति के रूप में शामिल किया गया था।

2. एक शंका उठाई गई है कि खंड (iii क) द्वारा लागू की गई छोटी शास्ति नियम 11 के खंड (v) के अंतर्गत भी आती है, अतः क्या कुछ परिस्थितियों में इसे बड़ी शास्ति के रूप में माना जाए। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि यह शास्ति नियम 11 के खंड (iii क) में उल्लिखित सीमा तक विशेष रूप से नियम 11 के खण्ड(v) में ली गई है अतः यह नियम 11 की धारा (v) के अंतर्गत बड़ी शास्ति नहीं बनती है । इसे स्पष्ट करने के लिए नियम 11 के खंड (v) को संशोधित किया जा रहा है और इस संबंध में अलग से एक अधिसूचना जारी की जा रही है ।

[कार्मिक और प्रशि. विभाग का तारीख 28.5.1992 का.ज्ञा. सं. 11012/4/86 स्थापना (क)]

- (10) यदि बाद में यह पता चलें कि सरकारी सेवक, प्रारंभिक भर्ती के लिए अपात्र या अयोग्य था तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए --

मंत्रालयो विभागों का ध्यान गृह मंत्रालय के तारीख 21.02.1967 के कार्यालय ज्ञापन सं. 39/1/67 स्थापना (क) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि नियोजन से पहले किए गए कदाचार के संबंध में सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा सकती है । गृह मंत्रालय के तारीख 30.04.1965 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/1/63-स्थापना (घ) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें मंत्रालयों विभागों से अनुरोध किया गया था कि नियुक्ति के समय झूठी सूचना प्रस्तुत करने वाले सरकारी सेवक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, साक्ष्यांकन फार्म में उल्लिखित “ चेतावनी “ उपबंध का प्रयोग किया जाए ।

2. अब यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि यदि बाद में यह पता चले कि सरकारी सेवक, सेवा में अपनी प्रारंभिक भर्ती के लिए योग्य या पात्र नहीं था तो क्या उसे सेवा से मुक्त किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने जिला कलक्टर, विजियनग्राम बनाम एम. त्रिपुरा सुंदरी देवी (1990(4) एस एल आर 237 के मामले में इस मुद्दे पर विचार किया और अपने निर्णय में यह कहा कि -

“ सभी संबंधित व्यक्तियों आदि को यह समझ लेना चाहिए कि जब विज्ञापन में किसी योग्यता विशेष का उल्लेख किया गया होता है और उसकी अवहैलना करके नियुक्ति कर दी जाती है तो फिर यह नियुक्ति प्राधिकारी और नियुक्ति किए गए व्यक्ति के बीच का मामला ही नहीं रह जाता, इससे वे सभी व्यक्ति व्यथित होते हैं जिनके पास, नियुक्त किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों के समरूप या उससे उनसे बेहतर योग्यताएं थी परंतु उन्होंने विज्ञापन में उल्लिखित योग्यताएं न होने के कारण पद के लिए आवेदन नहीं किया था। जब तक विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित न हो कि योग्यताएं शिथिल की जा सकती हैं तब तक ऐसी परिस्थितियों में निम्न योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्त करना जनता के प्रति कपट है। किसी भी न्यायालय को कपटपूर्ण आचरण का समर्थन नहीं करना चाहिए। ”

विधि और न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श करके इस मुद्दे पर विचार किया गया और अब यह निर्णय लिया गया है कि यदि यह पता चले कि सरकारी सेवक, सेवा में प्रारंभिक भर्ती के लिए, भर्ती नियमों आदि के अनुसार योग्य या पात्र नहीं था या नियुक्ति प्राप्त करने के लिए उसने मिथ्या प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था तो उसे सेवा में बरकरार नहीं रखा जाना चाहिए। यदि वह परिवीक्षाधीन हो या अस्थायी सरकारी सेवक हो तो उसे सेवामुक्त कर देना चाहिए या उसकी सेवाएं समाप्त कर देनी चाहिए। यदि वह सेवा में स्थायी हो चुका हो तो केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अनुसार यथा निर्धारित जांच की जा सकती है और आरोप साबित हो जाएं तो सरकारी सेवक की सेवा से हटा दिया जाए या पदच्युत कर दिया जाए। किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य शास्ति अधिरोपित न की जाए।

3. तथापि ऐसी सेवामुक्ति, सेवा समाप्ति, सेवा से हटाने या पदच्युत करने से ऐसे उक्त सरकारी सेवकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 19.05.1993 का कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/7/91-स्थापना (क)]

(11) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली 1965 का नियम 11
(iii) - सरकारी सेवक द्वारा की गई धनीय हानि की वसूली-स्पष्टीकरण-

इस विभाग में, इस विषय में स्थिति स्पष्ट करने के अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि क्या डी जी पी एंड टी के तारीख 17.08.1971 के पत्र सं. 3/312/70-डी आई एस सी-1 में निहित अनुदेश अन्य मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत सरकारी सेवकों पर भी लागू होते हैं या नहीं।

2. डी जी पी एंड टी के उपरिल्लिखित अनुदेशों में यह व्यवस्था की गई है कि सरकारी सेवक द्वारा बरती गई उपेक्षा या उसके द्वारा आदेश भंग किए जाने के कारण सरकार को हुई किसी धनीय हानि के लिए दंड के रूप में उसके वेतन से की जाने वाली वसूली, उसके मूल वेतन अर्थात् मंहगाई वेतन या अन्य भत्तों को छोड़कर) के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह तीन वर्ष से अधिक अवधि तक नहीं की जानी चाहिए। तथापि कानूनी नियमों अर्थात् केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 11 (iii) में ऐसी कोई सीमाएं निर्धारित नहीं की गई हैं।

3. विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके इस मुद्दे पर विचार किया गया। यह पाया गया है कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 11 (iii) के अनुसार शास्ति के रूप में तय की गई राशि की वसूली करने के लिए डी जी पी एंड टी के अनुदेशों में प्रक्रिया निर्धारित की गई है और प्रक्रिया संबंधी अनुदेशों से उक्त नियमावली के नियम 11 (iii) के मूल उपबंध संशोधित, अधिक्रमित या आशोधित नहीं हो जाते। यद्यपि यह उपेक्षा की जाती है कि धनीय हानि की भरपाई करने की शास्ति अधिरोपित करते समय अनुशासनिक प्राधिकारी इतना भी कठोर रुख नहीं अपनाएं कि सरकारी सेवक को ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़े जो उसकी उस उपेक्षा कदाचार से बेमेल हो जिसके कारण हानि हुई थी, लेकिन ऐसी भरपाई के प्रयोजन के लिए निश्चित सीमा तय करना आवश्यक नहीं है। अतः डी जी पी एंड टी के अनुदेशों को अनधिकृत माना जाए। इसीलिए इस कार्यालय ज्ञापन का निहितार्थ यह है कि अपचारी सेवक से संपूर्ण हानि की भरपाई करवाई जाए और ऐसा तब तक करवाया जाता रहे जब तक पूर्ण क्षतिपूर्ति न हो जाए।

[कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 6 सितंबर, 2000 का कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/1/2000-स्थापना (क)] ।

(12) निम्नतर समय-वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा में अवनति की शास्ति लगाया जाना ।

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के खंड (vi) में किसी सरकारी कर्मचारी पर, निम्नतर समय-वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा में अवनति की शास्ति लगाए जाने का प्रावधान है जो कि सामान्यतया उस सरकारी कर्मचारी की उस, समय-वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा जिससे उसे अवनत किया गया है, पर बहाली की शर्तों में, आगे के निर्देशों के बिना अथवा निर्देशों सहित पदोन्नति और ऐसे ग्रेड, पद अथवा सेवा में उसकी बहाली पर उसकी वरिष्ठता और वेतन के संबंध में बाधक होगी ।

2. राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) के कर्मचारी पक्ष ने यह अनुरोध किया है कि उपर्युक्त खंड (vi) में वर्णित निम्नतर समय-वेतनमान में अवनति की शास्ति, आरोपित अधिकारी पर स्थायी रूप से इस आधार पर नहीं लगाई जानी चाहिए क्योंकि यह शास्ति इतनी कठोर है कि भले ही वह कर्मचारी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर लेता है और सक्षम प्राधिकारी बाद में उसे पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाता है तब भी यह कर्मचारी को अगले ग्रेड में पदोन्नत करने की अनुमति नहीं देती है । कर्मचारी पक्ष ने यह सुझाव दिया है कि प्रश्नगत शास्ति एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए लगाई जानी चाहिए और उच्चतर ग्रेड में उसे बहाल किए जाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश भी दिए जाने चाहिए ।

3. मौजूदा नियमों में व्यवस्था यह है कि निम्नतर ग्रेड, पद अथवा सेवा में अवनति की शास्ति लगाए जाने का तात्पर्य सामान्यतया उस उच्चतर ग्रेड, पद या सेवा (जिससे उससे पदावनत किया गया है) में पदोन्नति पर प्रतिबंध है जब तक कि बहाली की शर्तें निर्दिष्ट नहीं की जाती । तथापि, अनुशासनिक प्राधिकारी, उपयुक्त/योग्य मामलों में उच्चतर ग्रेड में बहाली की शर्तें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है ।

4. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 11 में लघु शास्तियों और भारी शास्तियों का उनके स्वरूप को ध्यान में रखते हुए श्रेणीकरण किया गया है जो कि आरोपित सरकारी कर्मचारी पर उसके कदाचार/लापरवाही, जिनके आधार पर आरोप पत्र तैयार किया गया है, की गंभीरता के अनुपात में लगाई जाएंगी । जहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाया जाना और सेवा से पदच्युति की भारी शास्तियां उपर्युक्त नियम 11 के खंड (vii), (viii) और (ix) के रूप में शामिल की गई हैं, वहीं निम्नतर समय-वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा में अवनति की शास्ति उसके खंड (vi) में शामिल की गई है । इस खंड में यह भी प्रावधान

है कि शास्ति लगाते समय अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा अपीलीय/संशोधन प्राधिकारी से आदेश में यह उल्लेख करने की भी अपेक्षा की जाती है कि क्या संबंधित आरोपित सरकारी कर्मचारी उस ग्रेड/पद अथवा सेवा, जिससे उसे अवनत किया गया है, पर बहाली के लिए पात्र होगा या नहीं और ऐसी बहाली पर उसकी वरिष्ठता और वेतन और ऐसी बहाली की शर्तों का भी उल्लेख करना अपेक्षित है। अतः यह ध्यान रखा जाएगा कि शास्ति का प्रावधान, जिस व्यक्ति पर लगाया जाना है उसे (बर्खास्तगी/सेवा से हटाए जाने आदि के द्वारा) सरकारी सेवा से बाहर न किया जाए परन्तु उस पर उसके कदाचार की गंभीरता को मद्देनजर, अत्यंत कठोर शास्ति लगाए जाने की आवश्यकता है।

5. इस संबंध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय के दिनांक 10.10.1962 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/13/92-स्थापना (घ) और दिनांक 07.02.1964 के का.ज्ञा. सं. 9/30/63-स्था (घ) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि जब तक कि स्पष्ट धारणा यह न हो कि ऐसी अवनति की शास्ति स्थायी अथवा अनिश्चित अवधि के लिए है किसी निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद या किसी निम्नतर समय-वेतनमान में अवनति की शास्ति लगाए जाने संबंधी आदेश में ऐसी अवनति की अवधि अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

इन अनुदेशों में उस तरीके का भी उल्लेख होना चाहिए कि अवनति निर्दिष्ट अवधि अथवा अनिश्चित अवधि की होने पर उस आदेश को किसी प्रकार तैयार किया जाना चाहिए। यदि सक्षम प्राधिकारी की धारणा स्थायी आधार पर अवनति की शास्ति लगाए जाने की है तो उसका आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि सरकारी कर्मचारी को इस धारणा के संबंध में अत्यन्त स्पष्ट रूप से सूचना दी जा सके और उसे नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार अपील करने का पूरा अवसर दिया जा सके।

[कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 14 मई, 2007 का कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/2/2005-स्थापना (क)]

12. अनुशासनिक प्राधिकारी -

(1) राष्ट्रपति, नियम 11 में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति किसी सरकारी सेवक पर अधिरोपित कर सकते हैं।

- (2) उपनियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किंतु उपनियम (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम 2 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति --
- (क) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुसूची में इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा या राष्ट्रपति के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, साधारण केन्द्रीय सेवा में भिन्न केन्द्रीय सिविल सेवा के किसी सदस्य पर;
- (ख) राष्ट्रपति के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा या जहां ऐसा कोई आदेश नहीं किया गया है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा या अनुसूची में इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा, साधारण केन्द्रीय सेवा के अंतर्गत किसी केन्द्रीय सिविल पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति पर, अधिरोपित की जा सकती है।
- (3) उपनियम (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम 11 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति, (केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा से भिन्न) किसी केन्द्रीय सिविल सेवा समूह “ ग “ या किसी केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह “ घ” के किसी सदस्य के मामले में -
- (क) यदि वह भारत सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग में सेवा कर रहा है तो उस मंत्रालय या विभाग में भारत सरकार के सचिव द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी, या
- (ख) यदि वह किसी अन्य कार्यालय में सेवा कर रहा है तो उस कार्यालय के प्रधान द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी। इसका अपवाद वह स्थिति है जब उस कार्यालय का प्रधान उस प्राधिकारी से, जो उपनियम (2) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, निम्नतर पंक्ति का हो,
- (4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी -
- (क) उस दशा के सिवाय नियम 11 के खण्ड (5) से खंड (6) में विनिर्दिष्ट शास्ति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा भारतीय लेखा परीक्षा और सेवा के किसी सदस्य पर अधिरोपित की जाती है, उस नियम के खंड (5) से खंड (9) तक में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति ऐसे किसी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित नहीं की जाएगी को नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ है ;
- (ख) जहां किसी सरकारी सेवक की, जो सामान्य केन्द्रीय सेवा से भिन्न किसी सेवा का सदस्य है या जो सामान्य केन्द्रीय सेवा के किसी सिविल पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया गया है, किसी अन्य सेवा या पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त की जाती है, वहां वह

प्राधिकारी, जो नियम 11 के खंड (5) से (9) तक में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति ऐसे सरकारी सेवक पर अधिरोपित करने के लिए सक्षम है, ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं करेगा जब तक कि उसने अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी से भिन्न किसी ऐसे प्राधिकारी से परामर्श न कर लिया हो जो उक्त कोई भी शास्ति सरकारी सेवा पर अधिरोपित करने के लिए उपनियम (2) के अधीन उस स्थिति में सक्षम होता, यदि वह सरकारी सेवक ऐसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त न किया गया होता।

- (ग) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे किसी परीवीक्षाधीन अधिकारी के बारे में उक्त अकादमी का निदेशक, नियम 11 के खंड (1) और (iii) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति नियम 16 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् ऐसे परीवीक्षाधीन अधिकारी पर अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

स्पष्टीकरण 1- खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए “ परीवीक्षाधीन से किसी केन्द्रीय सिविल सेवा में परीवीक्षा पर नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2- जहां किसी सरकारी सेवक की, जो किसी वर्ग की सेवा का सदस्य है या किसी वर्ग का केन्द्रीय सिविल पद धारण किए हुए है, प्रोन्नति अगले उच्चतर वर्ग की सेवा में या केन्द्रीय सिविल पद पर, चाहे परीवीक्षा पर अस्थायी रूप में, कर दी जाती है, वहां इस नियम के प्रयोजन के लिए उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे उच्चतर वर्ग की सेवा का सदस्य है या वह ऐसे उच्चतर वर्ग का केन्द्रीय सिविल पद धारण किए है।

भारत सरकार के निर्णय :

- (1) किसी पद के वर्तमान कार्यों को निष्पादित करते हुए अधिकारी नियमों के अधीन सांविधानिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते -

किसी पद के वर्तमान कार्यों का निष्पादन करने के लिए नियुक्त किया गया अधिकारी पद के पदभार में निहित प्रशासनिक अथवा वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है किंतु वह सांविधानिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता चाहे वे शक्तियां संसद के अधिनियम (उदाहरणार्थ) आयकर अधिनियम से अथवा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों तथा उपविधियों (उदाहरणार्थ मूल नियम, वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम, सिविल सेवा विनियम, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि से सीधे ही प्राप्त होती हों।

[गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/14/61-स्थापना (क) तारीख 24-1-1963]

(2) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मुख्य आयुक्त को प्रत्यायोजित शक्तियां -

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 12 के उप नियम (2) के अनुरक्षण में, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मुख्य आयुक्त को निम्नलिखित अधिकारियों पर उक्त नियमावली के नियम 11 के खंड (ii) व खंड (iii) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए उपर्युक्त उपनियम के खंड (क) के अधीन सशक्त और खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट करते हैं :-

- (क) सामान्य केन्द्रीय सेवा से भिन्न केन्द्रीय सिविल सेवा श्रेणी का कोई भी सदस्य;
- (ख) केन्द्रीय सिविल पद श्रेणी 1 पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति जो सामान्य केन्द्रीय सेवा में शामिल किया गया है और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के अधीन सेवा कर रहा हो ।

[गृह मंत्रालय का ज्ञापन संख्या एफ 7/16/64-स्था. (क) तारीख 30.5.64]

(3) नियम 12, 14 आदि के बारे में स्पष्टीकरण -

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली 1965 के नियम 12, 14, 15 तथा 29 से संबंधित कई मुद्दे स्पष्टीकरण के लिए गृह मंत्रालय को बार-बार भेजे जाते रहे हैं । ये मुद्दे नीचे निर्दिष्ट किए जाते हैं और स्पष्टीकरण प्रत्येक के सामने दिया जाता है -

उठाए गए मुद्दे	स्पष्टीकरण
1. (क) जिन मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी राष्ट्रपति है तो क्या अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ करने से पहले मामला मंत्री को दिखाया जाना चाहिए ।	(क) कार्य संचालन नियमावली को ध्यान में रखकर यह आवश्यक है कि जिन मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी राष्ट्रपति है, अनुशासनिक कार्यवाहियों की शुरुआत मंत्री द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए ।

(ख) क्या केन्द्रीय सिविल सेवाएं(वर्गीकरण, नियंत्रण औ अपील) नियमावली के नियम 14(2), 14(4), 14(5) आदि के अधीन राष्ट्रपति के नाम में आदेश जारी करने से पहले हर बार फाइल मंत्री को दिखाना आवश्यक है ।

(ख) जब अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ करने के लिए मंत्री को कागजात प्रस्तुत किए जाते हैं, उस स्तर पर ही आरोप पत्र जारी करने संबंधी सहायक कार्रवाई करने हेतु मंत्री के आदेश प्राप्त करना पर्याप्त होगा । फिर भी नियम

15(4)(1) (ख के अधीन कारण बताओ नोटिस के समय तथा नियम 15(4) (iii) के अधीन शास्ति लगाने के अंतिम आदेश जारी करते समय मंत्री के आदेश प्राप्त कर लेने चाहिए ।

2. जब कोई सरकारी सेवक अनुशासनिक प्राधिकारी (क) से अन्य अनुशासनिक प्राधिकारी (ख) के अधीन स्थानांतरित हो जाता है और सरकारी सेवक उसी सेवा में बना रहे तो अनुशासनिक प्राधिकारी (क) द्वारा आरंभ की गई अनुशासनिक कार्रवाई का क्या होगा ?

ऐसे मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी (ख) के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध आरोप का नया विवरण तैयार करे व उसे दे तथा फिर नए सिरे से कार्यवाहियां आरंभ करे। जांच कार्यवाहियों की जिस अवस्था में अभियुक्त अधिकारी का स्थानांतरण हुआ हो वह उसी अवस्था से उक्त कार्यवाहियां आगे संचालित कर सकता है। किंतु यदि अभियुक्त अधिकारी किसी दूसरी सेवा में स्थानांतरित हो जाता है, तो केन्द्रीय सिविल सेवाएं(वर्गीकरण,नियंत्रण और अपील) नियमावली के नियम 12(4) (ख) में निर्धारित कार्यविधि का अनुपालन करना होगा ।

13. कार्यवाही संस्थित करने के लिए प्राधिकारी -

- (1) राष्ट्रपति या उसके साधारण या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया कोई अन्य प्राधिकारी-
 - (क) किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा ;
 - (ख) किसी अनुशासनिक प्राधिकारी को ऐसे किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध, जिस पर वह अनुशासनिक प्राधिकारी नियम 11 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति इन नियमों के अधीन अधिरोपित करने के लिए सक्षम है, अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के लिए निर्देश दे सकेगा ।
- (2) कोई अनुशासनिक प्राधिकारी, जो नियम 11 के खण्ड (i) में (iv) तक में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति इन नियमों के अधीन अधिरोपित करने के लिए सक्षम है, नियम 11 के खण्ड (v) से (ix) तक में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही इस बात के होते हुए भी संस्थित कर सकेगा कि अनुशासनिक प्राधिकारी पश्चात् कथित कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए, इन नियमों के अधीन, सक्षम नहीं है ।

भाग VI

शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया -

14. बड़ी शास्तियां अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया -

- (1) नियम 11 के खण्ड (v) (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि जांच, जहां तक संभव हो, इस नियम में और नियम 15 में उपबंधित रीति से या जहां ऐसी जांच लोक सेवक (जांच अधिनियम, 1850 (1850 का 37) क अधीन की जाती है, उस अधिनिस्थ द्वारा उपबंधित रीति से, न कर ली जाए ।
- (2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अवचार या कदाचार के किसी लांछन की सत्यता के बारे में जांच करने के लिए आधार हैं

तो वह स्वयं जांच कर सकेगा या तत्संबंधी सत्यता की जांच के लिए किसी प्राधिकारी की नियुक्ति, यथास्थिति, इस नियम के अधीन या लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 के उपबंधों के अधीन कर सकेगा।

परन्तु जहां केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1964 के नियम 3 ग के अर्थ के भीतर यौन उत्पीड़न की शिकायत हो, तो ऐसी शिकायतों की जांच के लिए प्रत्येक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय में स्थापित शिकायत समिति को इन नियमों के प्रयोजनार्थ अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी माना जाएगा और यदि यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायत समिति के लिए अलग से प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, तो जहां तक व्यवहार्य हो, शिकायत समिति इन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगी।

स्पष्टीकरण - जहां अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है, वहां उपनियम (7) से उपनियम 20) तक में और उपनियम (22) में जांच प्राधिकारी के प्रति किए गए किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति किया गया निर्देश है।

(3) जहां इस नियम और नियम 15 के अधीन किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई जांच करने की प्रस्थापना की जाती है, वहां अनुशासनिक प्राधिकारी निम्नलिखित को लेखबद्ध करेगा या कराएगा, अर्थात् -

- (i) अवचार या कदाचार के लांछनों के सार का निश्चित और सुस्पष्ट आरोप ब्यौरा ;
- (ii) आरोप के प्रत्येक ब्यौरे के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछन का विवरण जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी -
 - (क) सब सुसंगत तथ्यों का जिनके अंतर्गत सरकारी सेवक द्वारा की गई स्वीकृति या संस्वीकृति भी है, विवरण
 - (ख) ऐसे दस्तावेजों की एक सूची जिनसे और ऐसे शक्तियों की एक सूची जिनके द्वारा आरोप के ब्यौरे को प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है।
- (4) अनुशासनिक प्राधिकारी, सरकारी सेवक को, आरोप के ब्यौरों की, अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की ओर उन दस्तावेजों और साक्षियों की, जिनसे या जिनके द्वारा

प्रत्येक ब्यौरे को प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित हो, एक प्रति परिदत्त करेगा या कराएगा और सरकारी सेवक से यह उपेक्षा करेगा कि वह अपने प्रतिरक्षा का एक लिखित कथन उतने समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करेगा तथा यह बताए कि वह व्यक्तिगत रूप से सुने जाने का इच्छुक है या नहीं ।

- (5)(क) प्रतिरक्षा के लिखित कथन की प्राप्ति पर अनुशासनिक प्राधिकारी आरोपों के उन ब्योरो की, जो स्वीकार नहीं किए गए हैं, जांच स्वयं कर सकेगा या यदि वह आवश्यक समझे तो उपनियम (2) के अधीन जांच अधिकारी की इस प्रयोजन के लिए नियुक्ति कर सकेगा और जहां सरकारी सेवक ने रक्षा के अपने लिखित कथन में आरोप के सभी ब्यौरों को स्वीकार कर लिया है, वहां अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसा साक्ष्य जो वह ठीक समझे, लेने के पश्चात् प्रत्येक आरोप के संबंध में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और नियम 15 में अधिकथित रीति से कार्य करेगा ।
- (ख) यदि सरकारी सेवक ने रक्षा का कोई लिखित कथन पेश न किया हो तो अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के ब्यौरों की जांच स्वयं कर सकेगा या यदि वह आवश्यक समझे तो उपस्थित (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए एक जांच प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा ।
- (ग) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी आरोपों के किसी ब्यौरे की जांच स्वयं करता है या ऐसे आरोप की जांच करने के लिए कोई जांच प्राधिकारी नियुक्त करता है, वहां वह आरोप के ब्यौरों के समर्थन में अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी सरकारी सेवक या विधि- व्यवसायी को आदेश द्वारा नियुक्त कर सकेगा, जो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहलाएगा ।
- (6) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं हैं वहां वह जांच प्राधिकारी को निम्नलिखित भेजेगा, अर्थात् -
- (i) आरोप के ब्यौरों की ओर अवचार या कदाचार के विवरण की एक प्रति ;
 - (ii) सरकारी सेवक द्वारा पेश किए गए प्रतिरक्षा के लिखित कथन की, यदि कोई हो, एक प्रति ;
 - (iii) उपनियम (3) में निर्दिष्ट साक्षियों के कथनों की, यदि कोई हो, एक प्रति ;
 - (iv) उपनियम (3) में निर्दिष्ट दस्तावेजों का सरकारी सेवक को परिदान साबित करने वाला साक्ष्य ;

- (v) “प्रस्तुतकर्ता अधिकारी “ की नियुक्ति के आदेश की एक प्रति ।
- (7) सरकारी सेवक आरोप के ब्यौरों और अवचर या कदाचार के लांछनों के विवरण की प्राप्ति की तारीख से दस कार्य दिवसों के भीतर उस दिन और उस समय जो जांच प्राधिकारी लिखित सूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, या दस दिन से अनधिक ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो जांच प्राधिकारी अनुज्ञात करे , जांच प्राधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होगा ।
- (8) (क) सरकारी सेवक अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी ऐसे अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकेगा जो उसके मुख्यालय के स्थान पर अथवा जांच के स्थान पर किसी कार्यालय में नियुक्त हो किंतु इस प्रयोजन के लिए किसी विधि व्यवसायी को तब तक नियुक्त नहीं कर सकेगा जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी विधि व्यवसायी न हो या अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिलब्धियों का ध्यान में रखते हुए ऐसी अनुज्ञा न दे दे ।

परंतु सरकारी सेवक किसी अन्य स्थान पर नियुक्त अन्य सरकारी सेवक की सहायता तभी ले सकता है जबकि जांच अधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर और लिखित कारण देकर ऐसी अनुमति दे दे ।

टिप्पणी :- सरकारी सेवक ऐसे किसी अन्य सरकारी सेवक की सहायता नहीं लेगा जिनके पास अनुशासन संबंधी ऐसे तीन लंबित मामले हों जिनमें उसे सहायता करनी है।

(ख) सरकारी सेवक अपनी ओर से मामला पेश करने के लिए किसी सेवा निवृत्त सरकारी सेवक की भी सहायता उन शर्तों के अधीन रहते हुए ले सकेगा जिन्हें राष्ट्रपति साधारण या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें ।

- (9) यदि सरकारी सेवक, जिसने आरोप के ब्यौरों में से किसी को प्रति रक्षा के अपने लिखित कथन में स्वीकार नहीं किया है या प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया है जांच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो तो ऐसा प्राधिकारी उससे पूछेगा कि क्या वह दोषी है या कोई प्रतिवाद पेश करना चाहता है और यदि वह आरोप के ब्यौरो में से किसी के दोषी होने का अभिवचन करता है जो जांच प्राधिकारी उसका अभिवचन अभिलिखित करेगा, उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा और सरकारी सेवक के उस पर हस्ताक्षर लेगा ।

(10) जांच प्राधिकारी आरोप के उन व्यौरों के बारे में जिनके दोषी होने का अभिवचन सरकारी सेवक करता है, दोषिता के निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ।

(11) यदि सरकारी सेवक विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित नहीं होता है या अभिवचन करने से इंकार या उसका लोप करता है तो जांच प्राधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसा साक्ष्य पेश करे जिसके आधार पर वह आरोप साबित करने की प्रस्तावना करता है और मामले को तीस दिन से अनधिक कि किसी पश्चातवर्ती तारीख के लिए यह आदेश अभिलिखित करने के पश्चात् स्थगित करेगा कि सरकारी सेवक अपना प्रतिवाद तैयार करने के प्रयोजन के लिए -

(i) आदेश की तारीख से पांच दिन के भीतर या पांच दिन से अनधिक ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो जांच प्राधिकारी अनुज्ञात करें, उन दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा जो उप नियम (3) में निर्दिष्ट सूची में विनिर्दिष्ट है ;

(ii) उन साक्षियों की, जिनकी परीक्षा उसकी ओर से की जानी है, एक सूची प्रस्तुत कर सकेगा ;

टिप्पणी -

यदि सरकारी सेवक उपनियम (3) में निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित साक्षियों के कथनों की प्रतियां दी जाने के लिए मौखिक या लिखित रूप में निवेदन करे तो जांच प्राधिकारी उसे ऐसी प्रतियां यथासंभव शीघ्र देगा और किसी भी दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से साक्षियों की परीक्षा के प्रारंभ होने से कम से कम तीन दिन पूर्व दे देगा ।

(iii) आदेश की तारीख से दस दिन के भीतर या दस दिन से अनधिक के ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो जांच प्राधिकारी अनुज्ञात करे, किन्हीं ऐसे दस्तावेजों के, जो सरकार के कब्जे में हैं किन्तु जिनका उल्लेख उपनियम (3) में निर्दिष्ट सूची में नहीं है, प्रकट या पेश करने के लिए सूचना दे सकेगा ।

टिप्पणी -

सरकारी सेवक उन दस्तावेजों की संसूचना उपदर्शित करेगा जिनकी वह सरकार द्वारा प्रकट या पेश किए जाने की उपेक्षा करता है ।

- (12) जांच प्राधिकारी, दस्तावेजों को प्रकट या पेश करने की सूचना प्राप्त होने पर इस सूचना को या उसकी प्रतिलिपियों को उस प्राधिकारी के पास जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे रहते हैं, इस अध्यपेक्षा के साथ भेजेगा कि वह दस्तावेज ऐसी तारीख तक, जो ऐसी अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट की जाए, पेश करे :

परंतु जांच प्राधिकारी, उन कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे, ऐसे दस्तावेजों की अध्यपेक्षा करने से इंकार कर सकता है जो उसकी राय में मामले में सुसंगत नहीं है।

- (13) उपनियम (12) में निर्दिष्ट अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर ऐसा प्रत्येक प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अध्यपेक्षित दस्तावेज है, उन दस्तावेजों की जांच प्राधिकारी के समक्ष पेश करेगा -

परंतु यदि उस प्राधिकारी का, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अध्यपेक्षित दस्तावेज है, यह समाधान हो जाए कि ऐसे सभी दस्तावेजों का या उनमें से किन्हीं दस्तावेजों का पेश किया जाना लोक हित या राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध होगा तो वह उन कारणों से जो उसके अभिलिखित किए जाएंगे, जांच प्राधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा और इस प्रकार सूचित किए जाने पर जांच प्राधिकारी ऐसी सूचना सरकारी सेवक को संसूचित करेगा और ऐसे दस्तावेजों के प्रकट या पेश किए जाने के लिए की गई अध्यपेक्षा को वापस ले लेगा।

- (14) जांच के लिए नियत तारीख को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से ऐसा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया जाएगा जिसके द्वारा आरोप के ब्यौरे साबित किए जाने हैं। प्रस्तुर्तकता प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से साक्षियों की परीक्षा की जाएगी और सरकारी सेवक द्वारा या उसकी ओर से उनकी प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी। प्रस्तुर्तकता अधिकारी को साक्षियों को उनमें से किसी भी विषय पर पुनः परीक्षा का हक होगा, जिन पर उनकी प्रतिपरीक्षा की गई है किंतु उसे जांच अधिकारी की अनुमति के बिना किसी नए विषय पर पुनः परीक्षा करने का हक नहीं होगा। जांच प्राधिकारी भी साक्षियों से ऐसे प्रश्न कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे।

- (15) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामले की सुनवाई पूरी हो जाने से पूर्व जांच प्राधिकारी को आवश्यक प्रतीत होता है तो वह स्वविवेकानुसार प्रस्तुर्तकता अधिकारी को ऐसा साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा दे सकेगा जो सरकारी सेवक को दी गई सूची में सम्मिलित नहीं है या स्वयं नया साक्ष्य मांग सकेगा या किसी साक्षी को पुनः बुला सकेगा और उसकी पुनः परीक्षा कर सकेगा और ऐसी दशा में, यदि सरकारी सेवक ऐसी मांग करे

तो वह उस अतिरिक्त साक्ष्य की, जो आगे पेश किया जाना हो, सूची की एक प्रति प्राप्त करने का और ऐसे नए साक्ष्य के पेश किए जाने के पूर्व तीन दिन के लिए जांच स्थगित करने का हकदार होगा। इन पूरे तीन दिनों में स्थगन का दिन और वह दिन जिसके लिए जांच स्थगित की गई है, सम्मिलित नहीं होगा। जांच प्राधिकारी दस्तावेजों के अभिलेख में सम्मिलित कराने से पूर्व सरकारी सेवक को उनका निरीक्षण करने का अवसर देगा। यदि जांच प्राधिकारी की यह राय हो कि न्याय के हित में नए साक्ष्य का पेश किया जाना आवश्यक है तो सरकारी सेवक के भी नया साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

टिप्पणी - साक्ष्य की किसी कमी को पूरा करने के उद्देश्य से किसी को नए साक्ष्य पेश करने की न तो अनुज्ञा दी जाएगी, न मांग की जाएगी और न किसी साक्षी को पुनः बुलाया जाएगा। ऐसे साक्ष्य की मांग केवल उसी दशा में की जा सकेगी जब मूलतः पेश किए गए साक्ष्य में कोई अन्तर्निहित कमी या त्रुटि हो।

- (16) जब अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामला बंद हो जाए, तब सरकारी सेवक से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपना प्रतिवाद मौखिक या लिखित, जैसा वह चाहे कथित करें। यदि प्रतिवाद का कथन मौखिक लिया जाए तो उसे अभिलिखित किया जाएगा और सरकारी सेवक से अभिलेख पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी। दोनों ही दशाओं में प्रतिवाद के कथन की एक प्रति प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को, यदि नियुक्त किया गया हो, दी जाएगी।
- (17) इसके पश्चात् सरकारी सेवक की ओर से साक्ष्य पेश किया जाएगा। यदि सरकारी सेवक अपनी ओर से स्वयं अपनी परीक्षा करना चाहे तो वह ऐसा कर सकेगा। तत्पश्चात् सरकारी सेवक द्वारा पेश किए गए साक्षियों की परीक्षा की जाएगी और उनकी प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा तथा परीक्षा जांच प्राधिकारी द्वारा उपबंधों के अनुसार की जा सकेगी जो अनुशासनिक प्राधिकारी के साक्षियों को लागू होते हैं।
- (18) सरकारी सेवक की ओर से मामले की सुनवाई पूरी हो जाने के पश्चात् जांच प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए कि सरकारी सेवक साक्ष्य में अपने विरुद्ध प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देने में समर्थ हो सके, साक्ष्य में सरकारी सेवक के विरुद्ध प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों के बारे में उससे सामान्यतः प्रश्न कर सकेगा और यदि सरकारी सेवक ने स्वयं अपनी परीक्षा नहीं की है तो जांच प्राधिकारी ऐसा अवश्य करेगा।

- (19) साक्ष्य की पेशी पूरी हो जाने के पश्चात् जांच प्राधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को, यदि कोई नियुक्त किया गया हो और सरकारी सेवक को सुन सकेगा या उन्हें अपने अपने मामले में लिखित पक्षपत्र यदि वे चाहे तो, दाखिल करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।
- (20) यदि सरकारी सेवक, जिसे आरोप के ब्यौरों की प्रति परिदत्त की जा चुकी है, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख या उससे पूर्व प्रतिवाद का लिखित कथन प्रस्तुत नहीं करता है अथवा जांच प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है अथवा इस नियम के उपबंधों के अनुपालन में असफल रहता है या अनुपालन से इंकार करता है तो जांच प्राधिकारी एक पक्षीय जांच कर सकेगा ।
- (21)(क) जहां उस अनुशासनिक प्राधिकारी ने, जो नियम 11 के खण्ड (I) से (IV) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम है (किंतु नियम 11 के खण्ड (V) से खण्ड (IX) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं है) किसी आरोप के ब्यौरों की जांच स्वयं की हो या कराई हो और उस प्राधिकारी की अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, या किसी जांच प्राधिकारी के जिसे उसने नियुक्त किया हो, निष्कर्षों में से किसी पर अपने विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए यह राय हो कि नियम 11 के खण्ड (V) से (IX) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियां सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए, वहां यह प्राधिकारी जांच का अभिलेख उस अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा जो अंतिम उल्लिखित शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम है ।
- (ख) वह अनुशासनिक प्राधिकारी, जिसको अभिलेख इस प्रकार भेजे गए हों, अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकेगा या यदि उसकी यह राय हो कि साक्षियों में से किसी साक्षी की अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह उस साक्षी को पुनः बुला सकेगा और उसकी परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकेगा और सरकारी सेवक पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जैसी वह इन नियमों के अनुसार ठीक समझे ।
- (22) किसी जांच में संपूर्ण साक्ष्य को या उसके किसी भाग को सुनने तथा अभिलिखित करने के पश्चात् जब भी किसी जांच प्राधिकारी की अधिकारिता समाप्त हो जाए और उसके स्थान पर कोई अन्य ऐसा जांच प्राधिकारी पद ग्रहण कर ले जिसे ऐसी अधिकारिता प्राप्त हो और जो उसका प्रयोग करता हो तो इस प्रकार स्थान ग्रहण करने वाला उत्तरवर्ती जांच प्रयोग करता हो तो इस प्रकार स्थान ग्रहण करने वाला उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती

द्वारा अभिलिखित अथवा भागतः अपने पूर्ववर्ती द्वारा और भागतः स्वयं द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर आगे कार्रवाई कर सकेगा ;

परंतु यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी की यह राय हो कि उन साक्षियों में से जिनका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है , किसी की आगे परीक्षा न्याय के हित में आवश्यक है तो वह ऐसे किसी भी साक्षी को यथा पूर्व उपबंधित रूप में, पुनः बुला सकेगा तथा उसकी परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनःपरीक्षा कर सकेगा ।

23 (i) जांच पूरी हो जाने के पश्चात् एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे -

- (क) आरोप के ब्यौरे तथा अवचार या कदाचार के लांछनों का कथन ;
- (ख) आरोप के प्रत्येक ब्यौरे की बाबत सरकारी सेवक का प्रतिवाद ;
- (ग) आरोप के प्रत्येक ब्यौरे की बाबत साक्ष्य का निर्धारण ; तथा
- (घ) आरोप के प्रत्येक ब्यौरे की बाबत निष्कर्ष तथा निष्कर्ष के कारण ।

स्पष्टीकरण - यदि जांच प्राधिकारी की राय में जांच कार्यवाही से मूल आरोप-ब्यौरे से भिन्न कोई अन्य आरोप-ब्यौरा सिद्ध होता है तो वह आरोप के ऐसे ब्यौरे की बाबत अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा ;

परंतु आरोप के ऐसे ब्यौरों की बाबत कोई निष्कर्ष तब तक अभिलिखित नहीं किए जाएंगे जब तक कि या तो सरकारी सेवक उपलब्धियों को, जिन पर ऐसे आरोप का ब्यौरा आधारित है, स्वीकार न कर ले अथवा जब तक कि उसे आरोपों के उन ब्यौरों के विरुद्ध अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए।

(ii) जांच प्राधिकारी, जहां वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है अनुशासनिक प्राधिकारी को जांच का अभिलेख भेजेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे -

- (क) उसके द्वारा खंड (1) के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट ;
- (ख) सरकारी सेवक द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवाद का लिखित कथन, यदि कोई हो;

- (ग) जांच के दौरान पेश किया गया मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य,
- (घ) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अथवा सरकारी सेवक द्वारा अथवा दोनों के द्वारा जांच के दौरान दाखिल किए गए लिखित पक्ष पत्र, यदि कोई हो; और
- (ङ.) अनुशासनिक प्राधिकारी तथा जांच प्राधिकारी द्वारा जांच की बाबत किए गए आदेश, यदि कोई हो।

भारत सरकार के निर्णय :-

- (1) अनुशासन के मामलों के निपटान में प्रक्रिया संबंधी विलंब न होने देने के बारे में अनुदेश -

अपचारी सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियों के निपटान में तथा उन मामलों में जिनमें अभियुक्त व्यक्ति तकनीकी तथा प्रक्रियागत आधार पर वांछित दण्ड से अंततः बच निकलते हैं, विलंब होने के बारे में संसद में तथा संसदीय समितियों में बार-बार उल्लेख होता रहा है। आम राय यह है कि निर्धारित क्रियाविधि बहुत जटिल है और कुछ अधिक सरल तथा संक्षिप्त क्रियाविधि अपनाए जाने की आवश्यकता है।

2. सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद गृह मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि यह राय पूर्णतः उचित नहीं है। केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली के नियम 14 में निर्धारित क्रियाविधि उन्हीं मामलों में लागू होती है जिनमें आरोप इतने गंभीर हैं कि मुख्य शास्ति (अर्थात् बर्खास्तगी, निष्कासन अथवा रैंक घटाना आदि) अपेक्षित है (कम गंभीर मामलों के लिए मात्र संक्षिप्त क्रियाविधि पहले से विद्यमान है)। उक्त नियम 14 के उपबंधों का उद्देश्य न्याय के हितकर सिद्धांतों तथा लोक नीति का अनुपालन सुनिश्चित करना है। जो संविधान के अनुच्छेद 311 में भी सम्मिलित है अर्थात् किसी भी व्यक्ति को अपने बचाव का उचित अवसर दिए बिना दोषी न ठहराया जाए अथवा दण्ड न दिया जाए। अतः निर्धारित क्रियाविधि में यह अपेक्षित है कि अभियुक्त अधिकारी को लिखित रूप में आरोपों के बारे में सही-सही बताया जाए कि उसने कौन सा अपराध किया है और ये अपराध किस मौखिक या लिखित साक्ष्य पर आधारित हैं और उसे यह अवसर दिया जाए कि वह लिखित साक्ष्य की जांच कर सके और जुबानी साक्ष्य की जिरह द्वारा बेंच जांच कर सके तथा अपने बचाव पक्ष में जो भी साक्ष्य देना चाहे वह प्रस्तुत कर सके। यदि जांच के फलस्वरूप यह निर्णय किया जाता है कि अधिकारी को बर्खास्त अथवा निष्कासित किया जाना चाहिए अथवा उसका रैंक घटाया जाना चाहिए तो उसे वास्तविक

प्रस्तावित दण्ड के बारे में कारण बताए जाने का एक और अवसर दिया जाए । यदि ऐसा उपयुक्त अवसर देने से इंकार किया गया है जिसकी गारंटी अनुच्छेद 311 में दी गई है ।

3. किंतु इन न्यूनतम आवश्यकताओं में ऐसी बात नहीं है जिनसे कार्यवाहियां अनुचित लंबी हो जाएं अथवा अपराधी को न्यायसंगत सजा देने में असफलता देखनी पड़े । विभागीय जांच करने वाले अधिकारी को राज्य के हित तथा अपराधी को न्याय के परिवर्तन के बीच समता बनाए रखनी पड़ती है । उसे यह छूट है कि मामले के तथ्य तथा परिस्थितियों के प्रति दायित्वपूर्ण, उचित तथा विवेकपूर्ण मत अपनाए और वह ऐसे जटिल प्रतिबंधों से बाध्य नहीं है जो साक्ष्य की अवज्ञेयता तथा सबूत की मात्रा के बारे में आपराधिक न्यायालयों के सम्मुख अभियोजन के लिए लागू होते हैं बशर्ते कि जांच अधिकारी आवश्यक समय दे और प्रयत्न करे, अपना ध्यान विषय की मुख्य बातों पर केंद्रित करे और अभियुक्त अधिकारी द्वारा विसंगति पैदा करने के किसी प्रयत्न अथवा जानबूझकर विलंबकारी प्रवृत्तियां अपनाने का सख्ती से विरोध करें तो ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि निर्धारित क्रियाविधि से हटे बिना सभी मामलों में संतोषप्रद तथा शीघ्र निपटान न हो ।

4. अनावश्यक विलंब तथा दोषपूर्ण निपटान में सहायक होने वाले विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं -

- (i) विभागीय जांच करने वाला अधिकारी अन्य कार्यों में पहले ही इतना व्यस्त हो कि वह काफी समय के बाद एक बार में कुछ घंटे ही जांच के लिए दे सके ।
- (ii) क्रियाविधि से अनभिज्ञता अथवा विभागीय जांच तथा आपराधिक न्यायालय में विचारण के बीच अपर्याप्त मूल्यांकन के कारण अति विस्तार देना अथवा विलंबकारी प्रवृत्तियों के साथ निपटने में कड़ाई का अभाव ।
- (iii) कभी-कभी परिहार्य विलंब उस चरण पर भी हो सकता है जबकि जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और समुचित प्राधिकारियों को यह फैसला करना हो कि क्या निष्कर्षों को स्वीकार करना है और यदि हां तो दण्ड किस स्वरूप का होगा ।
- (iv) जब नियमों के अधीन संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो तो आयोग को पत्र लिखने में और आयोग द्वारा मामले पर विचार करने में कुछ अनुचित विलंब हो सकता है ।

5. जहां तक उपर्युक्त (1) तथा (2) पर उल्लिखित घटकों का संबंध है गृह मंत्रालय ने अधिक महत्वपूर्ण विभागीय कार्यवाहियों की जांच के लिए अलग से प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किए

जाने की व्यवहार्यता पर विचार किया है। यद्यपि ऐसे निकायों ने उत्तर प्रदेश तथा मद्रास राज्यों में संतोषप्रद ढंग से कार्य किया है तो भी यह महसूस किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार का तंत्र इतना विस्तृत तथा व्यापक रूप से फैला हुआ है कि इसी प्रकार के प्रयोग पर किए गए व्यय का औचित्य देना कठिन होगा। अत्यधिक पेचीदगी अथवा महत्वपूर्ण मामलों में सरकार को हमेशा यह छूट होगी कि वह विशेष जांच समितियों का गठन करे अथवा लोक सेवक जांच अधिनियम 1850 का सहारा ले। अन्य सभी विभागीय जांचों के लिए अत्यधिक व्यस्तता के कारण अथवा क्रियाविधि की जानकारी न होने के कारण होने वाले विलंब से निम्नलिखित उपायों का अनुपालन करके आसानी से बचा जा सकता है -

- (i) प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग में उत्पन्न होने वाली सभी विभागीय जांचों के संचालन के प्रयोजन के लिए मंत्रालयविभाग के समुचित स्तर के एक विशिष्ट अधिकारी अथवा अधिकारियों को नामित किया जाए।
- (ii) जैसे ही ऐसी जांच करने का अवसर आता है तो नामित अधिकारी को यथा अपेक्षित सीमा तक अपने सामान्य कार्यभार से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा ताकि वह जांच को पूरा करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में पूर्ण रूप तथा सावधानीपूर्वक ध्यान दे सके। इस दौरान अधिकारी को जिस कार्य से कार्यमुक्त किया गया है वह कार्य अन्य अधिकारियों में बांट दिया जाए।
- (iii) नामित अधिकारी को चाहिए कि वह नियमों तथा अनिवार्य क्रियात्मक आवश्यकताओं का पता स्वयं लगाएं और विभागीय जांच तथा आपराधिक न्यायालयों में विचारण के बीच अंतर को समझे। गृह मंत्रालय के साथ अपना निकट संपर्क बनाने से वह उत्पन्न होने वाले किसी संदेह अथवा कठिनाईयों का शीघ्रता से समाधान कर सकेगा।

6. जहां तक पैरा 4 के (iii) तथा (iv) में उल्लिखित विलंब के कारणों का संबंध है निम्नलिखित उपाय करने से काफी प्रगति होगी यदि - (क) सभी संबंधितों पर यह दबाव डाला जाए कि लोक हित तथा मानवीय दृष्टिकोण दोनों को ही ध्यान में रखकर यह मांग करना आवश्यक है कि अनुशासनिक मामलों के निपटान में कोई अनावश्यक विलंब न हो; और (ख) ऐसे मामलों को उचित प्राथमिकता देने में किसी भी असफलता को ड्यूटी के प्रति लापरवाही माना जाए और इस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

[गृह मंत्रालय का तारीख 4.10.1952 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 39/40/52- स्थापना]

(2) अनुशासनिक कार्यवाहियों के संबंध में वेतन आयोग की सिफारिशें और उन पर भारत सरकार के आदेश -

वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय 51 में अनुशासनिक कार्यवाहियों के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

- i) सभी अभ्यावेदन आदि तथा अपीलें, जो बड़ी शास्ति अधिरोपित करने के विरुद्ध केन्द्र सरकार को प्राप्त होती हैं, का निपटान केवल लोक सेवा आयोग के परामर्श से करना चाहिए ।
- ii) विहित परिस्थितियों के अधीन अपीलों, अभ्यावेदनों या याचिकाओं को रोकने की शक्ति का प्रयोग उस आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पारित करने वाले प्राधिकारी से उच्च प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए ।
- iii) अनुशासनिक जांच, जिस सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही चल रही उसके तत्काल वरिष्ठ या उस अधिकारी द्वारा नहीं की जानी चाहिए जिनके कहने पर जांच आरंभ की गई थी ।

इन सिफारिशों की सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की गई तथा सरकार जिन निष्कर्षों पर पहुँची वे अनुवर्ती पैराग्राफों में दिए गए हैं ।

2. भारत सरकार ने यह नोट किया कि वेतन आयोग ने टिप्पणी की कि उसके पास उपलब्ध सूचना में यह सुझाव बिल्कुल नहीं है कि अनुशासनिक कार्यवाही बहुत अधिक मामलों में की गई है या बड़ी शास्तियां बहुत स्वच्छन्दता से अधिरोपित की गई हैं या अपीलों और अभ्यावेदनों पर लापरवाही से विचार किया गया है । यह विचार किया गया है कि उपर्युक्त (i) सिफारिश को स्वीकार करने से संघ लोक सेवा आयोग का काम काफी बढ़ जाएगा । इससे अनुशासनिक मामलों को पूरा करने में भी विलंब होगा जो कि लोक सेवा के हित में और न ही सरकारी कर्मचारी के हित में होगा । अतः विद्यमान प्रक्रिया में कोई परिवर्तन न करने का निर्णय किया गया है ।

3. जहां तक (ii) के अधीन की गई सिफारिश का संबंध है, गृह मंत्रालय के दिनांक 8 सितंबर, 1954 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 40/5/50-स्था. (ख) में दिए गए अनुदेशों में राष्ट्रपति को याचिकाएं और अभ्यावेदन आदि भेजने के लिए प्रक्रिया निर्धारित है । इन अनुदेशों में याचिकाएं आदि रोकने की शक्ति केवल उच्च प्राधिकारियों जैसे सरकार के सचिवों और विभागाध्यक्षों को दी गई है । अपील केवल विहित परिस्थितियों में रोकी जा सकती है ।

अपीलकर्ता को तथ्यों की सूचना देनी आवश्यक है तथा अपील रोकने के कारण अपीलीय प्राधिकारी को भेजना आवश्यक है और रूकी अपील की सूची देते हुए तिमाही विवरणी अपीलीय प्राधिकारी को भेजनी आवश्यक है। ये अपीलों को अनुचित रूप से रोकने के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय है।

यह विचार किया गया है कि इन अनुदेशों और नियमों में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, याचिकाओं, अभ्यावेदनों और अपीलों पर विचार करने वाले प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उदार भावना से अनुदेशों और नियमों को लागू करें तथा आपवादिक मामले, जिनमें प्रतिकूल कार्रवाई के लिए औचित्य प्रकट हो जाए, को छोड़कर किसी अपील, प्रतिवेदन, याचिका या अभ्यावेदन को सामान्यतः रोकना नहीं चाहिए।

4. जहां तक सिफारिश (iii) का संबंध है, यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है कि केवल निष्पक्ष अधिकारियों को ही विभागीय कार्यवाहियों में जांच अधिकारियों के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि जांच करने वाला अधिकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारी न हो किंतु नियमानुसार जो व्यक्ति इस कार्य को करता है उस पर ऐसे मामलों में किसी पूर्वाग्रह का संदेह नहीं होना चाहिए। संबंधित प्राधिकारियों को अनुशासनिक मामले में जांच अधिकारी नियुक्त करने से पहले इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए।

[गृह मंत्रालय का तारीख 16 फरवरी, 1961 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 6(26)/60-स्थापना(क)]

(3) अपचारी कर्मचारी को दस्तावेजों की प्रतियां देना -

प्रायः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या विभागीय जांच से सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के मांगने पर किसी विशेष दस्तावेज या दस्तावेजों का सेट उसे उपलब्ध करवाना चाहिए या नहीं और इस प्रश्न का निर्णय होने तक संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा लिखित विवरण प्रस्तुत करने में कुछ मामलों में महीनों का विलंब हो जाता है। इस तथ्य तथा भारत सरकार बनाम रायजादा त्रिलोक नाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय को ध्यान में रखते हुए जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट और जांच के दौरान रिकार्ड किए गए विवरणों जैसे दस्तावेजों की प्रतियां न भेजना संविधान के अनुच्छेद 311 (2) का उल्लंघन माना जाता है। इसलिए अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियमावली के नियम 5 के उप-नियम 4 अथवा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण तथा अपील) नियमावली के नियम 15 के उपनियम 3 के अधीन सरकारी कर्मचारी सरकारी रिकार्डों को प्राप्त करने का हकदार हैं तथा सरकारी रिकार्डों तक पहुँच की सीमा के पूर्ण प्रश्न की जांच विधि मंत्रालय के परामर्श से की गई है।

2. सरकारी रिकार्डों को प्राप्त करने का अधिकार असीमित नहीं है, यह सरकार पर निर्भर है कि वह ऐसे रिकार्ड देने से मना कर दे जो उसकी राय में मामले से संबंध नहीं हैं या ऐसे रिकार्ड प्राप्त करने को अनुमति देना लोक हित में वांछनीय नहीं है। फिर भी, सरकारी रिकार्डों को देने से मना करने के अधिकार का प्रयोग कम करना चाहिए, सम्बद्धता के प्रश्न को बचाव के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और यदि बचाव की कोई संभावना हो जिसके लिए दस्तावेज किसी भी प्रकार से संबंध हो सकते हैं चाहे अनुरोध करते समय संबद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी को स्पष्ट न हो, फिर भी सरकारी रिकार्डों को प्राप्त करने के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। सरकारी रिकार्ड उपलब्ध न कराने के अधिकार का प्रयोग केवल लोक हित के आधार पर तभी करना चाहिए जब यह विश्वास करने का उचित तथा पर्याप्त आधार हो कि ऐसा करना लोक हित में ठीक नहीं होगा। सरकारी रिकार्ड को उपलब्ध न कराने के मामले कम होने की संभावना है और यदि जांच की जानी हो और यदि दस्तावेज को आरोप के प्रमाण में प्रस्तुत करना अभीष्ट हो और यदि ऐसे दस्तावेज को जांच अधिकारी के समक्ष पेश करने का प्रस्ताव हो तो सामान्यतः सरकारी रिकार्ड उपलब्ध कराने से इंकार करने का अवसर इस आधार पर उत्पन्न नहीं होगा कि यह लोकहित में नहीं है। इस बात को भी याद रखना होगा कि उस समय गंभीर कठिनाई उत्पन्न हो जाती है जब न्यायालय अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की मनाही की यथातथ्यता के अस्वीकार कर देता है। यदि किसी मामले में रिकार्ड उपलब्ध कराने से इंकार करने का निर्णय किया जाता है तो इंकार करने के अकाट्य और ठोस कारण देने चाहिए और निरपवाद रूप से लिखित में रिकार्ड करने चाहिए।

3. विभागीय जांच में अन्तर्गस्त सरकारी कर्मचारी प्रायः निम्नलिखित सरकारी रिकार्डों को प्राप्त करने या इनकी प्रतियां प्रस्तुत करने की मांग करते हैं -

- (1) दस्तावेज, जिसका उल्लेख आरोप पत्र में किया गया है।
- (2) दस्तावेज तथा रिकार्ड, जिनका उल्लेख आरोप पत्र में नहीं किया गया किंतु जिसे संबंधित सरकारी कर्मचारी अपने बचाव के प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझता है।
- (3) (क) विभाग द्वारा की गई प्रारंभिक जांच, या
- (ख) पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान रिकार्ड किए गए गवाहों का बयान
- (4) तथ्यों का पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करने के लिए नियुक्त अधिकारी द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी सहित सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट।

(5) पुलिस द्वारा जांच के पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकारी सहित सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट ।

(4) दस्तावेजों की सूची, जिस पर आरोप का सिद्ध होना निर्भर करना है तथा आरोप पत्र में उल्लिखित तथ्य आरोप लगाते समय तैयार करने चाहिए । इससे आरोप पत्र तामील करने और लिखित विवरण को प्रस्तुत करने के बीच में सामान्यतः उत्पन्न विलंब प्रसंगवश कम हो जाएगा। सूची में सामान्यतः प्रथम सूचना रिपोर्ट जैसे दस्तावेज शामिल होंगे यदि रिकार्ड में है तो अनाम या छद्मनाम से की गई शिकायतें, जिनके आधार पर जांच आरंभ की गई थी, सूची में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार तैयार की गई सूची अधिकारियों को आरोप पत्र साथ या तत्पश्चात् यथासम्भव शीघ्र भेजनी चाहिए । अधिकारी को, यदि वह चाहता है, तो सूची के उल्लिखित दस्तावेजों को देखने की अनुमति देनी चाहिए ।

(5) यदि अधिकारी सूची में शामिल किए गए रिकार्डों से अतिरिक्त किसी सरकारी रिकार्ड को उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध करता है तो सामान्य अनुरोध को उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित तथ्य को ध्यान में रखकर स्वीकार करना चाहिए ।

6. इसमें कोई संशय नहीं है कि सरकारी कर्मचारी की विभिन्न सरकारी रिकार्ड जिनका उल्लेख आरोप पत्र में किया गया है और वे दस्तावेज तथा रिकार्ड जिन्हें संबंधित कर्मचारी अपने बचाव के प्रयोजन के लिए संगत समझता है, उपलब्ध कराए जाने चाहिए, भले संगतता अनुशासनिक प्राधिकारी को स्पष्ट न हो, तो भी कभी-कभी यह शंका उत्पन्न होती है कि क्या सरकारी रिकार्डों में उपर्युक्त पैरा 3 की मद 4 और 5 में उल्लिखित दस्तावेजों को शामिल किया जाए । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उपधारा 1 के खण्ड (क) में उल्लिखित रिपोर्ट के अतिरिक्त प्रारंभिक जांच के पश्चात् तैयार की गई रिपोर्ट सामान्यतः गोपनीय होती है और उसका अभिप्राय केवल सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट करना होता है कि क्या और आगे कार्रवाई या नियमित विभागीय प्रकृति की जांच की या कोई अन्य कार्रवाई आवश्यक है । सामान्यतः इन रिपोर्टों का जांच में प्रयोग या विचार नहीं किया जाता है । इन रिपोर्टों में जो कुछ है, सामान्यतः आरोप-पत्र में उसका उल्लेख भी नहीं किया जाता । सरकारी कर्मचारी की इन रिपोर्टों तक पहुँच आवश्यक नहीं है । (यह आवश्यक है कि आरोप पत्र में ऐसी रिपोर्टों का कोई उल्लेख करने से कठोरतापूर्वक बचा जाए । यदि कोई उल्लेख किया जाता है तो इन रिपोर्टों के उपलब्ध कराने से मना करना संभव नहीं होगा और इन रिपोर्टों को प्राप्त करने देना ऊपर उल्लिखित कारण से लोकहित में नहीं होगा ।)

7. विचारणीय शेष मुद्दा यह है कि क्या विभाग द्वारा की गई प्रारंभिक जांच या पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान रिकार्ड किए गए गवाहों के बयान प्राप्त करने देने चाहिए और यदि हो तो क्या

सभी गवाहों के बयान या केवल उसी गवाह का बयान प्राप्त करने देना चाहिए जिसकी आरोप या आरोप पत्र में उल्लिखित तथ्यों के प्रमाण में परीक्षा किए जाने का प्रस्ताव हो। इन बयानों का केवल जिरह के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा सकता है और सरकारी कर्मचारी को केवल इन्हीं गवाहों पर संदेह करने के लिए कहा जाता है जिनके बयानों का आश्रय, आरोपों या आरोप-पत्र में उल्लिखित तथ्यों के प्रमाणित करने के लिए प्रस्तावित हों।

अतः सरकारी कर्मचारी को प्रारंभिक जांच या पुलिस द्वारा की गई जांच में परीक्षित सभी गवाहों के बयानों को प्राप्त करने देना आवश्यक नहीं है और केवल उन्हीं गवाहों के बयानों को प्राप्त करने देना चाहिए, जिनके बयानों की परीक्षा आरोप-पत्र में उल्लिखित तथ्यों के प्रमाण में किए जाने का प्रस्ताव हो। कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारी कुछ गवाहों के बयानों की प्रतियां मांग सकता है जिस पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई विश्वास करने का प्रस्ताव इस आधार पर नहीं है कि वह अपनी तरफ से ऐसे गवाहों की जांच करने का प्रस्ताव करता है और वह जांच प्राधिकारी के समक्ष ऐसी गवाहियों के प्रमाण को पुष्ट करने के लिए पहला बयान मांगता है। गवाह के रूप में जांच किए गए व्यक्ति द्वारा दिया गया पहला विवरण पुष्टि के प्रयोजन के लिए अनुज्ञेय नहीं है और ऐसे बयानों को प्राप्त करने से स्पष्टतः इंकार किया जा सकता है। फिर भी, विधि मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि यदि तथ्य घटित होते समय पहला विवरण दिया गया था और व्यक्ति को किसी कार्यवाही में ऐसे तथ्य के बारे में साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाता है तो पूर्ववर्ती विवरण को पुष्टि के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे मामलों में पूर्ववर्ती बयानों को देना आवश्यक होगा।

8. अगला मुद्दा वह चरण है जिस पर सरकारी कर्मचारी को आरोपों या आरोप पत्र में उल्लिखित तथ्यों के प्रमाण में विश्वास किए जाने वाले प्रस्तावित गवाहों के बयान को प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जैसा कि पहले कहा गया है गवाहों के बयानों की प्रतियों का प्रयोग केवल जिरह के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है और इसलिए प्रतियों की मांग तभी करनी चाहिए जब गवाहों को मौखिक जांच में परीक्षण के लिए बुलाया जाता है। यदि ऐसा अनुरोध नहीं किया जाता है तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि उक्त प्रयोजन के लिए प्रतियों की आवश्यकता नहीं थी। प्रतियों का प्रयोग किसी उत्तरवर्ती स्तर पर नहीं किया जा सकता क्योंकि उन बयानों पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा भी विचार नहीं किया जाना है। प्रतियां गवाहों की परीक्षा करने से पहले उपयुक्त समय के भीतर उपलब्ध करानी चाहिए। विभागीय जांच में बयानों की प्रतियां साक्ष्य स्तर से पहले प्राप्त करने से इंकार करना पूर्णतः वैध होगा। फिर भी, यदि सरकारी कर्मचारी लिखित विवरण दायर करने से पहले उपर्युक्त पैरा 3 को (प्वाइंट 3) पर उल्लिखित बयानों की प्रतियां मांगने के लिए अनुरोध करता है तो अनुरोध को मान लिया जाएगा।

9. न तो अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियमावली के नियम 5 के उप नियम (4) में और न की केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियमावली के नियम 15 के उप नियम (3) में दस्तावेजों की प्रतियां भेजने की व्यवस्था की गई है। अतः सामान्यतः विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां भेजना आवश्यक नहीं है और इतना ही पर्याप्त होगा कि सरकारी कर्मचारी को ऐसे रिकार्ड दे दिए जाते हैं जिनको प्राप्त करने की अनुमति ऊपर उल्लिखित नियमावली के अधीन की गई है। विभागीय कार्यवाहियों में अंतर्गस्त सरकारी कर्मचारियों को जब सरकारी रिकार्डों को देखने की अनुमति दे दी गई है तब वे कभी-कभी उनकी फोटोस्टेट प्रतियां प्राप्त करने की मांग करते हैं। सामान्यतः ऐसी अनुमति नहीं देनी चाहिए और विशेष रूप से उस समय अनुमति नहीं देनी चाहिए यदि अधिकारी प्राइवेट फोटोग्राफर के माध्यम से फोटोस्टेट प्रतियां तैयार करवाने का प्रस्ताव करता है क्योंकि उसके द्वारा तीसरी पार्टी को सरकारी रिकार्ड प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी जो वांछनीय नहीं है। फिर भी यदि जिन दस्तावेजों की फोटोस्टेट प्रतियों की मांग की जाती है, वे मामले में अनिवार्य रूप से संबद्ध है (अर्थात् आरोप का प्रमाण हस्तलेख या दस्तावेज के प्रमाण पर निर्भर करता है और दस्तावेज की अधिप्रमाणिकता विवादास्पद है) तो सरकार स्वयं फोटोस्टेट प्रतियां तैयार करेगी और उन्हें सरकारी कर्मचारी को भेजेगी। ऐसे मामलों में, जो ऐसे या इस प्रकार के नहीं हैं (ऊपर दिया गया उदाहरण केवल व्याख्यात्मक है व्यापक नहीं), यह पर्याप्त होगा यदि सरकारी कर्मचारी को सरकारी रिकार्डों की जांच करने और उससे उद्धरण लेने की अनुमति दी जाती है जैसी कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियमावली के नियम 15 के उप-नियम (3) में व्यवस्था की गई है। अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (4) में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी रिकार्डों से उद्धरण लेने की व्यवस्था नहीं है। फिर भी, प्रथा यह है कि अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियमावली द्वारा शासित अधिकारी रिकार्डों से ऐसे उद्धरण रखते हैं। यह प्रथा चलती रहनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर सरकारी रिकार्डों से उद्धरण रखने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।

[गृह मंत्रालय का तारीख 25 अगस्त, 1961 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 30/5/61-ए.वी.डी.]

(4) अभियुक्त कर्मचारी की ओर से साथियों की परीक्षा -

जिस सरकारी कर्मचारी को अभियुक्त कर्मचारी की सहायता करने की अनुमति दी गई है तो उसे अभियुक्त कर्मचारी की ओर से, यदि अभियुक्त कर्मचारी इस निमित्त लिखित में अभ्यावेदन करता है, तो साक्षियों के परीक्षण, प्रति परीक्षण, पुनः परीक्षण करने और जांच अधिकारी से निवेदन करने की अनुमति देनी चाहिए।

[गृह मंत्रालय का तारीख 8.6.1962 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/26/60-स्था.]

(5) अपराध की गंभीरता के अनुसार अभियोजन अथवा विभागीय कार्रवाई -

उन सभी मामलों में अभियोजन एक सामान्य नियम होना चाहिए जिन्हें जांच के बाद न्यायालय को भेजना उचित पाया जाता है और जिनमें अपराध का संबंध रिश्तत, भ्रष्टाचार अथवा ऐसे अन्य आपराधिक कदाचार से है जिसमें पर्याप्त मात्रा में सरकारी धन अंतर्गस्त हो । ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई अभियोजन से पहले नहीं होनी चाहिए । कम गंभीर अपराध अथवा विभागीय स्वरूप के कदाचारों से संबंधित अपराधों के अन्य मामलों में केवल विभागीय कार्रवाई की जाए और अभियोजन का प्रश्न सामान्यतः नहीं उठना चाहिए । किंतु जब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी के बीच इस मतभेद का समाधान नहीं होता कि न्यायालय में अभियोजन अथवा विभागीय कार्यवाहियों में से पहले किस का सहारा लिया जाए तो मामला सलाह के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया जाना चाहिए ।

(गृह मंत्रालय का तारीख 4.9.1964 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 39/8/64-स्था. (क))

(6) ऐसे उपाय करना जिनसे उपचारी कर्मचारी अभिलेखों/दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान उनमें हेर-फेर न कर सकें ।

उपचारी कर्मचारी जिसके विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली के अधीन अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित हैं, मामले को प्रभावित करने वाले रिकार्डों/दस्तावेजों का निरीक्षण करने का हकदार है । अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को उपचारी कर्मचारी द्वारा अवलोकन और निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए उसे दस्तावेज सौंपने होते हैं । हाल ही में ऐसे दृष्टांत देखने में आए हैं जिनमें अभियुक्त अधिकारी रिकार्डों/दस्तावेजों का निरीक्षण करते समय काफी महत्वपूर्ण दस्तावेजों में बेईमानी से रद्दोबदल कर देते हैं । अन्य मामले में अभियुक्त अधिकारी दस्तावेजों में बेईमानी से उस समय रद्दोबदल कर देते हैं जब जांच अधिकारी जांच की अवधि के दौरान कक्ष को अस्थायी रूप से छोड़ता है ।

ऐसे प्रसंगों की पुनरावृत्ति से बचने के उद्देश्य से मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे निम्नलिखित आशय के अनुदेश जारी करने की वांछनीयता पर विचार करें

- (i) कि अभियुक्त अधिकारी के रिकार्डों/दस्तावेजों की जांच करने की अनुमति केवल उत्तरदायी अधिकारी की उपस्थिति में ही देनी चाहिए, और
- (ii) कि जांच अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरतेगा कि रिकार्डों/दस्तावेजों तथा अन्य रिकार्डों को वास्तविक जांच की अवधि के दौरान या उस समय बेईमानी से रद्दोबदल नहीं करा जाता जब दस्तावेज उसकी अभिरक्षा में होते हैं।

[सभी मंत्रालयों/विभागों के सर्तकता अधिकारियों को भेजा गया गृह मंत्रालय का 27 सितंबर 1965 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 242/96/65-ए0वी0डी0]

(7) सहायक सरकारी सेवक -

केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली 1965 के नियम 14(8) में यह व्यवस्था है कि जिस सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं वह अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सहायता ले सकता है। यद्यपि जिस कर्मचारी को आरोप पत्र दिया गया है, उसे किसी अन्य सरकारी कर्मचारी से सहायता लेने के लिए अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है फिर भी सहायता देने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए यह आवश्यक है कि जांच के दौरान अभियुक्त सरकारी कर्मचारी को सहायता देने के उद्देश्य से कार्यालय से अनुपस्थित होने की अनुमति अपने नियंत्रक प्राधिकारी से प्राप्त करें। यदि जांच अधिकारी इस संबंध में नियंत्रक प्राधिकारी को सूचना देने में पलट करता है तो ऐसी अनुमति देने में विलंब से बचा जा सकेगा। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि जैसे ही अभियुक्त सरकारी कर्मचारी अपने मामले में प्रस्तुतीकरण में सहायता देने के लिए अपने द्वारा चुने गए सरकारी कर्मचारी का नाम तथा अन्य ब्यौरे जांच अधिकारी को बताता है वैसे ही जांच अधिकारी संबंधित सरकारी कर्मचारी के नियंत्रक प्राधिकारी को इस तथ्य की सूचना देगा। इसके अतिरिक्त मामले की सुनवाई की तारीख तथा समय भी काफी पहले उक्त नियंत्रक प्राधिकारी को बताना चाहिए और यदि विवशतावश संबंधित सरकारी कर्मचारी को जांच में उपस्थित होने के लिए निर्धारित तारीख या तारीखों पर छोड़ना व्यवहार्य नहीं है तो जांच अधिकारी, अभियुक्त अधिकारी और अभियुक्त कर्मचारी की सहायता करने के लिए चुने गए सरकारी कर्मचारी को समय रहते अवगत करा दिया जाए।

2. अनुरोध किया जाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए कि सभी जांच अधिकारी ऊपर दी गई क्रियाविधि का पालन करते हैं। इस परिपत्र की एक प्रति विभागीय जांच आयुक्त को भी पृष्ठांकित की जा रही है।

[केन्द्रीय सर्तकता आयोग का तारीख 8 जनवरी, 1968 का पत्र संख्या 61/3/67-ग]

(8) जब प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने साक्षी की पुनःपरीक्षा कर ली हो तो उसके बाद सरकारी सेवक द्वारा या उसकी ओर से प्रतिपरीक्षा स्पष्टीकरण-

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली 1965 का नियम 14 के उप नियम(14) के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किए गए साक्षियों का परीक्षण प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किया जाएगा तथा प्रति-परीक्षण सरकारी कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से किया जाएगा तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी किसी ऐसे विषय पर साक्षियों का पुनः परीक्षण करने का भी हकदार होगा जिस विषय पर पहले प्रति-परीक्षण किया जा चुका है किंतु किसी नए विषय का परीक्षण जांच अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। कुछ व्यक्तियों द्वारा संदेह व्यक्त किए गए हैं कि क्या प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साक्षी के पुनः परीक्षण के पश्चात् सरकारी कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से प्रति की अनुमति दी जा सकती है। यह स्पष्ट किया जाता है यदि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को ऐसे किसी नए मामले का पुनः परीक्षण करने के अनुमति दी जाती है जो मामले पहले से ही परीक्षण/प्रतिपरीक्षण में शामिल नहीं किए गए तो पुनःपरीक्षण में शामिल किए गए ऐसे नए मामले पर प्रति-परीक्षण करने की अनुमति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पूर्ति करने के लिए दी जा सकती है।

[मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) का तारीख 24 सितंबर 1970 का ज्ञापन संख्या 7/11/70-स्था .(क)]

(9) राजपत्रित अधिकारियों /वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपचारी और अधिकारियों के विरुद्ध जांच करना -

अधीनस्थ विधान (चौथी लोक सभा) समिति ने हाल ही में केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के अधीन अपचारी अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच अधिकारियों द्वारा मौखिक जांच करने के प्रश्न की जांच की है। समिति ने टिप्पणी की कि यद्यपि वे इस बात से सहमत हैं कि अपचारी अधिकारियों के विरुद्ध जांच हमेशा ही राजपत्रित अधिकारियों को सौंपना संभव नहीं होगा तो भी जांच ऐसे अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए जो उस अधिकारी से काफी वरिष्ठ हैं जिसके विरुद्ध जांच की जा रही है क्योंकि किसी कनिष्ठ अधिकारी की जांच से अपेक्षित विश्वास प्राप्त नहीं हो सकता।

[मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) का तारीख 6 जनवरी, 1971 का ज्ञापन संख्या 7/1/70-स्थापना (क)]

(10) जांच प्राधिकारी की नियुक्ति -

संयुक्त परामर्श तथा अनिवार्य योजना के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय परिषद द्वारा अपनी सितंबर 1970 की बैठक में विचार-विमर्श किए गए मुद्दों में से कर्मचारी पक्ष द्वारा एक प्रस्ताव यह रखा गया था कि अनुशासनिक जांच सिद्धांत रूप में एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए जो कि अनुशासनिक प्राधिकारी के पदीय अथवा अन्यथा प्रकार के सभी प्रस्तावों से मुक्त हो। एक और सुझाव यह दिया गया था कि नियमों को इस आशय से समुचित रूप से संशोधित किया जाए कि विभागीय जांच निरंतर ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएं जो किसी अन्य विभाग से संबंधित हो। विचार - विमर्श करने के पश्चात् परिषद द्वारा बाद में इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति में कर्मचारी पक्ष ने यह अनुरोध किया था कि विभागीय जांच में यह आवश्यक है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यवाहियों को उद्देश्य पूर्ण ढंग से चलाया जाए और यदि उक्त जांच स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की जाए या उसे किसी ऐसे अधिकारी को सौंपे जो कि अनुशासनिक प्राधिकारी के अधीन है या सीधे उसके प्रभाव में हो, तो नैसर्गिक न्याय की उपेक्षा कम हो जाएगी। उनके अनुसार विभागीय जांच निरंतर किसी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था या न्यायाधिकरण से ही कराई जाएं और न्याय प्राप्ति के उद्देश्य से इस प्रकार के स्वतंत्र न्यायाधिकरण की व्यवस्था करने में अंतर्निहित व्यय का प्रश्न बाधा स्वरूप खड़ा नहीं होना चाहिए। विकल्पतः जांच अधिकारी निरंतर उस स्कंध कार्यालय/विभाग में से नहीं होना चाहिए जिसमें अभिकथित अपचारी कर्मचारी संबंधित हो।

2. जहां तक कर्मचारी पक्ष द्वारा सुझाए गए विषय का संबंध है कि विभागीय जांच के मामले किसी भी स्वतंत्र निष्पक्ष निकाय अथवा न्यायाधिकरण को ही सौंपे जाने चाहिए, यह स्पष्ट किया गया था कि सभी ग्रेडों के केवल राजपत्रित अधिकारियों की, जिनके विरुद्ध सत्यनिष्ठा का अभाव या सर्तकता की कमी के दोष लगाए गए हैं, अनुशासनिक कार्यवाहियां संबंधी मामले केन्द्रीय सर्तकता आयोग के अधीन विभागीय जांच आयुक्त को सौंपे जाते हैं। और अन्य ऐसे मामले, जो केवल प्रशासनिक या तकनीकी भूलों संबंधी हों, उपर्युक्त आयुक्त को नहीं सौंपे जाते हैं। अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में अनुशासनिक मामले आने के कारण भी इन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांचों के मामलों के विभागीय जांच आयुक्त को सौंपना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया था कि गृह मंत्रालय (अब कार्मिक विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/26/60-स्थापना (क) तारीख 16 जनवरी, 1961 में विहित विद्यमान अनुदेशों में विभागीय कार्यवाही के लिए केवल निष्पक्ष

अधिकारियों को ही जांच अधिकारियों के रूप में नियुक्त किए जाने की आवश्यकता पर पहले ही बल दिया गया है। उसमें यह भी व्यवस्था है कि यद्यपि सिद्धांत रूप में निकटतम उच्च अधिकारी द्वारा जांच किए जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, फिर भी जिस व्यक्ति को जांच करने का मामला सौंपा जाए, वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इन मामलों में निष्पक्ष हों और यह भी कि संबंधित नियुक्तिकर्ता प्राधिकारियों को किसी भी अनुशासनिक मामले में जांच अधिकारी नियुक्त करने के पहले उपर्युक्त कसौटी ध्यान में रखनी चाहिए।

3. कर्मचारी पक्ष द्वारा एक सुझाव यह दिया गया था कि जब पक्षपाती आधार पर कोई विशेष जांच अधिकारी नियुक्त करने के विरुद्ध कोई विशेष अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, तब उपचारी कर्मचारी के लिए अपीलीय अधिकरण के यहां अपील करने का मार्ग खुला होना चाहिए। इस सुझाव के संबंध में यह बताया गया था कि यद्यपि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों में किसी भी व्यक्ति को किसी भी अनुशासनिक कार्यवाही के लिए जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के संबंध में किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील दायर करने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी उपर्युक्त नियमों के अनुसार इस प्रकार का आदेश पुनरीक्षित किया जा सकता है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी पक्ष ने यह चाहा था कि यदि अपचारी कर्मचारी द्वारा पुनरीक्षण के लिए अभ्यावेदन दायर किया जाता है, तो जांच अधिकारी को चाहिए कि वह कार्यवाही स्थगित कर दे। इस पर सहमति प्रकट की गई कि स्पष्टतः ऐसा होना चाहिए और इन मामलों में एक मर्तवा पुनः पुनरीक्षण के लिए अभ्यावेदन देने पर कार्यवाही स्थगित कराने की आवश्यकता पर सक्षम प्राधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाना चाहिए।

4. तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि जब कभी किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा, जिसके विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवाएं, (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाहियां की गई हों, जांच अधिकारी के पक्षपाती होने के विरुद्ध अभ्यावेदन किया जाता है, तो कार्यवाही स्थगित कर दी जाए और संबंधित तथ्यों सहित आवेदन-पत्र को समुचित पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास विचार-विमर्श हेतु तथा उस पर आदेश पारित करने के लिए भेज दिया जाए। यह भी निर्णय किया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियों को शीघ्रता तथा न्यायपूर्वक तय करने के संबंध में गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39/40/52-स्थापना, तारीख 4 अक्टूबर, 1955 के पैरा 5 में विहित निम्नलिखित अनुदेशों का सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन करने पर पुनः बल दिया जाए -

- (i) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग में समुचित रैंक के निर्धारित अधिकारी या अधिकारियों को नामांकित किया जाए और उनको उक्त मंत्रालय/विभाग में उत्पन्न होने वाली सभी जांचों की जांच करने का कार्य सौंपा जाए ।
- (ii) जैसे ही इस प्रकार की जांच करने का अवसर उपस्थित हो उक्त नामांकित अधिकारी के सामान्य कार्यों को इतना हल्का कर देना चाहिए जितना कि जांच पूरी करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में पूरा-पूरा ध्यान देने के लिए आवश्यक है। इस अवधि के दौरान उक्त अधिकारी के उस कार्य को जिससे उसे मुक्त किया गया है अन्य अधिकारियों को बांट दिया जाए ।

5. तदनुसार वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि ये विभिन्न जांच प्राधिकारियों की जानकारी में यह बात लाएं कि वे, यदि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाए तो उपर्युक्त पैरा 3 के अनुसार जैसा कि राष्ट्रीय परिषद की समिति में स्वीकार किया गया है, उक्त अभ्यावेदन के पुनरीक्षण किए जाने तक कार्यवाही स्थगित कर दें । उनसे यह भी अनुरोध है कि वे अनुशासनिक कार्रवाईयों में जांच अधिकारी की नियुक्ति के बारे में गृह मंत्रालय (अब कार्मिक विभाग) के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/26/60-स्थापना (क), तारीख 16 फरवरी, 1961 और सं. 39/40/52-स्थापना, तारीख 4 अक्टूबर, 1952 में दिए गए अनुदेशों को ध्यान में रखें ।

(मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक विभाग का तारीख 9 नवम्बर, 1972 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 39/40/70-स्था0 (क)) ।

(11) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जांच:-

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के तारीख 9 नवम्बर, 1972 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39/40/70-स्थापना (क) में अन्य बातों के साथ साथ यह व्यवस्था है कि विभागीय जांच करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा केवल ऐसे जांच अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो निष्पक्ष हो । आगे यह भी व्यवस्था है कि जब कभी ऐसे सरकारी कर्मचारी द्वारा, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ की गई हों, पक्षपात के आधार पर जांच अधिकारी के विरुद्ध कोई आवेदन पत्र दिया जाए जो कार्यवाहियां रोक दी जानी चाहिए और वह आवेदन पत्र मामले पर विचार किए जाने और उसके ऊपर उचित आदेश पारित किए जाने के लिए उचित पुनरीक्षा प्राधिकारी के पास भेज दिया जाए । इस संबंध में स्टाफ पक्ष ने नवम्बर, 1975 में हुई राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) की बैठक में निम्नलिखित मुद्दे उठाए -

(क) कुछ विभागों में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के तारीख 9 नवम्बर, 1972 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है, और

(ख) तारीख 9.11.1972 के कार्यालय ज्ञापन के मामले की स्वयं जांच करने वाले अनुशासनिक प्राधिकारी के संबंध में अनुदेश नहीं थे।

2. उपर्युक्त (क) के संबंध में वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस विभाग के तारीख 9 नवम्बर, 1972 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए उपर्युक्त अनुदेशों का पालन करें और इन्हें निष्ठापूर्वक कार्यान्वित करें।

3. कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाए गए दूसरे मुद्दे पर भी, इस विभाग में और आगे विचार किया गया है। केन्द्रीय सिविल सेवाएं (नियंत्रण, वर्गीकरण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 14(5) के अनुसार अभियुक्त सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच या तो अनुशासन प्राधिकारी स्वयं करें अथवा इस प्रयोजन के लिए कोई जांच अधिकारी नियुक्त करें। अधिकांश मामलों में और खास तौर पर अधिक गंभीर मामलों में तो यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि अनुशासन प्राधिकारी स्वयं जांच न करें। फिर भी सभी मामलों में यह सुनिश्चित करना कि स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी को जांच प्राधिकारी न बनाया जाए व्यावहारिक नहीं होगा। कुछ परिस्थितियों में विशेषकर छोटे क्षेत्रीय कार्यालयों में ऐसी प्रणाली मजबूरी हो सकती है कि अनुशासन प्राधिकारी तथा जांच अधिकारी एक व्यक्ति हो। तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि जब तक कुछ मामलों में जैसा कि ऊपर कहा गया है ऐसा करना अपरिहार्य न हो जाए अनुशासन प्राधिकारी को जांच अधिकारी नहीं बनना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए किसी अन्य प्राधिकारी को नियुक्त कर देना चाहिए।

[गृह मंत्रालय का तारीख 29 जुलाई 1976 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 35014/1/76-स्था0 (क)]

(12) क्या आरोपों को प्रतिरक्षा के लिखित कथन की प्रारंभिक अवस्था में छोड़ा (ड्राप) जा सकता है -

यह प्रश्न विचाराधीन था कि क्या केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 (5) (क) में अभियुक्त सरकारी कर्मचारी द्वारा उक्त नियम के नियम 14 (4) के अधीन प्रस्तुत किए गए बचाव के लिखित बयान पर विचार करने के बाद अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोपों को छोड़ने की अनुमति है। इस प्रश्न पर विधि मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया है तथा स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की जाती है -

- (क) अनुशासनिक प्राधिकारी को यह अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है कि वह अभियुक्त सरकारी कर्मचारी द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14(4) के अधीन प्रस्तुत किए गए बचाव के लिखित बयान के प्राप्त होने तथा उसकी जांच के बाद आरोपों की समीक्षा करें और उनमें आशोधन करे अथवा कुछ आरोपों या सभी आरोपों को छोड़ दें।
- (ख) अनुशासनिक प्राधिकारी उन आरोपों की जांच कराने के लिए किसी जांच अधिकारी को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं है जिन्हें अभियुक्त कर्मचारी ने स्वीकार नहीं किया है, किंतु जिसके बारे में अनुशासनिक प्राधिकारी बचाव के लिखित बयान के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि आगे कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।
2. किंतु यह नोट किया जाए कि अभियुक्त सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए बचाव के लिखित बयान पर विचार करने के बाद आरोपों को छोड़ने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा -
- (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच से उठने वाले मामलों में अभियुक्त सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए बचाव के लिखित बयान के आधार पर किसी आरोप अथवा सभी आरोपों को छोड़ने का निर्णय लेने से पहले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से परामर्श किया जाना चाहिए। अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोपों को छोड़ने के लिए रिकार्ड किए गए कारणों को भी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सूचना देनी चाहिए।
- (ख) जहां केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर अनुशासनिक कार्यवाहियां शुरू की गई हों तथा अभियुक्त सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत बचाव या लिखित बयान के आधार पर किसी आरोप को छोड़ने अथवा आशोधन करने अथवा सभी आरोपों को छोड़ देने का इरादा हो तो वहां आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए।

[गृह मंत्रालय का तारीख 12.3.81 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/2/79-स्था0 (क) तथा 8 दिसम्बर, 1982 का का0ज्ञा0 11012/8/82 -स्था0 (क)]

(13) विधि व्यवसायी (वकील) अनुबंधित करने के लिए अनुमति -

विधि व्यवसायी केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14(8) में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि कोई भी अपचारी सरकारी

कर्मचारी जिसके विरुद्ध बड़ी शास्ति लगाए जाने के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं, जांच अधिकारी के सामने अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिए कोई वकील तब तक नियुक्त नहीं कर सकता जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुति अधिकारी कोई वकील न हो अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की अनुमति न दे दे। यह स्पष्ट किया जाता है कि जब अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अभियोजन अधिकारी अथवा सरकार के विधि अधिकारी (जैसे कि विधि सलाहकार, कनिष्ठ विधि सलाहकार) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपचारी अधिकारी के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करने और किसी वकील द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किए जाने की अनुमति देने के लिए स्पष्टतः उचित तथ पर्याप्त आधार बन जाता है। ऐसे मामलों में विवेकाधिकार का प्रतिकूल प्रयोग किए जाने पर इस बात की संभावना रहेगी कि न्यायालय ऐसे निर्णय को मनमाना तथा उपचारी सरकारी कर्मचारी के बचाव के प्रतिकूल सिद्ध कर दे।

[कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 23.7.84 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/7/83-स्था0 (क)]

(14) प्रतिरक्षा सहायक अनुबंध करने संबंधी प्रतिबंध -

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के उप-नियम (8) में यह व्यवस्था है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी कार्यालय में तैनात ऐसे सरकारी कर्मचारी की, जो उसके मुख्यालय के स्थान पर अथवा उस स्थान पर तैनात है, जहां कि जांच का कार्य किया जाना है, अपनी ओर से अपना मामला प्रस्तुत कराने के लिए सहायता ले सकता है। तथापि, कोई सरकारी कर्मचारी किसी अन्य स्थान पर तैनात सरकारी कर्मचारी की सहायता तभी ले सकता है, यदि जांच प्राधिकारी द्वारा उसे ऐसा करने की अनुमति दे दी जाती है।

2. राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) के कर्मचारी पक्ष ने इस आशय का अभ्यावेदन दिया है कि नियमों में की गई ऊपर उल्लिखित व्यवस्था प्रतिबंधात्मक है जिससे कि कर्मचारी न्याय से वंचित रह जाता है, अतः इसे हटाया जाना चाहिए। इस मामले पर, राष्ट्रीय परिषद की 14/15 जनवरी 1986 को हुई 28 वीं साधारण बैठक में भी, विचार-विमर्श किया जाना था।

3. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 का नियम 14(8), आरोपित सरकारी कर्मचारी के मुख्यालय अथवा जिस स्थान पर जांच होनी है, उस स्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से बचाव सहायक रखने के लिए पूर्ण रूप से मनाही नहीं करता है।

जांच करने वाले प्राधिकारी को, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी भी स्थान से बचाव सहायक की नियुक्ति के लिए अनुमति देने की छूट है। तथापि यदि जांच अधिकारी किसी मामले में ऐसी अनुमति देने में इनकार कर देता है तो उसके इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील किए जाने के लिए फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है।

4. अतः कर्मचारी पक्ष के साथ विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि यदि जांच प्राधिकारी, आरोपित सरकारी कर्मचारी मुख्यालय के स्थान अथवा जिस स्थान पर जांच होनी है, उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से बचाव सहायक लेने संबंधी अनुमति प्राप्त करने के किसी अनुरोध को अस्वीकार कर देता है तो सरकारी कर्मचारी को अनुशासनिक प्राधिकारी को अभ्यावेदन देने की अनुमति दी जानी चाहिए। तदनुसार ऐसे सभी मामलों में जहां जांच प्राधिकारी द्वारा किसी आरोपित सरकारी कर्मचारी के, उसके मुख्यालय के स्थान अथवा जांच स्थान, जिस पर जांच होनी है उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से बचाव सहायक रखने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है, उसे चाहिए कि वह उन कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करे तथा आरोपित सरकारी कर्मचारी को इन कारणों की सूचना दें ताकि यदि वह चाहे तो ऐसे आदेश के विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी को अभ्यावेदन दे सके। आरोपित सरकारी कर्मचारी के अभ्यावेदन प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकारी मामले से संबंधित सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार करने के बाद जांच प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेशों को बनाए रखने या फिर आरोपित कर्मचारी द्वारा किए गए अनुरोध पर सहमति देने वाला एक सुविचारित आदेश देगा। चूंकि अनुशासनिक प्राधिकारी का ऐसा आदेश जांच का एक सहायक अंग होगा इसलिए इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

[का० तथा प्रशि० विभाग का तारीख 29.4.1986 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/3/86-स्था० (क)]

(15) जांच प्राधिकारी के समक्ष सरकारी सेवक का हाजिर होना - केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14(7) के उपबंधों के आशय के बारे में स्पष्टीकरण।

बड़ी शास्तियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया केन्द्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 में दी गई है। उक्त नियम के उप नियम (7) में यह व्यवस्था की गई है कि सरकारी सेवक आरोप के ब्यौरों और अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की प्राप्ति की तारीख से दस कार्य दिवस के भीतर उस दिन और उस समय जो जांच प्राधिकारी लिखित सूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे या दस दिन से अनधिक ऐसे अतिरिक्त

समय के भीतर जो जांच प्राधिकारी अनुज्ञात करे, जांच प्राधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होगा। कर्मचारी पक्ष ने राष्ट्रीय परिषद (जे सी एम) में यह मुद्दा उठाया कि उपरिल्लिखित उप नियम के उपबंधों का प्रायः उल्लंघन किया जाता है क्योंकि सरकारी सेवक को आरोप का ब्यौरा दिए जाने के बाद अल्प समय के भीतर सामान्यतः जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किए जाते। इस कारण सरकारी सेवक, आरोप ब्यौरा प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाता।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि उप नियम (7) के उपबंधों को पूर्ववर्ती उप नियम (6) के उपबंधों के साथ पढ़ा जाए जिसके अनुसार जहां अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं है वहां वह जांच प्राधिकारी को आरोप के ब्यौरों व अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की प्रति सहित विभिन्न दस्तावेज भेजेगा। उप नियम (7) में जो यह उल्लेख किया गया है कि “सरकारी सेवक दस कार्य दिवस के भीतर उस दिन और उस समय जांच प्राधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होगा”, उसका आशय वास्तव में जांच प्राधिकारी द्वारा (न कि सरकारी सेवक द्वारा) आरोप के ब्यौरों और अपचार या कदाचार के लांछनों के विवरण को प्राप्त करने की तारीख से है। तथापि, जहां कहीं आवश्यक ही जांच प्राधिकारी शीघ्र ही नियुक्त किया जाए।

[कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 28 दिसंबर, 1993 का कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/7/92-स्थापना (क)]

(16) प्रतिरक्षा सहायक के रूप में हाजिर होने वाले सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के विलय में शर्तें -

अभियुक्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के नियुक्त करने में प्रतिबंध लगाने से संबंधित मामले की पुनरीक्षा संयुक्त परामर्श तंत्र की राष्ट्रीय परिषद में कर्मचारी पक्ष की इस मांग के परिपेक्ष्य में की गई कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा बचाव पक्ष के सहायक के रूप में हाथ में लिए जाने वाले मामलों की संख्या सीमित कर दी जाए और इस विषय पर पूर्व के आदेशों का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14(8) (क) की शर्तों के अनुसार यह निर्णय किया गया है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन कर ली जाएगी -

(i) सम्बद्ध सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के तहत सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो।

- (ii) यदि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी वकील भी है, तो अपचारी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिए वकीलों को नियुक्त करने के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के लिए 14(8) में दिए गए उपबंध लागू होंगे।
- (iii) संबंधित सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अपनी सरकारी हैसियत में जांच अथवा अन्य किसी स्तर पर मामले से किसी भी तरह से संबंध न हो।
- (iv) संबंधित सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी एक ही समय पर सात मामलों में बचाव पक्ष के सहायक के रूप में कार्य न करें। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी जांचकता अधिकारी को यह संतुष्टि करा दें कि उसके पास प्रश्नाधीन मामले सहित पांच से अधिक मामले हाथ में नहीं हैं।

[कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का तारीख 05.02.2003 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/11/2002-स्था0 (क)]

(17) अदालत में अभियोजन की समानांतर कार्रवाई और विभागीय कार्यवाहियां शुरू करना ।

गृह मंत्रालय के दिनांक 7 जून, 1955 के का.ज्ञा. सं. 39/30/-54 स्था. तथा दिनांक 4 सितम्बर, 1964 के कार्यालय ज्ञापन सं.39/8/64-स्था. में यह उल्लेख किया गया है कि अभियोजन चलाया जाना उन सभी मामलों में एक सामान्य कानून होना चाहिए जो अदालत में भेजने के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं और जिनमें रिश्वत, भ्रष्टाचार अथवा अन्य आपराधिक कदाचार जिनमें महत्वपूर्ण सार्वजनिक निधियों का नुकसान शामिल है, आदि के अपराध हैं और यह कि ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई अभियोजन से पहले शुरू नहीं होनी चाहिए। इस विभाग में इस आशय के पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिनमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या किसी ऐसे मामले में विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है जहां मामले को, संबंधित सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने हेतु सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में ले जाया जा सकता है।

2. उपर्युक्त अनुदेशों से यह अर्थ निकलता है कि रिश्वत/भ्रष्टाचार आदि वाले गंभीर अपराधों में अभियोजन हेतु कार्रवाई स्वाभाविक तौर पर शुरू कर दी जानी चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों - राजस्थान बनाम बी.के. मीणा तथा अन्य (1996 6 एस.सी.सी. 417), कैप्टन एम. पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लि.(1996 3 एस.सी.सी. 679); केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा अन्य बनाम टी. श्रीनिवास (2004 (6) एस.सी.ए.एल.ई. 467) और नोएडा एंटरप्राइजिंग एसोसिएशन बनाम नोएडा (जे.टी. 2007 (2) एस.सी. 620) में यह माना था कि चूंकि मात्र इसलिए कि आपराधिक मुकदमा लंबित है, एक ऐसी विभागीय जांच को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता जिसमें वही समान आरोप लगाए गए हैं जो कि दण्डनीय कार्यवाही में लगाए गए हैं । दण्डनीय कार्रवाई और अनुशासनिक कार्यवाही के दृष्टिकोण और उद्देश्य पूर्णतया भिन्न-भिन्न और अलग हैं । अनुशासनिक कार्यवाही में प्रश्न यह होता है कि क्या प्रतिवादी, ऐसे आचरण का दोषी है जो उसे सेवा से हटाए जाने अथवा उससे कम दण्ड के योग्य बनाता है, जैसी भी स्थिति हो, जबकि दण्डनीय कार्यवाही में, प्रश्न यह होता है कि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध दर्ज अपराध, सिद्ध हो गए हैं और यदि सिद्ध हो गए हैं तो उस पर कौन-सी शास्ति लगाई जा सकती है । गंभीर स्वरूप के अपराधों जैसे गैर-कनूनी पारितोषण स्वीकार करने के मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा, विभागीय कार्रवाई करते समय संबंधित सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए गंभीर आरोपों के बावजूद उसे सेवा में बनाए रखने की वांछनीयता पर गौर किया जाना चाहिए ।

3. तथापि, यदि आपराधिक मामले में आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूप के हैं जिनमें कानून और तथ्यों के जटिल प्रश्न निहित हैं, तो ऐसी स्थिति में आपराधिक मामले का निर्णय हो जाने तक विभागीय कार्यवाहियां रोके रखना वांछनीय होगा । यह अपराध के स्वरूप और जांच के दौरान सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध एकत्र किए गए साक्ष्य और सामग्री पर निर्भर करता है अथवा जैसा कि आरोप पत्र में दर्शाया गया है । यदि आपराधिक मामले पर आगे की कार्रवाई नहीं चल रही है अथवा इसके निपटान में अत्यधिक विलंब हो रहा है तो विभागीय कार्यवाहियां, चाहे वे आपराधिक मामला लंबित होने के कारण लंबित रखी गई थी, दुबारा शुरू की जा सकती है और उस पर इस तरह आगे की कार्रवाई करते रहनी चाहिए कि उस मामले का निर्णय अति शीघ्र हो सके, ताकि यदि कर्मचारी दोषी नहीं पाया जाता है तो उसके सम्मान की रक्षा हो सके और यदि वह दोषी पाया जाता है तो प्रशासन उससे शीघ्र ही छुटकारा पा सके, यदि स्थितियां ऐसी बनती हैं ।

4. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लि० बनाम सर्वेश बेरी (2004 (10) एस.सी.ए.एल.ई. पृष्ठ 340) के मामले में पैरा 9 में यह माना है कि “किसी भी दिशा-

निर्देश को ऐसे कठोर नियम के रूप में निर्धारित करना वांछनीय नहीं है जिनमें दोषी अधिकारी के विरुद्ध किसी आपराधिक मामले में सुनवाई लंबित होने तक विभागीय कार्यवाहियां स्थगित की जाएं अथवा स्थगित न की जाएं । प्रत्येक मामले में उसने अपने तथ्यों और परिस्थितियों की पिछली पृष्ठभूमि में विचार किया जाना अपेक्षित है । किसी विभागीय जांच और आपराधिक मामले के विचारण में साथ-साथ कार्रवाई करते रहने पर कोई प्रतिबंध नहीं है जब तक कि आपराधिक मामले में आरोप ऐसे घोर गंभीर स्वरूप के न हों जिनमें तथ्यों और कानून के जटिल प्रश्न संलिप्त हैं ।” शीर्षतम न्यायालय ने कैप्टन एम पॉल एंथनी के मामले में पैरा 22 में दिए गए निष्कर्ष का हवाला दिया है ।

5. अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुशासनिक कार्यवाहियां स्थगित करना प्रत्येक ऐसे मामले में आवश्यक नहीं है जहां बिल्कुल समान आरोपों के संबंध में आपराधिक मामला बना हुआ है और संबंधित प्राधिकारी, प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों तथा पूर्ववर्ती पैराग्राफों में यथा उल्लिखित माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विभागीय कार्यवाही के साथ कार्यवाही करने का निर्णय कर सकता है ।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 1 अगस्त, 2007 का कार्यालय ज्ञापन सं0 11012/6/2007-स्था0(क))

15. जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई-

- (1) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं है, उन कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, मामले को जांच प्राधिकारी के पास और आगे जांच तथा रिपोर्ट के लिए भेज सकेगा और जांच अधिकारी तत्पश्चात्, जहां तक संभव हो, नियम 14 के उपबंधों के अनुसार और आगे जांच करेगा।
- (2) जिन मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी ने स्वयं जांच की हो, उनमें वह अपने द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट की प्रति या जिनमें अनुशासनिक प्राधिकारी, जांच प्राधिकारी न हो उनमें वह जांच प्राधिकारी द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट की प्रति, आरोप के किसी ब्यौरे के विषय में जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमति, यदि कोई हो, के अपने अंतिम कारणों सहित सरकारी सेवक को अग्रेषित करेगा या करवाएगा और सरकारी सेवक, यदि चाहे तो

पंद्रह दिन के भीतर अनुशासनिक प्राधिकारी को अपना लिखित अभ्यावेदन या निवेदन प्रस्तुत करेगा चाहे रिपोर्ट सरकारी सेवक के अनुकूल हो या न हो ।

- 2(क) अनुशासनिक प्राधिकारी, सरकारी सेवक द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगा और उप नियम (3) व (4) में यथाविनिर्दिष्ट आगे की कार्यवाही करने से पहले अपने निष्कर्ष दर्ज करेगा ।
- (3) आरोप के सभी या किन्हीं ब्यौरों पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम 11 के खंड (1) से (iv) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह नियम 16 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश देगा ।

परंतु अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें आयोग से परामर्श करना आवश्यक है, जांच का अभिलेख आयोग को उसकी सलाह के लिए भेजेगा और सरकारी सेवक पर कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश देने के पूर्व ऐसी सलाह पर विचार किया जाएगा ।

- (4) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की आरोप के सभी या किन्हीं ब्यौरों पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर यह राय हो कि नियम 11 के खंड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के लिए आदेश करेगा और यह आवश्यक नहीं होगा कि सरकारी सेवक को अधिरोपित की जाने के लिए प्रस्तावित शास्ति के बारे में अभ्यावेदन करने का कोई अवसर दिया जाए ।

परंतु अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें आयोग से परामर्श करना आवश्यक है, जांच का अभिलेख आयोग को उसकी सलाह के लिए भेजेगा और सरकारी सेवक पर कोई ऐसी शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश देने के पूर्व ऐसी सलाह पर विचार किया जाएगा ।

भारत सरकार के निर्णय

- (1) अंतिम आदेश, जांच संस्थित करने वाले उच्चतर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित करना ।

“ उच्च अनुशासनिक प्राधिकारी “ द्वारा कार्यवाहियां संस्थित की जाती हैं तो अंतिम आदेश भी ऐसे “ उच्च अनुशासनिक प्राधिकारी “ द्वारा पारित किए जाने चाहिए और मामला निम्न अनुशासनिक प्राधिकारी को इस आधार पर नहीं भेजा जाना चाहिए कि मामले के गुण-दोष लघु शास्ति अधिरोपित करने के लिए पर्याप्त हैं और ऐसी लघु शास्ति निम्न अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जा सकती है। ऐसे मामलों में “ उच्च अनुशासनिक प्राधिकारी “ दण्डात्मक आदेश के विरुद्ध अपील केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली के अधीन निर्धारित प्राधिकारी को की जाएगी, जो कि ऐसे आदेश के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी है ।

[गृह मंत्रालय का तारीख 8 जून, 1962 का का0ज्ञा0 संख्या 6/26/60-स्था0 (क)]

- (2) यदि पिछले खराब रिकार्ड को आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट आरोप की विषय वस्तु न बनाया गया हो तो शास्ति का निर्णय करने के लिए उस पर विचार करना उपयुक्त नहीं होगा ।

यह प्रश्न उठा है कि क्या अनुशासनिक कार्यवाहियों के मामले में किसी अधिकारी पर लगाए जाने वाली शास्ति का निर्णय करने के लिए सेवा के पिछले खराब रिकार्ड को ध्यान में रखा जाए और इस तथ्य का कि ऐसे रिकार्ड का ध्यान रखा गया है, शास्ति लगाने वाले आदेश में उल्लेख किया जाना चाहिए । विधि मंत्रालय के परामर्श से इसकी जाँच की गई है । यह विचार किया गया है कि यदि किसी अधिकारी पर लगाए जाने वाली शास्ति का निर्णय करते समय पिछले खराब रिकार्ड, दण्ड आदि पर ध्यान देने का प्रस्ताव हो तो इसे भी आरोप पत्र में विशिष्ट आरोप बनाया जाना चाहिए अन्यथा दण्ड के आदेश में अनजाने में अथवा सामान्य रीति से पुराने खराब रिकार्ड का उल्लेख क्रियाविधि को निष्प्रभाव कर देगा जब कि आरोप-पत्र में इसका जिक्र न किया गया हो और इसलिए इससे बचना चाहिए ।

(भारत सरकार, गृह मंत्रालय का तारीख 28.08.68 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 134/20/68-ए0 वी0 डी0)

(3) जाँच अधिकारी की रिपोर्ट पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अंदेश पारित करना मामलों का शीघ्र निपटान -

तारीख 25 और 26 सितंबर, 1970 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद को 9 वीं साधारण बैठक में संयुक्त परामर्श तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित मद पर विचार किया गया था -

“ विलंब से बचने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 15 में “ उपयुक्त उपबंध किए जाने चाहिए ताकि अनुशासनिक प्राधिकारी अनिवार्यतः जाँच रिपोर्ट के आधार पर 15 दिन की अवधि के भीतर आदेश पारित कर सकें । “

थोड़े विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय किया गया था कि सरकारी पक्ष के दो महीने की समय-सीमा, निर्धारित करने के औचित्य की जाँच करनी चाहिए, जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी को जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करने चाहिए और यह आवश्यक है कि उक्त प्राधिकारी को ऐसे मामलों की रिपोर्ट अगले उच्च प्राधिकारी को करनी चाहिए जिनमें समय-सीमा का पालन नहीं किया जा सकता व उसके कारण भी स्पष्ट करने चाहिए ।

कर्मचारी पक्ष के सुझाव की तदनुसार आगे जाँच की गई है । यह महसूस किया गया है कि लोकहित तथा कर्मचारी के हित दोनों के लिए अनुशासनिक मामलों के निपटान में कोई परिहार्य विलम्ब नहीं होना चाहिए । यह आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारी पर शास्ति, यदि कोई हो, अधिरोपित करने के संबंध में राय कायम करने से पहले अनुशासनिक प्राधिकारी के पास सभी संगत तथ्यों पर, जो जाँच में सामने आए हैं, ध्यान देने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो । अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट के निपटान के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली में कोई समय-सीमा निर्धारित करने से ऐसे मामलों के निपटान में मात्र औपचारिकता ही नहीं बरती जाए । सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए यह अनुभव किया गया है कि जिन मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग अथवा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती उन मामलों में सामान्यतः अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए यह संभव होना चाहिए कि जाँच रिपोर्ट के आधार पर वह अधिक से अधिक तीन महीने की अवधि के भीतर अंतिम निर्णय ले सके । जिन मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी यह अनुभव करता है कि इस समय-सीमा का पालन करना संभव नहीं है तथा उसके कारण भी बताएगा जिन मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा संघ लोक सेवा

आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो उन मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए कि मामलों का निपटान यथासंभव शीघ्र हो जाए ।

[मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) का तारीख 8 जनवरी, 1971 का ज्ञापन संख्या 39/43/70- स्था0(क)]

(3क) अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा आदेश पारित करने में विलम्ब -

तारीख 08.01.1971 के कार्यालय ज्ञापन सं0 39/43/70-स्था0(क) में यह उल्लेख किया गया है कि अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए सामान्यतः संभव होना चाहिए कि वह जाँच रिपोर्ट पर तीन माह की अवधि के भीतर अंतिम निर्णय ले ले । जिन मामलों में यह महसूस किया जाए कि इस समय-सीमा का पालन किया जाना संभव नहीं है उनमें अगले उच्च प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए जिसमें यह उल्लेख किया जाए कि कितना अतिरिक्त समय चाहिए और साथ ही साथ तत्संबंधी कारण भी बताए जाएं । यह भी सुनिश्चित करें कि जिन मामलों के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयोग और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है, उनका निपटान यथाशीघ्र कर दिया जाए ।

2. जिन मामलों के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित होता है, उनके बारे में उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में हालांकि कोई निर्दिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है परंतु संघ लोक सेवा आयोग से सलाह प्राप्त होने के बाद ऐसे मामलों में तीन माह की उसी समय-सीमा का पालन किया जाना आवश्यक है जो अन्य मामलों के लिए निर्धारित की गई है ।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 11 नवंबर, 1998 का कार्यालय ज्ञापन सं0 11012/21/98-स्था0(क))

(4) अनुशासनिक मामले - सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आख्यापक आदेश जारी किए जाने की आवश्यकता -

जैसा कि सर्वविदित है तथा न्यायालयों द्वारा निर्धारित किया गया है कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के उपबंधों अथवा किन्हीं अन्य तत्संबंधी नियमों के अधीन कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाहियों का स्वरूप अर्ध

न्यायिक होता है तथा इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों में आदेश केवल उन्हीं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाएं जिन्हें संगत नियमों के अधीन अनुशासनिक/अपीलीय/पुनरीक्षा प्राधिकारियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है तथा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश में एक न्यायिक आदेश के गुण होने चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने महावीर प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य(ए आई.आर.1970 एस.पी.1302) के मामले में यह टिप्पणी की थी किसी अर्ध न्यायिक प्राधिकारी द्वारा किसी निर्णय के समर्थन में कारण रिकार्ड करना अनिवार्य है क्योंकि इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि निर्णय किसी सनक, भ्रांति या पंसद-नापंसद के कारण न लेकर विधि के अनुसार लिया गया है अथवा नीति अथवा औचित्य के आधार पर लिया गया है। यदि आदेश पर अपील की जा सकती है तो ऐसे कारण रिकार्ड करने की और भी अधिक आवश्यकता होती है।

2. किंतु इस विभाग की जानकारी में ऐसे दृष्टांत भी आए हैं जहां सक्षम अनुशासनिक/अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित किए गए अंतिम आदेशों में वे कारण नहीं बताए गए हैं जिनके आधार पर उस आदेश द्वारा संप्रेषित करने के निर्णय लिए गए थे। चूंकि ऐसे आदेश विधि संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं भी हो सकते हैं इसलिए किसी विधि न्यायालय में चुनौती दिए जाने पर इन्हें अवैध ठहराया जा सकता है। अतः सभी संबंधितों पर यह जोर दिया जाता है कि अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्राधिकारी विधि संबंधी उपर्युक्त अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतः आख्यापक तथा तर्कसंगत आदेश जारी करें।

3. ऐसे उदाहरण भी जानकारी में आए हैं जहां यद्यपि अनुशासनिक/अपीलीय मामलों में फाइलों में निर्णय तो सक्षम अनुशासनिक/अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा लिए गए थे, परंतु अंतिम आदेश उक्त प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए थे, बल्कि किसी निम्न प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए थे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि अनुशासनिक/अपीलीय पुनरीक्षा प्राधिकारी अर्ध न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं और इसलिए वे अपनी शक्तियां अपने अधीनस्थों को प्रत्यायोजित नहीं कर सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से सूचित किए जाएं तथा इस प्रकार जारी किए गए आदेश में पूर्ववर्ती पैराग्राफों में यथानिर्दिष्ट विधि संबंधी अपेक्षाओं का पालन किया जाना चाहिए। केवल उन मामलों में जहां अनुशासनिक/अपीलीय/पुनरीक्षा प्राधिकारी राष्ट्रपति हैं तथा जहां संबंधित मंत्री ने मामले पर विचार कर लिया है तथा इस आशय के अपने आदेश दे दिए हैं कि उक्त आदेश को ऐसा कोई अधिकारी अधिप्रमाणित कर सकता है जिसे राष्ट्रपति के नाम से आदेशों को अधिप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, वैसा किया जाता है।

[(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) का तारीख 13-7-1981 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 134/1/81-ए0 वी0 डी0-1)]

(5) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेशों को पारित किए जाने से पहले अभियुक्त सरकारी सेवक की जांच रिपोर्ट की प्रति दिया जाना ।

इस मुद्दे की जांच कर ली गई है कि क्या उन मामलों में जहां अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच अधिकारी नहीं होता है, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने से पहले रिपोर्ट के निष्कर्ष के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष अपना अनुरोध, यदि कोई हो, रखने के योग्य बनाने के लिए अभियुक्त सरकारी कर्मचारी को जांच रिपोर्ट की एक प्रति भेजी जानी चाहिए । इस मामले के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) में निर्धारित संवैधानिक अपेक्षाओं तथा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 15 तथा 17 के प्रावधानों तथा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की विभिन्न पीठों तथा विभिन्न न्यायालयों के विनिर्णयों को मद्दे नजर रखा गया है ।

2. प्रेम नाथ शर्मा बनाम भारत सरकार (रेलवे मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था) के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की पूर्ण न्यायपीठ ने निर्णय दिया है कि न्यासंगत अवसर प्रदान करने की संवैधानिक अपेक्षा की पूर्ति करने के लिए यह आवश्यक है कि उन सभी मामलों में जहां अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं होता है, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा शास्ति लगाने वाले आदेश पारित करने से पहले अभियुक्त सरकारी कर्मचारी को जांच के निष्कर्षों के संबंध में अपना अनुरोध प्रस्तुत करने के योग्य बनाने के लिए जांच रिपोर्ट की एक प्रति भेजी जाएगी । अपना निर्णय देते समय, समस्त पीठ ने इस मुद्दे के संबंध में पहले से घोषित विभिन्न न्यायालयों के विनिर्णयों को ध्यान में रखा था । यद्यपि उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध रेल मंत्रालय द्वारा दायर एक विशेष इजाजत याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है तथा इसे लागू करने के विरोध में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दे दिया है फिर भी अधिकरण की विभिन्न पीठ समस्त पीठ द्वारा निर्धारित अनुपात का अनुसरण कर रही है । बाद के कुछ मामलों में संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा दायर की गई विशेष इजाजत याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है । ई. वाश्यम बनाम परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्य इसी प्रकार के मामले में विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध दायर विशेष इजाजत याचिका में उच्चतम न्यायालय ने अपने विचार अधिकरण द्वारा निर्धारित सिद्धांत के पक्ष में व्यक्त किए हैं, परंतु निदेश दिया है कि मामले को न्यायालय की वृहत्तर पीठ को भेजा जाए ।

3. उपर्युक्त निर्णयों को देखते हुए, मामले की जांच विधि कार्य विभाग के परामर्श से की गई है और यह निर्णय किया गया है कि सभी मामलों में जहां जांच का कार्य केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली के नियम 14 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है, अनुशासनिक प्राधिकारी यदि वह जांच अधिकारी से भिन्न है तो वह मामले पर अंतिम आदेश देने से पहले संबंधित सरकारी कर्मचारी को जांच रिपोर्ट की एक प्रति निम्नलिखित पृष्ठांकन सहित भेजे।

“ जांच अधिकारी की रिपोर्ट संलग्न है। अनुशासनिक प्राधिकारी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् उपर्युक्त निर्णय लेगा। यदि आप किसी प्रकार का अभ्यावेदन अथवा अनुरोध करना चाहे तो ऐसा आप इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अनुशासनिक प्राधिकारी को लिखित रूप में कर सकते हैं।”

4. उपर्युक्त अनुदेश जारी होने की तारीख से भावी प्रभाव से लागू होंगे और तदनुसार केवल उन मामलों में लागू होंगे जहां अनुशासनिक प्राधिकारी को आदेश अभी पारित करने हैं। पुराने मामलों को विचारण के लिए पुनः खोलना आवश्यक नहीं है। इन अनुदेशों की पुनरीक्षा प्रेम नाथ के शर्मा तथा ई. बाश्याम के मामलों में उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात् की जाएगी।

5. कृषि मंत्रालय इत्यादि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों को भावी मामलों के अनुपालन के लिए सभी प्रशासनिक प्राधिकारियों के ध्यान में ला दें जिनमें वे मामले भी सम्मिलित हैं जिनमें केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने निदेश दिया है कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने से पहले अभियुक्त सरकारी कर्मचारी को जांच रिपोर्ट की एक प्रति भेजी जाए। ऐसे मामलों में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्देश का अनुपालन किया जाए तथा कोई भी विशेष इजाजत याचिका दायर न की जाए। तथापि उन मामलों में जहां इस मुद्दे से संबंधित इजाजत याचिकाएं उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित पड़ी हो, संबंधित मंत्रालयविभाग मामले पर जल्दी सुनवाई के लिए तथा एक अधिकारिक विनिर्णय प्राप्त करने के लिए मामलों पर कार्रवाई करें।

[कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 26.6.1989 का का0ज्ञा0 संख्या 11012/13/85-स्था0)

(5क) यदि कोई असहमति हो तो उसके कारण संसूचित किए जाएं -

उच्चतम न्यायालय ने प्रबंध निदेशक (ईसीआईएल), हैदराबाद बनाम बी करूणाकर (जे टी 1993 (6)एस सी.1) के मामले में दिए गए निर्णय में इस मुद्दे का पूर्ण समाधान कर लिया है। उच्चतम न्यायालय ने यह ठहराया है कि जहां कहीं सेवा नियमों में यह व्यवस्था हो कि दंड देने से पहले जांच की जाए और जांच अधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी न हो तो अपचारी कर्मचारी को जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार होगा चाहे दंड का स्वरूप कुछ भी हो। अपचारी कर्मचारी को जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति देने के बारे में तारीख 3.5.1995 की अधिसूचना सं. 11012/4/94-स्थापना (क) के तहत केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 15 में अपेक्षित संशोधन किया गया है। अतः सभी अनुशासनिक प्राधिकारी सभी मामलों में उपरिउल्लिखित अपेक्षा का बिना किसी चूक के अनुपालन करें।

2. इस संबंध में यह प्रश्न उठाया गया है कि जब अनुशासनिक प्राधिकारी जांच रिपोर्ट से असहमत होने का निर्णय लेता है तो क्या उसके द्वारा उक्त असहमति के कारण, आरोपित अधिकारी को संसूचित किए जाने चाहिए। विधि मंत्रालय से परामर्श करके इस मुद्दे पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया है कि जिन मामलों में जांच प्राधिकारी यह ठहराता है कि आरोप साबित नहीं हुआ है और अनुशासनिक प्राधिकारी इसके विपरित निर्णय लेता है तो ऐसी असहमति के कारण, जांच रिपोर्ट के साथ संक्षेप में आरोपित अधिकारी को अवश्य संसूचित किए जाएं ताकि, आरोपित अधिकारी प्रभावी अभ्यावेदन कर सके। आरोपित अधिकारी को जांच रिपोर्ट भेजने से पहले अनुशासनिक प्राधिकारी को निर्धारित कार्यविधि के अनुसार पहले रिपोर्ट का अध्ययन करना होगा और अपना अंतिम मत कायम करना होगा।

[कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 27.11.1995 का कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/22/94-स्थापना (क)]

(6) सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शास्ति की प्रमात्रा (क्वाण्टम) के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अधिकारिता -

परमानंद बनाम हरियाणा सरकार तथा अन्यो के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय।

इस विभाग के ध्यान में ऐसे बहुत से मामले आए हैं जहां केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने किसी अपचारी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध ठहराने के अनुशासनिक प्राधिकारी के

निर्णय से सहमत होते हुए शास्ति की मात्रा में स्व-निर्णय से संशोधन किया है। इस प्रश्न की कि क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई शास्ति में अधिकरण इस आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है कि यह सिद्ध कदाचार से अधिक है अथवा अनुरूप नहीं है। श्री परमानंद बनाम हरियाणा सरकार तथा अन्यो (1989(2) उच्चतम न्यायालय के मामले 177) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच की गई थी तथा न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अधिकरण केवल ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग सिविल न्यायालयों अथवा उच्च न्यायालयों ने न्यायिक पुनरीक्षा के द्वारा किया होता। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में आगे निम्नानुसार टिप्पणी की।

अनुशासनिक मामलों अथवा सजा के संबंध में हस्तक्षेप करने के अधिकरण के क्षेत्राधिकार को अपील क्षेत्राधिकार के बराबर नहीं माना जा सकता। जांच अधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी के निर्णयों में जहां वे मनमाने अथवा पूर्णतया अनुचित न हो अधिकरण हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किसी अपचारी अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति सक्षम प्राधिकारी को या तो विधान मंडल के किसी अधिनियम अथवा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा प्रदत्त की जाती हैं। यदि कोई जांच नियमों के अनुरूप तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार हो तो न्याय के अनुसार क्या सजा होगी यह मामला पूर्णतया सक्षम प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर है। यदि शास्ति विधिवत् अधिरोपित की जा सकती हो तथा उसे सिद्ध कदाचार पर अधिरोपित किया गया हो तो अधिकरण के पास उस प्राधिकारी के निर्णय के स्थान पर अपना स्व-निर्णय प्रतिस्थापित करने की कोई शक्ति नहीं है। दण्ड की उपयुक्तता जब तक कि वह दुर्भावपूर्ण न हो निश्चित रूप से ऐसा मामला नहीं है जिससे अधिकरण का संबंध हो। अधिकरण तब भी शास्ति के संबंध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता यदि जाँच अधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी का निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित हो चाहे इसमें कुछ बातें मामले से असंगत अथवा असंबद्ध हों।

तथापि, हम इस प्रस्ताव को अपवाद के रूप में ले सकते हैं। यह मामले ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ शास्ति संविधान के अनुच्छेद 311(2) के दूसरे परंतुक के खंड (क) के अंतर्गत अधिरोपित की गई हो। जहाँ व्यक्ति को किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा केवल दोषसिद्ध के आधार पर बर्खास्त/हटाया गया हो अथवा उसकी रैंक को घटाया गया हो, तो अधिकरण दोषसिद्धि को मद्दे नज़र रखते हुए अधिरोपित शास्ति की उपयुक्तता तथा व्यक्ति को दी गई सजा की जाँच करे। यदि आपराधिक आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आरोपित शास्ति स्पष्टतः अनुचित अथवा अनावश्यक है, तो अधिकरण पर्याप्त न्याय देने के लिए कार्रवाई करे। अधिकरण मामलों को

पुनर्विचार के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेज दे अथवा खण्ड (क) के अंतर्गत दी गई शास्तियों में से किए एक को स्वयं प्रतिस्थापित कर दे ।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 28.2.1990 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/1/90-स्था(क))

6(क) सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अधिकारिता -

भारतीय स्टेट बैंक बनाम समरेंद्र किशोर एंडो (1994(1) एस एल आर 516) के मामले में भी उच्चतम न्यायालय पर अधिकरण को प्राधिकारी के विवेकाधिकार को खारिज करने की शक्ति नहीं है ।

2. इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की :-

दंड के प्रश्न पर प्रत्यर्थी के विद्वान काउंसिल ने यह कहा कि दिया गया दंड अत्यधिक है और कम दंड से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी । इस बात की ओर ध्यान दिया जाए कि उपयुक्त दंड देना, अनुशासनिक प्राधिकारी के विवेकाधिकार व निर्णयशीलता के दायरे में आता है । अपील प्राधिकारी तो इसमें हस्तक्षेप कर सकता है परंतु उच्च न्यायालय या प्रशासनिक अधिकरण ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अधिकरण की अधिकारिता, उच्च न्यायालय की शक्तियों के समान है । अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है । यह “ किसी निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं बल्कि उस रीति का पुनर्विलोकन है जिसके अनुसार निर्णय किया गया था । “ दूसरे शब्दों में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए दी गई है कि संबंधित कर्मचारी के साथ उचित बरताव करने के बाद इस प्रकार के मुद्दे पर पहुँचे जिसके बारे में ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए कानून ने उसे प्राधिकृत किया हो जो न्यायालय की निगाह में सही हो ।

इस अवस्था में यह उल्लेख करना उपयुक्त प्रतीत होता है कि भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल (ए आई आर 1985 एस सी 1416) के मामले में कुछ टिप्पणियाँ की गई हैं । इन टिप्पणियों से प्रथम दृष्टि में यह प्रतीत होता है कि जब अधिरोपित की गई शास्ति “ मनमानी या अत्यधिक या किए गए अपराध की तुलना में सही न हो या मामले के तथ्यों व परिस्थितियों तथा संबंधित सरकारी सेवा की अपेक्षाओं को देखते हुए वह अधिरोपित नहीं की जानी चाहिए थी “ । तो न्यायालय

हस्तक्षेप कर सकता है। परंतु यह ध्यान में रखा जाए कि तुलसीराम पटेल का मामला, संविधान के अनुच्छेद 311(2) के परंतुक (क) से संबंधित था। तुलसीराम पटेल के मामले में, चलाप' (ए आई आर 1975 एस सी 2216) के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को नामंजूर कर दिया गया। न्यायालय ने यह ठहराया कि उक्त परंतुक के अंतर्गत आने वाले मामले में शास्ति अधिरोपित करने से पहले नोटिस दिए जाने की आवश्यकता नहीं है परंतु इसके साथ-साथ उसने यह भी ठहराया कि यदि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा असंगत या कठोर दंड दिया जाता है तो उसे अपील न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा ठीक किया जा सकता है। ये टिप्पणियां, नियमित जाँच के बाद अधिरोपित की गई शास्ति के मामले के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 28.03.1994 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/6/94-स्था0(क))

16. छोटी शास्तियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया :

- (1) नियम 15 के उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम(11) के खंड (i) से (iv) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी शास्ति सरकारी सेवक पर अधिरोपित करने के लिए कोई आदेश तभी किया जाएगा जब कि -
 - (क) सरकारी सेवक के विरुद्ध कार्रवाई करने की प्रस्थापना की और अवचार या कदाचार के उन लांछनों की, जिन पर ऐसी कार्रवाई की जानी प्रतिस्थापित है, लिखित सूचना सरकारी सेवक को दे दी गई हो और ऐसा अभ्यावेदन देने का, जैसा यह प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध देना चाहता हो, युक्ति-युक्त अवसर दे दिया गया हो;
 - (ख) ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसी जांच आवश्यक है, नियम 14 के उपनियम (3) से (23) तक में अधिकथित रीति में जाँच कर ली गई हो ;
 - (ग) खण्ड (क) के अधीन सरकारी सेवक द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर यदि कोई हो, और खण्ड (ख) के अधीन जांच के अभिलेख पर, यदि कोई हो, विचार कर लिया गया हो ;
 - (घ) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन की बाबत निष्कर्ष अभिलिखित कर दिया गया हो ; और

(ड) आयोग से परामर्श, जहां आवश्यक हो, कर लिया गया हो ।

(1-क) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी यदि उक्त उपनियम के खण्ड (क) के अधीन सरकारी सेवक द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई है, विचार करने के पश्चात् किसी मामले में यह प्रस्थापना की जाती है कि वेतन-वृद्धियां रोक दी जाएं और वेतन-वृद्धियां के ऐसे रोक दिए जाने से सरकारी सेवक को देय पेंशन की रकम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है या तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वेतन वृद्धियां रोक दी जाएं या किसी भी अवधि के लिए वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोक दी जाएं, तो सरकारी सेवक पर कोई भी ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के लिए आदेश करने से पूर्व नियम 14 के उपनियम (3) से (23) तक में अधिकथित रीति में जाँच की जाएगी ।

(2) ऐसे मामलों में कार्यवाही के अभिलेख के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

(i) सरकारी सेवक के विरुद्ध कार्रवाई करने की प्रस्थापना को उसे दी गई प्रज्ञापना की एक प्रति ;

(ii) अवचार या कदाचार के लांछनों से उसे दिए गए विवरण की एक प्रति ;

(iii) उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो ;

(iv) जाँच के दौरान पेश किया गया साक्ष्य ;

(v) आयोग की सलाह, यदि कोई हो ;

(vi) अवचार व कदाचार के प्रति लांछन की बाबत निष्कर्ष ;

(vii) मामले में किए गए आदेश और उन आदेशों के कारण ।

भारत सरकार का निर्णय :-

(1) वेतनवृद्धियां रोकने की कुछ शास्तियों में जांच करना अनिवार्य है :-

तारीख 6 और 7 नवंबर, 1967 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यह निर्णय किया गया है कि जिन मामलों में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए वेतनवृद्धियां रोक ली जाती हैं या वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोक दी जाती हैं या वेतनवृद्धियों के ऐसे रोक दिए जाने से पेंशन

संबंधी हकदारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो जांच करने की क्रियाविधि से निश्चित रूप से पालन करना चाहिए ।

जैसा कि वित्त मंत्रालय आदि को विदित ही है कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 16 के उपनियम (1) का खण्ड (ख) उसी नियमावली के नियम 14 के उपनियम (3) से (23) में निर्धारित रीति से ऐसे प्रत्येक मामले में जाँच करने के लिए उपबंध करता है जिस मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसी जांच आवश्यक है । पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित राष्ट्रीय परिषद के निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 16(1)(ख) में अन्तर्निहित उपबंध में किसी बात के होते हुए भी किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् यदि किसी मामले में यह प्रतिस्थापित किया जाता है कि तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वेतनवृद्धियां रोक दी जाएं या वेतनवृद्धियों को रोक दिए जाने से सरकारी सेवक को देय पेंशन की राशि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो उसी नियमावली के नियम 14 के उप-नियम (3) से (23) तक में अधिकथित रीति में जांच अवश्य की जाएगी ।

(गृह मंत्रालय का तारीख 19 जनवरी, 1968 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/3/67-स्थापना (क))

(2) छोटी शास्ति - विशिष्ट परिस्थितियों में जाँच करना-

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के संशोधन पर विचार करने के लिए गठित की गई राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्श तंत्र) की समिति के कर्मचारी पक्ष ने यह सुझाव दिया था कि नियम 16(1) को इस प्रकार संशोधित किया जाए ताकि छोटी शास्ति लगाए जाने के मामले में भी जाँच-पड़ताल किए जाने की व्यवस्था की जा सके बशर्ते कि अभियुक्त कर्मचारी ने ऐसी जाँच किए जाने के लिए अनुरोध किया हो ।

2. उपर्युक्त सुझाव पर बारीकी से विचार किया गया है । केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 16(1) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में छोटी शास्ति लगाए जाने की दशा में भी, जाँच कराए जाने की व्यवस्था है । छोटी शास्ति लगाए जाने के अन्य मामलों में उपर्युक्त नियम 16 (1) इस बात का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकरण पर छोड़ता है कि संबंधित सरकारी कर्मचारी को सूचित किए गए कदाचार अथवा दुर्यवहार के आरोपों के बारे में उनसे अभ्यावेदन प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकारी को अभ्यावेदन में दिए गए पूरे तथ्यों तथा परिस्थितियों और विस्तृत जांच कराए जाने के समर्थन में बताए गए कारणों पर अपने विवेक

से काम लेना तथा यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या मामले की जांच की जानी आवश्यक है अथवा नहीं। ऐसे मामले में, जहां किसी अपचारी सरकारी कर्मचारी ने कतिपय दस्तावेजों का निरीक्षण करने तथा अभियोग पक्ष के गवाहों से जिरह करने के लिए अनुरोध किया हो, वहां निस्संदेह अनुशासनिक प्राधिकारी को उनके अनुरोध पर और अधिक सूझबूझ से विचार करना चाहिए और उसके अनुरोध को मात्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसी जांच अनिवार्य नहीं है। सरकारी कर्मचारी द्वारा, जांच कराए जाने के समर्थन में, दिए गए कारणों के बावजूद यदि अनुशासनिक प्राधिकारी उसके रिकार्ड पर उचित विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि इस मामले की जांच करवाया जाना आवश्यक नहीं है तो उसे उन कारणों को लिखित रूप में बताना चाहिए, न कि उसके जांच कराए जाने के अनुरोध को सरकारी तौर पर इस आशय का संकेत दिए बिना कि उन्होंने उसके अनुरोध पर पूरी तरह से विचार किया है, अस्वीकार कर देना चाहिए अन्यथा इस प्रकार की गई कार्रवाई का अर्थ नैसर्गिक न्याय से वंचित रखे जाने से लगाया जाएगा।

(का० तथा प्रशि० विभाग का तारीख 28.10.1985 का कार्यालय ज्ञापन सं० 11012/18/85-स्था०(क))

17. आदेशों की संसूचना

अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश सरकारी सेवक को संसूचित किए जाएंगे साथ ही उसे आरोप के प्रत्येक ब्यौरे की बाबत अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्षों की एक प्रति, या जहां अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं है, वहां अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्षों का विवरण तथा जाँच प्राधिकारी के निष्कर्षों से उसकी असहमति, यदि कोई हो, के संक्षिप्त कारण और आयोग द्वारा दी गई सलाह को, यदि कोई हो, एक प्रति भी और यदि अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग की सलाह न मानी हो तो उसके कारणों का संक्षिप्त विवरण भी दिया जाएगा।

भारत सरकार का निर्णय :-

(1) गोपनीय पंजियों में दण्ड की प्रविष्टि :-

यह निर्णय किया गया है कि अनुशासनिक कार्यवाहियों के फलस्वरूप सरकारी कर्मचारी पर कोई भी निर्धारित दण्ड (अर्थात् निन्दा, निचले पद पर पदावनति आदि) लगाया जाता हो तो उसका रिकार्ड गोपनीय पंजी में निरपवाद रूप से रखा जाना चाहिए।

(भारत सरकार, गृह मंत्रालय का तारीख 23.4.1960 का का.ज्ञा.सं. 38/12/59-स्था.(क))

18. एक साथ कार्यवाही

- (1) जहां किसी मामले का संबंध दो या दो से अधिक सरकारी सेवकों से है, वहां राष्ट्रपति या कोई अन्य प्राधिकारी, जो सभी ऐसे सरकारी सेवाओं पर सेवा से पदच्युति की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो, यह निदेश देते हुए आदेश दे सकेगा कि उन सब के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एक साथ ही की जाए ।

टिप्पणी :

यदि ऐसे सरकारी सेवकों पर पदच्युति की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भिन्न-भिन्न हैं, तो अनुशासनिक कार्यवाही एक ही कार्यवाही में करने के लिए आदेश, ऐसे प्राधिकारियों में से उच्चतम प्राधिकारी द्वारा, अन्य प्राधिकारियों की सहमति से किया जा सकेगा ।

(2) नियम 12 के उप-नियम(4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे किसी आदेश में निम्नलिखित बातें विनिर्दिष्ट की जाएंगी : -

- (i) वह प्राधिकारी जो ऐसी एक ही कार्यवाही के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकेगा ;
- (ii) नियम 11 में विनिर्दिष्ट शास्तियां, जो ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी अधिरोपित करने के लिए सक्षम होगा ; और
- (iii) क्या नियम 14 तथा नियम 15 या नियम 16 में अधिकथित प्रक्रिया का कार्यवाही में अनुसरण किया जाएगा ।

भारत सरकार के अनुदेश :

- (1) जब दो सरकारी सेवक एक-दूसरे पर अभियोग लगाएं तो उस स्थिति में जांच की प्रक्रिया :-

हाल के एक मामले में, एक ही कार्यालय में कार्य कर रहे दो सरकारी कर्मचारियों ने एक-दूसरे के विरुद्ध शिकायत की । अनुशासनिक प्राधिकारी ने केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील)नियमावली के नियम 18 के अधीन दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां आरंभ कीं । इस प्रश्न की विधि मंत्रालय के परामर्श से जांच की गई है कि क्या अभियुक्त और अभियोक्ता दोनों के आचरण की जांच करना तथा संयुक्त कार्यवाही करना विधिवत् अनुज्ञेय है । उसी अथवा संबंधित घटना अथवा मामले से उत्पन्न प्रति-शिकायत असामान्य नहीं

है और ऐसा आपराधिक मामलों में प्रायः होता है। ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता में कोई उल्लेख नहीं है। न्यायालय द्वारा निर्धारित सामान्य नियम यह है कि प्रति-शिकायती मामले में अभियुक्तों पर अलग-अलग विचारण करना चाहिए और दोनों ही विचारणों में एक साथ अथवा शीघ्र बाद ही निर्णय करना चाहिए ताकि समान साक्ष्य के परस्पर विरोधी निष्कर्षों और विभिन्न मूल्यांकनों से बचा जा सके। दण्ड कानूनी पद्धति और प्रक्रिया की सादृश्यता के आधार पर अभियुक्त और अभियोक्ता के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही अनियमितता है और इससे बचना चाहिए। इसे भविष्य में मार्गदर्शन के लिए नोट किया जाए।

(गृह मंत्रालय का तारीख 13 जून, 1963 का पत्र सं० 6/98/63-ए०वी०डी०)

19. कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया :-

नियम 14 से नियम 18 तक में किसी बात के होते हुए भी जहां -

- (i) किसी सरकारी सेवक पर कोई शास्ति उसके ऐसे आचरण के आधार पर अधिरोपित की गई है जिसके लिए उसे आपराधिक आरोप पर दोषसिद्ध किया गया है, या
- (ii) अनुशासनिक प्राधिकारी का, उन कारणों से जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, यह समाधान हो जाए कि इन नियमों में उपबंधित रीति से कोई जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है, या
- (iii) राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि इन नियमों में उपबंधित रीति से कोई जांच करना राज्य की सुरक्षा के हित में समीचीन नहीं है।

वहां अनुशासनिक प्राधिकारी उस मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा और उस बाबत ऐसआदेश कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे :

परन्तु सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध खंड (i) के अंतर्गत किसी मामले में कोई आदेश करने से पूर्व उसे प्रस्तावित शास्ति के लिए अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जा सकता है :

परन्तु इस नियम के अधीन किसी मामले में कोई आदेश करने से पूर्व आयोग से परामर्श, जहां ऐसा परामर्श आवश्यक है, किया जाएगा।

भारत सरकार के निर्णय

(1) संविधान के अनुच्छेद 311(2) के द्वितीय परन्तुक की व्याप्ति-

तुलसी राम पटेल तथा अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 11.7.85 को दिया गया निर्णय अत्यंत विवाद का विषय रहा है। इस निर्णय के कारण उत्पन्न हुई आशंका मुख्यतः इसलिए है क्योंकि इस निर्णय में और सत्यवीर सिंह तथा अन्य (1982 की सिविल अपील संख्या 242 और 1982 की सिविल अपील संख्या 576) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा बाद में तारीख 12 सितम्बर, 1985 को दिए गए निर्णय में स्पष्ट किए गए मुद्दों को सही रूप में नहीं समझा गया है। अतः इस मुद्दे के सभी संबंधित व्यक्तियों के हित तथा मार्गदर्शन के लिए, स्पष्ट करना अत्यावश्यक है।

2. सबसे पहले तो यह समझ लिया जाना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय में विधि का कोई नया नियम स्थापित नहीं किया है। इसने केवल संविधान के अनुच्छेद 311(2) में समाविष्ट संवैधानिक उपबंधों को ही स्पष्ट किया है। दूसरे शब्दों में यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों को उक्त अनुच्छेद द्वारा दी गई उस सांविधानिक सुरक्षा से वंचित नहीं करता है जिसके अधीन यह व्यवस्था है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध उन आरोपों की जांच किए बिना जिनके बारे में उसे सूचित किया गया है तथा उसे अपने बचाव के उचित अवसर प्रदान किए बिना पद से उसे बरखास्त अथवा हटाया नहीं जा सकता अथवा उसके रैंक में कटौती नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 311(2) के दूसरे परन्तुक के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) में दी गई केवल तीन ही ऐसी आपवादिक परिस्थितियां हैं जिनमें ऐसी जाँच कराए जाने की आवश्यकता को समाप्त किया गया है।

3. उक्त निर्णय इन तीन आपवादिक परिस्थितियों के अधीन भी किसी सक्षम प्राधिकारी को संविधान के अनुच्छेद 311(2) के दूसरे परन्तुक में दिए गए तीन खण्डों में से किसी खण्ड अथवा उसके अनुरूप किसी सेवा नियम के अधीन कार्रवाई करने के लिए, अनियंत्रित शक्ति प्रदान नहीं करता। सक्षम प्राधिकारी से यह आशा की जाती है कि वह इस परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग पूरी तरह से सावधानी बरतने और पर्याप्त रूप से विचार करने के बाद ही करेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुच्छेद 311(2) के द्वितीय परन्तुक अथवा इसके अनुरूप सेवा नियमों के अधीन कार्रवाई करते समय ध्यान में रखे जाने वाले नियमों की उच्चतम न्यायालय ने स्वयं व्याख्या की है। सभी संबंधित व्यक्तियों की सूचना, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए इन्हें अनुवर्ती पैराग्राफों में पुनः उद्धृत किया गया है।

4. जब कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 311(2) के दूसरे परन्तुक के खण्ड (क) अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली 1965 के नियम 19 (1) अथवा इसके समान किसी अन्य सेवा नियम के अधीन की जाती है तब सबसे पहले पूर्वापेक्षा यह है कि अनुशासनिक प्राधिकारी को यह मालूम होना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी आपराधिक आरोप का दोषी पाया गया है। परन्तु यह जानकारी ही काफी नहीं होगी। किसी सरकारी कर्मचारी के आपराधिक आरोप में दोषसिद्धि की जानकारी होने पर अनुशासनिक प्राधिकारी को इस बात पर अवश्य विचार करना चाहिए कि क्या उसका आचरण, जिसके कारण उसे दोषी पाया गया है, इस प्रकार का था जिसके आधार पर कोई शास्ति अधिरोपित की जाए, यदि हां तो वह शास्ति क्या होनी चाहिए। इसके लिए अनुशासनिक प्राधिकारी को फौजदारी अदालत के निर्णय का अध्ययन करना होगा तथा मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना होगा। इस मामले पर विचार करते समय अनुशासनिक प्राधिकारी को अपचारी कर्मचारी के सम्पूर्ण आचरण तथा उसके द्वारा किए गए दुराचार की गंभीरता को और उसके दुराचार से प्रशासन पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को तथा अन्य परिशमनकारी परिस्थितियों अथवा सुधारात्मक तत्वों को ध्यान में रखा होगा। किंतु यह कार्य अनुशासनिक प्राधिकारी को स्वयं ही करना होगा। अगर अनुशासनिक प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि सरकारी कर्मचारी का आचरण वास्तव में निन्दनीय तथा दण्डनीय था तो उसे सरकारी कर्मचारी पर अधिरोपित की जाने वाली शास्ति के बारे में अवश्य निर्णय देना चाहिए। (नियम 19 का प्रथम परन्तुक जोड़े जाने से इस स्थिति में परिवर्तन आ गया है जिसे ध्यान में रखा जाए)। यह कार्य भी अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा स्वयं ही किया जाएगा। किंतु ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि किसी सिविल सेवक पर अधिरोपित की गई शास्ति उसके द्वारा किए गए अपराध की तुलना में अत्यधिक अथवा कुल मिलाकर गैर आनुपातिक अथवा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के परिवेश में जो उचित हो उससे अधिक न हो।

5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिछले पैराग्राफ में यथानिर्दिष्ट, आवश्यक आदेशों के पारित किए जाने के पश्चात् आदेशों से व्यथित सरकारी कर्मचारी स्थिति अनुसार अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में इस आशय का विरोध कर सकता है कि अधिरोपित शास्ति काफी भारी अथवा अधिक और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के परिवेश में ज्यादा थी। यदि उसका मामला इस प्रकार का है कि वह वही व्यक्ति नहीं है जिसे वास्तव में सिद्ध दोषी पाया गया था तो वह अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में इस आशय का प्रश्न भी उठा सकता है। यदि वह उपलब्ध सभी विभागीय उपायों के रहते हुए भी असफल हो जाता है और वह अभी भी मामले को आगे बढ़ाना चाहता है तो वह न्यायिक पुनर्विलोकन की मांग कर सकता है। न्यायालय (जिसमें अदालती शक्तियां रखने वाला अधिकरण भी शामिल होगा) इस प्रश्न की जांच करेगा कि क्या प्रतिवादित आदेश मनमाना अथवा बहुत ज्यादा अथवा किए गए अपराध की तुलना में बहुत अधिक अथवा

उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों अथवा उस सेवा विशेष की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिससे सरकारी कर्मचारी संबंधित है, न्यायसंगत नहीं है।

6. जहां तक संविधान के अनुच्छेद 311(2) के दूसरे परन्तुक के खण्ड (ख) का संबंध है उसमें दो ऐसी पूर्व शर्तें हैं जिनका कि इस खण्ड के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने से पूर्व पूरा किया जाना आवश्यक है। ये शर्तें निम्नलिखित हैं :-

- (i) जरूरी है कि स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसके कारीण अनुच्छेद 311(2) के द्वारा अपेक्षित जाँच किया जाना पर्याप्त रूप से व्यवहार्य न हो। अपेक्षित यह है कि विद्यमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, विवेकशील व्यक्ति की राय में जाँच का किया जाना व्यवहार्य नहीं है। ऐसे सभी मामलों का गिनाया जाना संभव नहीं है जिनमें कि जाँच का किया जाना पर्याप्त रूप से व्यवहार्य नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर ऐसे मामले इस प्रकार के होंगे :
 - (क) जहां कोई सिविल सेवक अपने किसी सहयोगी के जरिए अथवा उनके साथ मिलकर ऐसे गवाहों को, जो उसके विरुद्ध गवाही दे सकते हैं, ऐसा करने से रोकने के उद्देश्य से प्रतिशोध का भय दिखाकर आतंकित करता है, धमकाता है अथवा डराता है; अथवा
 - (ख) जहां, जाँच करने अथवा जाँच के लिए निदेश देने वाले अनुशासनिक प्राधिकारी को अथवा उसके परिवार के सदस्यों को, इस उद्देश्य से कि जाँच न हो पाए, किसी सरकारी सेवक द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य के साथ मिलकर अथवा किसी के जरिए धमकाया, डराया और आतंकित किया जाता है; अथवा
 - (ग) जहां जाँच किए जाने के प्रयास के समय हिंसा अथवा सामान्य अनुशासनहीनता तथा अवज्ञा का वातावरण बना हुआ हो।

अनुशासनिक प्राधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह लापरवाही के कारण अथवा मनमाने ढंग से अथवा किन्हीं परोक्ष कारणों से अथवा केवल जाँच कराए जाने को टालने के उद्देश्य से अथवा इस कारण से कि सिविल सेवक के विरुद्ध विभाग का मामला कमजोर है और इस वजह से असफलता निश्चित ही है, अनुशासनिक जाँच समाप्त कर देगा।

- (ii) अनुच्छेद 311(2) के दूसरे परन्तुक के खण्ड (ख) अथवा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 19(1) अथवा अन्य ऐसे किसी नियम के लागू किए जाने के साथ जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण शर्त यह है कि अनुशासनिक प्राधिकारी को अपनी संतुष्टि के लिए उस कारण अथवा उन कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड किया जाना चाहिए जिनकी वजह से अनुच्छेद 311(2) अथवा सेवा

नियमों के तत्समानी उपबंधों द्वारा अपेक्षित जाँच का किया जाना यथाचित रूप से व्यवहार्य नहीं था। यह एक संवैधानिक दायित्व है और यदि इन कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड नहीं किया जाता है तो ऐसी जाँच न करने के आदेश तथा इसके अनुसरण में जारी किए जाने वाले शास्ति के आदेश-दोनों ही अमान्य तथा असंवैधानिक होंगे। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जाँच न करने के कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करने की कार्यवाई अनिवार्यतः शास्ति लगाए जाने वाले आदेश से पहले हो जानी चाहिए। कानूनी दृष्टि से कहें तो जाँच न करने के कारणों का उल्लेख अंतिम आदेश में किया जाना आवश्यक नहीं है। फिर भी इन्हें संगत फाइल में अलग से रिकार्ड किया जाना चाहिए। इस कानूनी स्थिति के बावजूद शास्ति आरोपित करने वाले आदेश में उन कारणों का संक्षिप्त रूप में उल्लेख किया जाना श्रेष्ठकर होगा जिनके आधार पर अनुशासनिक प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जाँच का किया जाना यथाचित रूप से व्यवहार्य नहीं था। हालांकि इस प्रकार किए गए कारण संक्षिप्त होने चाहिए लेकिन ये अस्पष्ट नहीं होने चाहिए अथवा वे इस प्रकार के नहीं होने चाहिए जिनमें केवल संगत नियमों की भाषा को दोहराया गया हो।

7. यह सत्य है कि संविधान के अनुच्छेद 311(3) में यह व्यवस्था है कि अनुच्छेद 311(2) के दूसरे परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। परिणामस्वरूप सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के जरिए चुनौती दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को अन्तिम कहे जाने को बात न्यायालय (अथवा अदालत की शक्तियाँ प्राप्त अधिकरण) पर, जहाँ तक उनकी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को संबंध है, बाध्यकारी नहीं होगी और न्यायालय जांच समाप्त करने से संबंधित आदेश तथा साथ ही शास्ति आरोपित करने वाले आदेश-दोनों को ही रद्द करने के लिए सक्षम है बशर्त की मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा ऐसा किया जाना आवश्यक समझा जाए। सभी अनुशासनिक प्राधिकारी को इस आशय को राय बनाते समय कि जांच करना समुचित रूप से व्यवहार्य नहीं होगा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

8. इस खंड के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धान्त जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है वह है कि ऐसा कोई सिविल सवेक जिसे अनुच्छेद 311(2) के दूसरे परन्तुक के खंड (ख) अथवा तत्समानी सेवा नियमों के अधीन बरखास्त अथवा सेवा से हटाया गया हो अथवा जिसके रहे को घटा दिया गया हो, वह अपील अथवा पुनरीक्षण में इस आशय का दावा कर सकता है कि जिन आरोपों के कारण उस पर शास्ति लगाई गई है। उनके संबंध में जांच की जाए बशर्त कि अपील अथवा पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई के समय दूसरे परन्तुक में परिकल्पित हालात

मौजूद न हो। ऐसे मामले में भी अपील अथवा पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई एक समुचित समय तक के लिए स्थगित कर दी जानी चाहिए ताकि हालात सामान्य हो सके।

9. जहां तक संविधान के अनुच्छेद 311(2) के दूसरे परन्तुक के खण्ड (ग) के अधीन कार्यवाई करने का संबंध है, इस खण्ड के अन्तर्गत अपेक्षित यह है कि स्थिति अनुसार राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की इस बारे में संतुष्टि होनी चाहिए कि राज्य की सुरक्षा के हित में अनुच्छेद 311(2) में उल्लिखित जांच करनी व्यवहार्य नहीं है। संवैधानिक प्राधिकारी के नाते राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को इस प्रकार की संतुष्टि मंत्री परिषद् को सहायता और सलाह से प्राप्त होनी चाहिए। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को प्राप्त होने वाली यह संतुष्टि अनिवार्यतः व्यक्तिपरक होती है। इस प्रकार की संतुष्टि के कारणों का उल्लेख बरखास्त किए जाने, पद से हटाए जाने अथवा रैंक में कटौती किए जाने वाले आदेशों में किया जाना आवश्यक नहीं है और न ही उन्हें आम आदमी की जानकारी में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को प्राप्त हुई संतुष्टि के विरुद्ध किसी विभागीय अपील अथवा विभागीय उपाय की व्यवस्था नहीं है। तथापि यदि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा यह विनिश्चित किया जाता है कि जांच न की जाए और शास्ति के आदेश अधीनस्थ आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं, उस स्थिति में विभागीय अपील अथवा पुनरीक्षण किया जा सकेगा। ऐसी अपील अथवा पुनरीक्षण में सिविल सेवक कथित आचरण की जांच की मांग कर सकता है बशर्ते कि अपील अथवा पुनरीक्षण की सुनवाई के समय अनुच्छेद 311(2) के दूसरे परन्तुक में परिकल्पित हालात न बने हुए हो। ऐसे मामले में भी अपील अथवा पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई एक समुचित समय तक के लिए स्थगित कर दी जानी चाहिए ताकि हालात सामान्य हो सके। सामान्यतः राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को प्राप्त हुई संतुष्टि न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय नहीं होता। फिर भी यदि यह आरोप लगाया जाता है कि स्थिति अनुसार राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की संतुष्टि दुर्भावपूर्ण अथवा पूर्णतया असंबद्ध अथवा असंगत तथ्यों पर आधारित है तो ऐसा मामला न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय बन जाएगा क्योंकि ऐसे मामले में राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की कानूनी तौर पर कोई संतुष्टि नहीं होगी। यह प्रश्न कि क्या न्यायालय इस बात की जांच करने के लिए कि क्या संतुष्टि दुर्भावपूर्ण है या असंबद्ध अथवा असंगत तथ्यों पर आधारित है, सरकार को आवश्यक सामग्री प्रकट करने के लिए विवश कर सकता है या नहीं, यह बात संबंधित दस्तावेज की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगी अर्थात् क्या ऐसे दस्तावेज विशेषाधिकृत दस्तावेजों की श्रेणी में आते हैं अथवा क्या उनके संदर्भ में विशेषाधिकार का दावा समुचित रूप से किया गया है या नहीं।

10. संविधान के अनुच्छेद 311(2) के दूसरे परन्तुक के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रक तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 19 तथा इसके अनुरूप अन्य सेवा नियमों की परिधि को उच्चतम न्यायालय द्वारा 11.7.85 तथा 12.9.1985 के दिए गए निर्णय के प्रकाश में पूर्ववर्ती पैराग्राफों में स्पष्ट कर दिया गया है। इसलिए यह अनिवार्य है कि अनुच्छेद 311(2) के दूसरे परन्तुक के उपबंधों अथवा उन पर आधारित सेवा नियमों को लागू करते समय इन स्पष्टीकरणों को अनदेखा न किया जाये। विशेष कर ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि की गई कार्रवाई मनमानी तथा दुर्भावपूर्ण है। जहां तक खंड (क) तथा खंड (ग) और तत्समानी सेवा नियमों का संबंध है उपर्युक्त खण्डों और तत्समानी नियमों के कार्यक्षेत्र में आने वाले मामलों पर कार्रवाई करने की क्रियाविधि निर्धारित करने वाले विस्तृत अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। जहां तक अनुच्छेद 311(2) के दूसरे परन्तुक के खण्ड (ख) अथवा इसी प्रकार की अन्य शब्दावली में बंधे सेवा नियमों को लागू किए जाने का संबंध है इसमें अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए तथा इस बात को सदैव ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इन नियमों के अन्तर्गत की गई कार्रवाई मनमानी अथवा ऐसी न प्रतीत हो कि पूर्णतः व्यवहार्य जांच को टालने के उद्देश्य से की गई है।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 11 नवम्बर, 1985 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/11/85-स्था (क))

(2) जब नियम 19 के अधीन कार्रवाई की जाती है तो आरोप-पत्र जारी करना:-

इस विभाग के इसी संख्या के तारीख 11 नवंबर, 1985 (उपर्युक्त निर्णय सं.1) के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 6 से 8 में उन तत्त्वों के संबंध में कतिपय अनुदेश दिए गए हैं जो संविधान के अनुच्छेद 311(2) के द्वितीय परन्तुक के खंड (ख) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई तत्त्वों के बारे में संगत है।

2. यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या किसी ऐसे मामले में जहां संविधान के अनुच्छेद 311(2) के द्वितीय परन्तुक के खंड (ख) का आश्रय लिए जाता है, वहां अनुशासनिक प्राधिकारी का आरोपों को दर्शाने वाले आरोप ज्ञापन जारी करना बंद कर दे। खंड (ख) उन मामलों में लागू होती है जहां अनुशासनिक अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि “ ऐसी जांच करना पर्याप्त रूप से व्यवहार्य नहीं है ”। इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचने वाले स्थिति या तो जांच प्रारंभ करने से पहले विद्यमान हो सकती है अथवा जांच के दौरान उत्पन्न हो सकती है। तुलसी राम पटले के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निम्न प्रकार टिप्पणी की है:-

“ यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी स्थिति जो जांच किए जाने को पर्याप्त रूप से व्यवहार्य न बनाती हो, सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध जांच प्रारंभ किए जाने से पहले विद्यमान होनी चाहिए । ऐसी स्थिति बाद में भी जांच के दौरान अस्तित्व में आ सकती है उदाहरण के लिए, ऐसी स्थिति सरकारी कर्मचारी को आरोप पत्र देने के पश्चात अथवा सरकारी कर्मचारी द्वारा आरोप पत्र के संबंध में अपना लिखित ब्यान दायर करने के पश्चात अथवा यहां तक कि आंशिक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पश्चात भी उत्पन्न हो सकती है । ऐसे मामले में भी, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वितीय परन्तुक के खंड को लाभ करने का हकदार होगा क्योंकि उक्त खंड में “ जांच “ शब्द में जांच का भाग भी शामिल होता है । “

3. संविधान के अनुच्छेद 311(2) का संबंध बरखातगी, सेवा में हटाने अथवा रैंक को घटाए जाने से है जो सेवा नियमों के अधीन जिनमें सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए क्रियाविधि दी गई है, बड़ी शास्ति की श्रेणी में आते हैं । उक्त प्रक्रिया में पहला कदम सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध आरोपों का ब्यौरे देते हुए सरकारी कर्मचारी को आरोपों का ज्ञापन, या जिसे आरोप -पत्र के रूप में जाना जाता है, देना तथा उससे किसी निर्धारित तारीख तक सभी आरोपों अथवा किसी एक आरोप को नकारते अथवा स्वीकार करते हुए उत्तर मांगना है । इस प्रकार, सेवा नियमों के अधीन आरोप-पत्र देने के साथ ही जांच प्रारंभ होती है । यह स्पष्ट है कि यदि किसी जांच के प्रारंभ होने से पहले परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि अनुशासनिक प्राधिकारी निर्णय करता है कि जांच करना पर्याप्त रूप से व्यवहार्य नहीं है तो आरोप पत्र देने जैसी कोई कार्रवाई करना आवश्यक नहीं होगा । दूसरी ओर, यदि ऐसी परिस्थितियां जांच के दौरान विकसित होती हैं तो संबंधित कर्मचारी को आरोप पत्र पहले ही दे दिया गया होगा ।

4. इस विभाग के तारीख 11 नवम्बर, 1985 के का.जा. (ऊपर का निर्णय सं.1) के पैरा 6(1) में उदाहरण के तौर पर कुछ मामले दिए गए हैं जिनमें अनुशासनिक प्राधिकारी यह निर्णय दे सकता है कि जांच का किया जाना पर्याप्त रूप से व्यवहार्य नहीं है । यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि उदाहरण के तौर पर दिए गए मामलों में वर्णित प्रकार की परिस्थितियों अथवा अन्य परिस्थितियां जिनके रहते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जांच किया जाना पर्याप्त रूप से व्यवहार्य नहीं है वास्तव में उस समय मौजूद होनी चाहिए जब ऐसा निर्णय किया जाता है । उदाहरण के तौर पर दिए गए मामलों में उल्लिखित धमकी, डराना अथवा हिंसा अथवा सामान्य अनुशासनहीनता तथा अवज्ञा का वातावरण जैसी स्थिति उस समय बनी रहनी चाहिए जब अनुशासनिक प्राधिकारी उक्त निर्णय पर पहुंचता है । अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से यह उचित नहीं होगा कि वह बाद में उत्पन्न हो सकने वाली ऐसी संभावित परिस्थितियों की प्रत्याशा

करे जिनके आधार पर यह निर्णय लिया जा सके कि जांच करना पर्याप्त रूप से व्यवहार्य नहीं है और उसी आधार पर सरकारी कर्मचारी पर आरोप-पत्र तामील किए जाने की कार्यवाही छोड़ दी जाए ।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 4 अप्रैल, 1986 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/11/85-स्था (क))

20. राज्य सरकारों आदि को उधार पर दिए गए अधिकारियों के संबंध में व्यवस्था

(1) राज्य सरकारों आदि को उधार दिए गए अधिकारियों के संबंध में उपबंध-(1) यहां किसी सरकारी सेवक की सेवाएं एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को या किसी राज्य सरकार को या उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी को (जिसे उस नियम में आने “ उधार लेने वाला प्राधिकारी “ कहा गया है) उधार दी जाती है, तो सेवाएं उधार लेने वाले नियोज् ता प्राधिकारी को ऐसे सरकारी कर्मचारी को निलम्बित करने तथा उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां करने के प्रयोजन के लिए शक्ति प्राप्त होगी:-

परन्तु सेवाएं उधार लेने वाला प्राधिकारों उधार देने वाले प्राधिकारी को (जिसे इस नियम में आगे “ उधार लेने वाले प्राधिकारी “ कहा गया है उन परिस्थितियों से तुरन्त, अवगत कराएगा जिनमें, यथास्थिति, ऐसे सरकारी सेवक को निलम्बित करने का आदेश किया गया है या अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है ।

(2) सरकारी सेवक के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए:-

(i) यदि सेवाएं उधार लेने वाले प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम 11 के खण्ड (i) से खण्ड (iv) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह उधार देने वाले प्राधिकारी से परामर्श करके उस मामले में ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे,

परन्तु सेवाएं उधार लेने वाले और उधार देने वाले प्राधिकारी के बीच मतभेद होने की दशा में उस सरकारी सेवक की सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी को लौटा दी जाएगी,

(ii) यदि सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम 11 के खण्ड (v) से खण्ड (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों से कोई शास्ति सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह उसकी सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी को लौटा देगा और जांच की

कार्यवाहियां उसको भेज देगा और तदुपरान्त उधार देने वाला प्राधिकारी, यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी है तो उसमें ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे या यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है, तो उस मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा, जो उस मामले में ऐसे आदेश करेगा, जैसे वह ठीक समझे:

परन्तु कोई ऐसा आदेश करने के पहले अनुशासनिक प्राधिकारी नियम 15 के उपनियम (3) और उपनियम (4) के उपबंधों का अनुपालन करेगा।

स्पष्टीकरण - अनुशासनिक प्राधिकारी, उधार लेने वाला प्राधिकारी द्वारा जैसे भेजे गए जांच के अभिलेख पर या जहां तक हो सके नियम 14 के अनुसार ऐसे अतिरिक्त जांच करने के पश्चात जो वह आवश्यक समझे, इस खण्ड के अधीन आदेश कर सकेगा।

21. राज्य सरकारों आदि के उधार लिए गए अधिकारियों के संबंध में व्यवस्था

- (1) राज्य सरकारों आदि के उधार लिए गए अधिकारियों के संबंध उपबंध (1) जहां किसी ऐसे सरकारी सेवक के विरुद्ध, जिसकी सेवाएं एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग से, या किसी राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ प्राधिकारी से या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी से उधार ली गई है, निलम्बन आदेश किया जाता है या अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है वहां उसकी सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी को (जिसे इस नियम में बने “ उधार देने वाला प्राधिकारी “ कहा गया है) उन परिस्थितियों की, जिनमें यथास्थिति, सरकारी सेवक को निलम्बित करने का आदेश दिया गया हो या अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई हो, तुरन्त सूचना दी जाएगी।
- (2) सरकारी सेवक के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि नियम 11 के खण्ड (i) के खण्ड (iv) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह नियम 15 के उप-नियम (3) के उपबंधों के अधीन रखते हुए और आसूचना ब्यूरो में सेवा वाले सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी की पंक्ति तक के सरकारी सेवक के मामले के सिवाय, सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी के परामर्श करने के पश्चात मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे,
- (i) परन्तु सेवाएं उधार लेने वाले और उधार देने वाले प्राधिकारी के बीच मतभेद होने की दशा में सरकारी सेवक की सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी को लौटा दी जाएगी,

- (ii) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि नियम 11 के खण्ड (v) से खण्ड (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह ऐसे सरकारी सेवक की सेवाएं उधार देने वाले प्राधिकारी को लौटा देगा और जांच का कार्य-विवरण उसे ऐसी कार्यवाही के लिए, जैसी वह आवश्यक समझे, प्रेषित करेगा ।

भाग VII

अपील

22. आदेश जिनके विरुद्ध अपील नहीं होगी:-

इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी:-

- (i) राष्ट्रपति द्वारा किया गया कोई आदेश,
- (ii) अन्तर्वर्ती प्रकार का कोई आदेश या अनुशासनिक कार्यवाई के अंतिम निपटारे के सहायक कदम के स्वरूप का आदेश जो निलंबन आदेश से भिन्न हो
- (iii) नियम 14 के अधीन जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश ।

23. आदेश जिनके विरुद्ध अपील हो सकेगी:-

नियम 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकारी सेवक निम्नलिखित सभी या किन्हीं आदेशों के विरुद्ध अपील कर सकेगा, अर्थात्-

- (i) नियम 10 के अधीन किया गया या हुआ समझा गया निलम्बन का कोई आदेश,
- (ii) नियम 11 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश, चाहे वह अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया गया हो या अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा,
- (iii) नियम 11 के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति में वृद्धि करने वाला कोई आदेश,
- (iv) ऐसा कोई आदेश जो:-
 - (क) नियमों द्वारा या करार द्वारा यथा विनियमित उसके वेतन, भत्तों, पेंशन या सेवा की अन्य शर्तों से उसे वंचित करता है या उसके अहित में उनमें फेरफार करता है ।
 - (ख) किसी ऐसे नियम या करार के उपबंधों का उसके अहित में निर्वचन करता है,

- (v) कोई आदेश जो:-
- (क) दक्षतारोध पार करने में उसकी अयोग्यता के आधार पर उसे वेतनमान में दक्षतारोध पर रोक देता है, या
- (ख) उच्चतर सेवा श्रेणी या पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते हुए उसे किसी निम्नतर सेवा, श्रेणी या पद पर शास्ति के रूप में भिन्न रूप में प्रतिवर्तित करता है।
- (ग) पेंशन कम करता है या उसे रोकता है या नियमों के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम पेंशन से उसे वंचित करता है,
- (घ) उसकी निलम्बन की अवधि के लिए या उस अवधि के लिए जिसके दौरान उसे निलम्बन के अधीन समझा जाता है या उसके किसी भाग के लिए उसे संदत्त किए जाने वाले निर्वाह और अन्य भत्ते अवधारित करता है,
- (ङ.) निम्नलिखित अवधि के लिए उसके वेतन और भत्ते अवधारित करता है:-
- (i) निलम्बन की अवधि के लिए, या
- (ii) सेवा से उसकी पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तारीख से या किसी निम्नतर सेवा, श्रेणी पद, किसी समय वेतनमान या उसके निम्नतर प्रक्रम में उसकी अवनति की तारीख से उसकी सेवा, श्रेणी या पद पर उसकी बहाली या पुनर्स्थापन की तारीख तक की अवधि के लिए, अथवा
- (च) यह अवधारित करता है कि उसके निलम्बन की तारीख से या उसकी पदच्युति, हटाए जाने, अनिवार्य सेवा निवृत्ति या निम्नतर सेवा, श्रेणी, पद समय-वेतनमान या उसके निम्नतर प्रक्रम में उसकी अवनति की तारीख से उसकी सेवा, श्रेणी या पद पर उसकी बहाली या पुनर्स्थापन की तारीख तक की अवधि किसी प्रयोजन के लिए कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप में मानी जाएगी या नहीं।

स्पष्टीकरण:- इस नियम में, -

- (i) “ सरकारी सेवक “ पद के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जो सरकारी सेवा में अब नहीं रहा है,
- (ii) “ पेंशन “ पद के अन्तर्गत अतिरिक्त पेंशन, उपदान और कई सेवानिवृत्ति फायदे भी हैं।

24. अपील प्राधिकारी:-

(1) सरकारी सेवक, जिसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो सरकारी सेवा में अब नहीं रहा है, नियम 23 में विनिर्दिष्ट सभी या किसी आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को, जो इस निमित्त या तो अनुसूची में या राष्ट्रपति के साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या जहां कोई ऐसा प्राधिकारी विनिर्दिष्ट न हो, वहां निम्नलिखित को कर सकेगा अर्थात्,

(i) जहां ऐसा सरकारी सेवक केन्द्रीय सिविल सेवा समूह (ग्रुप) “क” या ग्रुप “ख” का सदस्य है या ग्रुप “क” या ग्रुप “ख” के केन्द्रीय सिविल पद का धारक है या था, वहां-

(क) यदि वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा किया गया है तो, नियुक्ति प्राधिकारी को, या

(ख) यदि आदेश किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया गया हो तो, राष्ट्रपति को ;
जहां ऐसा सरकारी सेवक केन्द्रीय सिविल सेवा समूह (ग्रुप) “ग” या ग्रुप “घ” का सदस्य है या ग्रुप “ग” या ग्रुप “घ” के केन्द्रीय सिविल पद का धारक है या था, वहां उस प्राधिकारी को जिसके सीधे अधीनस्थ वह प्राधिकारी है जिसने वह आदेश किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है ।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी,

(i) नियम 18 के अधीन किसी एक ही कार्यवाही में किए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को होगी जिसके सीधे अधीनस्थ वह प्राधिकारी है जो उस कार्यवाही के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है:

परन्तु जहां ऐसे किसी सरकारी सेवक के बारे में, जिसके लिए राष्ट्रपति, उपनियम (1) के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के निबंधनों के अनुसार अपील प्राधिकारी है, ऐसा प्राधिकारी राष्ट्रपति का अधीनस्थ हो, वहां अपील राष्ट्रपति को की जाएगी ।

(ii) जहां वह व्यक्ति, जिसने अपीलाधीन आदेश किया हो अपनी पश्चात्त्वर्ती नियुक्ति के आधार पर या अन्यथा ऐसे आदेश की बाबत अपील प्राधिकारी हो जाता है, वहां ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को होगी जिसका ऐसा व्यक्ति सीधे अधीनस्थ है ।

- (3) जहां नियम 11 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध अपील उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन राष्ट्रपति को न होनी हो, वह सरकारी सेवक ऐसी अपील उसे तब तक कर सकेगा जब संयुक्त परामर्श और अनिवार्य माध्यस्थ स्कीम में भाग लेने वाले किसी संगम, परिसंघ या संघ के किसी पदाधिकारी के रूप में उसके कार्य से संबंधित उसके क्रियाकलाप की बाबत उस पर ऐसी शास्ति राष्ट्रपति से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाती हो।

भारत सरकार के अनुदेश:

- (1) संघ या परिसंघ के किसी पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक आदेश के मामले में अपील:-

नियम 24 के उप-नियम (3) के अधीन राष्ट्रपति को की गई सभी अपीलें अन्तिम आदेश के लिए प्रभारी मंत्री के समक्ष इस बात को ध्यान में रखे बिना रखी जानी चाहिए कि क्या राष्ट्रपति को संबोधित अपीलों के निपटान से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों में भेजे गए सामान्य निदेशों में ऐसा प्रस्तुतीकरण आवश्यक है या नहीं।

भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में पूर्ववर्ती पैरा में भेजी गई अपीलों का निपटान भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा।

(गृह मंत्रालय का तारीख 18 अप्रैल 1967 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/14/64-स्था0 (क))

25. अपीलों का परिसीमा काल:-

इस भाग के अधीन की गई कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी अपील उस तारीख से, जिसको उस आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, एक प्रति अपीलार्थी को परिदत्त की गई है, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर न की गई हो,

परन्तु अपील प्राधिकारी उक्त अवधि के अवसान के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि समय के भीतर अपील न करने के लिए अपीलार्थी के पास पर्याप्त कारण था।

26. अपील का स्वरूप और उसकी विषय वस्तु:-

- (1) अपील करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपील पृथक रूप से और अपने नाम से करेगा।

- (2) अपील उस प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसको अपील होती है। अपीलार्थी अपील की एक प्रति उस प्राधिकारी को भेजेगा जिसने वह आदेश किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है। अपील में वे सभी तार्किक कथन और तर्क होंगे जिन पर अपीलार्थी निर्भर करता है, उनमें अनादरपूर्ण या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा और वह स्वयं में पूर्ण होगी।
- (3) वह प्राधिकारी, जिसने वह आदेश किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, अपील की प्रति प्राप्त होने पर उसे, किसी परिहार्य विलंब के बिना और अपील प्राधिकारी से किसी निदेश की प्रतीक्षा किए बिना, अपील प्राधिकारी को, उस पर अपनी टिप्पणी और सुसंगत अभिलेख सहित, भेज देगा।

27. अपील पर विचार:-

- (1) निलंबन के किसी आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, अपील प्राधिकारी यह विचार करेगा कि नियम 10 के उपबंधों को और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निलंबन का आदेश न्यायोचित है या नहीं और तदनुसार आदेश की पुष्टि या उसका प्रतिसंहरण कर सकेगा।
- (2) नियम 11 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाले या उक्त नियम के अधीन अधिरोपित शास्ति में वृद्धि करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि:-
 - (क) इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है या नहीं और यदि नहीं तो ऐसे अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है या न्याय की निष्फलता तो नहीं हुई है,
 - (ख) अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष अभिलिखित साक्ष्य से समर्थित है या नहीं, और
 - (ग) अधिरोपित या बढ़ाकर अधिरोपित शास्ति पर्याप्त, अपर्याप्त या कठोर है या नहीं।

और वह आदेश द्वारा:-

- (1) शास्ति को पुष्ट, वर्धित, कम या अपास्त करेगा,

- (2) मामला उस प्राधिकारी को, जिसने शास्ति अधिरोपित या वर्धित की है अथवा किसी अन्य प्राधिकारी की ऐसे निदेश के साथ जो मामले की परिस्थितियों में वह उचित समझे, भेज देगा,

परन्तु:-

- (i) आयोग से उन सभी मामलों में परामर्श किया जाएगा जिनमें ऐसा परामर्श आवश्यक है,
- (ii) यदि वर्धित शास्ति, जिसे अपील प्राधिकारी अधिरोपित करने की प्रस्थापना करता है, नियम 11 के खंड (v) से (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई है और उस मामले में नियम 14 के अधीन जांच पहले नहीं की गई है तो अपील प्राधिकारी, नियम 19 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, स्वयं ऐसी जांच करेगा या यह निदेश देगा कि ऐसी जांच नियम 14 के उपबंधों के अनुसार की जाए और उसके पश्चात वह ऐसी जांच की कार्यवाही पर विचार करके ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे,
- (i) यदि वर्धित शास्ति, जिसे अपील प्राधिकारी अधिरोपित करने की प्रस्थापना करता है, नियम 11 के खंड (v) से (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई है और मामले में नियम 14 के अधीन कोई जांच कर ली गई तो प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए अपीलार्थी को उचित अवसर दिए जाने के बाद अपील प्राधिकारी ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे, और
- (ii) वर्धित शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश किसी अन्य मामले में तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को ऐसी वर्धित शास्ति के विरुद्ध नियम 16 के उपबंधों के अनुसार अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।
- (3) नियम 23 में विनिर्दिष्ट किसी अन्य आदेश के विरुद्ध अपील में, अपील प्राधिकारी मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा और ऐसा आदेश करेगा जो वह न्यायसंगत और साम्यपूर्ण समझे ।

भारत सरकार के अनुदेश :-

1. अपीलों के निपटान के लिए समय-सीमा:-

अपीलों का शीघ्रताशीघ्र निपटान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सुझावों की जांच की गई है:-

- (क) जहां कहीं अपीलीय प्राधिकारी पर वर्तमान कार्यभार अनुचित रूप से अधिक हो वहां अपर अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति करने की आवश्यकता और औचित्य, और
- (ख) ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करना जिसके द्वारा लंबित अपीलों की स्थिति के संबंध में उच्च प्राधिकारियों द्वारा आवधिक अन्तराल पर पुनरीक्षा की जा सकेगी ताकि समय पर उपयुक्त और उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके ।
2. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित दोनों सुझावों की जांच की गई है । यद्यपि अपीलीय प्राधिकारियों से यह आशा की जाती है कि वे अपीलों के निपटान को उच्च प्राथमिकता दें, फिर भी ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें अपीलीय प्राधिकारी बहुत व्यस्त हों और वे कम अवधि के भीतर अपीलों के निपटान के लिए आवश्यक समय और ध्यान देने में असमर्थ हो । ऐसे मामले में अपीलीय प्राधिकारी से उसका सामान्य कार्य उस सीमा तक लेकर उस कार्य को अन्य अधिकारियों के बीच पुनः वितरित किया जा सकता है जिससे कि वह अपने समक्ष लम्बित अपीलों के निपटान में अपेक्षित समय और ध्यान देने में समर्थ हो सके । किन्तु, यदि काफी संख्या में अपीलें प्राप्त होती हैं अथवा किसी विशेष प्राधिकारी के पास लम्बित अपीलें बहुत अधिक हैं तो अपीलीय प्राधिकारी अपीलों के कार्य को, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली के नियम 24 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी किए गए सामान्य आदेश के माध्यम से यथासंभव समकक्ष रैंक के, अधिकारियों में पुनः वितरित कर सकता है परन्तु किसी भी स्थिति में यह कार्य अपील प्राधिकारी से नीचे के रैंक के अधिकारियों में वितरित न किया जाए ।
3. जहां तक लम्बित अपीलों से संबंधित स्थिति की पुनरीक्षा करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने का संबंध है यह निर्णय किया गया है कि कार्यालय पद्धति में दिए गए उपबंधों के अतिरिक्त जिनमें एक महीने से ऊपर निपटान के लिए बकाया मामलों की पुनरीक्षा उपयुक्त उच्च प्राधिकारियों द्वारा की जाती है, एक महीने से ऊपर निपटान के लिए बकाया अपीला का विस्तृत विवरण अलग से अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अगले उच्च प्राधिकारी को विशेषतः वे कारण दर्शाते हुए भेजना चाहिए कि किस कारण से अपील का निपटान एक महीने के भीतर नहीं किया सका, और ऐसा प्रत्येक अपील के निपटान में कितना समय और लगने की संभावना है, और उतना समय लगने के क्या कारण हैं । इससे उपयुक्त उच्च प्राधिकारी एक महीने से अधिक समय की लम्बित अपीलों के निपटान में विलम्ब के कारणों का पता लगाने में समर्थ हो सकेगा और जहां कहीं लम्बित अपीलों का निपटान बिना किसी विलम्ब के करना आवश्यक हो वहां उपचारात्मक

कार्रवाई कर सकेगा। जिन मामलों में अपीलीय प्राधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 24 के अधीन राष्ट्रपति हैं वहां उपरोक्त विवरण उसी प्रकार की संवीक्षा के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव को भेजा जाना चाहिए।

(मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) का तारीख 15 मई 1971 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 39/42/70-स्थापना (क))

(2) बड़ी शास्ति के मामले में व्यक्तिगत सुनवाई अपील प्राधिकारी के विवेक पर :-

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 की पुनरीक्षा के लिए गठित की गई राष्ट्रीय परिषद (जे.सी.एम.) की समिति ने यह सिफारिश की है कि यदि अपील किसी बड़ी शास्ति के खिलाफ की गई हो तो संबंधित कर्मचारी की अपीलीय प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई की व्यवस्था की जाए।

2. उपर्युक्त सिफारिश पर सभी दृष्टियों से विचार किया गया है। केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 27 में, किसी कर्मचारी पर आरोपित शास्ति के खिलाफ, उसके द्वारा दी गई अपील पर निर्णय लेने से पहले, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सरकारी कर्मचारी को किसी व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। किसी न्यायिक विचारण अथवा कार्रवाई के प्रसंग में, यहां तक कि अपील की अवस्था में भी व्यक्तिगत सुनवाई का जो सिद्धान्त लागू होता है, वह विभागीय जांच के मामले में लागू नहीं होता क्योंकि ऐसी जांच में अपीलीय अधिकारी द्वारा आमतौर पर उसके समक्ष उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर निर्णय ले लिया जाता है। फिर भी, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कभी-कभी अपील करने वाले कर्मचारी की व्यक्तिगत सुनवाई से, अपील करने वाले के लिए अपने मामले को और अधिक प्रभावी रूप में प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा और इससे अपीलीय प्राधिकारी को अपील पर तत्काल सही और न्याय, संगत ढंग से निर्णय लेने में सुगमता होगी। चूंकि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण, और अपील) नियमावली का नियम 27 उपर्युक्त मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देने पर रोक नहीं लगाता, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि जहां कोई अपील बड़ी शास्ति आरोपित करने संबंधी किसी आदेश के खिलाफ हो, और अपील करने वाला व्यक्तिगत प्राधिकारी सुनवाई के लिए विशेष अनुरोध करे, तो ऐसी स्थिति में, अपीलीय प्राधिकारी मामले से संबंधित सभी हालतों पर विचार करने

के बाद अपने स्वविवेक से, अपील करने वाले को व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दे सकता है।

(कार्मिक और प्रशिक्षण, विभाग का तारीख 28.10.1985 का का.ज्ञा. सं. 11012/20/85-स्था.(क))

राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एम.) में कर्मचारी पक्ष ने अनुरोध किया है कि सरकारी कर्मचारियों को जिनके विरुद्ध बड़ी शास्ति लगाई गई है, अपील/पुनरीक्षण स्टैज पर सक्षम प्राधिकारी के सामने अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए बचाव सहायक की सेवाओं की अनुमति दी जाए।

(2क.) बड़ी शास्ति के मामले में व्यक्तिगत सुनवाई अपील प्राधिकारी के विवेक पर :-

इस प्रस्ताव पर राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एम.) की तारीख 31.1.91 को हुई बैठक में विचार विमर्श किया गया था तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे सभी मामलों में जहां उपर्युक्त तारीख 28.10.85 के कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी गई है वहां सरकारी कर्मचारी को बचाव सहायक की सहायता लेने की भी अनुमति दी जाए, यदि इस आशय का अनुरोध किया जाता है।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 23.04.1991 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/2/91-स्थापना (क))

28. अपील के परिणामस्वरूप दिए गए आदेशों को लागू करना:-

वह प्राधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, अपील प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों को प्रभावी करेगा।

भाग-VIII

पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन

29. पुनरीक्षण

(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी:-

(i) राष्ट्रपति, या

- (ii) भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत सरकारी सेवक के मामले में नियंत्रण महालेखा परीक्षक या
- (iii) डाक-सेवा बोर्ड में या उसके अधीन सेवारत सरकारी सेवक के मामले में, सदस्य (कार्मिक) डाक-सेवा बोर्ड, तथा दूरसंचार बोर्ड में अथवा उसके अधीन सेवा कर रहे सरकारी कर्मचारी के मामले में सलाहकार (मानव संसाधन विकास) दूर संचार विभाग ।
- (iv) उस विभाग के प्रधान के, जो सीधा केन्द्रीय सरकार के अधीन है, नियंत्रणाधीन विभाग या कार्यालय (जो सचिवालय या डाक-तार बोर्ड न हो) में सेवारत सरकारी सेवक: अथवा
- (v) पुनरीक्षित किए जाने वाले आदेश की तारीख से छह माह के भीतर, अपील प्राधिकारी, या
- (vi) राष्ट्रपति के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस नियत विनिर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी और उतने समय के भीतर जितना ऐसे साधारण या विशेष आदेश में विहित किया जाए,

स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी जांच के अभिलेख को किसी भी समय मंगवा सकेगा और इन नियमों के अधीन या नियम 34 द्वारा निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश का, जिसके विरुद्ध अपील अनुज्ञात है किन्तु कोई अपील की नहीं गई है या जिसके विरुद्ध कोई अपील अनुज्ञात नहीं है, पुनरीक्षण आयोग से परामर्श करके, जहां ऐसा परामर्श आवश्यक है, कर सकेगा, और

- (क) आदेश को पुष्ट, उपान्तरित या अपास्त कर सकेगा, या
- (ख) आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को पुष्ट, कम, वर्धित या अपास्त कर सकेगा या जहां कोई शास्ति अधिरोपित न की गई हो, वहां शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, या
- (ग) मामला उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश किया है या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसी अतिरिक्त जांच का निदेश देते हुए भेज सकेगा जो वह मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे, या
- (घ) ऐसे अन्य आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे:

परन्तु शास्ति अधिरोपित या वर्धित करने वाला कोई आदेश किसी पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंध सरकारी सेवक को प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और जहां यह प्रस्ताव है कि नियम 11 के खण्ड (v) से (ix) तक में से विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित की जाए या पुनरीक्षित किए जाने वाले आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति में वृद्धि करके उन खण्डों में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित की जाए, यहां ऐसी शास्ति तभी अधिरोपित की जाएगी जब नियम 19 के उपबंधों के अधीन नियम 14 में दी गई रीति में जांच कर ली गई हो और आयोग से परामर्श, जहां ऐसा परामर्श आवश्यक है, कर लिया गया हो:

परन्तु यह और भी कि पुनरीक्षण की किसी भी शक्ति का प्रयोग, यथास्थिति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सलाहकार (मानव संसाधन विकास), दूर संचार विभाग या विभाग के प्रधान द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह प्राधिकारी:-

- (i) जिसने अपील में आदेश किया है, या
- (ii) जिसे अपील की जा सकती है किन्तु कोई अपील की नहीं गई है, उसके अधीनस्थ नहीं है।
- (2) पुनरीक्षण की कोई कार्यवाही तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि:-
 - (i) अपील के लिए परिसीमा-काल का अवसान नहीं हो जाता या
 - (ii) यदि कोई अपील की गई है तो अपील का निपटारा नहीं हो जाता।
- (3) पुनरीक्षण के आवेदन पर उसी रीति से कार्यवाई की जाएगी मानो वह इन नियमों के अधीन कोई अपील हो।

भारत सरकार के अनुदेश:

- (1) सरकारी कर्मचारी पर अधिरोपित की जा चुकी शास्ति को बढ़ाने का प्रस्ताव करते समय अपनाई जाने वाली कार्यविधि:-

इस मंत्रालय की जानकारी में ऐसे उदाहरण आए हैं जिनमें अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा पारित दण्ड के आदेश का केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 29 (1) के अधीन पुनर्विलोकन किया गया था और इस अनन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचा गया

कि पहले से अधिरोपित शास्ति काफी नहीं थी इसलिए संबंधित प्राधिकारियों ने अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा पहले से ही पारित दण्ड के आदेशों को अपास्तरद्द कर दिया और इसके साथ ही उच्चतर शास्ति अधिरोपित करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया। तत्पश्चात् कारण बताओ नोटिस के संबंध में सरकारी कर्मचारियों के उत्तरों पर विचार किया गया और बढ़ाई गई शास्ति अधिरोपित करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से भी, जहां आवश्यक था, परामर्श किया गया।

यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित मामलों में सरकारी कर्मचारी पर पहले से ही अधिरोपित शास्ति को अपास्त/रद्द करना उपयुक्त नहीं है और जब पुनरीक्षण प्राधिकारी राष्ट्रपति है तो सही अर्थों में शास्ति को राष्ट्रपति के नाम से रद्द करने का अर्थ अधीनस्थ प्राधिकारी के उस पहले के आदेश को राष्ट्रपति द्वारा संशोधित करने से होगा जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के नियम 5(1)(ग) के अधीन संघ लोक सेवा आयोग से पहले परामर्श करना आवश्यक है। अतः ऐसे मामलों में सही क्रियाविधि, अधीनस्थ प्राधिकारी के आदेश को रद्द/अपास्त किए बिना केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1956 के नियम 29 (1) के पहले परन्तुक के अनुसार कार्रवाई करना है। यह केवल अंतिम चरण है जब मूल शास्ति को संशोधित करने के लिए आदेश जारी किए जाते हैं और जब शास्ति के मूल आदेश को अपास्त करना आवश्यक होगा।

(गृह मंत्रालय का तारीख 14 मई 1968 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 39/2/68-स्था. (क))

29-क पुनर्विलोकन

जब कोई ऐसी नई सामग्री या साक्ष्य जो पुनर्विलोकना आदेश पारित करने के समय प्रस्तुत नहीं किया गया था अथवा उपलब्ध नहीं था और जिसमें मामले के स्वरूप को बदल देने का प्रभाव है, राष्ट्रपति की जानकारी में आता है अथवा लाया जाता है तो वे किसी भी समय अपनी मर्जी से अथवा अन्यथा, इन नियमों के अधीन पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकते हैं।

परन्तु शास्ति लगाने अथवा बढ़ाने वाला कोई आदेश राष्ट्रपति द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए संबंधित सरकारी कर्मचारी को उचित अवसर न दिया गया हो अथवा जहां नियम 11 में निर्दिष्ट कोई बड़ी शास्ति लगाने अथवा उक्त आदेश द्वारा लगायी गयी छोटी शास्ति को बड़ी शास्ति में बदलने का प्रस्ताव हो और यदि मामले की जांच नियम 14 के अधीन पहले नहीं की गई है तो नियम 14 में निर्धारित जांच पड़ताल करने

के बाद ही नियम 19 के उपबंधों के अधीन ऐसा कोई शास्ति लगायी जाएगी और यदि आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो तो ऐसा परामर्श कभी किया जाएगा ।

भारत सरकार के अनुदेश:-

(1) राष्ट्रपति की नियम 29 के अधीन पुनर्विलोकन की शक्ति:-

इस विभाग की तारीख

6 अगस्त, 1981 की समसंख्यक अधिसूचना जिसके द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 29 को संशोधित किया गया था तथा नियम 29-क जोड़ा गया था, की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । यह संशोधन श्री आर.के.गुप्ता बनाम भारत सरकार तथा अन्य (1978 की सिविल रिट याचिका संख्या 196 तथा 1979 की सिविल रिट याचिका संख्या 322) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण आवश्यक हो गया है । उक्त मामले में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1965 के नियम 29 के अधीन-

- (1) राष्ट्रपति को केन्द्रीय सिविल सेवाएं (व.नि. और अ.) नियम, 1965 के अधीन दोषमुक्ति के आदेश सहित किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है, और
- (2) पुनर्विलोकन की उपर्युक्त शक्ति पुनरीक्षणीय स्वरूप की शक्ति है न कि अपने ही आदेश का पुनर्विलोकन करने की ।

इस मामले की विधि मंत्रालय के परामर्श से जांच की गई है जिसने यह टिप्पणी की है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से यह पता चलेगा कि राष्ट्रपति उस मामले में अपनी पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते जिसमें तथ्यों तथा परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करने के बाद शक्ति का पहले ही प्रयोग किया गया हो । किन्तु पुनरीक्षण में राष्ट्रपति द्वारा पहले पारित किसी आदेश का स्वयं उनके द्वारा पुनर्विलोकन करने की व्यवस्था करने में कोई आपत्ति नहीं है यदि उनकी जानकारी में बाद में ऐसा कोई नया तथ्य अथवा सामग्री आती है जिससे उक्त मामले का संपूर्ण स्वरूप ही बदल गया हो । तदनुसार, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 29 को यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया गया है कि उस नियम के अधीन प्राप्त शक्ति पुनरीक्षण की शक्ति है और एक नया नियम, नियम 29-क बनाया गया है जिसमें नियम 29 के अधीन पुनरीक्षण में पारित किसी आदेश सहित पहले, पारित किए गए किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां निर्दिष्ट की गई हैं । ये शक्तियां उस समय प्रयोग की जाएगी जब कोई ऐसा नया तथ्य अथवा सामग्री उनकी जानकारी में आएगी जिससे मामले का स्वरूप ही परिवर्तित हो गया हो । यह भी नोट किया जाए कि

राष्ट्रपति तथा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (व.नि. और अ.) नियमावली 1965 के नियम 29 में दिए गए अन्य प्राधिकारी उस नियम के अधीन पुनरीक्षण की शक्तियों का जब भी प्रयोग करेंगे तो नियम 29-क के अधीन पुनर्विलोकन की शक्ति केवल राष्ट्रपति में निहित है न कि किसी अन्य प्राधिकारी में 1 नियम 29 का संशोधन करने तथा नियम 29 क जोड़े जाने के कारण केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 के भाग VIII के शीर्षक को भी समुचित रूप से बदल कर “ पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन “ कर दिया गया है ।

(गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) का तारीख 3.9.1981 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/1/80 -स्था. (क))

भाग IX

विविध

(30) आदेशों, सूचनाओं, नोटिस आदि की तामील:-

इन नियमों के अधीन दिए गए या जारी किए गए प्रत्येक आदेश, सूचना और अन्य आदेशिका की तामील संबंधित सरकारी सवेक पर व्यक्तिगत रूप से की जाएगी या वह उसे रजिस्ट्रीकृत डाक से संसूचित की जाएगी ।

31. समय-परिसीमा को शिथिल करने और विलंब को माफ करने की शक्ति:-

इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, वह प्राधिकारी, जो इन नियमों के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम है, अच्छे और पर्याप्त कारणों से या पर्याप्त कारण से दर्शित कर दिए जाने पर, इन नियमों के अधीन को जाने के लिए अपेक्षित किसी बात के लिए इन नियमों में विनिर्दिष्ट समय को विस्तारित कर सकेगा या विलंब को माफ कर सकेगा ।

32. आयोग की सलाह की प्रति देना:-

जब कभी आयोग से इन नियमों में उपबंधित रूप में परामर्श किया जाता है, तब आयोग द्वारा दी गई सलाह की एक प्रति, और जहां ऐसी सलाह स्वीकार न की गई हो वहां उसे स्वीकार न कराने के कारणों के बारे में संक्षिप्त विवरण की एक प्रति, ऐसा आदेश करने वाले प्राधिकारी द्वारा संबधित सरकारी सेवक को, पारित आदेश को प्रति के साथ ही दी जाएगी ।

33. अस्थायी उपबंध:-

इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को और उसमें जब तक कि इन नियमों के अधीन अनुसूचियों का प्रकाशन नहीं हो जाता केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1957 और रक्षा सेवाओं में सिविलियन (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1952 की समय-समय पर यथासंशोधित अनुसूचियां, उन सरकारी सेवकों के अपने-अपने प्रवर्गों से संबंधित अनुसूचियां समझी जाएंगी जिन पर वे इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पूर्व लागू हैं और ऐसी अनुसूचियां इन नियमों के तत्स्थानी नियमों में निर्दिष्ट अनुसूचियां समझी जाएंगी।

34. निरसन और व्यावृत्तियां

- (1) नियम 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1952 और रक्षा सेवाओं की सिविलियन (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1952 और उसके अधीन जारी की गई अधिसूचनाएं या आदेश, जहां तक कि वे इन नियमों से असंगत हैं, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं:-

परन्तु :-

- (क) ऐसे निरसन का प्रभाव, उक्त नियमों के पूर्व प्रवर्तन पर या उसके अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना या किए गए आदेश या की गई बात या कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा।
 - (ख) इन नियमों के प्रारंभ पर उक्त नियमों के अधीन लंबित कोई कार्यवाहियां यथासंभव, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार वैसे ही चालू रखी जाएंगी और निपटाई जाएंगी मानो ऐसी कार्यवाहियां इन नियमों के अधीन कार्यवाहियां हों।
- (2) इन नियमों की किसी बात का वह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे ये नियम लागू होते हैं, अपील के किसी ऐसे अधिकारों से वंचित करती हैं जो उसे इन नियमों के प्रारंभ से पूर्ण प्रवृत्त नियमों, अधिसूचनाओं या आदेशों के अपील प्रोद्भूत हुए हैं।
 - (3) इन नियमों के प्रारंभ के समय लंबित किसी अपील पर, जो ऐसे प्रारंभ से पूर्व किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की गई हो इन नियमों के अनुसार ऐसे विचार किया जाएगा और उसमें ऐसे आदेश किए जाएंगे, मानों ऐसे आदेश और अपील इन नियमों के अधीन किए गए हों।

- (4) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व किए गए किन्हीं आदेशों के विरुद्ध अपील या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन, ऐसे प्रारंभ की तारीख से, इस नियमों के अधीन उसी प्रकार किया जाएगा मानों ऐसे आदेश इन नियमों के अधीन किए गए हो:-

परन्तु इन नियमों की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह इन नियमों से पूर्व प्रवृत्त किसी नियम में अपील या पुनर्विलोकन के लिए उपबंधित परिसीमा काल को कम करती है।

35. शंकाओं का निराकरण:-

यदि इन नियमों के किसी भी उपबंध के निर्वचन के बारे में कोई शंका उत्पन्न होती है तो वह विषय राष्ट्रपति को या ऐसे अन्य प्राधिकारी को जिसे राष्ट्रपति साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, निदेशित किया जाएगा और राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी उसका विनिश्चय करेगा।

भारत सरकार के अनुदेश

(1) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सलाह की प्रति सरकारी सेवक को दी जाए -

नियम 32 में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सलाह की प्रति संबंधित सरकारी सेवक को भेजी जानी चाहिए। आयोग के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि आगे से आयोग प्रत्येक मामले में मूल सलाह पत्र के साथ दो अतिरिक्त प्रतियां भेजेगा। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के संबंध में भी राज्य केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुशासनिक मामलों के संबंध में आयोग इसी प्रकार का तरीका अपनाएगा, अंतर केवल यही रहेगा कि राज्य सरकारों से प्राप्त मामलों के संबंध में सलाह पत्र की एक अतिरिक्त प्रति उन्हें और दूसरी प्रति गृह मंत्रालय को सूचनार्थ भेजी जाएगी।

(गृह मंत्रालय का तारीख 29 दिसम्बर, 1964 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 23 /19/60 - स्था.

(ख)

(2) आरोपित कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अनुशासनिक मामले बंद करने से संबंधित प्रक्रिया

इस विभाग को यह स्थिति स्पष्ट करने के विषय में पत्रादि प्राप्त हो रहे हैं कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण , नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के अधीन सरकारी सेवक के विरुद्ध

शुरू किए गए अनुशासनिक मामलों को क्या कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान आरोपित अधिकारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में बंद कर दिया जाना चाहिए। सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि यदि जांच लंबित रहने के दौरान सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाती है अर्थात् उसके विरुद्ध आरोप साबित न हुए हों तो केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करना न्यायोचित नहीं होगा अतः अभिकथित सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने पर अनुशासनिक कार्यवाहियां तत्काल बंद कर दी जाए।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 20 अक्टूबर, 1999 का कार्यालय ज्ञापन 11012/ 7/99-स्था (क))

3. निर्वाचन ड्यूटी के लिए तैनात सरकारी सेवकों के विषय में भारत निर्वाचन आयोग की अनुशासनिक अधिकारिता --

भारत के निर्वाचन आयोग बनाम भारत संघ और अन्य के मामले की रिट याचिका (सी)सं.606/1993 में एक मुद्दा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28 क और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ग ग के अधीन निर्वाचन ड्यूटी के लिए तैनात किए गए सरकारी सेवकों पर भारत के निर्वाचन आयोग की अधिकारिता का भी था। उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ और भारत के निर्वाचन आयोग के बीच हुए समझौते के निबंधनों के आधार पर उक्त याचिका को अपने तारीख 21.09.2000 के आदेश के तहत निपटाया। उक्त समझौते के निबंधन इस प्रकार हैं।

“ निर्वाचन ड्यूटी के लिए तैनात किए गए अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस के विषय में निर्वाचन आयोग के अनुशासनिक कृत्यों में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी।

- (क) अनधीनता या कर्तव्य की अवहेलना के लिए किसी अधिकारी कर्मचारी पुलिस कर्मों को निलंबित करना;
- (ख) किसी अधिकारी कर्मचारी पुलिस कर्मों के स्थान पर कोई अन्य अधिकारी कर्मचारी पुलिस कर्मों तैनात करना और जिस व्यक्ति को हटाया गया है उसे उसके संवर्ग में वापस भेजना तथा साथ ही साथ उसके आचरण की भी समुचित रिपोर्ट भेजना ;
- (ग) निर्वाचन ड्यूटी के दौरान अनधीनता या कर्तव्य अवहेलना के किसी कृत्य के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश करना। इस

सिफारिश पर अनुशासनिक प्राधिकारी तत्परता से कार्रवाई करेगा और की गई कार्रवाई की सूचना उक्त सिफारिश की तारीख से 6 माह के भीतर निर्वाचन आयोग को दी जाएगी।

- (घ) भारत सरकार, राज्य सरकारों को सलाह देगी कि वे भी उक्त सिद्धांतों व निर्णय का पालन करें क्योंकि निर्वाचन ड्यूटी के लिए तैनात कर्मियों में से अधिकांश उनके प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं।
2. उपर्युक्त समझौते के निबंधनों के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका का निपटान किए जाने का प्रभाव यह है कि निर्वाचन आयोग, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सरकार द्वारा पूर्ण अथवा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित स्वायत्त निकाय में कार्यरत किसी अधिकारी / कर्मचारी / पुलिस कर्मी को अनधीनता या कर्तव्य की अवहेलना के लिए निलंबित कर सकता है निर्वाचन आयोग यह निदेश भी दे सकता है कि किसी अधिकारी कर्मचारी पुलिस कर्मी के स्थान पर दूसरा व्यक्ति तैनात किया जाए इसके अतिरिक्त वह निर्वाचक नामावली पर निर्वाचन ड्यूटी के दौरान अनधीनता या कर्तव्य की अवहेलना के लिए अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश कर सकता है,। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले में निर्वाचन आयोग द्वारा शक्तियों का प्रयोग किए जाने के मुद्दे के बारे में सेवा नियमों को संशोधित किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि ये शक्तियां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ग ग और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28 क से प्राप्त की गई है और इन अधिनियमों के उपबंधों का अनुशासनिक नियमों पर अध्यारोही प्रभाव होगा। परन्तु यदि अनुशासनिक कार्रवाई के बारे में अधिनियम में कोई परस्पर विरोधी उपबन्ध हो तो उन्हें समझौते के निबंधनों के अनुसार उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना अपेक्षित है।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 7 नवंबर, 2000 का काO जाO सं.11012/7/98 -स्था.

(क))

भाग -II केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'ख'
(रक्षा सेवाओं के सिविलियनों को छोड़ कर)

क्रम सं.	सेवा का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने वाला सक्षम प्राधिकारी और वे शास्तियां जो वह (नियम 11 की मद संख्याओं के संदर्भ में अधिरोपित कर सकता है	
1	2	3	प्राधिकारी 4	शास्तियां 5
1.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड,, जिस में समूह "क" की प्रास्थिति वाले अनुभाग अधिकारी सम्मिलित नहीं है।	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति निम्नलिखित में सेवा करने वाले सेवा के सदस्य के संबंध में (क) सेवा में भाग लेने वाला मंत्रालय या सरकारी विभाग, इसमें नीचे विनिर्दिष्ट मंत्रालय या विभाग को छोड़कर। (ख) सेवा में भाग न लेने वाला मंत्रालय या सरकारी विभाग।	सचिव, काडर प्राधिकारी मंत्रालय या विभाग का सचिव
			(ग) सम्बद्ध कार्यालय चाहे वह सेवा में	

			भाग ले रहा हो या न ले रहा हो -		
			(I) यदि ऐसा कार्यालय उस विभाग के प्रधान के नियंत्रण में हो जो सीधे सरकार के अधीन है।	विभाग का प्रधान	(i)
			(II) अन्य मामलों में	सचिव, काडर प्राधिकारी	(i)
			(घ) इसमें आगे विनिर्दिष्ट कार्यालय से भिन्न कोई अन्य गैर सचिवालय कार्यालय		
			(I) यदि ऐसा कार्यालय उस विभाग के प्रधान के नियंत्रण में हो जो सीधे सरकार के अधीन है।	विभाग का प्रधान	(i)
			(II) अन्य मामलों में	सचिव, काडर प्राधिकारी	(i)
			(ड.) रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग)	वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं	(i)

			(च) संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय	सचिव, संघ लोक सेवा आयोग	(i)
1 क	केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा, समूह 'ख'	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति मंत्रालय अथवा विभाग में सचिव		सभी (i)
2	केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति निम्नलिखित में सेवा करने वाले सेवा के सदस्य के संबंध में- (क) सेवा में भाग लेने वाला मंत्रालय या सरकारी विभाग जिसमें नीचे विनिर्दिष्ट मंत्रालय या विभाग सम्मिलित नहीं है (ख) सेवा में भाग न लेने वाला मंत्रालय या सरकारी विभाग (ग) सम्बद्ध कार्यालय चाहे वह सेवा में भाग ले रहा हो या न ले रहा हो ।	सचिव, काडर प्राधिकारी मंत्रालय या विभाग का सचिव	सभी (i) से (iv) तक (i) से (iv) तक

	(i)	यदि ऐसा कार्यालय उस विभाग के प्रधान	विभाग का प्रधान	(i) से
--	-----	-------------------------------------	-----------------	---------

			के नियंत्रण में हो या जो सीधे सरकार के अधीन है		(iv)तक
		(II)	अन्य मामलों में	सचिव, काडर प्राधिकारी	(i)से (iv)तक
		(घ)	इसमें आगे विनिर्दिष्ट कार्यालय भिन्न कोई अन्य गैर सचिवालय कार्यालय		(i)से (iv)तक
		(I)	यदि ऐसा कार्यालय उस विभाग के प्रधान के नियंत्रण में हो जो सीधे सरकार के अधीन है ।	विभाग का प्रधान	(i)से (iv)तक
		(II)	अन्य मामलो में	सचिव, काडर प्राधिकारी	(i)से (iv)तक
		(ड)	रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग)	वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं	(i)से (iv)तक
		(च)	संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय	सचिव, संघ लोक सेवा आयोग	(i)से (iv)तक
3	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा,	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति निम्नलिखित में सेवा करने वाले सेवा के सदस्य		सभी

	ग्रेड-I		के संबंध में (क) सेवा में भाग लेने वाला मंत्रालय या सरकारी विभाग जिसमें नीचे विनिर्दिष्ट मंत्रालय या विभाग सम्मिलित नहीं है :- (ख) सेवा में भाग न लेने वाला मंत्रालय या सरकारी विभाग (ग) सम्बद्ध कार्यालय, चाहे वह सेवा में भाग ले रहा है या न ले रहा हो (I) यदि ऐसा कार्यालय उस विभाग के प्रधान के नियंत्रण में हो जो सीधे सरकार के अधीन है । (II) अन्य मामलो में	सचिव काडर प्राधिकारी मंत्रालय या विभाग का सचिव विभाग का प्रधान सचिव, काडर प्राधिकारी	(i) (i) (i) (i)
--	---------	--	--	--	---

			(घ) इसमें आगे विनिर्दिष्ट कार्यालय से भिन्न कोई गैर सचिवालय कार्यालय		
			(I) यदि ऐसा कार्यालय उस विभाग के प्रधान के नियंत्रण में हो जो सीधे सरकार के अधीन है	उस विभाग का प्रधान	(i)
			(II) अन्य मामलो में	सचिव काडर प्राधिकारी	(i)
			(ड.) रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग)	वित्तीय सलहकार , रक्षा सेवा	(i)
			(च) संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय	सचिव , संघ लोक सेवा आयोग	(i)

3क	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, चयन ग्रेड	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति निम्नलिखित में सेवा करने वाले सेवा के सदस्य के संबंध में		सभी
4	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, ग्रेड-II	राष्ट्रपति	(क) सेवा में भाग लेने वाला मंत्रालय या सरकारी विभाग जिसमें नीचे विनिर्दिष्ट मंत्रालय या विभाग सम्मिलित नहीं हैं (ख) सेवा में भाग न लेने वाला मंत्रालय या सरकारी विभाग (ग) सम्बद्ध कार्यालय चाहे वह सेवा में भाग ले रहा हो या न ले रहा हो (1) यदि ऐसा कार्यालय उस विभाग के प्रधान के नियंत्रण में हो जो सीधे सरकार के अधीन है ।	सचिव, काडर प्राधिकारी मंत्रालय या विभाग का सचिव विभाग का नाम	(i) से (iv) तक (i) से (iv)तक (i) से (iv)तक

			(II) अन्य मामलो में (घ) इसमें आगे विनिर्दिष्ट कार्यालय से भिन्न कोई गैर सचिवालय कार्यालय (I) यदि ऐसा कार्यालय उस विभाग के प्रधान के नियंत्रण में हो जो सीधे सरकार के अधीन है (II) अन्य मामलो में (ड.) रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) (च) संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय	सचिव, काडर प्राधिकारी उस विभाग का प्रधान सचिव, काडर प्राधिकारी वित्तीय सलहकार , रक्षा सेवा सचिव , संघ लोक सेवा आयोग	(i) से (iv) तक (i) से (iv) तक (i) से (iv) तक (i) से (iv) तक (i) से (iv) तक
5	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा समूह 'ख'	सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय	सचिव , स्वास्थ्य मंत्रालय		सभी

6	भारतीय मौसम विज्ञान सेवा समूह "ख"	वैधशाला महानिदेशक	वैधशाला महानिदेशक		सभी
6क	श्रम अधिकारी समूह 'ख'	सचिव श्रम मंत्रालय	सचिव, श्रम मंत्रालय डाक तार विभाग में सेवा कर रहे- सवा के सदस्य के संबंध में	सर्किल प्रमुख; महाप्रबंधक, डाक तार कार्यशाला	सभी (i) से (iv) तक
7	डाक अधीक्षक सेवा, समूह "ख"	महानिदेशक डाक	महानिदेशक , डाक सर्किल का प्रधान		सभी (i) से (iv) तक
8	डाक पाल सेवा समूह "ख"	महानिदेशक डाक	महानिदेशक डाकतार बोर्ड सर्किल का प्रधान		सभी (i) से (iv) तक

9	दूर संचार इंजीनियरी सेवा समूह " ख "	सदस्य, दूर संचार आयोग	सदस्य, दूर संचार आयोग सलाहकार (मानव संसाधन विकास) दूर संचार विभाग; सर्किल का प्रधान; महाप्रबंधक, दूर संचार कारखाना टेलिफोन जिला प्रधान; दूर संचार जिला/दूरसंचार क्षेत्र का प्रधान जो वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का हो; वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का महाप्रबंधक अनुरक्षण; महाप्रबंधक परियोजना	सभी (i) से (iv) तक
10	भारतीय डाक तार लेखा और वित्त सेवा, समूह " ख " दूर संचार स्कंध	सदस्य , दूर संचार आयोग	सदस्य दूर संचार आयोग सलाहकार (मानव संसाधन विकास) दूर संचार विभाग	सभी

			सर्किल का प्रधान; टेलिफोन जिले का प्रधान; महाप्रबंधक, दूर संचार भंडार परियोजना महाप्रबंधक ; महाप्रबंधक, दूरसंचार कारखाना	(i)से (iv) तक
10 क	भारतीय डाक तार लेखा तथा वित्त सेवा, डाक स्कंध समूह " ख "	महानिदेशक डाक	महानिदेशक डाक ; सदस्य(वित्त) डाक सेवा,बोर्ड ; सर्किल का प्रधान ,	सभी (i)से (iv) तक
11	तार यातायात सेवा, समूह " ख "	सदस्य, दूर संचार आयोग	सदस्य, दूर संचार आयोग सर्किल का प्रधान	सभी (i)से(iv)तक

12	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा समूह "ख" - अधीक्षक समूह "ख" (जिसके अंतर्गत कलक्टर के उप मुख्यालय सहायक भी हैं) और जिला अफीम अधिकारी, समूह "ख"	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/भूमि सीमा शुल्क कलक्टर; स्वापक आयुक्त	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क /भूमि सीमा शुल्क कलक्टर ; निरीक्षण निदेशक ; राजस्व आसूचना निदेशक ,स्वापक आयुक्त निम्नलिखित के संबंध में (I) सांख्यिकी और आसूचना शाखा (केन्द्रीय उत्पाद)में सेवा करने वाला, सेवा का सदस्य (II) सेवा का कोई अन्य सदस्य	उप कलक्टर (सांख्यिकी और आसूचना शाखा) सहायक कलक्टर ,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, समूह 'क ' सहायक नारकोटिक्स आयुक्त उप कलक्टर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नारकोटिक्स उपायुक्त	सभी (i)से (iv)तक (i) (i) (i)से (iv)तक (i)से (iv)तक (i)से(iv)तक
----	---	---	--	--	--

				राजस्व आसूचना उप निदेशक	
--	--	--	--	----------------------------	--

13	सीमा शुल्क मूल्य निरूपण सेवा, समूह 'ख' प्रधान मूल्य निरूपक और मुख्य मूल्य निरूपक	सीमा शुल्क कलक्टर	सीमा शुल्क कलक्टर निरीक्षण निदेशक राजस्व आसूचना निदेशक कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ,दिल्ली		सभी (i)से(iv)तक (i)से(iv)तक (i)से(iv)तक
14	सीमा शुल्क मूल्य निरूपण सेवा, समूह 'ख'	सीमा शुल्क कलक्टर	सीमा शुल्क कलक्टर निरीक्षण निदेशक राजस्व आसूचना निदेशक सहायक कलक्टर ,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ,दिल्ली सहायक कलक्टर सहायक निदेशक ,निरीक्षण		सभी (i)से(iv)तक (i)से(iv)तक (i)से(iv)तक (i) (i)
15	सीमा शुल्क	सीमा शुल्क कलक्टर	सीमा शुल्क कलक्टर		सभी

	निवारक सेवा समूह 'ख' मुख्य निरीक्षक		निरीक्षण निदेशक राजस्व आसूचना निदेशक		सभी सभी
16	सीमा शुल्क निवारक सेवा, समूह 'ख' निरीक्षक	सीमा शुल्क कलक्टर	सीमा शुल्क कलक्टर निरीक्षण निदेशक राजस्व आसूचना निदेशक सहायक कलक्टर (निवारक) सहायक निदेशक निरीक्षण		सभी सभी (i)से(iv)तक (i)से(iv)तक (i)से(iv)तक

17	आयकर सेवा, समूह " ख "	आयकर आयुक्त	आयकर आयुक्त निरीक्षण निदेशक, सहायक आयुक्त		सभी सभी (1)
18	भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, समूह " ख "	मुख्य वनस्पतिक, भारतीय वनस्पतिक , सर्वेक्षण	मुख्य वनस्पतिक भारतीय वनस्पतिक , सर्वेक्षण		सभी
19	भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण, समूह " ख "	महानिदेशक, भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण	महानिदेशक, भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण		सभी
20	भारतीय सर्वेक्षण समूह " ख "	भारत का महासर्वेक्षक	भारत का महासर्वेक्षक		सभी
21	भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, समूह " ख "	निदेशक, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण	निदेशक, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण		सभी

22	केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा, समूह ' ख '	महा निदेशक (निर्माण कार्य) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	(I) महा निदेशक (निर्माण कार्य) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (II) मुख्य इंजीनियर (सतर्कता) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग		सभी (i)स(iv) तक
23	केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा, समूह " ख "	महा निदेशक (निर्माण कार्य) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	(I) महा निदेशक (निर्माण कार्य) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (II) मुख्य इंजीनियर (सतर्कता) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग		सभी (i)स(iv) तक
24	केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा, समूह ' ख ' (I) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में पद (II) केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में पद	संयुक्त सचिव अध्यक्ष केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग	संयुक्त सचिव अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग		सभी सभी

	(III) चम्बल नियंत्रण बोर्ड में पद	संयुक्त सचिव, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	संयुक्त सचिव, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय		सभी
	(iv) फरक्का बराज नियंत्रण बोर्ड में पद	आयुक्त, (गंगाद्रोणी) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	आयुक्त, (गंगा द्रोणी) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय		सभी
	(v) गंगा द्रोणी जल स्रोत सर्किल में पद	आयुक्त (गंगा द्रोणी) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	आयुक्त (गंगा द्रोणी) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय		सभी
25	केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी सेवा, समूह 'ख' (i) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में पद (ii) केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में पद	संयुक्त सचिव अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग	संयुक्त सचिव अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग		सभी सभी
26	भारतीय नमक सेवा,	संयुक्त सचिव,	संयुक्त सचिव, उत्पादन मंत्रालय		सभी

	समूह ' ख '	उत्पादन मंत्रालय			
27	भारतीय विदेश सेवा(ख):- (i) साधारण काडर समेकित ग्रेड II और (III) समूह " क" की प्रास्थिति वाले अनुभाग अधिकारी को छोडकर) (ii) साइफर उप काडर, ग्रेड-I (iii)आशुलिपिक, उप काडर ग्रेड -I (iv)साधारण काडर,, ग्रेड IV	राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति	राष्ट्रपति निम्नलिखित में सेवा करने वाले सेवा के सदस्य के बारे में (I) विदेश मंत्रालय (II)विदेशों में भारतीय मिशन/ पोस्ट निम्नलिखित में सेवा करने वाले सेवा के सदस्य के बारे में (I)विदेश मंत्रालय	विदेश मंत्रालय का सचिव मिशन का प्रधान/अन्यथा विदेश मंत्रालय का सचिव विदेश मंत्रालय का सचिव	सभी (I) (I) सभी (i) से (iv) तक

	(vi) आशुलिपिक , उप -काडर, ग्रेड -II		(II) विदेशो में भारतीय मिशन/पोस्ट	मिशन का प्रधान/ अन्यथा विदेश मंत्रालय का सचिव	(i)
28	दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा, ग्रेड-II	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय दिल्ली प्रशासन के अधीन सेवा करने वाले सेवा के सदस्य के बारे में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के अधीन सेवा करने वाले सेवा के सदस्य के बारे में	मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन मुख्य सचिव, अंडमान निकोबार द्वीप प्रशासन	सभी (i) से (iv) तक (i) से (iv) तक
29	दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा,	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय दिल्ली प्रशासन के अधीन सेवा करने	मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन	सभी (i) से (iv) तक

	ग्रेड-II		वाले सेवा के सदस्य के बारे में, अंडमान और निकोबार प्रशासन के अधीन सेवा करने वाले सेवा के सदस्य के बारे में।	मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार प्रशासन	(i) से (iv) तक
30	केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड-III और IV	संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	संयुक्त सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय निम्नलिखित में सेवा करने वाले सेवा के सदस्य के बारे में		सभी
			(क) विभाग के प्रधान के नियंत्रण में कोई कार्यालय	विभाग का प्रधान	(i) से (iv) तक

			(ख) अन्वेषण और संदर्भ प्रभाग	निदेशक, अन्वेषण और संदर्भ प्रभाग	(i) से (iv) तक
31	केंद्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क), समूह 'ख '	सचिव, पोत और परिवहन मंत्रालय	सचिव ,पोत और परिवहन मंत्रालय महानिदेशक (सड़क विकास)और पदेन अपर सचिव पोत और परिवहन मंत्रालय (सड़क स्कंध)		सभी (i) से (iv) तक

32	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख ' (I) भारत सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग में पद जिनमें वे पद सम्मिलित नहीं हैं जिनके बारे में राष्ट्रपति के साधारण या विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट उपबंध किए गए हैं (I क) भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग के बाहर के पद, जिनमें वे पद सम्मिलित नहीं हैं जिनके बारे में राष्ट्रपति के साधारण या विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट उपबंध किए गए हैं ।	मंत्रालय या विभाग का सचिव सीधे सरकार के अधीन विभागाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्यालय में पदों के संबंध में विभागाध्यक्ष अन्य पदों के बारे में मंत्रालय अथवा विभाग में सचिव	मंत्रालय या विभाग का सचिव विभाग का प्रधान मंत्रालय /विभाग का सचिव		सभी सभी सभी
----	---	---	--	--	----------------------------------

	(II) दिल्ली प्रशासन, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप मिनीकाय और अमीनीदीव द्वीप समूहों को छोड़कर सभी संघ राज्य क्षेत्रों में पद	प्रशासक	प्रशासक/विभाग का प्रधान हिमाचल प्रदेश संध राज्य क्षेत्र में	विभाग का प्रधान	सभी (i) से (iv) तक
	(III) दिल्ली प्रशासन -सभी पद	मुख्य सचिव	मुख्य सचिव		सभी
	(iv) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह - सभी पद	मुख्य आयुक्त	मुख्य आयुक्त		सभी
			वन विभाग के पदों के बारे में	मुख्य वन संरक्षक	(i) से (iv) तक
	(V) लक्षद्वीप प्रशासन-सभी पद	प्रशासक	प्रशासक		सभी

क्रम सं.	सेवा का वर्णन	नियुक्त प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने वाला प्राधिकारी ओर शास्तियां जो वह (नियम II की मद संख्याओं के संदर्भ में) अधिरोपित कर सकता है		अपीलीय अधिकारी
1	2	3	प्राधिकारी 4	शास्तियां 5	6
33	भारत सरकार के विभागीकृत लेखा कार्यालयों के समूह 'ख' के सभी पद	मुख्य लेखा नियंत्रक या मंत्रालय या विभाग जिसमें मुख्य लेखा नियंत्रक नहीं है वहां संयुक्त महा लेखा नियंत्रक	मुख्य लेखा नियंत्रक या मंत्रालय या विभाग जिसमें मुख्य लेखा नियंत्रक नहीं है वहां संयुक्त महा लेखा नियंत्रक	(i) से (iv) तक	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अपर महालेखा नियंत्रक या प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक

			केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अपर महालेखा नियंत्रक या प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक	सभी	महालेखा नियंत्रक
--	--	--	---	-----	---------------------

भाग III - केन्द्रीय सिविल सेवाएं, समूह 'ग'
(रक्षा सेवाओं में सिविलियनों को छोड़कर)

क्रम सं.	सेवा का वर्णन	नियुक्त प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने वाला प्राधिकारी और शास्तियां जो वह (नियम 11 की मद संख्याओं के संदर्भ में) अधिरोपित कर सकता है		अपीलीय अधिकारी
1	2	3	प्राधिकारी 4	शास्तियां 5	6
1	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, उच्च श्रेणी और अवर श्रेणी ग्रेड	उप सचिव अथवा निदेशक, संवर्ग प्राधिकारी	उप सचिव अथवा निदेशक, संवर्ग प्राधिकारी निम्नलिखित में सेवा करने वाले सदस्य के संबंध में	सभी	सचिव, काडर प्राधिकारी
I क	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, ग्रेड III		(क) नीचे विनिर्दिष्ट विभाग/कार्यालय और काडर प्राधिकारी से भिन्न, ऐसा विभाग कार्यालय जहां कार्यालय का प्रधान उप सचिव या निदेशक (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) से नीचे के रैंक का नहीं है	कार्यालय का प्रधान	(i) से (iv) तक सचिव, काडर प्राधिकारी
			(ख) रक्षा मंत्रालय	उप वित्तीय	(i) से वित्तीय

			(वित्त प्रभाग)	सलाहकार	(iv)तक	सलाहकार रक्षा सेवाएं
			(ग) प्रधान मंत्री का सचिवालय	उप सचिव या उप सचिव के रैंक का कोई अधिकारी	(i) से (iv)तक	प्रधान मंत्री का मुख्य निजी सचिव
			(घ) निरस्त			
			(ङ) महानिरीक्षक ,का कार्यालय , दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना	उप महानिरीक्षक	(i) से (iv)तक	महानिरीक्षक
			(च) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर का कार्यालय	निदेशक प्रशासन	(i) से (iv) तक	मुख्य इंजीनियर
			(छ) पूर्ति और निपटान महा निदेशालय	निदेशक प्रशासन	(i) से (iv) तक	पूर्ति और निपटान महानिदेशक
			(ज) केन्द्रीय जल और	सचिव, केंद्रीय जल	(i) से	अध्यक्ष

			विद्युत आयोग	और विद्युत आयोग	(iv) तक	केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग
			(झ) मुद्रण निदेशालय	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	(i) से (iv) तक	शहरी विकास मंत्रालय में सचिव
2	डाक तार लेखाकार सेवा, वरिष्ठ लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार	डाक तार बोर्ड का सदस्य		डाक तार बोर्ड का सदस्य दूरसंचार कारखानों का प्रबंधक दूरसंचार कारखानों का उप महा प्रबंधक	सभी (i) से (iv) तक (i) से (iv) तक	डाक तार बोर्ड दूरसंचार कारखानों का महाप्रबंधक
				मुख्य लेखा अधिकारी दूरसंचार भंडारण	(i) से (iv) तक	डाक तार बोर्ड का सदस्य

				मुख्य लेखा अधिकारी तार जांच कार्यालय	(i) से (iv) तक	डाक तार बोर्ड का सदस्य
				सर्किल का प्रधान, तार भंडार मुख्य नियंत्रक	(i) से (iv) तक	डाक तार बोर्ड का सदस्य
				टेलीफोन जिला प्रबंधक; उप महाप्रबंधक टेलीफोन	(i) से (iv) तक	डाक तार बोर्ड का सदस्य टेलीफोन महा प्रबंधक
				तार भंडार नियंत्रक	(i) से (iv) तक	तार भंडार मुख्य नियंत्रक

				वरिष्ठ विद्युत इंजीनयर, प्रभागीय तार इंजीनियर, डाक	(i) से (iv) तक	अपर मुख्य इंजीनियर तकनीकी
--	--	--	--	--	-------------------	---------------------------------

				तार प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर प्रभागीय तार इंजीनियर उप निदेशक, डाक जीवन बीमा डाक तार बोर्ड का सचिव, डाक प्रशिक्षण केन्द्र का प्रधान डाक तार प्रशिक्षण केन्द्र का प्रधान	(i) से (iv) तक (i) से (iv) तक (i) से (iv) तक	और विकास परिमंडल, जबलपुर सर्किल का प्रधान डाक तार बोर्ड का सदस्य डाक तार बोर्ड का सदस्य
3	भारतीय विदेश सेवा (ख): सामान्य काडर ग्रेड V और vi	उप सचिव , विदेश मंत्रालय	उप सचिव, विदेश , मंत्रालय		सभी	सचिव , विदेश मंत्रालय

			भारतीय मिशन/विदेशी पोस्ट में सेवा करने वाले सेवा के सदस्य के बारे में	यदि वह प्रथम सचिव या उससे उच्चतर स्तर का कोई प्राधिकारी है तो चांसरी का प्रधान अन्यथा मिशन /पोस्ट का प्रधान जो भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड V या उससे उच्चतर रैंक का है ।	(i) से (iv) तक	विदेश मंत्रालय का सचिव
4	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (I) सरकार के मंत्रालय/विभाग के उन पदों से भिन्न पद जिनके बारे में राष्ट्रपति के साधारण या विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट उपबंध किए गए हैं ।	सरकार के मंत्रालय/विभाग में उप सचिव या निदेशक	सरकार के मंत्रालय /विभाग में उप सचिव या निदेशक		सभी	सरकार के मंत्रालय /विभाग में सचिव

	(II) गैर सचिवालय कार्यालयों के उन पदों से भिन्न पद जिनके बारे	कार्यालय का प्रधान	कार्यालय का प्रधान		सभी	यदि कार्यालय का प्रधान
--	---	--------------------	--------------------	--	-----	------------------------

	में राष्ट्रपति के साधारण या विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट उपबंध किए गए हैं।					सरकारी मंत्रालय या विभाग के अधीन विभाग के प्रधान के अधीनस्थ है, तो विभाग का ऐसा प्रधान यदि कार्यालय का प्रधान स्वयं ही विभाग का प्रधान है, या विभाग के किसी प्रधान के अधीनस्थ नहीं है तो सरकार के मंत्रालय या विभाग का सचिव
--	--	--	--	--	--	--

	(III) संघ राज्य क्षेत्रों में पद	कार्यालय का प्रधान या ऐसा अन्य प्राधिकारी जिसे प्रशासक विनिर्दिष्ट करें ।	कार्यालय का प्रधान या ऐसा अन्य प्राधिकारी जिसे प्रशासक विनिर्दिष्ट करें		सभी	प्रशासक या ऐसा अन्य प्राधिकारी जिसे प्रशासक विनिर्दिष्ट करें; जहां आदेश प्रशासक का हो वहां राष्ट्रपति ।
	(iv) भारत सरकार के विभागीकृत लेखा कार्यालयों में समूह 'ग' के सभी पद	लेखा नियंत्रक या जहां लेखा नियंत्रक न हो वहां मंत्रालय / विभाग का उप महालेखा नियंत्रक	लेखा नियंत्रक या जहां लेखा नियंत्रक न हो वहां मंत्रालय / विभाग का उप महालेखा नियंत्रक		सभी	मुख्य लेखा नियंत्रक या जहां मुख्य लेखा नियंत्रक न हो वहां
						मंत्रालय / विभाग का संयुक्त महालेखा नियंत्रक

5	केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा, समूह 'ग'	मंत्रालय अथवा विभाग में सचिव	मंत्रालय अथवा विभाग में सचिव मंत्रालय अथवा विभाग में संयुक्त सचिव विभाग प्रमुख		सभी (i) से (iv) तक	राष्ट्रपति मंत्रालय अथवा विभाग में सचिव
---	--	---------------------------------	--	--	-------------------------------	---

भाग -IV केन्द्रीय सिविल सेवाएं, समूह " घ "
(रक्षा सेवाओं में सिविलियनों को छोड़कर)

क्रम सं.	सेवा का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने वाला प्राधिकारी और शास्तियां जो वह (नियम 11 की मद संख्याओं के संदर्भ में) अधिरोपित कर सकता है ।		अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	प्राधिकारी 4	शास्तियां 5	6
	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'घ ' (I) सरकार के मंत्रालय /विभागों के उन पदों से भिन्न पद जिनके बारे में राष्ट्रपति के साधारण या विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट उपबंध किए गए हैं । (II) गैर सचिवालय कार्यालयों के उन पदों से भिन्न पद जिनके बारे में राष्ट्रपति के साधारण या विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट उपबंध किए गए हैं ।	अवर सचिव कार्यालय का प्रधान	अवर सचिव कार्यालय का प्रधान	सभी सभी	उप सचिव अथवा निदेशक यदि कार्यालय का ऐसा प्रधान सरकारी मंत्रालय या विभाग के प्रधान का अधीनस्थ है तो विभाग का ऐसा प्रधान। यदि कार्यालय

	(iii) संघ राज्य क्षेत्रों में पद	कार्यालय का प्रधान या ऐसा अन्य प्राधिकारी जिसे प्रशासक विनिर्दिष्ट करे ।	कार्यालय का प्रधान या ऐसा अन्य प्राधिकारी जिसे प्रशासक विनिर्दिष्ट करे ।	सभी	का प्रधान स्वयं ही विभाग का प्रधान है या विभाग के प्रधान के अधीनस्थ नहीं है तो सरकार के मंत्रालय या विभाग का सचिव । प्रशासक या ऐसा प्राधिकारी जिसे प्रशासक विनिर्दिष्ट करे । जहां आदेश प्रशासक का हो, वहां राष्ट्रपति ।
	(iv) भारत सरकार के विभागीकृत लेखा कार्यालयों में समूह ' घ ' के सभी पद	लेखा नियंत्रक या जहां लेखा नियंत्रक न हो वहां मंत्रालय/विभाग का उप लेखा महा नियंत्रक	लेखा नियंत्रक या जहां लेखा नियंत्रक न हो वहां मंत्रालय/विभाग का उप लेखा महा नियंत्रक	सभी	मुख्य लेखा नियंत्रक या जहां मुख्य लेखा नियंत्रक न हो वहां मंत्रालय विभाग का सुयुक्त महा लेखा नियंत्रक

5.	केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा, समूह ' ग '	मंत्रालय अथवा विभाग में सचिव	मंत्रालय अथवा विभाग में सचिव मंत्रालय अथवा विभाग में संयुक्त सचिव विभागीय प्रमुख	सभी (i) से (iv)) तक	राष्ट्रपति मंत्रालय अथवा विभाग में सचिव
----	--	------------------------------	--	-----------------------------------	--

भाग V - रक्षा सेवाओं में सिविल पद

क्रम सं. /	सेवा का वर्णन	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और वे शास्तियां जो वह (नियम 11 की मद संख्याओं के संदर्भ में)अधिरोपित कर सकता है /	
1	2	3	प्राधिकारी 4	शास्तियां 5
1	समूह "ख" पद (क) (I) मद (ख) में विनिर्दिष्ट पदों से भिन्न समूह "ख (राजपत्रित)के सभी पद । (II) मद (ख)में विनिर्दिष्ट पदों से भिन्न समूह गुप "ख" (गैर राजपत्रित)के सभी पद । (ख) निम्नलिखित के अधीन	अपर सचिव मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	अपर सचिव मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	सभी (i)से(iv) तक सभी

निम्नतर विरचना के पद			
(I) जनरल स्टाफ शाखा	उप सेनाध्यक्ष	उप सेनाध्यक्ष यथास्थिति--- सैनिक आसूचना निदेशक सैनिक प्रशिक्षण निदेशक आर्टिलरी निदेशक सिगनल प्रमुख अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी निदेशक	सभी (i)से(iv)) तक
(II) एडजुटेंट जनरल शाखा	एडजुटेंट जनरल	एडजुटेंट जनरल यथास्थिति ,संगठन निदेशक, निदेशक चिकित्सा सेवा, जज एडवोकेट -जनरल, भर्ती निदेशक सैनिक और वायु अताशे	सभी (i)से(iv)) तक
(III). क्वार्टर मास्टर जनरल शाखा	क्वार्टर मास्टर जनरल	क्वार्टर मास्टर जनरल संबंधित निदेशक जो ब्रिगेडियर से नीचे के रैंक का न हो	सभी (i)से(iv)) तक
(iv) मास्टर जनरल आफ आर्डनेंस शाखा	मास्टर जनरल आफ आर्डनेंस	मास्टर जनरल आफ आर्डनेंस यथास्थिति आर्डनेंस सेवा निदेशक,	सभी

		विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरी निदेशक	
--	--	--------------------------------------	--

	(v) इंजीनियर -इन चीफ शाखा		इंजीनियर -इन चीफ कमान के मुख्य इंजीनियर	सभी (i) से (iv)) तक सभी
	(vi) नौसेना मुख्यालय	चीफ आफ पर्सनल	चीफ आफ पर्सनल फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ, पश्चिमी नौसेना कमांड ,बम्बई फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ, इस्टर्न नेवल कमांड ,विशाखापट्टनम फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ, दक्षिणी नौसेना कमांड ,कोचीन फ्लैग आफिसर कमांडिंग ,गोवा एरिया ,गोवा, फोर्टरेस कमांडर,अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह ,पोर्ट ब्लेयर, एडमिरल सुपरिटेण्डेंट नौसेना डाकयार्ड , बम्बई, एडमिरल सुपरिटेण्डेंट नौसेना डाकयार्ड ,विशाखापट्टनम, चीफ हाइड्रोग्राफर ,नौसेना हाइड्रोग्राफिक कार्यालय, देहरादून	(i) से (iv)) तक
	(vii) वायुसेना मुख्यालय	एयर आफिसर-इन चार्ज पर्सनल, वायुसेना मुख्यालय	एयर आफिसर-इन चार्ज पर्सनल, वायुसेना मुख्यालय	सभी

(viii) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय	सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय	सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय	सभी
(ix) राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय	राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय	राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय	सभी
(x) सैनिक भूमि और छावनी महानिदेशालय	सैनिक भूमि और छावनी महानिदेशालय	सैनिक भूमि और छावनी महानिदेशालय	सभी
(xi) आर्डनेंस फैक्टरी महानिदेशालय	आर्डनेंस फैक्टरी महानिदेशालय	आर्डनेंस फैक्टरी महानिदेशालय	सभी
(xii) निरीक्षण महानिदेशालय	निरीक्षण महानिदेशालय	निरीक्षण महानिदेशालय	सभी
(xiii) तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु)संगठन	निदेशक तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु)संगठन	निदेशक तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु)संगठन	सभी
(xiv) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	महानिदेशक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	महानिदेशक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन	सभी
		मुख्य नियंत्रक, अनुसंधान और विकास (प्रशासन)	(1) से (iv) तक

	(XV) रडार तथा दूरसंचार परियोजना कार्यालय की अधीनस्थ युनिटों में पद	परियोजना निदेशक, रडार तथा दूरसंचार परियोजना कार्यालय	परियोजना निदेशक, रडार तथा दूरसंचार परियोजना कार्यालय	सभी
2.	समूह ग और घ पद:- (क) निम्नलिखित में पद- (i) सशस्त्र सेना मुख्यालय (ii) आर्डनेंस फैक्टरी सैल आर्डनेंस उपस्कर फैक्टरी मुख्यालय, अपर डी जी ओ एफ/ ए वी का मुख्यालय और अपर डी जी ओ एफ का कोई अन्य मुख्यालय	समूह ग पदों के लिए उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी समूह घ पदों के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उप महानिदेशक, आर्डनेंस फैक्टरी	समूह ग पदों के लिए उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी समूह घ पदों के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उप महानिदेशक, आर्डनेंस फैक्टरी	सभी सभी सभी

(ख) निम्नलिखित के अधीन निम्नतर विरचनाओं में पद (1) जनरल स्टाफ शाखा (क) आर्मडकोर (सिविलियन स्विच बोर्ड आपरेटरों को छोड़कर) प्रादेशिक सेना और रक्षा सुरक्षा कोर निदेशालय (ख) मिलिटरी आसूचना निदेशालय (ग) स्टॉफ इयूटी निदेशालय (अर्थात् विरचना मुख्यालय तथा स्टाफ कार्यालयों के पद जिन पर ऐसे सिविलियन तैनात हैं जो किसी सेना/सेवा/कोर की पद संख्या में नहीं हैं और इसमें कंजर्वेसी स्टाफ शामिल है किंतु सिविलियन स्विच बोर्ड आपरेटर शामिल नहीं हैं ।)	उप सेनाध्यक्ष मिलिटरी आसूचना निदेशक स्टाफ इयूटी निदेशक	उप सेनाध्यक्ष मिलिटरी आसूचना निदेशक स्टाफ इयूटी निदेशक (1) मिलिटरी प्रशिक्षण निदेशक (ब्रिगेडियर और	सभी सभी सभी सभी
---	---	--	---

(घ) मिलिटरी प्रशिक्षण निदेशालय (सिविलियन स्विच बोर्ड आपरेटरों को छोड़कर) (ड.) आर्टिलरी निदेशालय (च) सिगनल निदेशालय (आर्म कोर ,स्टाफ ड्यूटी निदेशालय और मिलिटरी प्रशिक्षण निदेशालय के अधीन गैर सिगनल यूनिटों के सिविलियन स्विच बोर्ड आपरेटरों सहित जो अब सिविलियन स्विच बोर्ड आपरेटरों के जनरल स्टाफ ब्रांच कॉमन रोस्टर में शामिल है ।	(1) मिलिटरी प्रशिक्षण निदेशक (ब्रिगेडियर और उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों द्वारा नियंत्रित निम्नतर विरचनाओं में) (2) कमांडेंट (मेजर जनरल) डिफेंस सर्विस स्टाफ कालेज, इंडियन मिलिटरी अकादमी तथा कालेज ऑफ काम्बेट आर्टिलरी निदेशक सिगनल आफिसर इंचार्ज	उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों द्वारा नियंत्रित निम्नतर विरचनाओं में) (2) कमांडेंट (मेजर जनरल) डिफेंस सर्विस स्टाफ कालेज, इंडियन मिलिटरी अकादमी तथा कालेज ऑफ काम्बेट आर्टिलरी निदेशक सिगनल आफिसर इंचार्ज	सभी सभी सभी
--	--	--	----------------------------------

	(II) एड्जुटेन्ट जनरल ब्रांच (आर्मी आर्डनेंस कोर, विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर तथा मिलिटरी फार्मस रिकार्ड के रिकार्ड कार्यालयों के समूह 'ग' के सभी पद इसमें शामिल हैं।)	एड्जुटेन्ट जनरल	एड्जुटेन्ट जनरल	सभी
	(III) क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच	क्वार्टर मास्टर जनरल	क्वार्टर मास्टर जनरल	सभी
	(iv) मास्टर जनरल आफ आर्डनेंस ब्रांच	आर्मी आर्डनेंस कोर सिविलियन कार्मिकों के लिए आर्डनेंस सेवा निदेशक विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरिंग, सिविलियन कार्मिकों के लिए विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरिंग निदेशक	आर्डनेंस सेवा निदेशक विद्युत और यांत्रिक इंजीनियरिंग निदेशक	सभी सभी
	(V) इंजीनियर इन-चीफ- ब्रांच	इंजीनियर -इन- चीफ	इंजीनियर-इन-चीफ	सभी

(vi) नौसेना मुख्यालय	सिविलियन कार्मिक निदेशक, नौसेना मुख्यालय	सिविलियन कार्मिक निदेशक, नौसेना मुख्यालय	सभी
(vii) वायु सेना मुख्यालय	संबंधित कमांड के एयर आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ	संबंधित कमांड के एयर आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ	सभी
(viii) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महा निदेशालय	सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महा निदेशक	सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महा निदेशक	सभी
(ix) निरीक्षण महा निदेशालय	निरीक्षण महानिदेशक	निरीक्षण महानिदेशक	सभी
(x) राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय	राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशक	राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशक	सभी
(xi) (क) चार्जमैन ग्रेड-I, सहायक स्टोर होल्डर सहायक फोरमैन स्टोर होल्डर , फोरमैन , प्रधान फोरमैन के सभी ग्रेड 'ग' पद, तथा समकक्ष पद	आर्डनेंस फैक्टरी के उपमहानिदेशक	आर्डनेंस फैक्टरी के उपमहानिदेशक	सभी
(ख) उपरोक्त (क) के अतिरिक्त सभी ग्रेड 'ग' पद तथा आर्डनेंस	महाप्रबंधक	महाप्रबंधक	सभी

फैक्टरी, आर्डनेस उपस्कर फैक्टरी में ग्रेड 'घ' पद			
(ग) उपरोक्त (क) के अतिरिक्त सभी ग्रेड 'ग' पद तथा आर्डनेस फैक्टरी स्टाफ कालेज में ग्रेड 'घ' पद	निदेशक आर्डनेस फैक्टरी स्टाफ कालेज	निदेशक आर्डनेस फैक्टरी स्टाफ कालेज	सभी
(xii) सैनिक भूमि तथा छावनी निदेशालय	निदेशक सैनिक भूमि तथा छावनी	निदेशक सैनिक भूमि तथा छावनी	सभी
(xiii) जन संपर्क निदेशालय	जन संपर्क निदेशक	जन संपर्क निदेशक	सभी

	(xiv) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन	रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार तथा महानिदेशक , रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन	रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार तथा महानिदेशक , रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन	सभी
	(xv) तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु)	निदेशक, तकनीकी विकास तथा उत्पादन (वायु)	निदेशक, तकनीकी विकास तथा उत्पादन (वायु)	सभी
	(xvi) सुरक्षा कार्यालय के अधीन पद	मुख्य सुरक्षा अधिकारी, रक्षा मंत्रालय	मुख्य सुरक्षा अधिकारी, रक्षा मंत्रालय	सभी
	(xvii) रडार तथा संचार परियोजना कार्यालय की अधीनस्थ यूनिटों में सभी समूह 'ग' तथा 'घ' पद	कमांडिंग अफसर	कमांडिंग अफसर	सभी